



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15012026-269372
CG-MH-E-15012026-269372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]
No. 45]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2026/पौष 24, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2026/PAUSHA 24, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 14 जनवरी, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/294.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

अध्याय - I**प्रारंभिक****1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) ये विनियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ कुछ और न हो तब तक: —
 - (क) “अधिनियम” का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15);
 - (ख) “अक्रेडिटिड निवेशक” का वही अर्थ है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकूलिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 [सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेग्यूलेशन्स, 2012] के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (कख) में इसके लिए दिया हुआ है;
 - (ग) “विज्ञापन” में शामिल है - म्यूचुअल फंड या असेट मैनेजमेंट कंपनी (ए.एम.सी.) द्वारा या उसकी ओर से जारी की गई ऐसी कोई सूचना आदि, जिसके आधार पर कोई निवेशक या भावी निवेशक निवेश करने का फैसला ले;
 - (घ) “सहयोगी” (असोसिएट) में शामिल हैं, —
 - (i) वह व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो अकेले या नातेदारों के साथ मिलकर, यथास्थिति, ए.एम.सी. या ट्रस्टी या स्पॉन्सर (प्रायोजक) पर नियंत्रण (कंट्रोल) हो;
 - (ii) वह व्यक्ति, जिस पर, ए.एम.सी. या ट्रस्टी या स्पॉन्सर का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे खुद से या दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर, नियंत्रण (कंट्रोल) हो;
 - (iii) वह कंपनी जिसका निदेशक [स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डाइरेक्टर) को छोड़कर] या अधिकारी या कर्मचारी ए.एम.सी. का भी निदेशक या अधिकारी या कर्मचारी हो; या
 - (iv) जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (ऐसी एंटीटी जो अलग-अलग निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है और फिर उसका निवेश करती है) [जिनमें प्राइवेट इक्विटी फंड भी शामिल हैं] म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर की भूमिका निभाए, उसके संबंध में,

- क. पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के मैनेजर (प्रबंधक) की सहयोगी (असोसिएट) या समूह (ग्रुप) कंपनी;
- ख. वह इन्वेस्टी कंपनी (वह कंपनी जिसमें निवेश किया जाए), जिसके दस प्रतिशत या उससे ज्यादा के शेयर उन स्कीमों या फंडों के पास हों, जिनका प्रबंधन पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के प्रबंधक द्वारा किया जा रहा हो; या
- ग. वह इन्वेस्टी कंपनी, जिसके दस प्रतिशत या उससे ज्यादा के शेयर पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के पास हों अथवा जिसके बोर्ड में पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के निदेशकों या कारपोरेट स्पॉन्सर का प्रतिनिधित्व हो अथवा उनके पास उसके बोर्ड में प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार हो:

परंतु यह कि सहयोगी (असोसिएट) की ऊपर जो परिभाषा दी गई है, वह उन स्पॉन्सर के मामले में लागू नहीं होगी, जो बीमा पॉलिसियों या बोर्ड द्वारा बताई जाने वाली दूसरी स्कीमों के लाभार्थियों (बेनिफिशियरीज़) की ओर से कंपनियों में निवेश करते हैं;

- (ङ) “असेट मैनेजमेंट कंपनी” (ए.एम.सी.) का अर्थ है - वह कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत बनी हो और जिसे विनियम 18 के तहत बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हो;
- (च) ‘ब्रॉड बेस्ड फंड’ का अर्थ है - वह फंड, जिसमें कम से कम बीस निवेशक हों और किसी भी एक निवेशक के पास फंड के कॉर्पस का पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा न हो;
- (छ) “ब्रोकर” का अर्थ है - वह स्टॉक ब्रोकर, जिसकी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 2026 में दी हुई है;
- (ज) “क्लोज-एंडेड स्कीम” (सीमित अवधि वाली स्कीम) का अर्थ है - म्यूचुअल फंड की वह स्कीम, जिसमें स्कीम की मीयाद पूरी होने (मैच्यूरिटी) की अवधि पहले से ही तय होती है;
- (झ) “नियंत्रण” का अर्थ है,—
 - (i) कंपनी के मामले में, वह व्यक्ति, जिसके पास, या तो अकेले या एक ही इरादे से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उस कंपनी के कम से कम 10% मताधिकार वाले शेयरों का मालिकाना हक हो या जिसका उन पर नियंत्रण हो या जिसके पास वे शेयर हों; या
 - (ii) दो कंपनियों में, यदि एक ही व्यक्ति या तो अकेले या एक ही इरादे से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों में से हरेक कंपनी के कम से कम

10% मताधिकार वाले शेयरों का मालिकाना हक हो या जिसका उन पर नियंत्रण हो या जिसके पास वे शेयर हों; या

(iii) किसी कंपनी के ऐसे ज्यादातर निदेशक, जो ए.एम.सी. पर अपना नियंत्रण रखने की स्थिति में हों;

- (ज) कारपोरेट डैट मार्केट डेवलपमेंट फंड (कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि) का वही अर्थ है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 [सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेग्यूलेशन, 2012] के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छक) में इसके लिए दिया हुआ है;
- (ट) “कस्टोडियन” (अभिरक्षक) का अर्थ है - वह व्यक्ति, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 [सेबी (कस्टोडियन) रेग्यूलेशन, 1996] के तहत कस्टोडियन ऑफ सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूति अभिरक्षक) का कामकाज करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो;
- (ठ) “डिपॉज़िटरी” (निक्षेपागार) का अर्थ है - वह कंपनी (बॉडी कारपोरेट), जिसकी परिभाषा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996) [1996 का 22] में दी हुई है;
- (ड) “आर्थिक अपराध” का अर्थ है - वह अपराध, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018) [2018 का 17] के अनुसार अपराध हो;
- (ढ) “इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम” (ज्यादातर निवेश इक्विटी में करने वाली स्कीम का अर्थ है - इंडेक्स फंड स्कीम या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को छोड़कर वह स्कीम, जो अपने नेट असेट्स के कम से कम पैसठ प्रतिशत हिस्से का निवेश इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रुमेंट्स में करती हो;
- (ण) “इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रुमेंट्स” में शामिल हैं - कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, वारंट (जिनके बदले इक्विटी शेयर मिल सकते हों), इक्विटी डेरिवेटिव्स, रीट (रियल इस्टेट निवेश न्यास) की यूनितें और बोर्ड द्वारा बताया जाने वाला ऐसा कोई दूसरा इंस्ट्रुमेंट;
- (त) “एक्सचेंज ट्रेडेड फंड” का अर्थ है - वह म्यूचुअल फंड की स्कीम, जो बोर्ड द्वारा बताए गए तरीके से शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) में उसी अनुपात में निवेश करती है जिस अनुपात में शेयर आदि सूचकांक (इंडेक्स) में शामिल होते हैं, और जिसकी यूनितें को अनिवार्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना होता है और उनकी ट्रेडिंग भी स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ही होती है;
- (थ) ‘एक्जिट लोड’ का अर्थ है - यूनितें रिडीम करते समय या फिर उनकी पुनर्खरीद (रीपर्चेज) के समय म्यूचुअल फंड द्वारा लिया जाने वाला शुल्क आदि;
- (द) “धोखाधड़ी” (कपट) का अर्थ है - वह धोखाधड़ी, जैसी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003

- [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन, 2003] के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में दी हुई है;
- (ध) “फ्री रिज़र्व” (खुली आरक्षितियों) का वही अर्थ है, जैसी परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में दी हुई है;
- (न) “फंड ऑफ फंड्स स्कीम” का अर्थ है - म्यूचुअल फंड की वह स्कीम, जो मुख्य तौर पर निवेश उसी म्यूचुअल फंड या दूसरे म्यूचुअल फंडों की दूसरी स्कीमों में करती है;
- (प) “गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम” का अर्थ है - म्यूचुअल फंड की वह स्कीम, जो मुख्य तौर पर निवेश सोने या सोने से जुड़े इंस्ट्रुमेंट्स में करती है;
- (फ) “सोने से जुड़े इंस्ट्रुमेंट” का अर्थ है - वह इंस्ट्रुमेंट, जिसका अंडरलाइंग सोना हो, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए;
- (ब) “वस्तुओं” (गुड्स) का अर्थ है - केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्टैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] की धारा 2 के खंड (खग) के तहत अधिसूचित करवाई गई वस्तुएँ, और जो किसी कमोडिटी डेरिवेटिव की अंडरलाइंग हों;
- (भ) “समूह” (ग्रुप) का अर्थ है - वह समूह, जैसी परिभाषा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002) [2003 का 12] की धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में दी हुई है;
- (म) “इंडेक्स फंड स्कीम” का अर्थ है - म्यूचुअल फंड की वह स्कीम, जो बोर्ड द्वारा बताए गए तरीके से शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) में उसी अनुपात में निवेश करती है, जिस अनुपात में शेयर आदि सूचकांक (इंडेक्स) में शामिल होते हैं;
- (य) “इन्फ्रास्ट्रक्चर डैट फंड स्कीम” (अवसंरचना ऋण निधि स्कीम) का अर्थ है - म्यूचुअल फंड की वह स्कीम, जो निवेश मुख्य तौर पर (स्कीम के असेट्स का कम से कम 90%) डैट सिक्यूरिटीज़ (ऋण प्रतिभूतियों) में अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों या इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनियों या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश सुगम बनाने या उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (किसी खास उद्देश्य से बनी निजी कंपनी) के सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रुमेंट में अथवा इन विनियमों के अनुसार दूसरे अनुमत असेट्स में अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के तैयार व आमदनी-जनित करने वाले प्रोजेक्ट्स या दूसरे प्रोजेक्ट्स या स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के संबंध में बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधारों में करे;
- (कक) “एस.आई.एफ. निवेश योजना” का अर्थ है - विशेष निवेश फंड (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड) के अंतर्गत लाई जाने वाली म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम;
- (खख) “इनविट” या “अवसंरचना निवेश न्यास” का वही अर्थ है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 [सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) रेग्यूलेशन, 2014] के विनियम 2 के उप-विनियम (1) खंड (यक) में इसके लिए दिया हुआ है;

- (गग) “निरीक्षण अधिकारी” का अर्थ है - बोर्ड द्वारा अध्याय - XV के तहत इस हैसियत से नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (घघ) “लिक्विड नेटवर्थ” का अर्थ है - नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) का वह हिस्सा जो उन असेट्स में लगा हो जिनसे पैसा आसानी से निकाला जा सकता हो और जिन पर कोई ऋण-भार भी न हो उनका मूल्य, और जिसमें शामिल हैं - नकद में रखा गया पैसा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों) के यहाँ रखी गई बैंक जमाएँ (बैंक डिपॉजिट), मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स, सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़), ट्रेजरी बिल (खजाना बिल), सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित रेपो और बोर्ड द्वारा बताए जाने वाले कोई दूसरे इंस्ट्रुमेंट;
- (ङङ) “बाजार के गलत इस्तेमाल” में शामिल है - हेराफेरी करने के इरादे से, धोखाधड़ी करने के इरादे से और अनुचित तरीके से ट्रेडिंग करना, और जिसकी वजह से अधिनियम (एक्ट) की धारा 12क या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन्स, 2003] या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन्स, 2015] के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है;
- (चच) “मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स” में शामिल हैं - कमर्शियल पेपर्स (वाणिज्यिक पत्र), कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स (खजाना बिल), सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) [जिनकी बची हुई मीयाद (मैच्यूरिटी) एक वर्ष तक की हो], कॉल या नोटिस मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (जमा प्रमाणपत्र), यूसान्स बिल, और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताए गए ऐसे ही दूसरे इंस्ट्रुमेंट्स;
- (छछ) “म्यूचुअल फंड” (पारस्परिक निधि) का अर्थ है - वह फंड, जो ट्रस्ट (न्यास) के रूप में बनाया गया हो और जिसे विनियम 3 के तहत रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाए, और जो शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों), मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स, सोने या सोने से जुड़े इंस्ट्रुमेंट्स, चांदी या चांदी से जुड़े इंस्ट्रुमेंट्स, और बोर्ड द्वारा बताए जाने वाले दूसरे असेट्स तथा इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश करने के लिए एक या एक से अधिक स्कीमों के तहत जनता को यूनितें बेचकर पैसा जुटाए। एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड की स्कीमें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के फिजिकल सेटलमेंट के मामले में अंडरलाइंग वस्तुएँ (गुड्स) रख सकती हैं।
- (जज) “म्यूचुअल फंड लाइट” या “एमएफ लाइट” का अर्थ है - वह म्यूचुअल फंड, जिसे इन विनियमों के अध्याय - X के तहत रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाए, और जिसके पास केवल वही इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड ऑफ फंड्स हों या म्यूचुअल फंड की वे दूसरी स्कीमें हों जिनके बारे में बोर्ड बताए;
- (झझ) “म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी” या “एम.एफ. लाइट ए.एम.सी.” का अर्थ है - ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ की वह ए.एम.सी., जिसे अध्याय - X के तहत मंजूरी प्रदान की गई हो;

- (ज) “म्यूचुअल फंड लाइट की स्कीम” या “एम.एफ. लाइट की स्कीम” का अर्थ है - म्यूचुअल फंड लाइट द्वारा लाई जाने वाली ऐसी कोई स्कीम या फिर बोर्ड द्वारा बताई जाने वाली कोई दूसरी पात्र पैसिव स्कीम;
- (ट) “एनएवी” या “नेट असेट वैल्यू” (शुद्ध आस्ति मूल्य) का अर्थ है - इन विनियमों के विनियम 43 में बताए गए तरीके के अनुसार निकाला गया मूल्य;
- (ठ) “नेटवर्थ” (शुद्ध-मालियत) का अर्थ है - पेड-अप कैपिटल और फ्री रिज़र्व्स के कुल मूल्य में से बट्टे खाते न डाले गए (राइट ऑफ न किए गए) विविध खर्चों अथवा समायोजित (अडजस्टेड) या डेफर्ड रेविन्यू एक्सपेंडिचर का मूल्य, इंटेजिबल असेट्स का मूल्य, अब तक हुए नुकसान का मूल्य और ए.एम.सी. या ‘एम.एफ. लाइट ए.एम.सी.’ द्वारा दिए गए किन्हीं उधारों और एडवांस [जो उसके द्वारा अपने स्पॉन्सर, स्पॉन्सर के सहयोगियों (असोसिएट) या उसकी समूह (ग्रुप) कंपनी अथवा अपने सहयोगियों (असोसिएट) या अपनी समूह (ग्रुप) कंपनी को दिए गए हों] का मूल्य घटाकर निकाला गया मूल्य;
- (ड) “ऑफर डॉक्यूमेंट” (प्रस्ताव दस्तावेज) का अर्थ है - स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (स्कीम सूचना दस्तावेज) और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसके जरिए म्यूचुअल फंड की स्कीम की यूनिटें खरीदने (को सब्सक्राइब करने) के लिए आम जनता से कहता है;
- (ढ) “ओपन-एंडेड स्कीम” (असीमित अवधि वाली स्कीम) का अर्थ है - म्यूचुअल फंड की वह स्कीम, जिसके जरिए वे यूनिटें बेचने की पेशकश की जाती है जिन्हें रिडीम करने की कोई मीयाद तय नहीं होती;
- (ण) “प्राइवेट प्लेसमेंट” का अर्थ है - किसी म्यूचुअल फंड द्वारा चुनिंदा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्लेसमेंट मैमोरेण्डम जारी करके म्यूचुअल फंड की स्कीम की यूनिटों की पेशकश करना या वे यूनिटें खरीदने (सब्सक्राइब करने) के लिए आमंत्रित करना [पब्लिक ऑफर (सार्वजनिक प्रस्ताव) लाए बिना], और जिसकी वजह से ऐसा न हो कि वे यूनिटें, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उन व्यक्तियों के लिए सब्सक्राइब करने या खरीदने हेतु उपलब्ध हो जाएँ जिनके लिए वह ऑफर न लाया गया हो या जिन्हें आमंत्रण न दिया गया हो;
- (त) “रीट” या “रियल इस्टेट निवेश न्यास” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (यड) में दिया हुआ है;
- (थ) “नातेदार” का वही अर्थ है, जैसी परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(77) में दी हुई है;
- (द) “स्कीम” का अर्थ है - अध्याय - V के तहत लाई जाने वाली म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम;
- (ध) “अनुसूची” का अर्थ है - इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) की कोई अनुसूची;

- (नन) “सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों” (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) का अर्थ है - अधिनियम (एक्ट), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉजिटरी एक्ट, 1996) [1996 का 22] और कोई दूसरा कानूनी प्रावधान (जहाँ तक वह बोर्ड के दायरे में आता हो) और उनके तहत बनाए गए संबंधित नियम तथा विनियम (रेग्यूलेशन);
- (पप) “सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम” का अर्थ है - म्यूचुअल फंड की वह स्कीम, जो मुख्य तौर पर निवेश चाँदी या चाँदी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में करती हो;
- (फफ) “चाँदी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट” का अर्थ है - बोर्ड द्वारा बताया जाने वाला ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, जिसका अंडरलाइंग प्रोडक्ट चाँदी हो;
- (बब) “विशेष निवेश फंड” (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड) का अर्थ है - वह म्यूचुअल फंड, जैसी परिभाषा इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छछ) में दी हुई है, और जिस पर बोर्ड द्वारा इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत निर्धारित की जाने वाली दूसरी शर्तें भी लागू होंगी;
- (भभ) “स्पॉन्सर” (प्रायोजक) का अर्थ है - वह व्यक्ति, जो या तो खुद या फिर किसी दूसरी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के साथ मिलकर, म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड लाइट बनाता है;
- (मम) “कानूनी प्रावधानों के तहत लिए जाने वाले कर आदि” का अर्थ है - वह कर आदि, जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाए;
- (यय) “सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने वाले शेयरों आदि (सिक्यूरिटी)” का अर्थ है - वे इक्विटी शेयर आदि, जो एंकर निवेशकों की श्रेणी के तहत या क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर की श्रेणी के तहत या इनिशियल पब्लिक ऑफर लाकर लाए जाने वाले पब्लिक इश्यू के तहत खरीदे जाने या आवेदन किए जाने या निवेश किए जाने के लिए उपलब्ध हों; अथवा प्राइमरी मार्केट इश्युएंस् के तहत जारी की जाने वाली डैट सिक्यूरिटीज़, जब तक कि वे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) न हो जाएँ;
- (ककक) “टोटल एक्सपेन्स रेशियो” (कुल खर्च अनुपात) का अर्थ है - किसी स्कीम के निवेशकों से लिए जाने वाले समस्त खर्चों की कुल रकम का उस स्कीम के कुल ए.यू.एम. (असेट्स अंडर मैनेजमेंट) से अनुपात (रेशियो), जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए;
- (खखख) म्यूचुअल फंड के “न्यासियों” (ट्रस्टीज़) का अर्थ है - वह ट्रस्टी कंपनी, जो यूनिटधारकों के हित में ट्रस्ट (न्यास) के नाम पर म्यूचुअल फंड की संपत्ति रखती है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड लाइट के मामले में “न्यासियों” (ट्रस्टी) का अर्थ है - वह डिबेंचर ट्रस्टी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के तहत बोर्ड से रजिस्टर हो; यदि कोई मौजूदा स्पॉन्सर अपनी पात्र पैसिव स्कीमों को अपने मौजूदा म्यूचुअल फंड से ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ में विनियम 58 के अनुसार

लेकर जाता है, तो ऐसे में 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' म्यूचुअल फंड के मौजूदा ट्रस्टी को 'म्यूचुअल फंड लाइट' के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

स्पष्टीकरण: जहाँ कहीं भी संदर्भ के अनुसार कोई प्रावधान जो उस ट्रस्टी पर लागू होने हों जो व्यक्ति (इंडिविजुअल) हो, वहाँ शब्द "ट्रस्टी" का अर्थ ट्रस्टी कंपनी के बोर्ड के निदेशक समझा जाएगा;

(गगग) "यूनिट" का अर्थ है - किसी स्कीम में यूनिट धारकों का हित, जो स्कीम के असेट्स का एक अविभाजित हिस्सा हो; और

(घघघ) "यूनिट धारक" (यूनिट होल्डर) का अर्थ है - वह व्यक्ति, जिसके पास म्यूचुअल फंड की स्कीम की यूनिट हो।

- (2) इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में उपयोग किए गए और अपरिभाषित, किंतु अधिनियम (एक्ट), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956) [1956 का 42], कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996) [1996 का 22], भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट, 1882) अथवा उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या उनमें किए गए किसी कानूनी संशोधन आदि में उनके लिए दिए हुए हैं।

अध्याय - II

म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

3. म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन और फीस

म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन निम्नानुसार किया जाएगा:

- (क) स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन लेने हेतु आवेदन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में बोर्ड के पास प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ पहली अनुसूची में निर्धारित की गई फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) भी अदा की जाएगी।
- (ख) जो आवेदन किसी भी तरह से अधूरा हो, वह नामंजूर किया जा सकेगा। ऐसा कोई भी आवेदन नामंजूर करने से पहले, आवेदक को बोर्ड द्वारा बताए गए समय के भीतर सभी औपचारिकताएँ पूरी करके आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
- (ग) बोर्ड स्पॉन्सर को कुछ और जानकारी या स्पष्टीकरण देने का निदेश दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

- (घ) बोर्ड, समस्त जानकारी मिलने के बाद, आवेदन के संबंध में निर्णय ले सकेगा।
- (ङ) जब बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आवेदक पात्रता मानदंडों और इस विनियम (रेग्यूलेशन) में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार खरा उतरता है और जब आवेदक पहली अनुसूची में निर्धारित की गई फीस भी अदा कर दे, तब बोर्ड म्यूचुअल फंड को रजिस्टर कर सकेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) जारी कर सकेगा।
- (च) यदि स्पॉन्सर विनियम 5 या विनियम 57 में दिए हुए पात्रता मानदंडों और इस विनियम (रेग्यूलेशन) में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार खरा नहीं उतरता है, तो ऐसे में आवेदन नामंजूर किया जा सकेगा। यदि आवेदन नामंजूर किया जाता है, तो इसकी सूचना आवेदक को दे दी जाएगी।

4. रजिस्ट्रेशन की शर्तें

विनियम 3 के अनुसार म्यूचुअल फंड को रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित शर्तों आदि पर प्रदान किया जाएगा—

- (क) ट्रस्टी, स्पॉन्सर, ए.एम.सी. और कस्टोडियन इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों का पालन करेंगे;
- (ख) यदि पहले प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या पहले प्रस्तुत किए गए किन्हीं विवरणों को किसी महत्वपूर्ण पहलू के लिहाज से गुमराह करने वाला या झूठा पाया जाता है, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड इसकी सूचना बोर्ड को तुरंत देगा;
- (ग) यदि पहले प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या पहले प्रस्तुत किए गए किन्हीं विवरणों में कोई बड़ा बदलाव (जिसकी वजह से प्रदान किए गए रजिस्ट्रेशन पर असर पड़ सकता है) हो जाता है, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड इसकी सूचना बोर्ड को तुरंत देगा;
- (घ) पहली अनुसूची में निर्धारित की गई वार्षिक फीस अदा करनी होगी।

स्पष्टीकरण: रजिस्ट्रेशन जिस वर्ष प्रदान किया गया हो, उस वर्ष के अगले वर्ष से हर वर्ष 15 अप्रैल तक वार्षिक फीस अदा करनी होगी। यदि वार्षिक फीस अदा करने में देरी होती है, तो ऐसे में यदि बोर्ड देरी होने के कारणों से संतुष्ट हो जाए, तो वह उस वित्तीय वर्ष के शुरू होने की तारीख से दो महीनों की अवधि तक फीस ले सकेगा, जिस वित्तीय वर्ष हेतु फीस ली जानी हो। यदि अवधि बढ़ाने के बावजूद वार्षिक फीस अदा नहीं की जाती है, तो ऐसे में बोर्ड वह कार्रवाई [जिसमें स्कीम (स्कीमें) लाने की मंजूरी न देना भी शामिल है] कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

5. रजिस्ट्रेशन हेतु पात्रता मानदंड: म्यूचुअल फंड के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) प्रदान किए जाने हेतु, स्पॉन्सर को निम्नलिखित शर्तों पर खरा उतरना होगा:

(1)	स्पॉन्सर के बारे में आम तौर पर यह राय हो कि समस्त कारोबारी लेनदेन (ट्रांजेक्शन) में वह पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी बरतता है, और उसे "पिछला रिकॉर्ड अच्छे रहने" के संबंध में नीचे बताए गए दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अंतर्गत दिए गए सभी मानदंडों पर खरा उतरना होगा:			
	क्र. सं.	विवरण	विकल्प-1	विकल्प-2
	(क)	अनुभव	<p>कम से कम पाँच वर्षों से वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कारोबार कर रहा हो।</p> <p>ए.एम.सी. में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर), मुख्य संचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर), मुख्य जोखिम अधिकारी (चीफ रिस्क ऑफिसर), मुख्य अनुपालन अधिकारी (चीफ कंप्लायंस ऑफिसर) और मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर) की नियुक्ति की जाएगी, जिनके पास संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो।</p>	<p>ए.एम.सी. में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर), मुख्य संचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर), मुख्य जोखिम अधिकारी (चीफ रिस्क ऑफिसर), मुख्य अनुपालन अधिकारी (चीफ कंप्लायंस ऑफिसर) और मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर) की नियुक्ति की जाएगी, जिनके पास कुल-मिलाकर संबंधित क्षेत्रों में कम से कम तीस वर्षों का अनुभव हो और उनमें से हरेक के पास संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो।</p>
	(ख)	मुनाफा	<p>वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कारोबार करते हुए ठीक पहले के पाँच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर मुनाफा [मूल्यहास (डेप्रिशीएशन), ब्याज</p>	<p>इस विकल्प के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए मुनाफे के संबंध में कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।</p>

			<p>और कर की रकम घटाने के बाद] हुआ हो और;</p> <p>वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कारोबार करते हुए ठीक पहले के पाँच वर्षों में कम से कम दस करोड़ रुपये का कुल मिलाकर औसत वार्षिक मुनाफा [मूल्यहास (डेप्रिशीएशन), ब्याज और कर की रकम घटाने के बाद] हुआ हो।</p>	
	(ग)	प्रायोजक (स्पॉन्सर) की नेटवर्थ	पहले के पाँच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में नेटवर्थ धनात्मक (पॉज़िटिव) रही हो	लागू नहीं
	(घ)	पॉज़िटिव लिक्विड नेटवर्थ	स्पॉन्सर को असेट मैनेजमेंट कंपनी में जितना पैसा लगाना हो, उससे उसकी पॉज़िटिव लिक्विड नेटवर्थ ज्यादा रहे	
	(ङ)	असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ	<p>स्पॉन्सर यह सुनिश्चित करेगा कि असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ हर समय कम से कम पचास करोड़ रुपये (रु. 50 करोड़) की रहे, और जो उन असेट्स में लगी रहे जो बोर्ड बताए:</p> <p>स्पॉन्सर यह सुनिश्चित करेगा कि नेटवर्थ हमेशा उतनी बनी रहे, जैसा बताया गया है।</p>	<p>रजिस्ट्रेशन के समय असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ, (जिसके लिए प्रायोजक पैसा देगा) कम से कम एक सौ पचास करोड़ रुपये (रु. 150 करोड़) की हो।</p> <p>हालाँकि, असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ हमेशा कम से कम एक सौ करोड़ रुपये की रहे, और जो उन असेट्स में लगी रहे जो बोर्ड बताए:</p>

				<p>परंतु यह कि यदि असेट मैनेजमेंट कंपनी को लगातार पाँच वर्षों तक मुनाफा हुआ हो, तो ऐसे में उसकी नेटवर्थ कम से कम पचास करोड़ रुपये से की बनी रहे।</p> <p>स्पॉन्सर यह सुनिश्चित करेगा कि नेटवर्थ हमेशा उतनी बनी रहे, जैसा बताया गया है।</p>
	(च)	लॉक-इन प्रावधान का	इस विकल्प के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु लॉक-इन से संबंधित कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।	असेट मैनेजमेंट कंपनी में लगाए गए पैसों के बराबर के शुरुआत में मिले शेयर [एक सौ पचास करोड़ रुपये (रु. 150 करोड़) तक के] पाँच वर्षों की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे।
	(छ)	नियंत्रण (कंट्रोल) में परिवर्तन	शेयर अर्जित (एक्वायर) किए जाने के कारण यदि मौजूदा असेट मैनेजमेंट कंपनी के नियंत्रण (कंट्रोल) में कोई बदलाव आ जाए, तो ऐसे में या तो प्रायोजक (स्पॉन्सर) की पॉज़िटिव लिक्विड नेटवर्थ या फिर उसने जितना पैसा लगाया, वह उन शेयरों के कुल सममूल्य (पार वैल्यू) या बाजार भाव (मार्केट वैल्यू) से ज्यादा हो, जितने शेयरों को अर्जित (एक्वायर) करने का प्रस्ताव किया गया था	यदि मौजूदा असेट मैनेजमेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया जाता है, तो ऐसे में प्रायोजक (स्पॉन्सर) की पॉज़िटिव लिक्विड नेटवर्थ कम से कम उतनी अवश्य रहे जितनी बताई गई है और वह बढ़ाकर इतनी अवश्य कर दी जाए कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के संदर्भ में निर्धारित अपेक्षा पूरी हो जाए, और प्रायोजक (स्पॉन्सर) की पॉज़िटिव लिक्विड नेटवर्थ या फिर उसने जितना पैसा लगाया, वह उन शेयरों के कुल सममूल्य (पार वैल्यू) या बाजार भाव (मार्केट वैल्यू) से ज्यादा

				<p>हो, जितने शेयरों को अर्जित (एक्वायर) करने का प्रस्ताव किया गया था।</p> <p>यदि मौजूदा असेट मैनेजमेंट कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित (एक्वायर) की जाती हो, तो ऐसे में स्पॉन्सर (स्पॉन्सर्स) की कम से कम एक सौ पचास करोड़ रुपये (रु. 150 करोड़ रुपये) के मूल्य के शेयर पाँच वर्षों की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे</p>
	(ज)	यदि प्राइवेट इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर हो	इस विकल्प के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए इस संबंध में कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।	<p>पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (ऐसी एंटीटी जो अलग-अलग निवेशकों से पैसे इकट्ठा करती है और फिर उसका निवेश करती है), जिसमें प्राइवेट इक्विटी फंड भी शामिल है, म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर बन सकेगा, किंतु इसके लिए उन्हें इस विकल्प के तहत दी हुई शर्तें पूरी करनी होंगी और साथ ही बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।</p>
(2)	प्रायोजक (स्पॉन्सर) और म्यूचुअल फंड के लिए 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' (फिट एंड प्रॉपर पर्सन) संबंधी मानदंड	आवेदक और म्यूचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन, 2008] की अनुसूची-II में 'उचित तथा उपयुक्त व्यक्ति' (फिट एंड प्रॉपर पर्सन) के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों का पालन करेंगे।		

(3)	असेट मैनेजमेंट कंपनी में स्पॉन्सर की कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए	असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ में कम से कम 40% की हिस्सेदारी प्रायोजक (स्पॉन्सर) की रहेगी: परंतु यह कि यदि किसी व्यक्ति के पास असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ के 40% की या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी हो, तो उसे प्रायोजक (स्पॉन्सर) माना जाएगा, और उसे इस विनियम में निर्धारित किए गए पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना होगा।
(4)	स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड और/या असेट मैनेजमेंट कंपनी के निदेशकों या म्यूचुअल फंड और / या असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) के लिए 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' संबंधी मानदंड	प्रायोजक (स्पॉन्सर) को या म्यूचुअल फंड और असेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी निदेशक को या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) को किसी धोखाधड़ी का दोषी न पाया गया हो या किसी अपराध (जिसमें ऐसा कोई कार्य करना भी शामिल है जो नैतिक रूप से सही न हो) या किसी आर्थिक अपराध का दोषी न ठहराया गया हो।
(5)	ट्रस्टीज़ की नियुक्ति	म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज़ के तौर पर ट्रस्टीज़ की नियुक्ति विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
(6)	असेट मैनेजमेंट कंपनी की नियुक्ति	म्यूचुअल फंड का संचालन करने के लिए और ऐसे फंडों की स्कीम के संचालन के लिए असेट मैनेजमेंट कंपनी की नियुक्ति इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
(7)	कस्टोडियन की नियुक्ति	म्यूचुअल फंड के पास पड़े शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) या वस्तुओं (गुड्स) या सोने या सोने से जुड़े इन्स्ट्रूमेंट (लिखतों) या चाँदी या चाँदी से संबंधित इन्स्ट्रूमेंट या किन्हीं दूसरे असेट्स [जो इन विनियमों के अनुसार रखे गए हों] को संभालकर रखने (की कस्टडी) के लिए और साथ ही कस्टडी से संबंधित ऐसी दूसरी सेवाएँ [जो देने के लिए उसे ट्रस्टी द्वारा प्राधिकृत किया जाए] प्रदान करने के लिए कस्टोडियन की नियुक्ति की जाएगी।

(8)	अन्य शर्तें	इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली दूसरी शर्तों का भी पालन करना होगा।
(9)	विशेष निवेश फंड (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड) लाने की मंजूरी	जो म्यूचुअल फंड विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) के तहत रजिस्टर हो, उसे विशेष निवेश फंड (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड) लाने की मंजूरी दी जा सकेगी, बशर्ते कि वह बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित किए गए कुछ और पात्रता मानदंडों पर (बोर्ड द्वारा बताए गए तरीके से) खरा उतरे।
(10)	म्यूचुअल फंड लाइट के स्पॉन्सर के लिए पात्रता मानदंड	म्यूचुअल फंड लाइट के स्पॉन्सर के लिए पात्रता मानदंड वही होंगे जिनका जिक्र अध्याय - X में किया गया है, और ऊपर जिन पात्रता मानदंडों का जिक्र किया गया है वे म्यूचुअल फंड लाइट के लिए आवेदन किए जाने के मामले में लागू नहीं होंगे।

6. म्यूचुअल फंडों में हिस्सेदारी (शेयरहोल्डिंग) और उनके संचालन (गवर्नेंस) से संबंधित प्रावधान

- (1) म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर, उसके स्पॉन्सर के सहयोगी (असोसिएट) या उसकी समूह (ग्रुप) कंपनी (जिसमें ए.एम.सी. शामिल है) [म्यूचुअल फंड की स्कीमों के जरिए या किसी और तरीके से, या तो अकेले या मिलकर] अथवा किसी शेयरधारक (जिसके पास म्यूचुअल फंड की ए.एम.सी. या ट्रस्टी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी हो या मताधिकार हों),-
 - (क) के पास, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की ए.एम.सी. या ट्रस्टी कंपनी में दस प्रतिशत या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी (शेयरहोल्डिंग) या मताधिकार न हों; या
 - (ख) का किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की ए.एम.सी. या ट्रस्टी कंपनी के बोर्ड में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतिनिधित्व न हो।
- (2) जब कोई मर्जर (विलय) हो, कोई एक्विजिशन (अर्जन) किया जाए, कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लाई जाए या कोई दूसरा अरेंजमेंट किया जाए [जिसमें म्यूचुअल फंडों के स्पॉन्सर, ए.एम.सी. या ट्रस्टी कंपनियों के शेयरधारक, उनके सहयोगी (असोसिएट) या उनकी समूह (ग्रुप) कंपनियाँ शामिल हों], और जिसकी वजह से उन्हें किसी दूसरी ए.एम.सी. या ट्रस्टी कंपनी के शेयर या मताधिकार अपने-आप ही मिल जाएँ (एक्वायर हो जाएँ) या उनका अपने-आप ही उनके बोर्ड में प्रतिनिधित्व हो जाए, तो ऐसे में एक्वायरर (अर्जनकर्ता) उप-विनियम (1) के प्रावधान का पालन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा जिस तारीख को वह अरेंजमेंट लागू हो।

(3) उप-विनियम (1) में हिस्सेदारी या मताधिकारों या बोर्ड में प्रतिनिधित्व को लेकर जो कुछ भी कहा गया है, वह,-

- (क) म्यूचुअल फंड के उस मौजूदा स्पॉन्सर के मामले में लागू नहीं होगा, जो म्यूचुअल फंड की पात्र पैसिव स्कीमों को उसी स्पॉन्सर की समूह (ग्रुप) एंटिटी की म्यूचुअल फंड लाइट को ट्रांसफर कर दे (बशर्ते कि बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन किया जाए); और
- (ख) उस मौजूदा शेयरधारक के मामले में लागू नहीं होगा, जिसके पास म्यूचुअल फंड की मौजूदा ए.एम.सी. में दस प्रतिशत या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी हो या मताधिकार हों, और जिसके पास उसी स्पॉन्सर की समूह (ग्रुप) एंटिटी की म्यूचुअल फंड लाइट ए.एम.सी. में दस प्रतिशत या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी हो या मताधिकार हों।

7. ए.एम.सी. और म्यूचुअल फंड से स्पॉन्सर का अलग होना

(1) स्पॉन्सर ए.एम.सी. और म्यूचुअल फंड से बोर्ड की मंजूरी लेकर उसी तरह अलग हो सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(2) यदि स्पॉन्सर उप-विनियम (1) के अनुसार अलग हो जाता है, तो ऐसे में,-

- (क) म्यूचुअल फंड की मौजूदा ए.एम.सी. म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर की भूमिका निभा सकेगी, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन किया जाए;
- (ख) यदि मौजूदा ए.एम.सी. खंड (क) के अनुसार स्पॉन्सर की भूमिका न निभाए, तो कोई दूसरी एंटिटी (जिसमें अलग हुआ स्पॉन्सर भी शामिल है) म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर बन सकेगी, (बशर्ते कि इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन किया जाए);
- (ग) ए.एम.सी. में किसी भी शेयरधारक की हिस्सेदारी दस प्रतिशत से कम रहेगी; और
- (घ) ए.एम.सी. के निदेशक मंडल में कम से कम दो तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डाइरेक्टर) होंगे।

8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) वापस सौंपना (संरंडर करना)

ए.एम.सी. द्वारा लाई गई सभी स्कीमें बंद (वाइंड-अप) कर लिए जाने के बाद, स्पॉन्सर इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंपने के लिए बोर्ड के पास आवेदन करेगा, और वह आवेदन उसी तरह से किया जाएगा और उन शर्तों के अनुसार किया जाएगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

अध्याय - III

ट्रस्ट (न्यास) बनाना और ट्रस्टीज़ (न्यासियों) की भूमिका

9. ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करवाना

- (1) म्यूचुअल फंड का गठन एक ट्रस्ट (न्यास) के रूप में किया जाएगा, और जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत विधिवत रूप से ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) रजिस्टर करवानी होगी (जैसा बोर्ड द्वारा बताया गया है), और यह दस्तावेज प्रायोजक (स्पॉन्सर) द्वारा उन ट्रस्टी के पक्ष में बनाया जाएगा जिसका जिक्र उस दस्तावेज में किया गया हो।
- (2) यदि स्पॉन्सर विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार म्यूचुअल फंड से अलग हो जाए, तो अलग हुए स्पॉन्सर की जगह ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर कौन करेगा, यह बोर्ड द्वारा बताया जाएगा।

10. ट्रस्ट डीड में क्या-क्या जिक्र होगा

- (1) ट्रस्ट डीड में वे खंड शामिल किए जाएंगे जिनका जिक्र दूसरी अनुसूची में किया गया है, और साथ ही वे दूसरे खंड भी शामिल किए जाएंगे जो यूनिटधारकों का हित-संरक्षण करने हेतु जरूरी हों।
- (2) ट्रस्ट डीड में ऐसा कुछ जिक्र न किया जाए जिससे कि,—
 - (क) म्यूचुअल फंड या यूनिटधारकों के संबंध में ट्रस्टी कंपनी के दायित्व आदि कम या खत्म हो जाएँ; या
 - (ख) अगर ट्रस्टी कंपनी या ए.एम.सी. की लापरवाही की वजह से अथवा उसके स्तर पर कुछ हो जाने या कुछ करने में चूक हो जाने की वजह से यूनिटधारकों को कोई नुकसान आदि हो जाए, तो वह खुद को बचा ले।

11. ट्रस्टी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति

- (1) म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति इन विनियमों के अनुसार की जाएगी और जिसके लिए बोर्ड से पहले मंजूरी लेनी होगी।
- (2) ट्रस्टी कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डाइरेक्टर) होगा।
- (3) म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी के निदेशक किसी दूसरे ट्रस्ट (न्यास) के ट्रस्टी (म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को छोड़कर) केवल तभी बन सकेंगे, जब उस ट्रस्ट का उद्देश्य म्यूचुअल फंड के उद्देश्य के आड़े न आए।
- (4) कोई व्यक्ति ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए केवल तभी पात्र होगा, जब वह व्यक्ति —
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] की अनुसूची-II में 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' के संबंध में निर्धारित किए हुए मानदंडों पर खरा उतरता हो;

- (ख) ए.एम.सी. का निदेशक (जिसमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है), अधिकारी या कर्मचारी न हो;
 - (ग) किसी दूसरे म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी न हो; और
 - (घ) ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करे, जो भी बोर्ड प्रस्तुत करने को कहे।
- (5) ट्रस्टी कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों में से कम से कम दो-तिहाई निदेशक ऐसे स्वतंत्र निदेशक हों, जो स्पॉन्सर या ए.एम.सी. या ट्रस्टी कंपनी के सहयोगी (असोसिएट) न हों।

12. ट्रस्टी के अधिकार और दायित्व

(1) असेट मैनेजमेंट कंपनी को नियुक्त करना और उसे हटाना

- (क) ट्रस्टी कंपनी, बोर्ड से पहले मंजूरी लेकर, असेट मैनेजमेंट कंपनी नियुक्त करेगी, और असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ एक निवेश प्रबंध करार (इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट) करेगी।
- (ख) निवेश प्रबंध करार (इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट) में वे प्रावधान किए जाएंगे जो तीसरी अनुसूची में दिए हुए हैं और साथ ही ऐसे दूसरे प्रावधान भी किए जाएंगे जो न केवल निवेश करने के लिहाज से जरूरी हों, बल्कि जो इस लिहाज से भी जरूरी हों कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के कामकाज निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से चलें।
- (ग) ड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट की एक प्रति ट्रस्ट डीड के साथ लगाई जाएगी।
- (घ) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि ए.एम.सी. के पास निवेश करने और म्यूचुअल फंड में असेट्स का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त संख्या में जानकार व्यक्ति हों, उनके यहाँ आंतरिक स्तर पर नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों और जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) की मजबूत व्यवस्था हो।
- (ङ) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि ए.एम.सी. वे व्यवस्थाएँ करे और वे रिपोर्टें तथा जानकारी प्रस्तुत करे, जो भी ट्रस्टी इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते समय देने को कहें, ताकि,-
 - (i) गुमराह करके की जाने वाली बिक्री (मिस-सेलिंग) को रोका जा सके और उस पर नज़र रखी जा सके,
 - (ii) यह देखा जा सके कि स्पॉन्सर कहीं अनुचित दबाव तो नहीं डाल रहा और साथ ही ऐसे मामलों पर नज़र भी रखी जा सके, और
 - (iii) यह सुनिश्चित किया जा सके कि गलत कार्यों (जिसमें बाजार का गलत इस्तेमाल करना शामिल है) पर लगाम कसने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों; और
 - (iv) हितों के टकराव के मामलों से निपटा जा सके।
- (च) यदि ट्रस्टीज़ का यह मानना हो कि ए.एम.सी. इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कामकाज नहीं कर रही है, तो ऐसे में ए.एम.सी. द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों और ट्रस्टीज़ द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी बोर्ड को तुरंत दी जाएगी।

(छ) ट्रस्टीज़ द्वारा असेट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपा गया कार्य निम्नलिखित परिस्थितियों में ही वापस लिया जा सकेगा, और ऐसा केवल बोर्ड से मंजूरी लेने के बाद ही किया जा सकेगा:

- (i) यदि ट्रस्टीज़ को किन्हीं वजहों से ऐसा लगे कि असेट मैनेजमेंट कंपनी इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके अपने कामकाज कर रही है, तो ऐसे में वे खुद से ऐसा कर सकेंगे; या
- (ii) असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा ऐसा अनुरोध किए जाने पर, ट्रस्टीज़ ऐसा कर सकेंगे।

स्पष्टीकरण: असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में यह तभी माना जाएगा कि उसे हटा दिया गया है, जब ट्रस्टीज़ ने कामकाज से उसे हटाए जाने के संबंध में अपनी मंजूरी दे दी हो और अपना यह निर्णय असेट मैनेजमेंट कंपनी को लिखित रूप में सूचित कर दिया हो।

(2) हितों के टकराव की स्थिति से निपटना और ब्रोकर को सूची में शामिल करना:

ट्रस्टीज़ यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएँगे कि हितों के टकराव की ऐसी कोई स्थिति पैदा न हो (असेट मैनेजमेंट कंपनी के स्तर पर भी), और इसके लिए वे:

- (क) म्यूचुअल फंड और असेट मैनेजमेंट कंपनी या उसके सहयोगियों (असोसिएट) के बीच हुए लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के संबंध में असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे;
- (ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने किसी भी सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) को किसी भी तरह का कोई अनुचित फायदा न पहुँचाए या असेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसा कोई लेनदेन (ट्रांजेक्शन) न करे कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों को नुकसान पहुँचे;
- (ग) यह सुनिश्चित करेंगे कि ए.एम.सी. म्यूचुअल फंड की हर स्कीम इस तरह से चलाए कि उसका दूसरे कारोबारी कामकाज से कोई सरोकार न रहे, और यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए कि किसी भी स्कीम के निवेशकों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए और साथ ही एक स्कीम से जुड़े हित दूसरी स्कीम से जुड़े हितों के आड़े न आएँ या उसके दूसरे कारोबारों से जुड़े हितों के आड़े न आएँ; और
- (घ) ब्रोकर को सूची (पैनल) में शामिल करने की ए.एम.सी. की नीति को मंजूरी प्रदान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरी एहतियात बरतने के बाद ही ब्रोकर सूची में शामिल किए जाएँ, और यह कि ब्रोकर द्वारा किए जाने वाले लेनदेन (ट्रांजेक्शन्स) पर नज़र रखी जाए ताकि कारोबार किसी एक व्यक्ति या चंद व्यक्तियों के हाथों में सिमटकर न रह जाए अथवा नावाजिब तरीके से किसी सहयोगी (असोसिएट) या समूह (ग्रुप) एंटीटी को फायदा मिले।

(3) विनियमों आदि के प्रावधानों का पालन करना और ट्रस्टी की जिम्मेदारियाँ

- (क) ट्रस्टीज़ के पास यह अधिकार होगा कि वे असेट मैनेजमेंट कंपनी से ऐसी कोई भी जानकारी माँग सकें, जो भी उन्हें जरूरी लगे।
- (ख) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि ए.एम.सी. विनियम 22 में बताए गए दायित्व पूरे करे, ए.एम.सी. कंपनियों पर लागू आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन करे, और साथ ही इन विनियमों के दूसरे समस्त प्रावधानों का भी पालन करे।
- (ग) म्यूचुअल फंड की स्कीमों के अंतर्गत लेनदेन (ट्रांजेक्शन्स) इन विनियमों के प्रावधानों और ट्रस्ट डीड के अनुसार किए जाएँ, और ए.एम.सी. केवल उन्हीं इंस्ट्रुमेंट्स में ही निवेश करे जिनमें निवेश करने की अनुमति इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार हो और यह निवेश प्रत्येक स्कीम हेतु बताए गए निवेश के उद्देश्यों के मुताबिक ही किया जाए।
- (घ) संबंधित स्कीमों के फंड और उसकी संपत्ति की के जिम्मेदारी ट्रस्टी पर होगी, और वे उनके कस्टोडियन भी होंगे, और जो उन्हें इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) तथा ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के अनुसार यूनिटधारकों के हित में ट्रस्ट में रखेंगे।

(4) निवेशकों के हित में ट्रस्टी द्वारा नज़र रखा जाना

- (क) ट्रस्टीज़ चौथी अनुसूची के भाग-क में दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन करेंगे।
- (ख) ट्रस्टीज़ यूनिटधारकों की सहमति लेंगे:
 - (i) जब भी बोर्ड यूनिटधारकों के हित में ऐसा करने को कहे;
 - (ii) जब भी किसी स्कीम के तीन-चौथाई यूनिटधारक ऐसा करने को कहें; और
 - (iii) जब ज्यादातर ट्रस्टीज़ किसी स्कीम को बंद (वाइंड अप) करने का निर्णय ले लें या फिर 'क्लोज़ एंडेड स्कीम' (सीमित अवधि वाली स्कीम) की यूनिटों की मीयाद पूरी होने से पहले ही उन्हें रिडीम करने का निर्णय ले लें।
- (ग) ट्रस्टीज़ असेट मैनेजमेंट कंपनी के यहाँ अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) द्वारा अपने नाम पर या असेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के ब्यौरे मंगवाएंगे, और जरूरत पड़ने पर इसकी जानकारी बोर्ड को देंगे।
- (घ) ट्रस्टीज़ इस बात की समय-समय पर समीक्षा करेंगे कि निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति क्या है और असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा उन शिकायतों का निवारण किया जा रहा है या नहीं।
- (ङ) ट्रस्टी म्यूचुअल फंड की स्कीमों के वार्षिक लेखा विवरणों (एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स) का ऑडिट करवाने के लिए उस ऑडिटर को नियुक्त करेंगे, जिनका ए.एम.सी. के ऑडिटर से किसी भी तरह का कोई संबंध न हो।
- (च) ट्रस्टी बोर्ड के पास छमाही आधार पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे -

- (i) म्यूचुअल फंड के कार्यों आदि से संबंधित एक रिपोर्ट;
 - (ii) एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी भी ट्रस्टी, निदेशक और किसी अहम पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सेल्फ-डीलिंग किए जाने और फ्रंट रनिंग किए जाने के कोई मामले सामने नहीं आए हैं; और
 - (iii) एक प्रमाणपत्र, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि ए.एम.सी. जो भी स्कीमें चला रही है उनका उसके दूसरे कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, और हितों के टकराव को लेकर जो भी स्थिति पैदा हुई उसका समाधान कर लिया गया ताकि यूनिटधारकों के हितों पर कोई आँच न आए।
- (छ) स्वतंत्र न्यासी (इंडिपेंडेंट ट्रस्टी) [यानि कि वे ट्रस्टी जिनका स्पॉन्सर से कोई संबंध न हो] स्पॉन्सर की समूह (ग्रुप) कंपनियों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए निवेश के बारे में ए.एम.सी. से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करेंगे और उस पर अपनी टिप्पणियाँ देंगे।

(5) ट्रस्टी और कहाँ-कहाँ नज़र रखेगा

- (क) ट्रस्टी हर तिमाही में ए.एम.सी. की नेटवर्थ की समीक्षा करेंगे, ताकि विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) में किए गए प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- (ख) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि असेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी नेटवर्थ की रकम का इस तरह से निवेश करे कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों पर कोई आँच न आए।
- (ग) ट्रस्टी कस्टडी के इंतज़ामों हेतु किए गए सर्विस कॉण्ट्रैक्ट्स की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कॉण्ट्रैक्ट्स यूनिटधारकों के हित में हों।
- (घ) ट्रस्टी ए.एम.सी. के निदेशकों द्वारा शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के संबंध में प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की हर तिमाही में समीक्षा करेंगे।
- (ङ) ट्रस्टी निम्नानुसार पूरी एहतियात बरतेगे (ड्यू डिलिजेंस करेंगे):

आम तौर पर इन बातों को ध्यान में रखना है:

- (i) ट्रस्टी पूरी तरह सोच-विचार करके ए.एम.सी. के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करेंगे।
- (ii) यदि म्यूचुअल फंड की स्कीमों में काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिले, तो ऐसे में ट्रस्टी इस बात की समीक्षा करेंगे कि उस असेट मैनेजमेंट कंपनी की कोई जरूरत है भी या नहीं; और साथ ही वे असेट मैनेजमेंट कंपनी को नई स्कीमें लाने की अनुमति भी तब तक नहीं देंगे, जब तक कि वे गड़बड़ियाँ दूर न कर ली जाएँ।
- (iii) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्ट की संपत्ति पर कोई आँच न आए, और जो सही लोगों (जो पूरे जानकार हों और जिन्हें जरूरी अनुभव भी हो) के हाथों में रहे और वे उसे सही ढंग से

संभालें, और साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि सही ढंग से नज़र रखने के लिए जितने लोगों की जरूरत हो उतने लोग इस काम में लगाए जाएँ।

- (iv) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि म्यूचुअल फंड से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों (सभी सर्विस प्रोवाइडर) के पास या तो बोर्ड से या फिर संबंधित विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) से मिले वे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) अवश्य हों जो वही सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में मिले हों जो सेवाएँ वे प्रदान करने वाले हों।
- (v) ट्रस्टी उन मुख्य सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े सर्विस कॉण्ट्रैक्ट का टैस्ट चेक करवाने की व्यवस्था करेंगे, जिनकी सेवाओं, जिनके कार्यों आदि, जानकारी या असेट्स तक जिनका एक्सेस निवेशकों के हित-संरक्षण के लिहाज से अहम हो या जिनसे उनके हित-संरक्षण पर खासा असर पड़ सकता हो।
- (vi) यदि म्यूचुअल फंड में कुछ नया हो जाए, तो ट्रस्टी उसकी सूचना बोर्ड को तुरंत देंगे।

इन बातों पर भी खास ध्यान देना है:

- (vii) ट्रस्टी उनके द्वारा नियुक्त किए गए स्वतंत्र ऑडिटर से समय-समय पर आंतरिक स्तर पर किए गए ऑडिट की रिपोर्टें लेंगे।
- (viii) ट्रस्टी प्रावधानों आदि का पालन किए जाने के संबंध में ए.एम.सी. से समय-समय पर प्रमाणपत्र (कंप्लायंस सर्टिफिकेट) लेंगे।
- (ix) ट्रस्टी ए.एम.सी. की रिपोर्टों और उनके कामकाज की समीक्षा करने के लिए और इन विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर बैठकें करेंगे।
- (x) ट्रस्टी अपनी बैठकों में लिए गए निर्णयों और उन बैठकों के कार्यवृत्त (मिनट्स) के रिकॉर्ड संभालकर रखेंगे।
- (xi) ट्रस्टी एक सदाचार संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) निर्धारित करेंगे, जिसका पालन ए.एम.सी. और उसके कर्मचारियों को करना होगा।
- (xii) ट्रस्टी ए.एम.सी. को लिखित में उसकी कमियों से अवगत कराएंगे और उन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी करेंगे।

(च) ट्रस्टी कंपनी और ए.एम.सी. के स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित पर ध्यान देंगे, यानि कि:-

- (i) इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर और इस करार के तहत अदा की जाने वाली रकम पर;
- (ii) फीस पर और यह सुनिश्चित करेंगे कि सहयोगियों (असोसिएट) के साथ किए जाने वाले सर्विस कॉण्ट्रैक्ट के अनुसार ली जाने वाली फीस वैसी ही सेवाएँ प्रदान करने वाले बाहरी ठेकेदारों द्वारा ली जाने वाली फीस की तुलना में ज्यादा न हो;

- (iii) इस पर कि सहयोगियों (असोसिएट) के साथ शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन की अनुमति है या नहीं;
- (iv) इस पर कि स्वतंत्र निदेशकों के खाली पदों को भरने के लिए व्यक्तियों का चयन और उनका नामांकन किस प्रकार किया जा रहा है;
- (v) यह सुनिश्चित करेंगे कि सदाचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) इस तरह से निर्धारित की जाए कि इनसाइडर शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करते समय गलत तरीके अपनाकर धोखाधड़ी या हेराफेरी न कर सकें;
- (vi) इस पर कि सेवाएँ प्रदान करने की एवज में प्रायाजकों (स्पॉन्सर) को, असेट मैनेजमेंट कंपनी को तथा किसी दूसरे को वाजिब फीस अदा की गई है या नहीं; और
- (vii) असेट मैनेजमेंट कंपनी के सहयोगियों (असोसिएट) के साथ किए जाने वाले सर्विस कॉण्ट्रैक्ट पर।

(छ) ट्रस्टीज़ को उन कार्यों आदि के लिए तब जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, जब उन्होंने सद्भावपूर्वक वे कार्य आदि करते समय पूरी एहतियात बरती हो।

(6) ट्रस्टी उन मामलों के संबंध में भी पूरी एहतियात बरतेंगे, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए।

13. कस्टोडियन की नियुक्ति

- (1) ट्रस्टी म्यूचुअल फंड के लिए एक कस्टोडियन (अभिरक्षक) नियुक्त करेंगे और उसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, और इस प्रकार उसे नियुक्त किए जाने की सूचना उसे नियुक्त किए जाने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर बोर्ड को भेजेंगे।
- (2) ट्रस्टी कस्टोडियन के म्यूचुअल फंड से जुड़े कार्यों पर नज़र रखेंगे।
- (3) जिस कस्टोडियन को नियुक्त किया गया हो, वह स्कीम के असेट्स को संभालकर रखने के लिए फंड की स्कीमों हेतु कस्टडी से संबंधित सेवाएँ प्रदान करेगा।
- (4) जिस कस्टोडियन में पचास प्रतिशत या उससे ज्यादा निदेशक ऐसे हों, जो म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर या स्पॉन्सर के सहयोगियों (असोसिएट) के हित का प्रतिनिधित्व करते हों, तो ऐसे में उसी स्पॉन्सर या उसके किसी सहयोगी या उसकी किसी सहायक कंपनी (सब्सिडियरीज़) द्वारा बनाए गए म्यूचुअल फंड के लिए उसे कस्टोडियन के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (5) जिस कस्टोडियन में स्पॉन्सर या उसके सहयोगियों (असोसिएट) के पास, कस्टोडियन की शेयर पूँजी (शेयर कैपिटल) के पचास प्रतिशत या उससे ज्यादा मताधिकार हों, वह उसी स्पॉन्सर या उसके किसी सहयोगी या उसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा बनाए गए म्यूचुअल फंड के लिए कस्टोडियन तभी बन सकेगा, जब:

- (क) स्पॉन्सर की नेटवर्थ हर समय कम से कम बीस हजार करोड़ रुपये की रहे;
- (ख) कस्टोडियन के यहाँ पचास प्रतिशत या उससे ज्यादा निदेशक ऐसे हों, जो स्पॉन्सर या उनके सहयोगियों (असोसिएट्स) के हित का प्रतिनिधित्व न करते हों;
- (ग) म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन और उसकी ए.एम.सी. एक दूसरी की सहायक कंपनी (सब्सीडियरी) न हों;
- (घ) कोई एक ही व्यक्ति म्यूचुअल फंड के कस्टोडियन और उसकी ए.एम.सी. दोनों का निदेशक न हो; और
- (ङ) म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन और उसकी ए.एम.सी. एक वचन हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेंगे कि वे स्कीम से जुड़े अपने लेनदेन (डीलिंग) अलग-अलग करेंगे।

14. कस्टोडियन के साथ एग्रीमेंट (करार)

म्यूचुअल फंड, कस्टोडियन के सर्विस कॉण्ट्रैक्ट और उसकी नियुक्ति की शर्तों आदि के संबंध में ट्रस्टीज़ की मंजूरी मिलने के बाद, कस्टोडियन के साथ एक कस्टोडियन एग्रीमेंट करेगा, जिसमें उन समस्त बातों का जिक्र किया जाएगा जो भी यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हों कि कस्टोडियन का कामकाज सही ढंग से और सुव्यवस्थित तरीके से चले।

अध्याय - IV

ए.एम.सी. बनाना और उसका प्रबंधन करना

15. ए.एम.सी. की मंजूरी हेतु आवेदन

- (1) ए.एम.सी. की मंजूरी हेतु आवेदन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में किया जाएगा।
- (2) जो आवेदन हर तरह से पूरा न हो, वह नामंजूर किया जा सकेगा। ऐसा कोई भी आवेदन नामंजूर करने से पहले, आवेदक को बोर्ड द्वारा बताए गए समय के भीतर सभी औपचारिकताएँ पूरी करके आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
- (3) बोर्ड आवेदक या ए.एम.सी. को कुछ और जानकारी या स्पष्टीकरण देने को कह सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।
- (4) बोर्ड, समस्त जानकारी मिलने के बाद ही, आवेदन के संबंध में निर्णय ले सकेगा।

16. ए.एम.सी. के लिए पात्रता मानदंड

(1) पिछला रिकॉर्ड और साख

- (क) यदि आवेदक पहले से ही एक ए.एम.सी. हो, तो उसके बारे में आम तौर पर यह राय हो कि वह समस्त लेनदेन (ट्रांजेक्शन) में निष्पक्षता बरतता है और उसकी ईमानदारी का भी सबको पता हो, और साथ ही उसे विनियम 5 के उप-विनियम (1) तथा विनियम 57 के उप-विनियम (1) में मुनाफे और नेटवर्थ के संबंध में निर्धारित किए गए प्रावधानों का पालन करना होगा।
- (ख) ए.एम.सी. को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] की अनुसूची-II में 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' के संबंध में निर्धारित किए हुए मानदंडों पर खरा उतरना होगा।

(2) निदेशक और अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) की योग्यताएँ

- (क) ए.एम.सी. के निदेशकों के पास वित्त (फाइनेंस) के क्षेत्र में और वित्तीय सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में पर्याप्त जरूरी अनुभव अवश्य होना चाहिए।
- (ख) जिन व्यक्तियों को इस तरह से निदेशक के तौर पर और/या अहम पदों पर नियुक्त किया गया हो, वे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] की अनुसूची-II में 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' के संबंध में निर्धारित किए हुए मानदंडों पर खरे उतरें।
- (ग) ए.एम.सी. के निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत निदेशक ऐसे हों, जो स्पॉन्सर या स्पॉन्सरों की किसी सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) या ट्रस्टीज़ के सहयोगी (असोसिएट) न हों।
- (घ) ए.एम.सी. के निदेशक (जिनमें अध्यक्ष भी शामिल है) एक ही समय में किसी म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी के बोर्ड में भी निदेशक नहीं होंगे।

(3) नेटवर्थ से संबंधित प्रावधान

- (क) स्पॉन्सर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि ए.एम.सी. की नेटवर्थ हमेशा कम से कम उतनी बनी रहे, जैसा बताया गया है।
- (ख) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) में ए.एम.सी. के लिए कम से कम जितनी नेटवर्थ रखने का प्रावधान किया गया है, वह उन असेट्स में लगी रहे जो बोर्ड बताए, और इसका पालन हमेशा किया जाएगा।

- (4) बोर्ड, उप-विनियम (1), (2) और (3) में किए गए प्रावधानों के मद्देनज़र आवेदन पर विचार करने के बाद, ए.एम.सी. को मंजूरी प्रदान कर सकेगा।

17. ऐसे कुछ और प्रावधान, जिनका पालन ए.एम.सी. को हमेशा करते रहना होगा

विनियम 16 के उप-विनियम (4) के अनुसार प्रदान की गई मंजूरी के संबंध में नीचे बताई गई कुछ और शर्तें भी लागू होंगी:

(क) निदेशक की नियुक्ति और एक से ज्यादा ए.एम.सी. में निदेशक होना:

- (i) कोई व्यक्ति एक से ज्यादा ए.एम.सी. में एक ही समय में निदेशक नहीं होगा।
- (ii) उप-खंड (i) में जिस पाबंदी का जिक्र किया गया है, वह उस स्वतंत्र निदेशक के मामले में लागू नहीं होगी जिसे विनियम 16 के उप-विनियम (2) के खंड (ग) के अनुसार नियुक्त किया गया हो, और जिस ए.एम.सी. में वह व्यक्ति स्वतंत्र निदेशक हो उसके बोर्ड से विधिवत रूप से मंजूरी ले ली गई हो।
- (iii) ए.एम.सी. के निदेशक की नियुक्ति ट्रस्टीज़ से मंजूरी लेकर ही की जाएगी।

(ख) प्रावधानों का पालन करना और जानकारी देना (डिस्कलोज़र करना):

- (i) ए.एम.सी. इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के समस्त प्रावधानों का पालन करने का वचन देगी;
- (ii) यदि पहले प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या पहले प्रस्तुत किए गए किन्हीं विवरणों में कोई बदलाव (जिसकी वजह से बोर्ड द्वारा प्रदान की गई मंजूरी पर सीधे-सीधे असर पड़ सकता हो) हो जाता है, तो ऐसे में ए.एम.सी. इसकी सूचना बोर्ड को तुरंत देगी;
- (iii) ए.एम.सी. ट्रस्टीज़ को वह जानकारी और दस्तावेज देगी, जो भी वे देने को कहें।

(ग) ए.एम.सी. के नियंत्रण (कंट्रोल) में परिवर्तन:

ए.एम.सी. के नियंत्रण (कंट्रोल) में परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि:

- (i) ट्रस्टीज़ और बोर्ड से पहले मंजूरी न ले ली जाए;
- (ii) किए जाने वाले बदलाव की सूचना लिखित रूप में (जिसमें डिजिटल माध्यम जैसे ईमेल/एसएमएस आदि के जरिए दी जाने वाली सूचना भी शामिल है) यूनिटधारकों को न दे दी जाए;
- (iii) वह समस्त जानकारी असेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर सही तरीके से न डलवा दी जाए, जो भी बोर्ड डलवाने को कहे; और
- (iv) ए.एम.सी. उसके द्वारा चलाई जा रही म्यूचुअल फंड की स्कीमों से मौजूदा एन.ए.वी. पर अपना पैसा निकालने (एग्जिट करने) का विकल्प यूनिटधारकों को प्रदान न कर दे और और जिसके लिए वह कोई शुल्क (एग्जिट लोड) भी न ले।

18. ए.एम.सी. की नियुक्ति करना

स्पॉन्सर, या जिस ट्रस्टी को ट्रस्ट डीड के माध्यम से प्राधिकृत किया गया हो वह ट्रस्टी, उस ए.एम.सी. को नियुक्त करेगा जिसे विनियम 16(4) के तहत बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हो।

19. ए.एम.सी. को हटाना

(1) जिस ए.एम.सी. को नियुक्त किया गया हो, उसे,-

- (क) ट्रस्टी कंपनी द्वारा उसके निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों से बहुमत के आधार पर मंजूरी लेकर हटाया जा सकेगा;
 - (ख) ए.एम.सी. के निवेदन पर हटाया जा सकेगा;
 - (ग) बोर्ड के निदेशों पर हटाया जा सकेगा; या
 - (घ) कम से कम पचहत्तर प्रतिशत यूनिटधारकों से संकल्प (रेजॉल्यूशन) पारित करवाकर हटाया जा सकेगा।
- (2) यदि ए.एम.सी. की नियुक्ति के सिलसिले में कोई बदलाव हो जाए (जिसमें मौजूदा ए.एम.सी. को हटाना भी शामिल है) या नई ए.एम.सी. की नियुक्ति की जाए, तो इसके लिए बोर्ड से पहले मंजूरी लेनी होगी।

20. मंजूरी प्रदान करने से नामंजूर किए जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

यदि मंजूरी प्रदान किए जाने के संबंध में विनियम 15 के तहत किया गया आवेदन विनियम 16 में निर्धारित किए गए पात्रता मानदंडों पर खरा न उतरे, तो ऐसे में बोर्ड आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

21. असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा और कौन-कौन से कार्य आदि किए जा सकते हैं:

असेट मैनेजमेंट कंपनी, -

- (क) किसी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी की भूमिका, नहीं निभाएगी; और
- (ख) पूल्ड असेट्स [जिसमें ऑफशोर फंड, इश्योरेस फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, या ऐसे ही वर्गों के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (उन शर्तों के तहत जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाएँ) शामिल हैं] को मैनेजमेंट तथा एडवाइज़री सेवाएँ प्रदान करने (तभी जब वे म्यूचुअल फंड के हितों के आड़े न आएँ) के सिवाय कोई दूसरा कारोबार नहीं करेगी:

परंतु यह कि असेट मैनेजमेंट कंपनी खंड (ख) के अनुसार जो कार्य आदि करने की अनुमति दी गई है, वे कार्य आदि वह या तो स्वयं या फिर अपनी सहयोगी कंपनियों (सब्सिडियरीज़) के जरिए तभी कर सकेगी, जब,-

- (i) वह बोर्ड को इस संबंध में संतुष्ट कर दे कि बैंक और शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के खाते अलग-अलग कामकाज के लिए अलग-अलग रखे जाएँगे;
- (ii) वह अपने उस हर कामकाज के लिए उतना पैसा रखे जितना रखना जरूरी हो, और अगर संबंधित विनियमों के अनुसार जरूरी हो तो इसके लिए अलग-अलग से मंजूरी भी ले ले;
- (iii) वह यह सुनिश्चित कर ले कि अलग-अलग कार्यों की वजह से हितों के टकराव की स्थिति पैदा न हो;
- (iv) इस बात की जानकारी (डिस्क्लोज़र) कि हितों के टकराव की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई, ट्रस्टीज़ को दी जाए और यूनिटधारकों को स्कीम सूचना दस्तावेज़ (स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दी जाए;
- (v) यदि हितों के टकराव की स्थिति को टालना नामुमकिन हो जाए, तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि इसकी जानकारी (डिस्क्लोज़र) दे दी जाए कि हितों के टकराव की स्थिति पैदा कहाँ से हुई, इसकी वजह से निवेशकों के हितों को किस तरह का बड़ा खतरा हो सकता है या नुकसान पहुँच सकता है और साथ ही जानकारी देते समय इसके पूरे ब्यौरे भी दे दिए जाएँ;
- (vi) ए.एम.सी. उसके द्वारा चलाए जाने वाले हर फंड के लिए अलग-अलग फंड मैनेजर नियुक्त करे; हालाँकि फंड मैनेजर जो फंड चला रहा हो यदि उनके निवेश के उद्देश्य और उनका असेट अलोकेशन अगर एक जैसा ही हो और पोर्टफोलियो भी हूबहू हो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी:

परंतु यह कि इस खंड के प्रावधान तब लागू नहीं होंगे, जब फंड उन वर्गों के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के हों जिनके बारे में बोर्ड समय-समय पर बताए, और उसके लिए उन शर्तों का पालन किया जाए जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।
- (vii) ए.एम.सी. यह सुनिश्चित करे कि अलग-अलग प्रोडक्ट के निवेशकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि एक ही इक्विटी सिक्यूरिटी को केवल बाजार की व्यवस्था के जरिए और ट्रेड व ऑर्डर की लिखित व्यवस्था के अनुसार सबके लिए एक-साथ ही खरीदा व बेचा जाए; और
- (viii) यह सुनिश्चित कर ले कि अहम पद पर बैठा व्यक्ति हितों के टकराव के जिस मामले के संबंध में कार्यवाही कर रहा हो उस मामले में इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे जो मेहनताना मिल रहा हो उसका किसी भी तरह से कोई भी सरोकार उस कार्य से होने वाली आमदनी से न हो:

परंतु यह और कि ए.एम.सी., बोर्ड द्वारा अगले निदेश जारी किए जाने तक, ब्रॉड बेस्ड फंड को छोड़कर दूसरे फंड के मामले में या तो खुद से या फिर अपनी सहायक कंपनियों (सब्सीडियरीज़) के जरिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ तथा एडवाइज़री सर्विसेज़ दे सकेगी, बशर्ते कि वह नीचे बताई हुई कुछ और शर्तों का पालन करे:-

- (i) ए.एम.सी. बोर्ड को इस बात से संतुष्ट कर दे कि ए.एम.सी. के यहाँ अहम पदों पर बैठे व्यक्ति (की पर्सोनल), उसके सिस्टम, उसका बैंक ऑफिस, उसके बैंक तथा शेयरों आदि के खाते अलग-अलग कामकाज के लिए अलग-अलग रहें, और उनके पास ऐसी व्यवस्था है जिससे कि किसी भी कामकाज की अंदरूनी जानकारी किसी और को न मिले; और
- (ii) वह अपने उस हर कामकाज के लिए उतना पैसा रखे जितना रखना जरूरी हो, और संबंधित विनियमों के अनुसार अगर जरूरी हो तो इसके लिए अलग-अलग से मंजूरी भी ले ले:

परंतु यह और कि ए.एम.सी. अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीमों की तरफ से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के डैट सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मेम्बर बन सकेगी, और अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीमों की तरफ से डैट सेगमेंट में ट्रेड को क्लीयर व सेटल करने के लिए मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन्स की सेल्फ क्लीयरिंग मेम्बर भी बन सकेगी।

22. असेट मैनेजमेंट कंपनी' और उसके कर्मचारियों के दायित्व

(1) निवेश और कामकाज के संबंध में एहतियात बरतना

- (क) ए.एम.सी. यह सुनिश्चित करेगी कि उसके समस्त कामकाज इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों के अनुसार किए जाएँ, जैसे कि हर जरूरी कदम उठाना और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी एहतियात बरतेगा कि म्यूचुअल फंड लाइट की किसी स्कीम के फंड के निवेश के सिलसिले में इन विनियमों, इनके तहत जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर) एवं दिशानिर्देशों और ट्रस्ट डीड के प्रावधानों का उल्लंघन न किया जाए।
- (ख) ए.एम.सी. निवेश से जुड़े अपने सभी निर्णयों में पूरी एहतियात बरतेगी और निर्णय लेते समय यह भी देखेगी कि उसी कारोबार में लगी दूसरी एंटिटियाँ किस तरह निर्णय लेती हैं।

(2) व्यवस्थाएँ और कर्मचारी:

असेट मैनेजमेंट कंपनी का निदेशक मंडल कोई भी स्कीम लाने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि असेट मैनेजमेंट कंपनी:

- (i) के यहाँ बैंक ऑफिस, डीलिंग रूम और लेखा-जोखा (अकाउंटिंग) की पर्याप्त व्यवस्था हो;
- (ii) ने स्कीम (स्कीमों) हेतु सभी अहम पदों पर नियुक्तियाँ [जिनमें फंड मैनेजर (मैनेजरों) की नियुक्ति भी शामिल है] कर ली हों, और उनका बायोडाटा (जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता और सिक्यूरिटीज़ मार्केट में उनके अनुभव के ब्यौरे दिए हुए हों), उन्हें नियुक्त किए जाने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर, ट्रस्टीज़ के पास प्रस्तुत कर दिया हो;

- (iii) ने अपने खातों (अकाउंट्स) का ऑडिट (की लेखापरीक्षा) करवाने के लिए ऑडिटर्स की नियुक्ति कर ली हो;
- (iv) ने एक अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) की नियुक्ति कर ली हो, जो इस पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा कि अधिनियम, बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, अनुदेशों आदि का पालन हो रहा है या नहीं और निवेशकों की शिकायतों का निवारण हो रहा है या नहीं;
- (v) ने उस इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को नियुक्त कर लिया हो जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 2025 के तहत रजिस्टर हो, और उनके कामकाज पर नज़र रखने हेतु मानदंड भी निर्धारित कर लिए हों;
- (vi) ने प्रावधानों आदि के पालन हेतु एक मैनुअल तैयार कर लिया हो और आंतरिक स्तर पर एक नियंत्रण व्यवस्था भी (जिसमें आंतरिक स्तर पर ऑडिट की व्यवस्था भी शामिल है) निर्धारित कर ली हो;
- (vii) ने ब्रोकरों और मार्केटिंग एजेंटों को सूची में शामिल करने (के एम्पैनलमेंट) हेतु मानदंड निर्धारित कर लिए हों; और
- (viii) ने इन विनियमों के अनुसार (जहाँ कहीं भी जरूरी हो) उस (उन) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी, उस एक्सचेंज (उन एक्सचेंजों) द्वारा बताए गए तरीके से, ले ली हो, जहाँ यूनिटों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो।

(3) अदा किया जाने वाला मेहनताना और निवेश

- (क) ए.एम.सी. म्यूचुअल फंड की उन स्कीमों में उतनी रकम का निवेश (स्कीमों से जुड़े जोखिमों के आधार पर) करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।
- (ख) ए.एम.सी. के कर्मचारियों को जितना मेहनताना अदा किया जाता हो उसकी एक निश्चित प्रतिशत रकम का निवेश, उन कर्मचारियों के ओहदों या उनकी भूमिकाओं के आधार पर ए.एम.सी. म्यूचुअल फंड की स्कीमों की यूनिटों में करेगी, जैसा बोर्ड बताए।
- (ग) खंड (क) में जितना निवेश करने की बात कही गई है, उसके अलावा ए.एम.सी. अपनी किसी भी स्कीम में तब तक निवेश नहीं करेगी, जब तक कि निवेश करने के उसके इरादे की पूरी-पूरी जानकारी ऑफर डॉक्यूमेंट में न दे दी जाए।
- (घ) ए.एम.सी. उसके ही द्वारा चलाई जा रही म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में खुद के लिए किए जाने वाले निवेश हेतु कोई भी शुल्क नहीं लेगी।

(4) अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) और कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ:

(क) असेट मैनेजमेंट कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) [फिर चाहे पदनाम जो भी हो] यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (i) म्यूचुअल फंड लाइट इन विनियमों के प्रावधानों का और संबंधित दिशानिर्देशों व परिपत्रों (सर्कुलर) का पालन करे;
- (ii) फंड मैनेजरो द्वारा निवेश यूनिटधारकों के हितों को ध्यान में रखकर ही किए जाएँ;
- (iii) म्यूचुअल फंड के यहाँ जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) की समूची व्यवस्था व्यापक स्तर पर रहे; और
- (iv) असेट मैनेजमेंट कंपनी के यहाँ फंड मैनेजरो और डीलरो के लिए दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) [जो इन विनियमों की चौथी अनुसूची के भाग-ख में दी हुई है] का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों, और यदि इस आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन किया जाता हो, तो उसकी जानकारी असेट मैनेजमेंट कंपनी के निदेशक मंडल को और उसके ट्रस्टीज़ को तुरंत दी जाए।

(ख) फंड मैनेजर [फिर चाहे पदनाम जो भी हो, और जिसमें मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर) भी शामिल है] यह सुनिश्चित करेंगे कि:

- (i) स्कीम के फंड का निवेश स्कीम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यूनिटधारकों के हितों को ध्यान में रखकर, और इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों तथा संबंधित दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) एवं परिपत्रों (सर्कुलर) के अनुसार किया जाए; और
- (ii) फंड मैनेजरो और डीलरो के लिए दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) [जो चौथी अनुसूची के भाग-ख में दी हुई है] का पालन किया जाए, और ट्रस्टीज़ के पास प्रत्येक तिमाही में इस बात की पुष्टि प्रस्तुत की जाए कि उन्होंने उपरोक्त आचार संहिता का पालन किया है या जिन-जिन मदों का पालन नहीं किया (यदि कोई हों) उनकी सूची देंगे।

(ग) डीलर (फिर चाहे पदनाम जो भी हो):

- (i) यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑर्डर वाजिब भाव पर और सभी यूनिटधारकों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए पूरे करवाए जाएँ; और
- (ii) फंड मैनेजरो और डीलरो के लिए दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) [जो इन विनियमों की चौथी अनुसूची के भाग-ख में दी हुई है] का पालन करेंगे, और ट्रस्टीज़ के पास प्रत्येक तिमाही में इस बात की पुष्टि प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने उपरोक्त आचार संहिता का पालन किया है या जिन-जिन मदों का पालन नहीं किया (यदि कोई हों) उनकी सूची देंगे।

- (घ) जिस अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) को विनियम 22 के उप-विनियम (2) के खंड (iv) के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वह उस मामले की सूचना स्वयं और तुरंत बोर्ड को देगा जहाँ उसे यह पता चले कि किसी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है।
- (ङ) ए.एम.सी. के कर्मचारी किसी शेयर आदि (सिक्यूरिटी) के बारे में आम जनता के लिए उपलब्ध मीडिया (फिर चाहे वह रियल टाइम वाला हो या न हो) में, सीधे-सीधे या किसी और के जरिए, कोई निवेश सलाह तब तक नहीं देंगे, जब तक कि ऐसी सलाह देते समय उस शेयर आदि में उसके हित (जिसमें उसके द्वारा ली गई लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन भी शामिल है) की जानकारी न दे दी जाए (को डिस्क्लोज़ न कर दिया जाए):

परंतु यह कि यदि वह निवेश के संबंध में ऐसी कोई सलाह दे रहा हो, तो ऐसे में ऐसी सलाह देते समय वह यह खुलासा भी कर देगा कि संबंधित शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) में उसके परिवार के आश्रित सदस्यों का और जहाँ वह कार्यरत हो उसका कितना हित जुड़ा हुआ है (जिसमें उनके द्वारा ली गई लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन भी शामिल है)।

(5) वित्तीय लेनदेन (फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन) और जानकारी देना (डिस्क्लोज़र करना):

(क) ब्रोकरेज के लेनदेन (ट्रांजेक्शन)

(i) असेट मैनेजमेंट कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि जो स्टॉक ब्रोकर स्पॉन्सर का सहयोगी (असोसिएट) हो उस स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से, शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की जो भी खरीद या बिक्री हो, वह म्यूचुअल फंड द्वारा उसकी सभी स्कीमों के अंतर्गत खरीदे या बेचे गए शेयरों आदि के कुल मूल्य के औसतन पाँच प्रतिशत से अधिक न हो।

(ii) असेट मैनेजमेंट कंपनी यह वचन प्रस्तुत करेगी कि जो स्टॉक ब्रोकर स्पॉन्सर का सहयोगी (असोसिएट) न हो, उसके माध्यम से शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की जो खरीद या बिक्री हो अगर वह म्यूचुअल फंड द्वारा उसकी सभी स्कीमों के अंतर्गत खरीदे व बेचे गए शेयरों आदि के कुल मूल्य के औसतन पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाए, तो ऐसा तभी किया जा सकेगा जब सीमा पार होने का औचित्य लिखित रूप में दर्ज किया जाए, और जिसकी रिपोर्ट ट्रस्टीज़ को तिमाही आधार पर दी जाए।

स्पष्टीकरण: खंड (i) एवं (ii) में बताई गई सीमाएँ तीन महीनों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु लागू होंगी, और ये सीमाएँ निकालते समय म्यूचुअल फंड द्वारा जारी की गई यूनिटों की बिक्री व उनके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित लेनदेन (ट्रांजेक्शन) को नहीं गिना जाएगा।

(ख) सहयोगियों (असोसिएट) / स्पॉन्सर के साथ लेनदेन (ट्रांजेक्शन):

- (i) यदि कोई ए.एम.सी. शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के किसी लेनदेन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन व उन्हें बेचने के उद्देश्य से स्पॉन्सर या उसके किसी सहयोगी (असोसिएट), कर्मचारियों या उनके नातेदारों की सेवाएँ लेना चाहती हो, तो ऐसे में इसकी जानकारी (का डिस्कलोज़र) यूनिटधारकों को देनी होगी कि उनसे किस तरह की सेवाएँ ली जा रही हैं और साथ ही अदा किए गए ब्रोकेज या कमीशन की जानकारी भी म्यूचुअल फंड के छमाही और वार्षिक लेखा विवरण में देनी होगी।
- (ii) छमाही और वार्षिक लेखा विवरणों में दी जाने वाली जानकारी में निम्नलिखित जानकारी भी शामिल है:
 - क. जिन इश्यू की लीड मैनेजर सहयोगी (असोसिएट) कंपनियाँ हों, उन इश्यू में स्कीमों ने कितना पैसा लगाया गया (सब्सक्रिप्शन किया); और
 - ख. जिस इक्विटी या डैट इश्यू का प्राइवेट प्लेसमेंट किया गया हो और जिसमें स्पॉन्सर या उसकी सहयोगी (असोसिएट) कंपनियाँ अरेंजर या मैनेजर रही हों, उसमें कितना पैसा लगाया गया (सब्सक्रिप्शन किया)।
- (iii) यदि ए.एम.सी. अपने किसी सहयोगी (असोसिएट) के साथ शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करे, तो उसकी रिपोर्ट ट्रस्टी के पास अगली बैठक में रखी जाएगी।

(6) कहाँ-कहाँ कितना-कितना निवेश किया गया है, इस संबंध में जानकारी (डिस्कलोज़र) देना:

यदि किसी कंपनी ने किसी स्कीम में इस स्कीम के एन.ए.वी. (शुद्ध आस्ति मूल्य / नेट असेट वैल्यू) के पाँच प्रतिशत (5%) से ज्यादा का निवेश किया हुआ हो, तो ऐसे में उस स्कीम द्वारा या उसी म्यूचुअल फंड की किसी दूसरी स्कीम द्वारा उस कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरीज़) में जो भी निवेश किया जाए उसकी जानकारी असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा ट्रस्टीज़ को दी जाएगी, और साथ ही वह जानकारी संबंधित स्कीमों के छमाही और वार्षिक खातों (अकाउंट्स) में भी दी जाएगी (इस प्रकार किए गए निवेश का औचित्य बताते हुए), और यह जानकारी तब देनी होगी जब उस इस तरह किया गया निवेश पहली बार किए गए निवेश की तारीख से एक वर्ष पहले या बाद में किया गया हो।

(7) रिपोर्ट आदि करना और नज़र रखना

(क) ट्रस्टीज़ के पास तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करना:

- (i) ए.एम.सी. अपने कामकाज के संबंध में और इन विनियमों (रेग्यूलेशन) के पालन के संबंध में ट्रस्टीज़ को तिमाही रिपोर्टें भिजवाएगी।

- (ii) निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि ए.एम.सी. द्वारा ट्रस्टीज़ के पास जो रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएँ, वे पूरी एहतियात बरतकर प्रस्तुत की जाएँ।

(ख) निदेशक और अहम पदों पर बैठे व्यक्ति (की पर्सोनेल) के बारे में दी जाने वाली जानकारी (डिस्कलोज़र):

- (i) असेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रस्टीज़ और बोर्ड के पास:

क. अपने सभी निदेशकों को नियुक्त किए जाने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर, उनका पूरा बायो-डाटा प्रस्तुत करेगी और साथ ही यह जानकारी भी देगी कि उनका दूसरी किन-किन कंपनियों में कितना-कितना हित (इंटरेस्ट) है;

ख. निदेशकों के हितों में हुए किसी बदलाव के संबंध में छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

ग. ट्रस्टीज़ के पास एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें म्यूचुअल फंड द्वारा उस तिमाही के दौरान प्रायोजक (स्पॉन्सर) या असेट मैनेजमेंट कंपनी की समूह (ग्रुप) कंपनियों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में की गई खरीद और बिक्री के ब्यौरे (पर्याप्त औचित्य के साथ) दिए जाएँ।

- (ii) असेट मैनेजमेंट कंपनी का प्रत्येक निदेशक शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए अपने लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) के ब्यौरे ट्रस्टीज़ के पास, हर तिमाही में प्रस्तुत करेगा, उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

- (iii) असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने यहाँ अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनेल) द्वारा अपने नाम पर या असेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) के ब्यौरे ट्रस्टीज़ के पास प्रस्तुत करेगी, और जरूरत पड़ने पर इसकी जानकारी बोर्ड को देगी।

(ग) निदेशक मंडल द्वारा नज़र रखा जाना:

- (i) 'असेट मैनेजमेंट कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि -

क. असेट मैनेजमेंट कंपनी पूरी जाँच-परख करके ही ब्रोकरों को सूची में शामिल करे, ब्रोकरों के साथ शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए जाने वाले लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) पर पूरी नज़र रखे, और कुछेक ब्रोकरों को ही हद से ज्यादा काम न सौंपे;

ख. असेट मैनेजमेंट कंपनी किसी भी सहयोगी (असोसिएट) को किसी भी तरह का कोई अनुचित फायदा न पहुँचाए या किसी भी सहयोगी के साथ इस तरह से डील न करे कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों को नुकसान पहुँचे;

- ग. असेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) करे, वे इन विनियमों और संबंधित स्कीमों के निवेश के उद्देश्य तथा असेट अलोकेशन के अनुसार ही हों;
- घ. म्यूचुअल फंड द्वारा किए जाने वाले लेनदेन ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के प्रावधानों के अनुसार हों;
- ङ. असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ की हर तिमाही में समीक्षा की जाए, ताकि विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ङ) में बताई गई सीमा का हमेशा पालन सुनिश्चित होता रहे;
- च. सेवाएँ लेने हेतु जो भी करार आदि [जैसे कि असेट्स को संभालकर रखने (की कस्टडी) के संबंध में और शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को अंतरित (ट्रांसफर) करने के संबंध में ट्रांसफर एजेंसी हेतु किए जाने वाले करार आदि] किए जाएँ, वे यूनिटधारकों के हितों को ध्यान में रखकर किए जाएँ और साथ ही इस बात पर भी नज़र रखी जाए कि कामकाज इन करारों आदि के अनुसार हो रहा है या नहीं;
- छ. असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा अपनी नेटवर्थ की रकम का इस तरह से निवेश किया जाए कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों पर कोई आँच न आए;
- ज. निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और उन शिकायतों का निवारण किया जाए;
- झ. सेवा प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों (सभी सर्विस प्रोवाइडर) के पास या तो बोर्ड से या फिर संबंधित विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) से मिले वे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) अवश्य हों जो वही सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में मिले हों जो सेवाएँ वे प्रदान करने वाले हों;
- ञ. म्यूचुअल फंड के संबंध में यदि कुछ नया हो जाए, तो उसकी जानकारी ट्रस्टीज़ को तुरंत दी जाए; और
- ट. उन मामलों के संबंध में भी पूरी एहतियात बरती जाए, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(8) ईमानदारी से कामकाज करना और निवेशकों के हितों का संरक्षण करना

(क) गलत कार्यों आदि को रोकना:

- (i) असेट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने या असेट मैनेजमेंट कंपनी ने जिन व्यक्तियों की सेवाएँ ली हों उन व्यक्तियों ने, इन विनियमों के तहत कार्य आदि करते समय जो कुछ भी किया हो या

करने में जो भी चूक की हो, उसके लिए असेट मैनेजमेंट कंपनी जिम्मेदार रहेगी, और इनमें शामिल है – लापरवाही बरतना, जिम्मेदारी न निभाना, या लागू कानूनी प्रावधानों का पालन न करना।

- (ii) असेट मैनेजमेंट कंपनी चौथी अनुसूची के भाग-क में दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन करेगी।

(ख) बाजार के गलत इस्तेमाल करने का इरादा रखने वालों में भय पैदा करना:

- (i) असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने यहाँ एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था निर्धारित करेगी, उसे अमल में लाएगी और उसे कायम रखेगी (जैसा बोर्ड बताए), जिससे कि जहाँ कहीं भी बाजार के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश लग रही हो उन मामलों [जिनमें फ्रंट-रनिंग के मामले और धोखाधड़ी करने के इरादे से शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करने के मामले भी शामिल हैं] का पता लगाया जा सके और ऐसा करने वालों में भय पैदा किया जा सके।
- (ii) बाजार का गलत इस्तेमाल [जिनमें फ्रंट-रनिंग के मामले और धोखाधड़ी करने के इरादे से शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करने के मामले भी शामिल हैं] करने वालों में भय पैदा करने के लिए इस प्रकार असेट मैनेजमेंट कंपनी के यहाँ जो संस्थागत व्यवस्था निर्धारित की गई हो, उसे अमल में लाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही असेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) या प्रबंध निदेशक (मैनिजिंग डायरेक्टर) [या ऐसे ही ओहदे वाले किसी दूसरे व्यक्ति] और मुख्य अनुपालन अधिकारी (चीफ कंपलायंस ऑफिसर) की होगी।

(ग) पर्दाफाश करने के संबंध में नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी):

असेट मैनेजमेंट कंपनी पर्दाफाश करने के संबंध में लिखित रूप में एक नीति निर्धारित करेगी, उसके अनुसार प्रक्रियाओं को अमल में लाएगी और उसे कायम रखेगी, जिसके तहत:

- क. कर्मचारियों, निदेशकों, ट्रस्टीज़, और दूसरे स्टैकहोल्डर्स के लिए एक ऐसे गोपनीय माध्यम का प्रावधान किया जाए, जिसके जरिए वे उन मामलों की जानकारी दे सकें, जहाँ धोखाधड़ी करने के इरादे से या गलत तरीके अपनाकर कुछ किए जाने की आशंका हो या फिर विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों या किन्हीं दूसरे कानूनी प्रावधानों आदि का उल्लंघन किए जाने की कोई आशंका हो या फिर संचालन-व्यवस्था (गवर्नेंस) में कहीं किसी गड़बड़ी की आशंका हो; और

ख. ऐसी प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाएँ, जिनसे कि पर्दाफाश करने वालों पर कोई आँच न आए।

(घ) निवेशक शिकायतें और उनका संरक्षण:

- (i) असेट मैनेजमेंट कंपनी उसी तरह से और उसी उद्देश्य से एक यूनिटधारक संरक्षण समिति (यूनिटहोल्डर प्रोटेक्शन कमिटी) का गठन करेगी, जैसा बोर्ड बताए।
- (ii) ए.एम.सी. बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगी।

(9) स्कीम का प्रबंधन (मैनेजमेंट) और मूल्यांकन (वैल्यूएशन):

(क) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

- (i) असेट मैनेजमेंट कंपनी उस रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को नियुक्त करेगी, जो बोर्ड से रजिस्टर हो।
- (ii) यदि यूनिटों के ट्रांसफर से संबंधित कार्य आंतरिक स्तर पर किया जाए, तो ऐसे में बाजार में इस कार्य हेतु शुल्क के तौर पर जितनी रकम ली जा रही हो उतनी रकम स्कीम के खर्चों में दिखाई जा सकेगी, और यदि खर्चों के तौर पर उससे ज्यादा रकम दिखाकर स्कीम के खाते से काटी जानी हो, तो उसके संबंध में ट्रस्टीज़ से पहले ही मंजूरी लेनी होगी, और साथ ही वार्षिक खातों (अकाउंट्स) में यह जानकारी भी देनी होगी कि इस प्रकार ज्यादा रकम क्यों दिखाई गई।

(ख) मूल्यांकन करना और जानकारी देना (डिस्कलोज़र करना)

- (i) असेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी स्कीम (स्कीमों) द्वारा किए गए निवेश की गणना तथा उसका मूल्यांकन सातवीं अनुसूची में निवेश के मूल्यांकन के संबंध में निर्धारित किए हुए मानदंडों के अनुसार करेगी, और साथ ही उसकी जानकारी सभी के लिए उपलब्ध करवाएगी।
- (ii) यदि गलत तरीके से किए गए मूल्यांकन की वजह से किसी निवेशक के साथ भेदभाव हो जाए, तो ऐसे में असेट मैनेजमेंट कंपनी तथा म्यूचुअल फंड के प्रायोजक (स्पॉन्सर) को निवेशकों और / या स्कीम को भरपाई करनी होगी।
- (iii) ए.एम.सी. डैट और मनी मार्केट की सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) में किए गए समस्त लेनदेन (ट्रांजेक्शन) [जिनमें एक स्कीम से दूसरी स्कीम में किए गए ट्रांसफर (इंटर-स्कीम ट्रांसफर) भी शामिल हैं] की रिपोर्ट करेगी और जानकारी देगी, जैसा बोर्ड बताए।

(ग) स्कीम की बुनियादी विशेषताओं में बदलाव:

असेट मैनेजमेंट कंपनी' यह सुनिश्चित करेगी कि तब तक किसी स्कीम की बुनियादी विशेषताओं में, देय फीस और खर्चों आदि में कोई भी बदलाव न किया जाए और या फिर ऐसा कोई बदलाव न किया जाए जिससे कि स्कीम में बुनियादी तौर पर कोई बदलाव हो जाए और जिससे यूनिटधारकों के हितों पर असर पड़े, जब तक कि –

- क. किए जाने वाले बदलाव की सूचना लिखित रूप में (जिसमें डिजिटल माध्यम जैसे ईमेल/एसएमएस आदि के जरिए दी जाने वाली सूचना भी शामिल है) प्रत्येक यूनिटधारक को न दे दी जाए;
- ख. वह समस्त जानकारी असेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर सही तरीके से न डलवा दी जाए, जो भी बोर्ड डलवाने को कहे; और
- ग. मौजूदा एन.ए.वी. पर अपना पैसा निकालने का विकल्प न यूनिटधारकों को प्रदान कर दिया जाए, और जिसके लिए कोई शुल्क (एग्जिट लोड) भी न लिया जाए।

(घ) आमदनी की गणना:

असेट मैनेजमेंट कंपनी', किसी स्कीम के यूनिटधारकों के लिए, म्यूचुअल फंड को अदा की जाने वाली रकम और म्यूचुअल फंड को प्राप्त होने वाली रकम की गणना, इन विनियमों तथा ट्रस्ट डीड के अनुसार करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(ङ) स्ट्रेस टैस्टिंग

ए.एम.सी. उन स्कीमों की स्ट्रेस टैस्टिंग करेगी, जिनके बारे में बोर्ड करने को कहे, और उसके नतीजों की जानकारी उसी तरह देगी जैसा बोर्ड बताए।

(च) दायरा:

असेट मैनेजमेंट कंपनी भारत के बाहर म्यूचुअल फंड से संबंधित फंड मैनेजमेंट का कार्य नहीं करेगी या फिर लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) नहीं करेगी, हालाँकि जहाँ दूसरे देशों के शेयरों आदि (सिक्क्यूरिटीज़) में निवेश करने हेतु ट्रेड किए जाने हों वहाँ ऐसा किया जा सकेगा।

(10) ए.एम.सी. को सौंपे गए कार्य वापस लेना और उसकी जवाबदेही

(क) ए.एम.सी. को सौंपे गए कार्य वापस लेना

ए.एम.सी. न्यासियों (ट्रस्टीज़) से किसी भी समय यह निवेदन कर सकेगी कि उसे सौंपे गए कार्य वापस ले लिए जाएँ:

परंतु यह कि इस तरह से कार्य वापस सौंपा हुआ तब माना जाएगा, जब ट्रस्टीज़ इसकी मंजूरी दे दें और अपने निर्णय की जानकारी ए.एम.सी. को लिखित में दे दें।

(ख) जवाबदेही बने रहना

ए.एम.सी. या उसके निदेशक या दूसरे अधिकारी म्यूचुअल फंड के प्रति उन कार्यों आदि के मामले में जवाबदेही से बरी नहीं होंगे जो भी उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए हों और साथ ही कार्य करते समय की गई चूकों के प्रति भी अपनी जवाबदेही से बरी नहीं होंगे, फिर भले ही ऐसा उन्होंने किसी करार आदि का पालन करते हुए किया हो या फिर वे करार आदि समाप्त हो गए हों।

23. ट्रस्टी कंपनी के निदेशक मंडल और असेट मैनेजमेंट कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक

ट्रस्टी कंपनी और असेट मैनेजमेंट कंपनी के निदेशक मंडल (जिसमें उनकी अपनी-अपनी समितियाँ भी शामिल हैं) की बैठकें कम से कम उतने-उतने समय में होंगी, जो बोर्ड बताए, हालाँकि यदि उन्हें जरूरी लगे तो वे और बैठकें भी कर सकेंगे।

अध्याय - V

म्यूचुअल फंड की स्कीमें

24. ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) प्रस्तुत करना

(1) एक असेट मैनेजमेंट कंपनी (ए.एम.सी.) स्कीम तभी ला सकेगी, जब:

- (i) ट्रस्टीज़ से मंजूरी मिल जाए; और
- (ii) बोर्ड के पास प्रस्तुत किए गए ऑफर डॉक्यूमेंट पर बोर्ड की ओर से अंतिम टिप्पणियाँ प्राप्त हो जाएँ।

- (2) बोर्ड ऑफर डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 21 कार्य-दिवसों के भीतर, टिप्पणियाँ (यदि कोई हों) जारी कर सकेगा।
- (3) उप-विनियम (1) के तहत ऑफर डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते समय, म्यूचुअल फंड बोर्ड को फाइलिंग फीस के तौर पर कम से कम उतनी रकम अदा करेगा जितनी पहली अनुसूची में बताई गई है।
- (4) म्यूचुअल फंड बोर्ड को फाइलिंग फीस के तौर पर बाकी की रकम (जो पहली अनुसूची के अनुसार निकाली जाएगी) उतने समय के भीतर अदा करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

25. ऑफर डॉक्यूमेंट में दी जाने वाली जानकारी (किए जाने वाले डिस्क्लोज़र)

- (1) ऑफर डॉक्यूमेंट में पर्याप्त जानकारी दी जाएगी (डिस्क्लोज़र दिए जाएँगे), ताकि निवेशक निवेश के बारे में सोच-समझकर निर्णय ले सकें, जिसमें निम्नलिखित डिस्क्लोज़र (जानकारी) भी शामिल हैं:
 - (क) यह जानकारी कि प्रायोजक (स्पॉन्सर) की समूह (ग्रुप) कंपनियों के सूचीबद्ध (लिस्टिड) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में स्कीम द्वारा ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगाए जाने का प्रस्ताव है; और
 - (ख) यह जानकारी कि उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों) से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जहाँ इन विनियमों के अनुसार यूनिटों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो।
- (2) बोर्ड, निवेशकों के हित में, ए.एम.सी. को ऑफर डॉक्यूमेंट में वे बदलाव करने के लिए कह सकेगा, जो बोर्ड ठीक समझे।
- (3) ऑफर डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई जानकारी (डिस्क्लोज़र) नहीं दी जाएगी या ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा या ऐसी कोई राय नहीं दी जाएगी, जो झूठी हो, गुमराह करने वाली हो, या गलत हो।
- (4) ऑफर डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई और जानकारी भी दी जाएगी, जो बोर्ड समय-समय पर देने को कहे।

26. म्यूचुअल फंड की यूनिटों में पैसा लगाने (को सब्सक्राइब करने) हेतु आवेदन

म्यूचुअल फंड की यूनिटों में पैसा लगाने (को सब्सक्राइब करने) के लिए कागज़ी रूप में (फिज़िकल) जमा कराए जाने वाले प्रत्येक आवेदन फॉर्म के साथ की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम (मुख्य सूचना ज्ञापन) भी लगाया जाएगा, जिसमें वह जानकारी दी गई हो जो बोर्ड समय-समय पर देने को कहे।

27. नामांकन

- (1) ए.एम.सी. प्रत्येक यूनिटधारक को ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को, उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, नामित करने का विकल्प प्रदान करेगी:
 - (क) जो यूनिटधारक के अक्षम हो जाने की दशा में, यूनिटधारक की ओर से लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करने के लिए प्राधिकृत होगा (होंगे); और

- (ख) जिसे (जिन्हें) यूनिटधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में, कानूनी वारिस की ओर से ट्रस्टी होने के नाते, यूनिटधारक के पास पड़ी यूनिटें मिल जाएँगी।
- (2) जहाँ यूनिटें एक से ज्यादा यूनिटधारकों के नाम पर हों, वहाँ ऐसे सभी यूनिटधारक साथ मिलकर ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित कर सकेंगे, जिसे (जिन्हें) ऐसे सभी यूनिटधारकों की मृत्यु हो जाने की दशा में, कानूनी वारिस की ओर से ट्रस्टी होने के नाते, यूनिटों से संबंधित सभी अधिकार मिल जाएँगे।
- (3) यूनिटधारक द्वारा इन विनियमों के अनुसार किए गए नामांकन के आधार पर, यदि ए.एम.सी. या उसके इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट सही नियत से कोई कार्रवाई आदि करते हैं, तो उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे।

28. विज्ञापन में दी जाने वाली जानकारी

ए.एम.सी. द्वारा विज्ञापन जारी करते समय उन बातों का ध्यान रखा जाए, जिनका जिक्र पाँचवीं अनुसूची में दी हुई विज्ञापन संहिता में किया गया है।

29. म्यूचुअल फंड की स्कीम को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना और असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना

- (1) म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम की यूनिटों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने से पहले, उस म्यूचुअल फंड की ए.एम.सी. उस एक्सचेंज (उन एक्सचेंजों) के साथ एक करार (एग्रीमेंट) करेगी।
- (2) जिस स्कीम में रोज़ाना पैसा लगाने व पैसा निकालने (रिडेम्पशन) की सुविधा उपलब्ध न हो, ऐसी प्रत्येक स्कीम और दूसरी स्कीमें (जो बोर्ड बताए) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उसी प्रकार सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई जाएँगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (3) प्रत्येक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया जाएगा।
- (4) म्यूचुअल फंड की जो स्कीमें अस्तित्व में न रही हों, उनकी यूनिटें को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से, बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) के अनुसार, असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराया जाएगा।

30. क्लोज़ एंडेड स्कीम (सीमित अवधि वाली स्कीमों) की यूनिटों की पुनर्खरीद (रीपर्चेज)

- (1) जो क्लोज़ एंडेड स्कीम (सीमित अवधि वाली स्कीम) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009 [सेबी (म्यूचुअल फंड्स) (अमेंडमेंट) रेग्यूलेशन्स, 2009] के लागू होने

- की तारीख को या उसके बाद लाई गई हो, उसकी यूनिटों की पुनर्खरीद (रीपर्चेज़) उस स्कीम की मीयाद (मैच्यूरिटी) पूरी होने से पहले नहीं की जाएगी।
- (2) क्लोज़ एंडेड स्कीम (सीमित अवधि वाली स्कीम) को ओपन एंडेड स्कीम (असीमित अवधि वाली स्कीम) में तभी बदला (कन्वर्ट किया) जा सकेगा, जब:
- (क) उस स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट में यह डिस्कलोज़र किया गया हो कि स्कीम को इस प्रकार कन्वर्ट किया जा सकेगा और कितनी अवधि के भीतर उसे कन्वर्ट किया जा सकेगा; और
- (ख) यूनिटधारकों को यह विकल्प दिया जाए कि वे चाहें तो अपनी सभी यूनिटें रिडीम करवा सकते हैं।
- (3) क्लोज़ एंडेड स्कीम (सीमित अवधि वाली स्कीम) की मीयाद पूरी होने पर यूनिटों को पूरी तरह से रिडीम कराया जा सकेगा, हालाँकि उप-विनियम (4) में दिए हुए प्रावधान तो लागू रहेंगे ही।
- (4) क्लोज़ एंडेड स्कीम (सीमित अवधि वाली स्कीम) को उन यूनिटधारकों के लिए आगे भी जारी रखा (को रोलओवर किया) जा सकेगा, जो इस संबंध में अपनी सहमति लिखित रूप में जाहिर करें, किंतु इस संबंध में ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी; और जिन यूनिटधारकों ने लिखित रूप में इस तरह से अपनी सहमति जाहिर न की हो उनके मामले में मीयाद पूरी होने (मैच्यूरिटी / परिपक्वता) की तारीख को एन.ए.वी. के आधार पर जो भी भाव बनता हो उस भाव पर उनकी यूनिटें पूरी तरह से रिडीम कर दी जाएँगी।

31. ऑफर (प्रस्ताव) की अवधि

म्यूचुअल फंड की स्कीमें (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीमों को छोड़कर) शुरुआत में पैसा लगाए जाने (सब्सक्राइब करने) के लिए उतने समय के लिए खुली रहेंगी, जो बोर्ड बताए।

32. यूनिटें आबंटित करना और पैसा लौटाना (रिफंड करना)

- (1) ए.एम.सी. ऑफर डॉक्यूमेंट में यह बताएगी कि स्कीम के तहत सब्सक्रिप्शन के जरिए न्यूनतम कितनी रकम और, जहाँ लागू हो, अधिकतम कितनी रकम जुटाई जानी है।
- (2) जितना पैसा लगाया जाना था, यदि उससे ज्यादा पैसा लग जाए (ओवर-सब्सक्रिप्शन हो जाए), तो ऐसे में, तो यूनिटधारकों को यूनिटों का आबंटन (अलॉटमेंट) अनुपातिक आधार पर किया जाएगा।
- (3) म्यूचुअल फंड और ए.एम.सी. की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उन मामलों में आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन करते समय अदा की गई रकम, बोर्ड द्वारा बताई गई अवधि के भीतर, लौटा (रिफंड कर) दें,—
- (क) जहाँ म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन की न्यूनतम रकम [जिसका जिक्र उप-विनियम (1) में किया गया है] जुटाने में नाकाम रहे;

- (ख) जहाँ यूनितों हेतु आवेदकों से मिला पैसा सब्सक्रिप्शन की अधिकतम रकम [जिसका जिक्र उप-विनियम (1) में किया गया है] से ज्यादा हो; या
- (ग) जहाँ आवेदन किसी दूसरे कारण से नामंजूर कर दिया गया हो ।
- (4) स्कीम 'नए फंड ऑफर' के जरिए मिले पैसों (फंड) का निवेश उतनी समयावधि के भीतर करेगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाए ।

33. म्यूचुअल फंड की यूनितें रखना

- (1) किसी स्कीम के अंतर्गत जिस आवेदक का आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो, उसके पास यह विकल्प होगा कि वह यूनितों के लिए या तो खाता विवरण (स्टेमेंट ऑफ अकाउंट) प्राप्त करे या फिर यूनितें डीमैट रूप में प्राप्त करे ।
- (2) ए.एम.सी. म्यूचुअल फंड की यूनितें आबंटित (अलॉट) होते ही निवेशक के खाते में वहीं जमा करवा देगी, जैसा निवेशक ने विकल्प चुना हो ।
- (3) यदि कोई यूनितधारक म्यूचुअल फंड की यूनितें प्राप्त करने हेतु चुने गए विकल्प को बदलने का अनुरोध करे, तो ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर ए.एम.सी. तदनुसार म्यूचुअल फंड की यूनितें यूनितधारक के खाते में उतनी अवधि के भीतर जमा करवा देगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाए ।

34. समेकित खाता विवरण (कन्सोलिडेटिड अकाउंट स्टेटमेंट)

- (1) ए.एम.सी. यह सुनिश्चित करेगी कि हर निवेशक को [जिसके फोलियो में महीने के दौरान कोई भी लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) हुआ हो] हर कैलेंडर महीने में समेकित खाता विवरण (कन्सोलिडेटिड अकाउंट स्टेटमेंट), बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाने वाली समय-सीमाओं के अनुसार जारी किया जाए, जिसमें सभी म्यूचुअल फंडों की सभी स्कीमों के अंतर्गत हुए सभी लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) के ब्यौरे हों और यह भी उल्लेख हो कि उनके पास महीने के आखिर में कितनी यूनितें पड़ी हैं और साथ ही यह भी उल्लेख हो कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन अदा किया गया ।
- (2) जिन निवेशकों के फोलियो में सितम्बर या मार्च को समाप्त होने वाली पिछली छमाही के दौरान कोई भी लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) न हुआ हो, उनके मामले में समेकित खाता विवरण छमाही आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाने वाली समय-सीमाओं के अनुसार, जारी किया जाएगा ।
- (3) ए.एम.सी. किसी निवेशक के पैन नंबर के आधार पर यह पता लगाएगी कि उस निवेशक ने किस-किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है और तदनुसार समेकित खाता विवरण (कन्सोलिडेटिड अकाउंट स्टेटमेंट) जारी करेगी ।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के सिलसिले में, शब्द “लेनदेन” (ट्रांज़ेक्शन) में शामिल है - यूनिटें खरीदना, यूनिटें रिडीम करना (पैसा निकालना), स्विच करना (पैसा एक स्कीम से हटाकर दूसरी स्कीम में डालना), इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रावल पेआउट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रावल रीइन्वेस्टमेंट, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एस.आई.पी.), सिस्टेमेटिक विदड्रावल प्लान (एस.डबल्यू.पी.) और सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान (एस.टी.पी.) ।

35. यूनिटें ट्रांसफर करना

- (1) जब तक स्कीम के तहत कोई रोक आदि न लगाई गई हो, तब तक यूनिटों को बिना किसी रोक-टोक के ट्रांसफर किया जा सकेगा ।
- (2) जो यूनिटधारक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) यूनिटों में ट्रेड करना चाहता हो, वह उन यूनिटों को डीमैट रूप में ही रखेगा ।
- (3) ए.एम.सी. म्यूचुअल फंड की यूनिटों को ट्रांसफर करने की अनुमति उसी प्रकार देगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।
- (4) जहाँ यूनिटें डिपॉज़िटरी (निक्षेपागार) के यहाँ डीमैट रूप में रखी हुई हों, वहाँ वे यूनिटें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 [सेबी (डिपॉज़िटरीज़ एंड पार्टिसिपेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के प्रावधानों के अनुसार ही ट्रांसफर की जा सकेंगी ।

अध्याय – VI

म्यूचुअल फंड की स्कीमों को बंद (वाइंड अप) करना

36. म्यूचुअल फंड की स्कीमों को बंद (वाइंड अप) करना

- (1) कोई क्लोज़ एंडेड स्कीम उस स्कीम की तय अवधि पूरी हो जाने पर यूनिटों को रिडीम करने के बाद ही बंद (वाइंड अप) की जा सकेगी, हालाँकि ऐसा तब नहीं किया जा सकेगा जब विनियम 30 के उप-विनियम (4) के अनुसार उस स्कीम की अवधि आगे बढ़ा न दी (रोल-ओवर न कर दी) जाए ।
- (2) म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम [जिसमें तय अवधि पूरी होने से पहले ही बंद (वाइंड अप) किए जाने हेतु प्रस्तावित क्लोज़ एंडेड स्कीम (सीमित अवधि वाली स्कीम) भी शामिल है] तभी बंद (वाइंड अप) की जा सकेगी, जब:

- (क) ऐसा कुछ हो जाए, जिसकी वजह से ट्रस्टीज़ को ऐसा लगे कि स्कीम को बंद (वाइंड अप) करना जरूरी है;
 - (ख) स्कीम के पचहत्तर प्रतिशत यूनिटधारक उसे बंद (वाइंड अप) करने के संबंध में एक संकल्प (रेज़ोल्यूशन) पारित कर दें; या
 - (ग) बोर्ड यूनिटधारकों के हित में ऐसा किए जाने का निदेश दे।
- (3) जहाँ किसी स्कीम को उप-विनियम (2) के अनुसार बंद (वाइंड अप) करना जरूरी हो जाए, वहाँ ट्रस्टीज़ एक दिन के भीतर, यह बताते हुए एक सूचना (नोटिस) जारी करेंगे कि किन परिस्थितियों की वजह से स्कीम को बंद करना पड़ रहा है, और यह सूचना,-
- (क) बोर्ड को दी जाएगी; और
 - (ख) दो दैनिक समाचारपत्रों (जिसे देशभर में पढ़ा जाता हो) में दी जाएगी, और साथ ही उस स्थान की भाषा में छपने वाले उस समाचारपत्र में दी जाएगी जो उस स्थान पर पढ़ा जाता हो जहाँ म्यूचुअल फंड बना हो।
- (4) जहाँ स्कीम को उप-विनियम (2) के खंड (क) के अनुसार बंद (वाइंड अप) किया जा रहा हो, वहाँ ट्रस्टीज़, यूनिटधारकों की सहमति मतदान करवाकर प्राप्त करेंगे; और मतदान का नतीजा मतदान में भाग लेने वाले यूनिटधारकों के साधारण बहुमत के आधार पर तय हो और यह मतदान एक यूनिट पर एक मत (वोट) के आधार पर कराया जाए। ट्रस्टी उप-विनियम (3) के तहत सूचना (नोटिस) प्रकाशित किए जाने की तारीख से पैंतालीस कैलेंडर दिनों के भीतर उस मतदान के नतीजे प्रकाशित करेंगे।
- (5) जहाँ ट्रस्टीज़ उप-विनियम (4) के अनुसार यूनिटधारकों की सहमति प्राप्त न कर पाएँ, वहाँ स्कीम का कामकाज मतदान के नतीजे प्रकाशित किए जाने के बाद कारोबार के दूसरे दिन से दोबारा शुरू किया जाएगा।

37. स्कीम कब से बंद (वाइंड अप) होगी

विनियम 36 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) के अनुसार सूचना (नोटिस) प्रकाशित किए जाने की तारीख से ही, यथास्थिति, ट्रस्टीज़ या ए.एम.सी.:

- (क) उस स्कीम का कारोबार करना छोड़ देगी, जिसे बंद (वाइंड अप) किया जा रहा हो;
- (ख) उस स्कीम के लिए और यूनिटें बनाना या फिर मौजूदा यूनिटों को रद्द करना छोड़ देगी;
- (ग) उस स्कीम के संबंध में नई यूनिटें जारी करना या मौजूदा यूनिटों को रिडीम करना छोड़ देगी; और
- (घ) म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम को बंद (वाइंड अप) करने की प्रक्रिया जारी हो, उस स्कीम की यूनिटें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) करवा देगी।

38. स्कीमें बंद (वाइंड अप) करने की प्रक्रिया आदि

(1) विनियम 36 के उप-विनियम (2) के अनुसार स्कीम को, विनियम 36 के उप-विनियम (3) और विनियम 36 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों का पालन किए जाने के बाद, निम्नानुसार बंद (वाइंड अप) किया जाएगा:

- (क) ट्रस्टीज़ यूनिटधारकों की बैठक बुलाएंगे, जिसमें ट्रस्टीज़ या किसी दूसरे व्यक्ति को विनियम 36 के उप-विनियम (2) के खंड (क) एवं (ख) के अनुसार स्कीम को बंद (वाइंड अप) करने के सिलसिले में कदम उठाने के लिए प्राधिकृत करने के संबंध में यूनिटधारकों की मंजूरी साधारण बहुमत के आधार पर ली जाएगी;
- (ख) ट्रस्टीज़ या कोई दूसरा व्यक्ति, स्कीम को बंद करने (वाइंड अप) करने की कार्यवाही बोर्ड के निदेशानुसार या उसी तरह से करेंगे जैसा बोर्ड द्वारा, विनियम 36 के उप-विनियम (2) के खंड (ग) के तहत स्कीम को बंद (वाइंड अप) करने के संबंध में, बताया जाए;
- (ग) खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार इस प्रकार प्राधिकृत ट्रस्टीज़ या व्यक्ति, स्कीम के असेट्स की बिक्री आदि इस प्रकार करेगा कि यूनिटधारकों के हित का पूरा ख्याल रखा जाए;
- (घ) खंड (ग) के अनुसार असेट्स की बिक्री से मिले पैसे का इस्तेमाल:
 - (i) सबसे पहले, स्कीम के तहत जो भी देनदारियाँ बनती हों, उन्हें चुकाने के लिए किया जाएगा; और
 - (ii) उसके बाद, स्कीम को बंद (वाइंड अप) करने से जुड़े खर्चे काटकर, स्कीम के असेट्स में यूनिटधारकों की हिस्सेदारी [उस तारीख तक की स्थिति के अनुसार जब स्कीम को बंद (वाइंड अप) करने का निर्णय लिया गया था] के हिसाब से यूनिटधारकों को रकम अदा करने के लिए किया जाएगा;

स्पष्टीकरण: इस खंड के सिलसिले में:

- i. कस्टोडियन फीस, ऑडिट फीस और निवेशकों को सूचना आदि भिजवाने के संबंध में होने वाले खर्चे, आदि ऐसे खर्चे हैं जो तब तक होते ही रहेंगे जब तक स्कीम को बंद (वाइंड अप) न कर दिया जाए, और इसीलिए इन खर्चों को फंड या स्कीम बंद (वाइंड अप) करने से संबंधित खर्चा माना जा सकता है; और
- ii. निवेश और सलाह देने से संबंधित फीस और डिस्ट्रीब्यूशन हेतु अदा किए गए कमीशन को फंड या स्कीम बंद करने से संबंधित खर्चा नहीं माना जाएगा;

- (ड) बंद (वाइंड अप) करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, ट्रस्टी बोर्ड को और यूनिटधारकों को इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:
- (i) स्कीम को किन परिस्थितियों की वजह से बंद (वाइंड अप) करना पड़ा;
 - (ii) स्कीम को बंद (वाइंड अप) किए जाने से पहले फंड के असेट्स की बिक्री आदि करने के लिए क्या कदम उठाए गए;
 - (iii) स्कीम को बंद (वाइंड अप) किए जाने के संबंध में कितना खर्चा आया;
 - (iv) यूनिटधारकों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुल मिलाकर कितने असेट्स (नेट असेट्स) उपलब्ध हैं; और
 - (v) फंड के ऑडिटर (लेखापरीक्षक) का प्रमाणपत्र;
- (च) छमाही और वार्षिक रिपोर्टों में दी जाने वाली जानकारी (किए जाने वाले डिस्कलोज़र) के सिलसिले में इन विनियमों में किए गए प्रावधान तब तक लागू रहेंगे, जब तक स्कीम बंद (वाइंड अप) करने की प्रक्रिया पूरी न हो जाए या फिर स्कीम बंद न हो जाए।
- (2) उप-विनियम (1) के खंड (ड) में जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, वह रिपोर्ट मिलने के बाद, और इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि स्कीम को बंद (वाइंड अप) किए जाने के संबंध में सभी कदम उठा लिए गए हैं, बोर्ड इस बात को रिकॉर्ड कर लेगा और उसकी सूचना ट्रस्टीज़ को भी दे देगा कि स्कीम बंद हो गई है।

अध्याय – VII

म्यूचुअल फंड की स्कीमों और असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ (ए.एम.सी.) द्वारा निवेश

39. म्यूचुअल फंड की स्कीमों द्वारा निवेश

- (1) म्यूचुअल फंड की संबंधित स्कीम के निवेश के उद्देश्यों के अनुसार और इन विनियमों के प्रावधानों के तहत, ए.एम.सी. म्यूचुअल फंड की स्कीम के फंड का निवेश केवल निम्नलिखित में ही करेगी;
 - (क) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) में;
 - (ख) मनी मार्केट इन्स्ट्रूमेंट्स में;
 - (ग) प्राइवेट प्लेस्मेंट वाले डिबेंचरों में;

- (घ) उन सिक्योरिटाइज्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स (प्रतिभूत ऋण लिखतों) में, जिनकी एवज में या तो असेट्स रखे हुए हों या फिर शेयर आदि गिरवी रखे हुए हों;
 - (ङ) सोने में या सोने से जुड़े इन्स्ट्रूमेंट्स में;
 - (च) चाँदी में या चाँदी से जुड़े इन्स्ट्रूमेंट्स में; और
 - (छ) ऐसे किसी दूसरे असेट या इन्स्ट्रूमेंट में, जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (2) म्यूचुअल फंड की स्कीमों या विशेष निवेश फंड (स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड) के अंतर्गत जुटाए गए फंड के निवेश के संबंध में बोर्ड शर्तें निर्धारित कर सकेगा।

40. म्यूचुअल फंड और ए.एम.सी. द्वारा कारपोरेट डैट मार्केट डेवलपमेंट फंड (कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि) में निवेश

- (1) म्यूचुअल फंड उन वर्गों की म्यूचुअल फंड की स्कीमों की नेट असेट्स (शुद्ध आस्तियों) के उतने प्रतिशत हिस्से का निवेश कारपोरेट डैट मार्केट डेवलपमेंट फंड की यूनितों में करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।
- (2) म्यूचुअल फंडों की ए.एम.सी. ए.यू.एम. के उतने प्रतिशत हिस्से का निवेश कारपोरेट डैट मार्केट डेवलपमेंट फंड की यूनितों में करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

41. निवेश पर पाबंदियाँ

- (1) विनियम 39 के अनुसार किए गए किसी निवेश (गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीमों और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीमों द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) के मामले में छठी अनुसूची में बताई गई पाबंदियाँ लागू होंगी और साथ ही वे दूसरी पाबंदियाँ भी लागू होंगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।
 - (2) गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निवेश कर सकेंगी, किंतु इनके मामले में वे पाबंदियाँ लागू होंगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।
 - (3) म्यूचुअल फंड अपने सभी लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) का सेटलमेंट (निपटान) केवल डीमैट शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में ही करेगा, सिवाय उन इन्स्ट्रूमेंट के मामले में जिनके बारे में बोर्ड समय-समय पर बताए।
 - (4) गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम में निवेश के मामले में निम्नलिखित पाबंदियाँ लागू होंगी:
- (क) ऐसी किसी स्कीम के फंड का निवेश उसके निवेश के उद्देश्यों के अनुसार, यथास्थिति, केवल सोने या सोने से संबंधित इन्स्ट्रूमेंट्स अथवा चाँदी या चाँदी से संबंधित इन्स्ट्रूमेंट्स में ही किया जाएगा, जैसा

कि ऑफर डॉक्यूमेंट में जिक्र किया गया हो, हालाँकि यूनितें रिडीम करने हेतु किए गए निवेदनो के संबंध में भुगतान करने के लिए पैसों (लिक्विडिटी) की जरूरत को पूरा करने हेतु यदि पैसों की जरूरत हो, तो तब ऐसा किया जा सकेगा; और

- (ख) जब तक खंड (क) के अनुसार फंड का निवेश न किया जाए, तब तक म्यूचुअल फंड उन पैसों (फंड) का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अल्पकालिक जमाओं (शॉर्ट-टर्म डिपॉजिट्स) में कर सकेगा।
- (5) म्यूचुअल फंड की स्कीम के फंड का इस्तेमाल किसी भी तरह से 'कैरी फॉरवर्ड ट्रांज़ेक्शन' के लिए नहीं किया जाएगा, हालाँकि उन ट्रांज़ेक्शन के मामले में ऐसा किया जा सकेगा जिनका जिक्र उप-विनियम (6) में किया गया है।
- (6) म्यूचुअल फंड मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स से संबंधित लेनदेन (डेरिवेटिव्स ट्रांज़ेक्शन) कर सकेगा, किंतु ऐसा बोर्ड द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित किए गए प्रावधानों आदि के अनुसार ही किया जाएगा।
- (7) म्यूचुअल फंड की स्कीमों हेतु यदि शॉर्ट सेलिंग से संबंधित कोई लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) किया जाए, तो वह मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ही किया जाए, और ऐसा शॉर्ट सेलिंग और शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) उधार देने व लेने के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए प्रावधानों आदि के अनुसार ही किया जाएगा।
- (8) एक ही म्यूचुअल फंड की स्कीमों के बीच निवेश (इनवेस्टमेंट) के ट्रांसफर की अनुमति होगी, किंतु इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तों का पालन करना होगा।

42. म्यूचुअल फंड द्वारा उधार लिए व दिए जाने के संबंध में

- (1) म्यूचुअल फंड को जिन मामलों में यूनितों की पुनर्खरीद (रीपर्चेज़) करने या यूनितें रिडीम किए जाने के संबंध में अथवा यूनितधारकों को ब्याज की रकम अदा करने के संबंध में या 'इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विडड्रावल पेआउट' करने के संबंध में अथवा 'इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड' और 'इक्विटी ओरिएंटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड' द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में बिक्री के ट्रेड पूरे करवाने के सिलसिले में ट्रेड का सेटलमेंट (निपटान) करने के संबंध में थोड़े समय के लिए पैसों की जरूरतें पूरी करनी हों उन्हें छोड़कर दूसरे मामलों में म्यूचुअल फंड उधार नहीं लेगा, (उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाएगा)। इस तरह से उधारी केवल तभी ली जा सकेगी, जब –
- (क) उधार की रकम स्कीम के नेट असेट्स के बीस प्रतिशत से ज्यादा न हो; और
- (ख) उधार छह महीने से ज्यादा की अवधि के लिए न लिया जाए।

- (2) उप-विनियम (1) के खंड (क) में जो सीमा बताई गई है, वह एक ही दिन हेतु लिए जाने वाले (इंट्राडे) उधार के मामले में लागू नहीं होगी, हालाँकि उन शर्तों का तो पालन करना ही होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।
- (3) इन विनियमों में जैसा बताया गया है, उसे छोड़कर म्यूचुअल फंड किसी भी उद्देश्य से कोई उधार नहीं देगा।
- (4) म्यूचुअल फंड, शॉर्ट सेलिंग के संबंध में और शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) उधार देने व लेने के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए प्रावधानों आदि के अनुसार ही शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) उधार ले व दे सकेगा।

अध्याय – VIII

नेट असेट वैल्यू (एन.ए.वी.) और म्यूचुअल फंड की यूनिटें आबंटित (अलॉट) करने तथा निवेश से हुए फायदे की रकम अदा करने हेतु समय-सीमाएँ

43. एन.ए.वी. कैसे निकाला जाएगा

हर ए.एम.सी. हर स्कीम का एन.ए.वी. हर दिन निकालेगी, और किसी स्कीम का एन.ए.वी. निकालने के लिए वह उस स्कीम के नेट असेट्स [जिनकी गणना बोर्ड द्वारा मूल्यांकन (वैल्यूएशन) के संबंध में तय किए गए मानदंडों के अनुसार की जाएगी] को उसकी यूनिटों की संख्या [जितनी मूल्यांकन (वैल्यूएशन) की तारीख को] से विभाजित करेगी।

44. म्यूचुअल फंड की यूनिटें किस भाव पर मिलेंगी (किस भाव पर उनका सब्सक्रिप्शन होगा) और किस भाव पर रिडीम होंगी

- (1) म्यूचुअल फंड की यूनिटें किस भाव पर मिलेंगी (किस भाव पर उनका सब्सक्रिप्शन होगा) या किस भाव पर बेची जाएँगी और किस भाव पर रिडीम होंगी या किस भाव पर उनकी पुनर्खरीद की जाएगी, इसकी जानकारी ए.एम.सी. निवेशकों को उसी प्रकार देगी, जैसा बोर्ड समय-समय पर बताए।
- (2) म्यूचुअल फंड की यूनिटें किस भाव पर मिलेंगी (किस भाव पर उनका सब्सक्रिप्शन होगा) या किस भाव पर बेची जाएँगी और किस भाव पर रिडीम होंगी या किस भाव पर उनकी पुनर्खरीद की जाएगी, इसकी गणना करने के लिए अपनाए गए तरीके को डिस्कलोज़ किया जाए, उसी प्रकार जैसा बोर्ड समय-समय पर बताए।

- (3) निवेशकों से यदि एक्जिट लोड के तौर पर कोई शुल्क लिया गया हो, तो वह संबंधित स्कीम में जमा किया जाएगा।
- (4) म्यूचुअल फंड की ओपेन एंडेड स्कीम (असीमित अवधि वाली स्कीम) से निकलने पर एक्जिट लोड के तौर पर लिया जाने वाला शुल्क स्कीम की एन.ए.वी. के तीन प्रतिशत (3%) से ज्यादा नहीं होगा।

45. इनकम डिस्ट्रिब्यूशन कम कैपिटल विदड्रावल

ए.एम.सी. म्यूचुअल फंड की स्कीमों के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट के अनुसार इनकम डिस्ट्रिब्यूशन कम कैपिटल विदड्रावल की घोषणा कर सकेगी, किंतु इस संबंध में उसे उन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ।

46. म्यूचुअल फंड की यूनिटें जमा (क्रेडिट) करना, उन्हें रिडीम करना या इनकम डिस्ट्रिब्यूशन कम कैपिटल विदड्रावल के संबंध में अदा की जाने वाली रकम

(1) प्रत्येक ए.एम.सी. यूनिटधारकों को, यथास्थिति:

- (i) इनकम डिस्ट्रिब्यूशन कम कैपिटल विदड्रावल के संबंध में अदा की जाने वाली रकम ट्रांसफर करेगी; और
 - (ii) यूनिटें रिडीम किए जाने हेतु अदा की जाने वाली रकम (यानि कि म्यूचुअल फंड द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद किए जाने पर अदा की जाने वाली रकम) और यदि आवेदन न्यूनतम या अधिकतम सब्सक्रिप्शन की वजह से या किसी दूसरी वजह से नामंजूर हो गया हो तो ऐसे में आवेदन करते समय अदा की गई रकम, बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाने वाली अवधि के भीतर, ट्रांसफर करेगी।
- (2) यदि यूनिटें रिडीम किए जाने हेतु अदा की जाने वाली रकम (रिडेंप्शन प्रोसीड्स) या 'इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रावल' के संबंध में अदा की जाने वाली रकम या आवेदन करते समय अदा की गई रकम, बताई गई अवधि के भीतर ट्रांसफर न की जाए [जैसा उप-विनियम (1) में जिक्र किया गया है], तो ऐसे में ए.एम.सी. यूनिटधारकों को जितनी अवधि की देरी हुई हो उतनी अवधि के लिए, यथास्थिति, पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की रकम अदा करेगी।
- (3) ब्याज सहित पैसा लौटाने [जैसा कि उप-विनियम (2) में उल्लेख किया गया है] के अलावा, ए.एम.सी. के खिलाफ बोर्ड उप-विनियम (1) में किए गए प्रावधान का पालन न किए जाने के सिलसिले में कार्रवाई (जो भी बोर्ड ठीक समझे) भी कर सकेगा।
- (4) यूनिटें रिडीम किए जाने हेतु अदा की जाने वाली रकम (रिडेंप्शन प्रोसीड्स) या यूनिटों की पुनर्खरीद हेतु अदा की जाने वाली रकम अथवा 'इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रावल' के संबंध में अदा की जाने वाली रकम या आवेदन करते समय अदा की गई रकम चैक आदि द्वारा केवल किन्हीं विशेष परिस्थितियों

में ही अदा की जाएगी, और ऐसे सभी मामलों में ए.एम.सी. को सभी रिकॉर्ड संभालकर रखने होंगे और ऐसा किए जाने के कारण भी रिकॉर्ड में दर्ज करके रखने होंगे।

अध्याय – IX

विशेष निवेश फंड (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड)

47. लागू होना

- (1) इस अध्याय के प्रावधान 'विशेष निवेश फंड' (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड) के मामले में लागू होंगे।
- (2) जब तक संदर्भ कुछ और न हो, तब तक इन विनियमों के अन्य सभी प्रावधान और उनके तहत जारी किए गए दिशानिर्देश तथा परिपत्र (सर्कुलर) 'विशेष निवेश फंड' तथा उसकी 'निवेश योजनाओं' (इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज़) पर, ऐसी 'निवेश योजनाओं' के संबंध में ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. पर लागू होंगे, किंतु यदि उनके संबंध में इस अध्याय के तहत अलग से कुछ और प्रावधान किए गए हों, तो वे प्रावधान लागू रहेंगे।

48. मंजूरी लेने संबंधी अपेक्षाएँ

- (1) विनियम 3 के खंड (ड) के तहत रजिस्टर म्यूचुअल फंड को बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताए गए तरीके से 'विशेष निवेश फंड' शुरू करने की मंजूरी दी जा सकेगी, और जिसके लिए उसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए पात्रता संबंधी मानदंडों पर खरा उतरना होगा।
- (2) विनियम 3 के खंड (ड) के तहत रजिस्टर म्यूचुअल फंड को 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत कोई 'निवेश योजना' शुरू करने के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने के जरूरत नहीं होगी।

49. 'विशेष निवेश फंड' के संबंध में शर्तें

- (1) 'विशेष निवेश फंड' किसी भी निवेशक (अक्रेडिटिड निवेशक को छोड़कर) से अपनी सभी निवेश योजनाओं के तहत दस लाख रुपये से कम का निवेश (हर 'निवेश योजना' में निवेश की गई रकम को मिलाकर) स्वीकार नहीं करेगा, और यह निवेश उसी तरीके से स्वीकार किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।
- (2) 'विशेष निवेश फंड' के फंड मैनेजर के पास राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) का वह प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

- (3) इन विनियमों के तहत म्यूचुअल फंड की स्कीमों पर लागू सभी प्रावधान तब तक 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत लाई जाने वाली 'निवेश योजनाओं' पर भी लागू होंगे, जब तक कि कुछ और उल्लेख न कर दिया जाए।

50. 'निवेश योजनाएँ' (इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज़) लाने की प्रक्रिया

- (1) 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत 'निवेश योजनाएँ' वही प्रक्रिया अपनाकर लाई जाएगी, जो विनियम 24 के तहत म्यूचुअल फंड की स्कीमें लाए जाने के मामले में अपनाई जाती है, और उसी प्रकार लाई जाएँगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (2) 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत 'निवेश योजना' 'ओपन-एंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी' (असीमित अवधि वाली निवेश योजना) या 'क्लोज़-एंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी' (सीमित अवधि वाली निवेश योजना) या 'इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी' के रूप में लाई जाएगी, और साथ ही ऑफर डॉक्यूमेंट में यह साफ-साफ बताना (डिस्कलोज़ करना) होगा कि पैसा कब-कब लगाया (सब्सक्राइब किया) जा सकेगा और कब-कब निकाला जा सकेगा (रिडीम किया जा सकेगा)।
- (3) 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत लाई गई 'निवेश योजनाओं' के मामले में उतनी ही फीस और खर्चों की उतनी ही रकम ली जाएगी, जैसा अध्याय - IX में बताया गया है।

51. कहाँ-कहाँ निवेश किया जा सकता है

- (1) 'विशेष निवेश फंड' अपनी किसी भी 'निवेश योजना' के तहत जुटाई गई रकम का निवेश उन इन्स्ट्रूमेंट्स में कर सकेगा, जिनमें निवेश करने की अनुमति म्यूचुअल फंड की स्कीमों को विनियम 39 में दी गई है।
- (2) 'विशेष निवेश फंड' द्वारा निवेश उसी तरह किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

52. निवेश पर पाबंदियाँ

म्यूचुअल फंड की स्कीमों के मामले में निवेश के संबंध में जो भी पाबंदियाँ लागू हैं (जिनका जिक्र छठी अनुसूची में किया गया है), वे पाबंदियाँ विनियम 51 के उप-विनियम (1) के तहत किए जाने वाले निवेश के मामले में भी लागू होंगी।

53. असेट मैनेजमेंट कंपनी के कर्तव्य

- (1) ए.एम.सी. यह सुनिश्चित करेगी कि जो 'विशेष निवेश फंड' बनाया जाए उसका स्पष्ट पता चलना चाहिए और वह फंड म्यूचुअल फंड से पूरी तरह से अलग होना चाहिए, ताकि 'विशेष निवेश फंड' के जरिए निवेश की जो रकम जुटाई जाए और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश की जो रकम जुटाई जाए उनके बीच का फर्क साफ-साफ नज़र आना चाहिए।
- (2) असेट मैनेजमेंट कंपनी ब्रांडिंग करने, विज्ञापन जारी करने, स्टैंडर्ड डिसक्लेमर जारी करने, प्रायोजक या असेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड के ब्रांड के नाम का इस्तेमाल करने के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों और एक अलग वेबसाइट बनाए रखने से संबंधित प्रावधानों का पालन करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

54. ट्रस्टी के कर्तव्य

ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि:

- (क) निवेश करने और किए गए निवेश का प्रबंधन करने के लिए असेट मैनेजमेंट कंपनी में पर्याप्त संख्या में जानकार व्यक्ति नियुक्त हों, उसके यहाँ आंतरिक स्तर पर नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था हो और जोखिम से निपटने की भी मजबूत व्यवस्था अवश्य हो;
- (ख) ए.एम.सी. ऐसे अन्य प्रावधानों आदि का पालन करे, जो जोखिमों से निपटने के संबंध में, निवेशक संरक्षण के संबंध में, जानकारी आदि देने (डिस्कलोज़र करने) के संबंध में और रिपोर्टिंग के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ; और
- (ग) 'विशेष निवेश फंड' के समस्त कार्य आदि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हों।

55. ऑफर डॉक्यूमेंट में दी जाने वाली जानकारी (डिस्कलोज़र) और दी जाने वाली अन्य जानकारी (डिस्कलोज़र)

- (1) 'विशेष निवेश फंड' के ऑफर डॉक्यूमेंट में वह समस्त पर्याप्त जानकारी दी जाएगी (वे सभी डिस्कलोज़र किए जाएँगे), जो निवेशकों के लिए सोच-समझकर निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए जरूरी हो (खासकर यह बताना होगा कि इसमें निवेश करना काफी जोखिम भरा है), और ऐसी जानकारी उसी तरह से दी जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (2) 'विशेष निवेश फंड' के संबंध में पोर्टफोलियो की जानकारी (डिस्कलोज़र) उसी तरह से दी जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

अध्याय - X**म्यूचुअल फंड लाइट****56. लागू होना**

- (1) इस अध्याय के प्रावधान 'म्यूचुअल फंड लाइट' और 'म्यूचुअल फंड लाइट' की स्कीमों के मामले में लागू होंगे।
- (2) जब तक इन विनियमों के अन्य सभी प्रावधानों का संदर्भ कुछ और न हो या वे इस अध्याय के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों, तब तक वे 'म्यूचुअल फंड लाइट', 'म्यूचुअल फंड लाइट' की स्कीमों और ऐसे म्यूचुअल फंडों व ऐसी स्कीमों से जुड़े ट्रस्टीज़ (न्यासियों) तथा ए.एम.सी. (असेट मैनेजमेंट कंपनियों) के मामले में लागू होंगे, लेकिन इन अन्य प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधान और उसके तहत जारी किए गए दिशानिर्देश तथा परिपत्र (सर्कुलर) शामिल नहीं हैं:
- (क) विनियम 5,
 - (ख) विनियम 9;
 - (ग) विनियम 10;
 - (घ) विनियम 11;
 - (ङ) विनियम 12;
 - (च) विनियम 16 के उप-विनियम (3) का खंड (ख);
 - (छ) विनियम 17 का खंड (क)(iii);
 - (ज) विनियम 21;
 - (झ) विनियम 22;
 - (ञ) विनियम 23;
 - (ट) विनियम 24(1);
 - (ठ) विनियम 40;
 - (ड) विनियम 70(2);
 - (ढ) अध्याय - IX;
 - (ण) दूसरी अनुसूची; और
 - (त) तीसरी अनुसूची।

57. पात्रता मानदंड: 'म्यूचुअल फंड लाइट' के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) प्रदान किए जाने हेतु, आवेदक को निम्नलिखित शर्तों पर खरा उतरना होगा:

(1)	आवेदक को "पिछला रिकॉर्ड अच्छे रहने" के संबंध में नीचे बताए गए दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अंतर्गत दिए गए सभी मानदंडों पर खरा उतरना होगा, और साथ ही स्पॉन्सर के बारे में आम तौर पर यह राय हो कि समस्त कारोबारी लेनदेन (ट्रांजेक्शन) में वह पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी बरतता है:			
	क्र. सं.	विवरण	विकल्प-1	विकल्प-2
	(क)	अनुभव	इस विकल्प के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु अनुभव से संबंधित कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।	प्रायोजक (स्पॉन्सर) द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर), मुख्य संचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर), मुख्य अनुपालन अधिकारी (चीफ कंप्लायंस ऑफिसर) और मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर) का अनुभव कुल-मिलाकर कम से कम बीस (20) वर्षों का हो और उनमें से हरेक के पास संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो।
	(ख)	मुनाफा	<p>ठीक पहले के पाँच वर्षों में से तीन वर्षों (पाँचवें वर्ष सहित) में पैसों के लेनदेन से जुड़े कामकाज (फाइनेंशियल बिजनेस ऑपरेशन्स) से कुल मिलाकर मुनाफा [मूल्यहास (डेप्रिशीएशन), ब्याज और कर की रकम घटाने के बाद] हुआ हो।</p> <p>ठीक पहले के पाँच वर्षों में पैसों के लेनदेन से जुड़े कामकाज (फाइनेंशियल बिजनेस ऑपरेशन्स) से कम से कम पाँच करोड़ रुपये का कुल मिलाकर औसत वार्षिक मुनाफा</p>	इस विकल्प के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए मुनाफे के संबंध में कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।

			[मूल्यहास (डेप्रिशीएशन), ब्याज और कर की रकम घटाने के बाद] हुआ हो।	
	(ग)	प्रायोजक (स्पॉन्सर) की नेटवर्थ	पहले के पाँच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में नेटवर्थ धनात्मक (पॉज़िटिव) रही हो	लागू नहीं
	(घ)	प्रायोजक (स्पॉन्सर) की लिक्विड नेटवर्थ	प्रायोजक को एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी में जितना पैसा लगाना हो, उससे उसकी पॉज़िटिव लिक्विड नेटवर्थ ज्यादा रहे	
	(ङ)	एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ	<p>प्रायोजक यह सुनिश्चित करेगा कि एमएफ लाइट ए.एम.सी. की नेटवर्थ हर समय कम से कम पैंतीस करोड़ रुपये की रहे, और जो उन असेट्स में लगी रहे जो बोर्ड बताए:</p> <p>परंतु यह कि यदि एमएफ लाइट ए.एम.सी. को लगातार पाँच वर्षों तक मुनाफा हुआ हो, तो ऐसे में उसकी नेटवर्थ पच्चीस करोड़ रुपये (रु. 25 करोड़) से ज्यादा की बनी रहे।</p> <p>यदि एमएफ लाइट की असेट मैनेजमेंट कंपनी की कुल ए.यू.एम. (असेट्स अंडर मैनेजमेंट) बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई सीमाएँ पार कर जाए, तो ऐसे में एमएफ लाइट की असेट मैनेजमेंट कंपनी इन विनियमों के अध्याय - II में दिए गए विकल्प-1 में नेटवर्थ के संबंध में निर्धारित किए गए प्रावधानों का पालन करेगी।</p>	<p>रजिस्ट्रेशन के समय एमएफ लाइट ए.एम.सी. की नेटवर्थ, (जिसके लिए प्रायोजक पैसा देगा) कम से कम पचहत्तर करोड़ रुपये की हो।</p> <p>हालाँकि, एमएफ लाइट ए.एम.सी. की नेटवर्थ हमेशा पचास करोड़ रुपये (रु. 50 करोड़) की रहे, और जो उन असेट्स में लगी रहे जो बोर्ड बताए:</p> <p>परंतु यह कि यदि एमएफ लाइट ए.एम.सी. को लगातार पाँच वर्षों तक मुनाफा हुआ हो, तो ऐसे में उसकी नेटवर्थ कम से कम पच्चीस करोड़ रुपये (रु. 25 करोड़) की बनी रहे।</p> <p>यदि एमएफ लाइट की असेट मैनेजमेंट कंपनी की कुल ए.यू.एम. (असेट्स अंडर मैनेजमेंट) बोर्ड द्वारा निर्धारित</p>

			<p>प्रायोजक यह सुनिश्चित करेगा कि नेटवर्थ हमेशा उतनी बनी रहे, जैसा बताया गया है।</p> <p>प्रायोजक यह सुनिश्चित करेगा कि नेटवर्थ हमेशा उतनी बनी रहे, जैसा बताया गया है।</p>	<p>की गई सीमाएँ पार कर जाए, तो ऐसे में एमएफ लाइट की असेट मैनेजमेंट कंपनी इन विनियमों के अध्याय - II में दिए गए विकल्प-2 में नेटवर्थ के संबंध में निर्धारित किए गए प्रावधानों का पालन करेगी।</p>
	(च)	लॉक-इन का प्रावधान	<p>इस विकल्प के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु लॉक-इन से संबंधित कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।</p>	<p>एमएफ लाइट ए.एम.सी. में लगाए गए पैसों के बराबर के शुरुआत में मिले शेयर [पचहत्तर करोड़ रुपये (रु. 75 करोड़) तक के] तीन वर्षों की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे।</p>
	(छ)	नियंत्रण (कंट्रोल) में परिवर्तन	<p>शेयर अर्जित (एक्वायर) किए जाने के कारण यदि मौजूदा एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी के नियंत्रण (कंट्रोल) में कोई बदलाव आ जाए, तो ऐसे में या तो प्रायोजक (स्पॉन्सर) की पॉज़िटिव लिक्विड नेटवर्थ या फिर उसने जितना पैसा लगाया, वह उन शेयरों के कुल सममूल्य (पार वैल्यू) या बाजार भाव (मार्केट वैल्यू) से ज्यादा हो, जितने शेयरों को अर्जित (एक्वायर) करने का प्रस्ताव किया गया था</p>	<p>यदि मौजूदा एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया जाता है, तो ऐसे में प्रायोजक (स्पॉन्सर) की पॉज़िटिव लिक्विड नेटवर्थ कम से कम उतनी अवश्य रहे जितनी बताई गई है और वह बढ़ाकर इतनी अवश्य कर दी जाए कि एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी के संदर्भ में निर्धारित अपेक्षा पूरी हो जाए, और प्रायोजक (स्पॉन्सर) की पॉज़िटिव लिक्विड नेटवर्थ या फिर उसने जितना पैसा लगाया, वह उन शेयरों के कुल सममूल्य (पार वैल्यू) या बाजार भाव (मार्केट वैल्यू) से ज्यादा हो, जितने शेयरों को अर्जित (एक्वायर) करने का प्रस्ताव किया गया था।</p>

				यदि मौजूदा एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित (एक्वायर) की जाती हो, तो ऐसे में प्रायोजक (प्रायोजकों) की कम से कम पचहत्तर करोड़ रुपये के मूल्य के शेयर तीन वर्षों की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे।
	(ज)	यदि प्राइवेट इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड लाइट का प्रायोजक (स्पॉन्सर) हो	इस विकल्प के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए इस संबंध में कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।	पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (ऐसी एंटिटी जो अलग-अलग निवेशकों से पैसे इकट्ठा करती है और फिर उसका निवेश करती है), जिसमें प्राइवेट इक्विटी फंड भी शामिल है, एमएफ लाइट का प्रायोजक बन सकेगा, किंतु इसके लिए उन्हें इस विकल्प के तहत दी हुई शर्तें पूरी करनी होंगी और साथ ही बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
(2)	'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' (फिट एंड प्रॉपर पर्सन) संबंधी मानदंड		आवेदक, म्यूचुअल फंड लाइट और ट्रस्टी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन, 2008] की अनुसूची-II में 'उचित तथा उपयुक्त व्यक्ति' (फिट एंड प्रॉपर पर्सन) के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों का पालन करेंगे।	
(3)	'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' में प्रायोजक (स्पॉन्सर) की कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए		एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ में कम से कम 40% की हिस्सेदारी प्रायोजक (स्पॉन्सर) की रहेगी: परंतु यह कि यदि किसी व्यक्ति के पास 'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ के 40% की या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी हो, तो उसे प्रायोजक (स्पॉन्सर) माना जाएगा, और उसे इन विनियमों में निर्धारित किए गए पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना होगा।	

(4)	प्रायोजक (स्पॉन्सर), 'म्यूचुअल फंड लाइट' और / या 'म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशकों या म्यूचुअल फंड लाइट और / या म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) के लिए 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' संबंधी मानदंड	प्रायोजक (स्पॉन्सर) को या 'म्यूचुअल फंड लाइट' और 'म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी' के किसी निदेशक को या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) को किसी धोखाधड़ी का दोषी न पाया गया हो या किसी अपराध (जिसमें ऐसा कोई कार्य करना भी शामिल है जो नैतिक रूप से सही न हो) या किसी आर्थिक अपराध का दोषी न ठहराया गया हो;
(5)	ट्रस्टीज़ की नियुक्ति	'एमएफ लाइट' के ट्रस्टीज़ के तौर पर ट्रस्टीज़ की नियुक्ति विनियमों (रेग्युलेशन्स) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी;
(6)	एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी की नियुक्ति	'एमएफ लाइट' का संचालन करने के लिए और ऐसे फंडों की स्कीम के संचालन के लिए 'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नियुक्ति इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी;
(7)	कस्टोडियन की नियुक्ति	'म्यूचुअल फंड लाइट' के पास पड़े शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) या वस्तुओं (गुड्स) या सोने या सोने से जुड़े इन्स्ट्रूमेंट या चाँदी या चाँदी से संबंधित इन्स्ट्रूमेंट या किन्हीं दूसरे असेट्स [जो इन विनियमों के अनुसार रखे गए हों] को संभालकर रखने (की कस्टडी) के लिए और साथ ही कस्टडी से संबंधित ऐसी दूसरी सेवाएँ [जो देने के लिए उसे ट्रस्टी द्वारा प्राधिकृत किया जाए] प्रदान करने के लिए कस्टोडियन की नियुक्ति की जाएगी।
(8)	अन्य शर्तें	इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली दूसरी शर्तों का भी पालन करना होगा

58. म्यूचुअल फंड की पैसिव स्कीमों को 'म्यूचुअल फंड लाइट' में लेकर जाना (ट्रांसफर करना)

- (1) प्रायोजक (स्पॉन्सर) को इन विनियमों के अध्याय - II के तहत म्यूचुअल फंड के रूप में रजिस्टर होने की अनुमति दी जाएगी, और इस अध्याय के तहत 'म्यूचुअल फंड लाइट' के रूप में अलग से रजिस्टर होने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन किया जाए।
- (2) म्यूचुअल फंड का मौजूदा प्रायोजक (स्पॉन्सर) अपनी पैसिव स्कीमों (जो 'म्यूचुअल फंड लाइट स्कीम' बनने के लिए पात्र हों) को मौजूदा म्यूचुअल फंड से उस 'म्यूचुअल फंड लाइट' में लेकर जा सकेगा (ट्रांसफर कर सकेगा) जो उसी प्रायोजक की समूह (ग्रुप) एंटिटी की हों, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन किया जाए।
- (3) यदि कोई मौजूदा प्रायोजक (स्पॉन्सर) अपनी पैसिव स्कीमों में अपने मौजूदा म्यूचुअल फंड से 'म्यूचुअल फंड लाइट' में लेकर जाए (ट्रांसफर करे), तो इस प्रकार ट्रांसफर किए जाने के बाद मौजूदा म्यूचुअल फंड ऐसी कोई पैसिव स्कीमों नहीं लाएगा जो 'म्यूचुअल फंड लाइट' की स्कीमों बनने के लिए पात्र हों।

59. म्यूचुअल फंड के तौर पर पहले मिला हुआ रजिस्ट्रेशन वापस सौंपकर म्यूचुअल फंड लाइट के तौर पर रजिस्टर होना

यदि कोई मौजूदा म्यूचुअल फंड केवल 'म्यूचुअल फंड लाइट' की स्कीमों लाना चाहता हो, तो वह अपना मौजूदा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंपकर इस अध्याय के तहत 'म्यूचुअल फंड लाइट' बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उन शर्तों का पालन करना होगा और उसके लिए उसे वही तरीका अपनाना होगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

60. ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करवाना

'म्यूचुअल फंड लाइट' का गठन एक ट्रस्ट (न्यास) के रूप में किया जाएगा, और जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत विधिवत रूप से ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) रजिस्टर करवानी होगी (जैसा बोर्ड द्वारा बताया गया है), और यह दस्तावेज 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा उन ट्रस्टीज़ के पक्ष में बनाया जाएगा जिनका जिक्र उस दस्तावेज में किया गया हो।

61. ट्रस्टी की नियुक्ति

- (1) किसी एक डिबेंचर ट्रस्टी को एक से ज्यादा 'म्यूचुअल फंड लाइट' के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

- (2) 'म्यूचुअल फंड लाइट' का ट्रस्टी एक स्वतंत्र एंटीटी होगा, और जो संबंधित 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के प्रायोजक या उसके प्रबंधक (मैनेजर) का सहयोगी (असोसिएट) नहीं होगा।
- (3) कोई भी डिबेंचर ट्रस्टी इस अध्याय के तहत एक ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 [सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) रेग्यूलेशन्स, 1993] में 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' के संबंध में निर्धारित किए हुए मानदंडों पर खरा न उतरे।
- (4) ट्रस्टी के पास उतनी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ (उतना इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा), उतने कर्मचारी होंगे, उतने सिस्टम आदि होंगे, जितने ट्रस्टी को इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार अपने कर्तव्य सही ढंग से निभाने के लिए चाहिए।

62. ट्रस्टी के अधिकार और दायित्व

(1) असेट मैनेजमेंट कंपनी को नियुक्त करना और उसे हटाना

- (क) ट्रस्टी, बोर्ड से पहले मंजूरी लेकर, 'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' नियुक्त करेंगे और 'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट (निवेश प्रबंध करार) करेंगे।
- (ख) इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट में वे प्रावधान किए जाएँगे जो बोर्ड द्वारा बताए जाएँ और साथ ही ऐसे दूसरे प्रावधान भी किए जाएँगे जो न केवल निवेश करने के लिहाज से जरूरी हों, बल्कि जो इस लिहाज से भी जरूरी हों कि 'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के कामकाज निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से चलें।
- (ग) यदि ट्रस्टीज़ का यह मानना हो कि 'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का कारोबार इन विनियमों के अनुसार नहीं चल रहा है या उससे यूनिटधारकों के हित को नुकसान पहुँच रहा है, तो ऐसे में वे तुरंत जरूरी कदम उठाएँगे (हालाँकि वे असेट मैनेजमेंट कंपनी को नहीं हटाएँगे), और इस मामले की जानकारी तुरंत बोर्ड को देंगे और साथ ही बोर्ड को यह भी बताएँगे कि उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की।
- (घ) ट्रस्टीज़ द्वारा असेट मैनेजमेंट कंपनी को निम्नलिखित परिस्थितियों में ही (जब कुछ खास हो जाए) हटाया जा सकेगा, और ऐसा केवल बोर्ड से मंजूरी लेने के बाद ही किया जा सकेगा:
 - (i) यदि ट्रस्टीज़ को किन्हीं वजहों से ऐसा लगे कि असेट मैनेजमेंट कंपनी इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके अपने कामकाज कर रही है, तो ऐसे में वे खुद से ऐसा कर सकेंगे; या
 - (ii) असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा ऐसा अनुरोध किए जाने पर, ट्रस्टीज़ ऐसा कर सकेंगे।

स्पष्टीकरण: असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में यह तभी माना जाएगा कि उसे हटा दिया गया है, जब ट्रस्टीज़ ने कामकाज से उसे हटाए जाने के संबंध में किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया हो और अपना यह निर्णय असेट मैनेजमेंट कंपनी को लिखित रूप में सूचित कर दिया हो।

(2) हितों के टकराव की स्थिति से निपटना:

ट्रस्टीज़ यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे कि हितों के टकराव की ऐसी कोई स्थिति पैदा न हो (असेट मैनेजमेंट कंपनी के स्तर पर भी), और ऐसा करते समय वे:

- (क) यह सुनिश्चित करेंगे कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' अपने किसी भी सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) को किसी भी तरह का कोई अनुचित फायदा न पहुँचाए या इस तरह के लेनदेन (ट्रांजेक्शन) न करे कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों को नुकसान पहुँचे;
- (ख) 'म्यूचुअल फंड लाइट' और 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' या उसके सहयोगियों (असोसिएट) के बीच हुए लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के संबंध में 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे;
- (ग) ट्रस्टीज़ 'म्यूचुअल फंड लाइट' द्वारा प्रायोजक (स्पॉन्सर) की समूह (ग्रुप) कंपनियों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए निवेश के संबंध में 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करेंगे और उन पर अपनी टिप्पणियाँ देंगे।

(3) विनियमों आदि के प्रावधानों का पालन करना और ट्रस्टी की जिम्मेदारियाँ

- (क) ट्रस्टीज़ के पास यह अधिकार होगा कि वे 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' से ऐसी कोई भी जानकारी माँग सकें, जो भी उन्हें जरूरी लगे।
- (ख) ट्रस्टी इस अध्याय तथा ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के अनुसार संबंधित 'म्यूचुअल फंड लाइट स्कीमों' के फंड और संपत्ति के लिए जिम्मेदार होंगे, और उनके कस्टोडियन भी होंगे, और जो उन्हें यूनिटधारकों के हित में ट्रस्ट में रखेंगे।

(4) निवेशकों के हित में ट्रस्टी द्वारा नज़र रखा जाना

- (क) ट्रस्टीज़ चौथी अनुसूची के भाग-क में दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन करेंगे।
- (ख) ट्रस्टीज़ यूनिटधारकों की सहमति लेंगे:

- (i) जब भी बोर्ड यूनिटधारकों के हित में ऐसा करने को कहे;
 - (ii) जब भी किसी 'म्यूचुअल फंड लाइट स्कीम' के तीन-चौथाई यूनिटधारक ऐसा करने को कहें;
या
 - (iii) जब ज्यादातर ट्रस्टीज़ विनियम 36 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के अनुसार किसी स्कीम को बंद (वाइंड अप) करने का निर्णय ले लें या फिर 'क्लोज़ एंडेड स्कीम' (सीमित अवधि वाली स्कीम) की यूनिटों की मीयाद पूरी होने से पहले ही उन्हें रिडीम करने का निर्णय ले लें।
- (ग) ट्रस्टीज़ 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के यहाँ अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) द्वारा अपने नाम पर या 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के नाम पर शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के ब्यौरे मंगवाएंगे, और जरूरत पड़ने पर इसकी जानकारी बोर्ड को देंगे।
- (घ) ट्रस्टीज़ इस बात की समय-समय पर समीक्षा करेंगे कि निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति क्या है और 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा उन शिकायतों का निवारण किया जा रहा है या नहीं।

(5) ट्रस्टी किस-किस तरह से नज़र बनाए रखेंगे

- (क) ट्रस्टी यूनिटधारकों के हित में 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के कामकाज पर नज़र रखेगा और उसके कामकाज के संबंध में तथा लागू विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों के पालन की स्थिति के संबंध में समय-समय पर रिपोर्ट लेगा, उसी तरह जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।
- (ख) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्ट की संपत्ति पर कोई आँच न आए, और जो सही लोगों के हाथों में रहे और वे उसे सही ढंग से संभालें, और साथ ही साथ इस काम के लिए जितने लोगों की जरूरत हो उतने लोग इस काम में लगाए जाएँ।
- (ग) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' अपनी नेटवर्थ की रकम का इस तरह से निवेश करेगी कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों पर कोई आँच न आए।
- (घ) ट्रस्टीज़ यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएँगे कि 'म्यूचुअल फंड लाइट' द्वारा लेनदेन (ट्रांजेक्शन) ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के प्रावधानों के अनुसार किए जाएँ।
- (ङ) यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के नियंत्रण (कंट्रोल) में कोई बदलाव होता है, तो ट्रस्टी उसके संबंध में अपनी सहमति देगा।
- (च) ट्रस्टी उन मामलों के संबंध में भी पूरी एह्तियात बरतेंगे, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

- (6) ट्रस्टीज़ को उन कार्यों आदि के लिए तब जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, जब उन्होंने सही नीयत से वे कार्य आदि करते समय पूरी एहतियात बरती हो और ट्रस्ट डीड के अनुसार कार्य किए हों।

63. 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' और उसके कर्मचारियों के दायित्व

(1) निदेशकों की नियुक्ति

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशक प्रायोजक (स्पॉन्सर) द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और प्रायोजक ये नियुक्तियाँ पूरी जाँच-परख करके ही करेगा।

(2) निवेश और कामकाज के संबंध में एहतियात बरतना

- (क) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी और पूरी जाँच-परख करेगी कि किसी 'म्यूचुअल फंड लाइट स्कीम' के फंड के निवेश के मामले में इन विनियमों और ट्रस्ट डीड के प्रावधानों का उल्लंघन न किया जाए।
- (ख) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के समस्त कार्य आदि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हों।

(3) व्यवस्थाएँ और कर्मचारी

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल कोई भी स्कीम लाने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' –

- (i) के यहाँ बैंक ऑफिस, डीलिंग रूम और लेखा-जोखा (अकाउंटिंग) की पर्याप्त व्यवस्था हो;
- (ii) ने स्कीम (स्कीमों) हेतु सभी अहम पदों पर नियुक्तियाँ [जिनमें फंड मैनेजर (मैनेजरों) की नियुक्ति भी शामिल है] कर ली हों, और बायोडाटा (जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता और सिक्यूरिटीज़ मार्केट में उनके अनुभव के ब्यौरे दिए हुए हों), उन्हें नियुक्त किए जाने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर, ट्रस्टीज़ के पास प्रस्तुत कर दिया हो;
- (iii) ने अपने खातों (अकाउंट्स) का ऑडिट (की लेखापरीक्षा) करवाने के लिए ऑडिटर्स की नियुक्ति कर ली हो;
- (iv) ने एक अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) की नियुक्ति कर ली हो, जो इस पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा कि अधिनियम, बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, अनुदेशों आदि का पालन हो रहा है या नहीं और निवेशकों की शिकायतों का निवारण हो रहा है या नहीं;

- (v) ने उस इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को नियुक्त कर लिया हो जो रजिस्टर हो और उसने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 2025 के तहत और उनके कामकाज पर नज़र रखने हेतु मानदंड भी निर्धारित कर लिए हों;
- (vi) ने प्रावधानों आदि के पालन हेतु एक मैनुअल तैयार कर लिया हो और आंतरिक स्तर पर एक नियंत्रण व्यवस्था भी (जिसमें आंतरिक स्तर पर ऑडिट की व्यवस्था भी शामिल है) निर्धारित कर ली हो;
- (vii) ने ब्रोकरों और मार्केटिंग एजेंटों को सूची में शामिल करने (के एम्प्लैनलमेंट) हेतु मानदंड निर्धारित कर लिए हों; और
- (viii) ने इन विनियमों के अनुसार (जहाँ कहीं भी जरूरी हो) उस (उन) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी, उस एक्सचेंज (उन एक्सचेंजों) द्वारा बताए गए तरीके से, ले ली हो, जहाँ यूनिटों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो।

(4) अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) और कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ

(क) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) [फिर चाहे पदनाम जो भी हो] यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (i) 'म्यूचुअल फंड लाइट' इन विनियमों के प्रावधानों का और संबंधित दिशानिर्देशों व परिपत्रों (सर्कुलर) का पालन करे;
- (ii) फंड मैनेजर्स द्वारा निवेश यूनिटधारकों के हितों को ध्यान में रखकर ही किए जाएँ;
- (iii) 'म्यूचुअल फंड लाइट' के यहाँ जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) की समूची व्यवस्था व्यापक स्तर पर रहे; और
- (iv) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के यहाँ फंड मैनेजर्स और डीलर्स के लिए दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) [जो इन विनियमों की चौथी अनुसूची के भाग-ख में दी हुई है] का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों, और यदि इस आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन किया जाता हो, तो उसकी जानकारी 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशक मंडल को और उसके ट्रस्टीज़ को तुरंत दी जाए।

(ख) फंड मैनेजर [फिर चाहे पदनाम जो भी हो, और जिसमें मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर) भी शामिल है] फंड मैनेजर्स और डीलर्स के लिए दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) [जो चौथी अनुसूची के भाग-ख में दी हुई है] का पालन करेंगे, और ट्रस्टीज़ के पास प्रत्येक तिमाही में इस बात की पुष्टि

प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने उपरोक्त आचार संहिता का पालन किया है या जिन-जिन मदों का पालन नहीं किया (यदि कोई हों) उनकी सूची देंगे।

(ग) डीलर (फिर चाहे पदनाम जो भी हो) फंड मैनेजरो और डीलरों के लिए दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) [जो इन विनियमों की चौथी अनुसूची के भाग-ख में दी हुई है] का पालन करेंगे, और ट्रस्टीज़ के पास प्रत्येक तिमाही में इस बात की पुष्टि प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने उपरोक्त आचार संहिता का पालन किया है या जिन-जिन मदों का पालन नहीं किया (यदि कोई हों) उनकी सूची देंगे।

(घ) जिस अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) को विनियम 63 के उप-विनियम (3) के खंड (iv) के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वह उस मामले की सूचना स्वयं और तुरंत बोर्ड को देगा जहाँ उसे यह पता चले कि किसी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है।

(5) वित्तीय लेनदेन (फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन) और जानकारी देना (डिस्कलोज़र करना):

(क) ब्रोकरेज के लेनदेन (ट्रांजेक्शन)

(i) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' यह सुनिश्चित करेगी कि जो स्टॉक ब्रोकर स्पॉन्सर का सहयोगी (असोसिएट) हो उस स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से, शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की जो भी खरीद या बिक्री हो, वह 'म्यूचुअल फंड लाइट' द्वारा उसकी सभी स्कीमों के अंतर्गत खरीदे या बेचे गए शेयरों आदि के कुल मूल्य के औसतन दस प्रतिशत से अधिक न हो।

(ii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' यह वचन प्रस्तुत करेगी कि जो स्टॉक ब्रोकर स्पॉन्सर का सहयोगी (असोसिएट) न हो, उसके माध्यम से शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की जो खरीद या बिक्री हो अगर वह 'म्यूचुअल फंड लाइट' द्वारा उसकी सभी स्कीमों के अंतर्गत खरीदे व बेचे गए शेयरों आदि के कुल मूल्य के औसतन पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो जाए, तो ऐसा तभी किया जा सकेगा जब पच्चीस प्रतिशत की सीमा पार होने का औचित्य लिखित रूप में दर्ज किया जाए, और इस प्रकार किए जाने वाले समस्त निवेश की रिपोर्टें ट्रस्टीज़ को तिमाही आधार पर दी जाए।

स्पष्टीकरण: खंड (i) एवं (ii) में बताई गई सीमाएँ तीन महीनों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु लागू होंगी, और ये सीमाएँ निकालते समय 'म्यूचुअल फंड लाइट' द्वारा जारी की गई यूनिटों की बिक्री व उनके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित लेनदेन (ट्रांजेक्शन) को नहीं गिना जाएगा।

(6) कहाँ-कहाँ कितना-कितना निवेश किया गया है, इस संबंध में जानकारी (डिस्कलोज़र) देना:

यदि किसी कंपनी ने किसी स्कीम में उस स्कीम के एन.ए.वी. (शुद्ध आस्ति मूल्य / नेट असेट वैल्यू) के पाँच प्रतिशत से ज्यादा का निवेश किया हुआ हो, तो ऐसे में उस स्कीम द्वारा या उसी 'म्यूचुअल फंड लाइट' की किसी दूसरी स्कीम द्वारा उस कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरीज़) में जो भी निवेश किया जाए उसकी जानकारी 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा ट्रस्टीज़ को दी जाएगी, और साथ ही वह जानकारी संबंधित स्कीमों के वार्षिक खातों (अकाउंट्स) में भी दी जाएगी (इस प्रकार किए गए निवेश का औचित्य बताते हुए), और यह जानकारी तब देनी होगी जब उस कंपनी द्वारा उस तरह किया गया निवेश पहली बार किए गए निवेश की तारीख से एक वर्ष पहले या बाद में किया गया हो।

(7) रिपोर्ट आदि करना और नज़र रखना**(क) निदेशक और अहम पदों पर बैठे व्यक्ति (की पर्सोनेल) के बारे में दी जाने वाली जानकारी (डिस्कलोज़र):****(i) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' ट्रस्टीज़ और बोर्ड के पास -**

क. अपने सभी निदेशकों को नियुक्त किए जाने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर, उनका पूरा बायो-डाटा प्रस्तुत करेगी और साथ ही यह जानकारी भी देगी कि उनका दूसरी किन-किन कंपनियों में कितना-कितना हित (इंटरेस्ट) है;

ख. निदेशकों के हितों में हुए किसी बदलाव के संबंध में छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

ग. ट्रस्टीज़ के पास एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें 'म्यूचुअल फंड लाइट' द्वारा उस तिमाही के दौरान, यथास्थिति, प्रायोजक (स्पॉन्सर) या 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की समूह (ग्रुप) कंपनियों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में की गई खरीद और बिक्री के ब्यौरे (पर्याप्त औचित्य के साथ) दिए जाएँ।

(ii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का प्रत्येक निदेशक शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए अपने लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) के ब्यौरे ट्रस्टीज़ के पास, बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, हर तिमाही में प्रस्तुत करेगा।

(iii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' अपने यहाँ अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनेल) द्वारा अपने नाम पर या असेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) के ब्यौरे ट्रस्टीज़ के पास प्रस्तुत करेगी, और जरूरत पड़ने पर इसकी जानकारी बोर्ड को देगी।

(ख) निदेशक मंडल द्वारा नज़र रखा जाना:

- (i) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के साथ-साथ 'म्यूचुअल फंड लाइट की स्कीमों' के स्तर पर जोखिम से निपटने के संबंध में की गई समूची व्यवस्था की जिम्मेदारी 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशक मंडल की होगी।
- (ii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि –
 - क. 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' पूरी जाँच-परख करके ही ब्रोकरों को सूची में शामिल करे, ब्रोकरों के साथ शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए जाने वाले लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) पर पूरी नज़र रखे, और कुछेक ब्रोकरों को ही हद से ज्यादा काम न सौंपे;
 - ख. 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' किसी भी सहयोगी (असोसिएट) को किसी भी तरह का कोई अनुचित फायदा न पहुँचाए या किसी भी सहयोगी के साथ इस तरह से डील न करे कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों को नुकसान पहुँचे;
 - ग. 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' जो भी लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) करे, वे इन विनियमों और संबंधित स्कीमों के अनुसार ही हों;
 - घ. म्यूचुअल फंड लाइट द्वारा किए जाने वाले लेनदेन ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के प्रावधानों के अनुसार हों;
 - ङ. 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' 'म्यूचुअल फंड लाइट स्कीमों' इस तरह से चलाए कि उसका दूसरे कार्यों आदि से कोई सरोकार न रहे, और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की किसी एक स्कीम के निवेशकों के हितों पर उसकी किसी दूसरी स्कीम के निवेशकों के हितों की वजह से या फिर उसके दूसरे कार्यों आदि की वजह से कोई आँच न आए;
 - च. 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ की हर तिमाही में समीक्षा की जाए, ताकि विनियम 57 के उप-विनियम (1) के खंड (ङ) में बताई गई सीमा का हमेशा पालन सुनिश्चित होता रहे;
 - छ. सेवाएँ लेने हेतु जो भी करार आदि [जैसे कि असेट्स को संभालकर रखने (की कस्टडी) के संबंध में और शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को अंतरित (ट्रांसफर) करने के संबंध में ट्रांसफर एजेंसी हेतु किए जाने वाले करार आदि] किए जाएँ, वे यूनिटधारकों के हितों को ध्यान में रखकर किए जाएँ और साथ ही इस बात पर भी नज़र रखी जाए कि कामकाज इन करारों आदि के अनुसार हो रहा है या नहीं;

- ज. 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा अपनी नेटवर्थ की रकम का इस तरह से निवेश किया जाए कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों पर कोई आँच न आए;
- झ. निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और उन शिकायतों का निवारण किया जाए;
- ञ. सेवा प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों (सभी सर्विस प्रोवाइडर) के पास या तो बोर्ड से या फिर संबंधित विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) से मिले वे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) अवश्य हों जो वही सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में मिले हों जो सेवाएँ वे प्रदान करने वाले हों;
- ट. 'म्यूचुअल फंड लाइट' के संबंध में यदि कुछ नया हो जाए, तो उसकी जानकारी बोर्ड को तुरंत दी जाए;
- ठ. 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा ट्रस्टीज़ के पास प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें पूरी जाँच-परख करके ही प्रस्तुत की जाएँ; और
- ड. उन मामलों के संबंध में भी पूरी एह्तियात बरती जाए, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(8) ईमानदारी से कामकाज करना और निवेशकों के हितों का संरक्षण करना

(क) गलत कार्यों आदि को रोकना:

- (i) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' ऐसे किसी व्यक्ति को किसी अहम पद पर नियुक्त नहीं करेगी, जिसे किसी आर्थिक अपराध का दोषी पाया गया हो या जो प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में शामिल रहा हो।
- (ii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के कर्मचारियों ने या असेट मैनेजमेंट कंपनी ने जिन व्यक्तियों की सेवाएँ ली हों उन व्यक्तियों ने, इन विनियमों के तहत कार्य आदि करते समय जो कुछ भी किया हो या करने में जो भी चूक की हो, उसके लिए 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' जिम्मेदार रहेगी, और इनमें शामिल है – लापरवाही बरतना, जिम्मेदारी न निभाना, या लागू कानूनी प्रावधानों का पालन न करना।
- (iii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' चौथी अनुसूची के भाग-क में दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन करेगी।

(ख) बाजार के गलत इस्तेमाल करने का इरादा रखने वालों में भय पैदा करना:

- (i) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' अपने यहाँ एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था निर्धारित करेगी, उसे अमल में लाएगी और उसे कायम रखेगी (जैसा बोर्ड बताए), जिससे कि जहाँ कहीं भी बाजार के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश लग रही हो उन मामलों [जिनमें फ्रंट-रनिंग के मामले और धोखाधड़ी करने के इरादे से शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करने के मामले भी शामिल हैं] का पता लगाया जा सके और ऐसा करने वालों में भय पैदा किया जा सके।
- (ii) बाजार का गलत इस्तेमाल [जिनमें फ्रंट-रनिंग के मामले और धोखाधड़ी करने के इरादे से शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करने के मामले भी शामिल हैं] करने वालों में भय पैदा करने के लिए इस प्रकार 'म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी' के यहाँ जो संस्थागत व्यवस्था निर्धारित की गई हो, उसे अमल में लाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) या प्रबंध निदेशक (मैनिजिंग डायरेक्टर) [या ऐसे ही ओहदे वाले किसी दूसरे व्यक्ति] और मुख्य अनुपालन अधिकारी (चीफ कंपलायंस ऑफिसर) की होगी।

(ग) पर्दाफाश करने के संबंध में नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी):

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' पर्दाफाश करने के संबंध में लिखित रूप में एक नीति निर्धारित करेगी, उसके अनुसार प्रक्रियाओं को अमल में लाएगी और उसे कायम रखेगी, जिसके तहत –

- क. कर्मचारियों, निदेशकों, ट्रस्टीज़, और दूसरे स्टैकहोल्डर्स के लिए एक ऐसे गोपनीय माध्यम का प्रावधान किया जाए, जिसके जरिए वे उन मामलों की जानकारी दे सकें, जहाँ धोखाधड़ी करने के इरादे से या गलत तरीके अपनाकर कुछ किए जाने की आशंका हो या फिर विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों या किन्हीं दूसरे कानूनी प्रावधानों आदि का उल्लंघन किए जाने की कोई आशंका हो या फिर संचालन-व्यवस्था (गवर्नेंस) में कहीं किसी गड़बड़ी की आशंका हो, और
- ख. ऐसी प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाएँ, जिनसे कि पर्दाफाश करने वालों पर कोई आँच न आए।

(घ) निवेशक शिकायतें और उनका संरक्षण:

‘म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी’ उसी तरह से और उसी उद्देश्य से एक यूनिटधारक संरक्षण समिति (यूनिटहोल्डर प्रोटेक्शन कमिटी) का गठन करेगी, जैसा बोर्ड बताए।

(9) स्कीम का प्रबंधन (मैनेजमेंट) और मूल्यांकन (वैल्यूएशन)**(क) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट**

- (i) ‘म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी’ उस रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को नियुक्त करेगी, जो बोर्ड से रजिस्टर हो।
- (ii) यदि यूनिटों के ट्रांसफर से संबंधित कार्य आंतरिक स्तर पर किया जाए, तो ऐसे में बाजार में इस कार्य हेतु शुल्क के तौर पर जितनी रकम ली जा रही हो उतनी रकम स्कीम के खर्चों में दिखाई जा सकेगी, और यदि खर्चों के तौर पर उससे ज्यादा रकम दिखाकर स्कीम के खाते से काटी जानी हो, तो उसके संबंध में ट्रस्टीज़ से पहले ही मंजूरी लेनी होगी, और साथ ही वार्षिक खातों (अकाउंट्स) में यह जानकारी भी देनी होगी कि इस प्रकार ज्यादा रकम क्यों दिखाई गई।

(ख) मूल्यांकन करना और जानकारी देना (डिस्कलोज़र करना)

- (i) ‘म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी’ अपनी स्कीम (स्कीमों) द्वारा किए गए निवेश की गणना तथा उसका मूल्यांकन सातवीं अनुसूची में निवेश के मूल्यांकन के संबंध में निर्धारित किए हुए मानदंडों के अनुसार करेगी, और साथ ही उसकी जानकारी सभी के लिए उपलब्ध करवाएगी।
- (ii) यदि गलत तरीके से किए गए मूल्यांकन की वजह से किसी निवेशक के साथ भेदभाव हो जाए, तो ऐसे में ‘म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी’ तथा ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ के प्रायोजक (स्पॉन्सर) को निवेशकों और / या स्कीम को भरपाई करनी होगी।

(ग) स्कीम की बुनियादी विशेषताओं में बदलाव:

‘म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी’ यह सुनिश्चित करेगी कि तब तक किसी स्कीम की बुनियादी विशेषताओं में, देय फीस और खर्चों आदि में कोई भी बदलाव न किया जाए और या फिर ऐसा कोई बदलाव न किया जाए जिससे कि स्कीम में बुनियादी तौर पर कोई बदलाव हो जाए और जिससे यूनिटधारकों के हितों पर असर पड़े, जब तक कि, -

- क. किए जाने वाले बदलाव की सूचना लिखित रूप में (जिसमें डिजिटल माध्यम जैसे ईमेल/एसएमएस आदि के जरिए दी जाने वाली सूचना भी शामिल है) प्रत्येक यूनिटधारक को न दे दी जाए;
- ख. वह समस्त जानकारी 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की वेबसाइट पर सही तरीके से न डलवा दी जाए, जो भी बोर्ड डलवाने को कहे; और
- ग. मौजूदा एन.ए.वी. पर अपना पैसा निकालने का विकल्प न यूनिटधारकों को प्रदान कर दिया जाए, और जिसके लिए कोई शुल्क (एग्जिट लोड) भी न लिया जाए।

(घ) आमदनी की गणना:

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी', किसी स्कीम के यूनिटधारकों के लिए, 'म्यूचुअल फंड लाइट' को अदा की जाने वाली रकम और 'म्यूचुअल फंड लाइट' को प्राप्त होने वाली रकम की गणना, इन विनियमों तथा ट्रस्ट डीड के अनुसार करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(ङ) दायरा:

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' भारत के बाहर म्यूचुअल फंड लाइट से संबंधित फंड मैनेजमेंट का कार्य नहीं करेगी या फिर लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) नहीं करेगी, हालाँकि जहाँ दूसरे देशों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने हेतु ट्रेड किए जाने हों वहाँ ऐसा किया जा सकेगा।

(10) जवाबदेही बने रहना

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' या उसके निदेशक या दूसरे अधिकारी 'म्यूचुअल फंड लाइट' के प्रति उन कार्यों आदि के मामले में जवाबदेही से बरी नहीं होंगे जो भी उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए हों और साथ ही कार्य करते समय की गई चूकों के प्रति भी अपनी जवाबदेही से बरी नहीं होंगे, फिर भले ही ऐसा उन्होंने किसी करार आदि का पालन करते हुए किया हो या फिर वे करार आदि समाप्त हो गए हों।

(11) सहयोगियों (असोसिएट) / प्रायोजक (स्पॉन्सर) के साथ लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन):

यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' अपने किसी सहयोगी (असोसिएट) के साथ किन्हीं भी शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करे, तो इसकी एक रिपोर्ट ट्रस्टीज़ को उनकी अगली बैठक में दी जाएगी।

(12) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' पर अन्य पहलुओं के लिहाज से भी नज़र बनाए रखना

(क) यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की किसी स्कीम में काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिले, तो ऐसे में उस 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल इस बात की समीक्षा करेगा कि उस 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की कोई जरूरत है भी या नहीं; और साथ ही वह 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' को नई स्कीम में लाने की अनुमति भी नहीं देगा।

(ख) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डाइरेक्टर) निम्नलिखित बातों (जो भी लागू हों) पर खास ध्यान देंगे, यानि कि:-

- (i) इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर और इस करार के तहत अदा की जाने वाली रकम पर;
- (ii) सहयोगियों (असोसिएट) के साथ किए जाने वाले सर्विस कॉण्ट्रैक्ट पर और इस पर कि क्या 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' वैसी ही सेवाएँ प्रदान करने वाले बाहरी ठेकेदारों की तुलना में ज्यादा फीस तो नहीं ले रही;
- (iii) असेट मैनेजमेंट कंपनी के यहाँ स्वतंत्र निदेशकों के चयन पर;
- (iv) इस पर कि सहयोगियों (असोसिएट) के साथ शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन की अनुमति है;
- (v) इस पर कि स्वतंत्र निदेशकों के खाली पदों को भरने के लिए व्यक्तियों का चयन और उनका नामांकन किस प्रकार किया जा रहा है;
- (vi) इस पर कि सदाचार संहिता आदि इस तरह से निर्धारित की जाए कि इनसाइडर शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करते समय गलत तरीके अपनाकर धोखाधड़ी या हेराफेरी न कर सकें;
- (vii) इस पर कि सेवाएँ प्रदान करने की एवज में प्रायाजकों (स्पॉन्सर) को, 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' को तथा किसी दूसरे को वाजिब फीस अदा की गई है; और
- (viii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के सहयोगियों (असोसिएट) के साथ किए जाने वाले सर्विस कॉण्ट्रैक्ट पर।

(13) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशक मंडल की बैठक

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशक मंडल (जिसमें उनकी समितियाँ भी शामिल हैं) की बैठकें कम से कम उतने-उतने समय में होंगी, जो बोर्ड बताए, हालाँकि यदि उन्हें जरूरी लगे तो वे और बैठकें भी कर सकेंगे।

(14) निवेशकों के हित में 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' पर नज़र बनाए रखना

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल वार्षिक आधार पर बोर्ड के पास,-

- (क) 'म्यूचुअल फंड लाइट' के कार्यों आदि से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (ख) एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशक मंडल ने इस बात की पुष्टि कर ली है कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के किसी भी ट्रस्टी, निदेशक और अहम पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा सेल्फ-डीलिंग किए जाने और फ्रंट रनिंग किए जाने के कोई मामले सामने नहीं आए हैं; और
- (ग) इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' जो भी स्कीमें चला रही है उनका उसके दूसरे कार्यों से कोई सरोकार नहीं है; और यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' उस तरह के कोई कार्य आदि कर रही हो जिनका जिक्र विनियम 64 के खंड (ख) में किया गया है, तो ऐसे में उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हों कि यूनिटधारकों के हितों पर कोई आंच न आए।

64. असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा और कौन-कौन से कार्य आदि किए जा सकते हैं:

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी',-

- (क) किसी 'म्यूचुअल फंड लाइट' के ट्रस्टी की भूमिका नहीं निभाएगी;
- (ख) पैसिव फंडों आदि में निवेश के सिलसिले में पूल्ड असेट्स को केवल सलाह देने की सेवाएँ प्रदान करने से संबंधित कार्य ही करेगी;
- (ग) खंड (ख) के तहत जो कार्य आदि करने की अनुमति दी गई है, वे कार्य आदि वह या तो स्वयं या फिर अपनी सहयोगी कंपनियों (सब्सिडियरी) कर सकेगी, बशर्ते कि:
 - (i) वह यह सुनिश्चित कर ले कि अलग-अलग कार्यों की वजह से हितों के टकराव की स्थिति पैदा न हो;
 - (ii) इस बात की जानकारी (डिस्क्लोज़र) कि हितों के टकराव की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई, ट्रस्टीज़ को दी जाए और यूनिटधारकों को स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दी जाए;
 - (iii) यदि हितों के टकराव की स्थिति को टालना नामुमकिन हो जाए, तो वह यह सुनिश्चित करे कि इसकी जानकारी (डिस्क्लोज़र) दे दी जाए कि हितों के टकराव की स्थिति पैदा कहाँ से हुई,

इसकी वजह से निवेशकों के हितों को किस तरह का बड़ा खतरा हो सकता है या नुकसान पहुँच सकता है और साथ ही जानकारी देते समय इसके पूरे व्यौरे भी दे दिए जाएँ; और

- (iv) यह सुनिश्चित कर ले कि अहम पद पर बैठा व्यक्ति हितों के टकराव के जिस मामले के संबंध में कार्यवाही कर रहा हो उस मामले में इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे जो मेहनताना मिल रहा हो उसका किसी भी तरह से कोई भी सरोकार उस कार्य से होने वाली आमदनी से न हो।

65. म्यूचुअल फंड लाइट की स्कीमें लाने की प्रक्रिया

‘म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी’ म्यूचुअल फंड लाइट की कोई भी स्कीम तब तक नहीं लाएगी, जब तक कि ‘म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी’ का निदेशक मंडल म्यूचुअल फंड लाइट की वह स्कीम लाने के संबंध में मंजूरी प्रदान न कर दे और बोर्ड के पास ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) की एक प्रति प्रस्तुत न कर दे।

अध्याय – XI

म्यूचुअल फंड के निवेशकों से लिए जाने वाले खर्चे आदि

66. म्यूचुअल फंड की स्कीमों के तहत फीस और खर्चे आदि

- (1) म्यूचुअल फंड की स्कीमों के सिलसिले में सभी तरह के खर्चों आदि का साफ-साफ उल्लेख होना चाहिए और जो स्कीम से ही लिए जाने चाहिए। खर्चे आदि कितने बनते हैं यह तय करते समय बेस एक्सपेंस लिमिट, ब्रोकरेज लिमिट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और कानूनी प्रावधानों के अनुसार अदा किए जाने वाले कर आदि (इन विनियमों के तहत अनुमत सीमाओं के तहत) का खास ध्यान रखना होगा।
- (2) इन विनियमों के अनुसार बेस लिमिट से ज्यादा का कोई खर्चा असेट मैनेजमेंट कंपनी या ट्रस्टीज़ या प्रायोजकों (स्पॉन्सर) को उठाना होगा। यदि असेट मैनेजमेंट कंपनी या ट्रस्टी या प्रायोजकों द्वारा स्कीम के सिलसिले में कोई खर्चा उठाया जाता है, तो ऐसा केवल तभी किया जाएगा जब स्कीम में निवेश व सलाह लेने के संबंध में अदा की गई फीस (इनवेस्टमेंट एवं एड्वाइज़री फीस) पूरी तरह खर्च कर दी जाए।
- (3) न्यू फंड ऑफर लाने से लेकर निवेशकों को म्यूचुअल फंड की यूनिटें आबंटित (अलॉट) किए जाने की तारीख तक के सभी खर्चे असेट मैनेजमेंट कंपनी या ट्रस्टीज़ या प्रायोजक को उठाने होंगे।
- (4) असेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम में निवेश व सलाह लेने के संबंध में अदा की गई फीस (इनवेस्टमेंट एवं एड्वाइज़री फीस) ले सकेगी, जिसकी पूरी जानकारी ऑफर डॉक्यूमेंट में दी जाएगी।
- (5) उप-विनियम (4) में जिस फीस का जिक्र किया गया है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड की स्कीमों से निम्नलिखित खर्चों (बार-बार होने वाले खर्चों) की रकम भी ली जा सकेगी:

- (क) मार्केटिंग और बिक्री करने से संबंधित खर्चे, जिनमें शामिल हैं - म्यूचुअल फंड की स्कीमों के डिस्ट्रीब्यूशन हेतु अदा की गई फीस, कमीशन व शुल्क आदि;
- (ख) ट्रेड पूरे करवाने के संबंध में ब्रोकरेज कॉस्ट;
- (ग) बेची या रिडीम की गई यूनिटें ट्रांसफर करने के संबंध में ली गई रजिस्ट्रार की सेवाओं के सिलसिले में होने वाले खर्चे;
- (घ) ट्रस्टीज़ की फीस और उनसे जुड़े खर्चे;
- (ङ) ऑडिट फीस;
- (च) कस्टोडियन फीस;
- (छ) निवेशकों को सूचना आदि देने के संबंध में हुए खर्चे;
- (ज) एक जगह से दूसरी जगह पैसे (फंड) ट्रांसफर करने में हुए खर्चे;
- (झ) अकाउंट स्टेटमेंट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रावल पे-आउट/रिडेम्पशन चेक और वारंट के संबंध में हुए खर्चे;
- (ञ) फंड द्वारा अदा किया गया बीमा प्रीमियम;
- (ट) किसी स्कीम को बंद (वाइंड अप) किए जाने के संबंध में होने वाले खर्चे;
- (ठ) कानूनी प्रावधानों के अनुसार जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर होने वाले खर्चे;
- (ड) किसी कमोडिटी डेरिवेटिव कॉण्ट्रैक्ट के फिजिकल सेटलमेंट के मामले में अंडरलाइंग वस्तुओं (गुड्स) के स्टोरेज और उसकी हैंडलिंग के संबंध में होने वाले खर्चे या सोने और चाँदी के स्टोरेज और उसकी हैंडलिंग के संबंध में होने वाले खर्चे;
- (ढ) सूचीबद्धता (लिस्टिंग) फीस, यदि स्कीमें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों; और
- (ण) ऐसे अन्य खर्चे, जो बोर्ड बताए या जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा मंजूरी दी जाए।
- (6) असेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड की स्कीमों के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में शुल्क या कमीशन या फीस उसी तरह से अदा करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (7) स्कीम का बेस एक्सपेंस रेशियो उप-विनियम (4), उप-विनियम (5) और उप-विनियम (6) में बताए गए खर्चों को जोड़कर निकाला जाएगा, किंतु इन खर्चों की रकम पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार अदा किए जाने वाले कर आदि (यदि कोई हों) और उप-विनियम (10) में बताए गए ट्रांज़ेक्शन कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाएगा। बेस एक्सपेंस रेशियो के संबंध में निम्नलिखित सीमाएँ लागू होंगी:

(क) क्लोज़ एंडेड स्कीमें (सीमित अवधि वाली स्कीमें)

क्र. सं.	स्कीम की श्रेणी	अधिकतम बेस एक्सपेंस रेशियो - नेट असेट्स के प्रतिशत के रूप में
(i)	इक्विटी ओरिएण्टेड स्कीम (स्कीमें)	1.00%
(ii)	इक्विटी ओरिएण्टेड स्कीम (स्कीमों) को छोड़कर दूसरी स्कीम (स्कीमें)	0.80%

(ख) ओपन एंडेड स्कीमें (असीमित अवधि वाली स्कीमें)

क्र. सं.	स्कीम की श्रेणी	अधिकतम बेस एक्सपेंस रेशियो - नेट असेट्स के प्रतिशत के रूप में
इंडेक्स फंड स्कीम या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड		
(i)	इंडेक्स फंड स्कीम या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	0.90%
फंड ऑफ फंड्स		
(ii)	लिक्विड स्कीमों, इंडेक्स फंड स्कीम और एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में निवेश करने वाले फंड ऑफ फंड्स का एक्सपेंस रेशियो (खर्च अनुपात) [जिसमें अंडरलाइंग स्कीम (स्कीमों) द्वारा लिए जाने वाले एक्सपेंस रेशियो का वेटेड एवरेज शामिल है]	0.90%
(iii)	जिन फंड ऑफ फंड्स का जिक्र उप-विनियम 7(ख)(ii) में किया गया है, उन्हें छोड़कर दूसरे उन फंड ऑफ फंड्स का एक्सपेंस रेशियो जो स्कीम सूचना दस्तावेज (स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) के अनुसार ए.यू.एम. के कम से कम पैसठ प्रतिशत का निवेश इक्विटी ओरिएण्टेड स्कीमों में करता हो [जिसमें अंडरलाइंग स्कीम (स्कीमों) द्वारा लिए जाने वाले एक्सपेंस रेशियो का वेटेड एवरेज शामिल है]	2.10 %

क्र. सं.	स्कीम की श्रेणी	अधिकतम बेस एक्सपेंस रेशियो - नेट असेट्स के प्रतिशत के रूप में
(iv)	ऊपर उप-विनियम 7(ख)(ii) एवं 7(ख)(iii) के दायरे में न आने वाले फंड ऑफ फंड्स का एक्सपेंस रेशियो [जिसमें अंडरलाइंग स्कीम (स्कीमों) द्वारा लिए जाने वाले एक्सपेंस रेशियो का वेटेड एवरेज शामिल है]	1.85 %

(ग) ओपन एंडेड स्कीमें (असीमित अवधि वाली स्कीमें) [उन स्कीमों को छोड़कर जिनका जिक्र विनियम 66 (7)(ख) में किया गया है]

ए.यू.एम. का स्लैब (करोड़ रुपये में)	इक्विटी ओरिएंटेड स्कीमों के लिए बेस एक्सपेंस रेशियो की सीमाएँ	इक्विटी ओरिएंटेड स्कीमों को छोड़कर दूसरी स्कीमों के लिए बेस एक्सपेंस रेशियो की सीमाएँ
दैनिक नेट असेट्स के शुरूआती 500 करोड़ रुपये पर	2.10%	1.85%
दैनिक नेट असेट्स के अगले 250 करोड़ रुपये पर	1.90%	1.65%
दैनिक नेट असेट्स के अगले 1,250 करोड़ रुपये पर	1.60%	1.40%
दैनिक नेट असेट्स के अगले 3,000 करोड़ रुपये पर	1.50%	1.25%
दैनिक नेट असेट्स के अगले 5,000 करोड़ रुपये पर	1.40%	1.15%

दैनिक नेट असेट्स के अगले 40,000 करोड़ रुपये पर	दैनिक नेट असेट्स या उनके किसी हिस्से में जब-जब 5,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो, तब-तब एक्सपेंस रेशियो में 0.05% की कटौती की जाएगी।	
बाकी के असेट्स पर	0.95%	0.70%

परंतु यह कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीमें यह कहें कि वे स्कीम के परफॉर्मेंस के आधार पर बेस एक्सपेंस रेशियो निकालेंगी, उन्हें एक्सपेंस रेशियो के संबंध में निर्धारित किए गए प्रावधानों आदि का पालन करना होगा, और साथ ही उससे संबंधित समस्त जानकारी देनी होगी (डिस्कलोजर करना होगा), जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

- (8) अंडरलाइंग स्कीम के बेस एक्सपेंस रेशियो के वेटेड एवरेज से ज्यादा फंड ऑफ फंड्स जो भी बेस एक्सपेंस रेशियो लेगी, वह अंडरलाइंग स्कीम द्वारा लिए जाने वाले बेस एक्सपेंस रेशियो के वेटेड एवरेज के दुगुने से ज्यादा नहीं होगा, हालाँकि उप-विनियम (7) में फंड ऑफ फंड्स के मामले में बताई गई सीमा का पालन तो करना ही होगा जब तक कि बोर्ड द्वारा अलग से कुछ न बताया जाए।
- (9) म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम बेस एक्सपेंस रेशियो के अलावा, ट्रेड पूरे करवाने के लिए अदा किए गए ब्रोकरेज से संबंधित खर्चे भी ले सकेगी, किंतु जो कैश मार्केट में किए गए लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) के मामले में ट्रेड वैल्यू के 0.06 प्रतिशत और डेरिवेटिव्स में किए गए लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) के मामले में ट्रेड वैल्यू के 0.02 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। तय सीमा से ज्यादा ब्रोकरेज के संबंध में जो खर्चा लिया जाएगा, वह भी उप-विनियम (7) में बताई गई बेस एक्सपेंस रेशियो की सीमा के भीतर लिया जाएगा।
- (10) ट्रेड पूरे करवाने के लिए किए गए ट्रांज़ेक्शन कॉस्ट (लेनदेन पर होने वाले खर्चे) का अर्थ है - विनियमों आदि के प्रावधानों के अनुसार लगने वाले शुल्क और स्टॉक एक्सचेंजों, क्लीयरिंग कारपोरेशन (समाशोधन निगम), और क्लीयरिंग हाउस (यदि लागू हो) द्वारा लिए जाने वाले दूसरे शुल्क आदि। ट्रांज़ेक्शन कॉस्ट बेस एक्सपेंस रेशियो का हिस्सा नहीं होंगे।
- (11) उप-विनियम (4), उप-विनियम (5), उप-विनियम (6), उप-विनियम (9) और उप-विनियम (10) में जिन खर्चों का जिक्र है, उनके अलावा दूसरे कोई खर्चे असेट मैनेजमेंट कंपनी या ट्रस्टी या स्पॉन्सर्स को उठाने होंगे।

67. टोटल एक्सपेंस रेशियो (कुल खर्च अनुपात)

- (1) स्कीम के निवेशकों से लिए जाने वाले समस्त खर्चों की कुल रकम [जिसका उल्लेख 'टोटल एक्सपेंस रेशियो' (कुल खर्च अनुपात) की परिभाषा में किया गया है] इनका जोड़ होगी - विनियम 66 के उप-विनियम (7) में बताई गई बेस लिमिट के दायरे में आने वाले खर्चों की रकम, विनियम 66 के उप-विनियम (9) के अनुसार ली जाने वाली ब्रोकरेज कॉस्ट, ट्रेड पूरे करवाने से संबंधित ट्रांज़ेक्शन कॉस्ट [जिसका जिक्र विनियम 66 के उप-विनियम (10) में किया गया है] और कानूनी प्रावधानों के अनुसार निवेशकों से लिए जाने वाले कर आदि की रकम।
- (2) बेस एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज कॉस्ट, ट्रांज़ेक्शन कॉस्ट, कानूनी प्रावधानों के अनुसार लिए जाने वाले कर आदि और एग्जिट लोड (शुल्क आदि सहित – जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए) को छोड़कर कोई दूसरे खर्च आदि निवेशकों से नहीं लिए जाएंगे।

अध्याय - XII**म्यूचुअल फंड की स्कीमों की वार्षिक रिपोर्ट****68. म्यूचुअल फंड की स्कीमों की वार्षिक रिपोर्ट**

प्रत्येक म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) या असेट मैनेजमेंट कंपनी (ए.एम.सी.) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, स्कीमों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जैसा नवीं अनुसूची में बताया गया है और जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

69. ऑडिटर (लेखापरीक्षक) की रिपोर्ट

- (1) प्रत्येक म्यूचुअल फंड अपने वार्षिक लेखा विवरण का ऑडिट ऐसे ऑडिटर से करवाएगा, जिसका ए.एम.सी. के ऑडिटर (लेखापरीक्षक) से कोई सरोकार न हो।
स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम और विनियम 79 के सिलसिले में, "ऑडिटर" का अर्थ है – वह फर्म, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008) के तहत बनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (सीमित दायित्व भागीदारी) भी शामिल है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 के तहत कंपनी के खातों (अकाउंट्स) का ऑडिट करने के लिए पात्र और योग्यताप्राप्त (क्वालिफाइड) हो।
- (2) ट्रस्टीज़ द्वारा नियुक्त किया गया ऑडिटर अपनी रिपोर्ट ट्रस्टीज़ के पास प्रस्तुत करेगा और वह रिपोर्ट म्यूचुअल फंड की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।

(3) ऑडिटर की रिपोर्ट में इस बात का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि:

- (क) उसने वह सारी जानकारी ले ली है और वे समस्त स्पष्टीकरण ले लिए हैं, जो उसकी जानकारी और विश्वास के हिसाब से ऑडिट करने के लिए जरूरी थे;
- (ख) बैलेंस शीट (तुलन-पत्र) और रेविन्यू अकाउंट से न केवल स्कीम की, बल्कि उसके कामकाज की भी सही-सही तस्वीर पेश हो रही है, और साथ ही तुलन-पत्र या रेविन्यू अकाउंट में संबंधित अवधि के आँकड़ों में यह भी दर्शाया गया है कि उस अवधि के दौरान फंड मुनाफे (सरप्लस) में रहे या घाटे (डेफिसिट) में; और
- (ग) खाते (स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट) अकाउंटिंग की उन्हीं नीतियों और मानदंडों (अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) के आधार पर तैयार किए हैं, जैसा आठवीं अनुसूची में बताया गया है।

अध्याय - XIII

यूनिटधारकों और बोर्ड को दी जाने वाली जानकारी

70. निवेशकों को दी जाने वाली जानकारी (किए जाने वाले डिस्कलोज़र)

(1) यूनिटधारकों को म्यूचुअल फंड की स्कीमों की वार्षिक रिपोर्ट डिस्कलोज़ करना

- (क) ए.एम.सी. म्यूचुअल फंड की हर स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट या उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट डिजिटल रूप में, संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख से चार महीनों के भीतर, सभी यूनिटधारकों को उसी प्रकार भेजेगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (ख) वार्षिक रिपोर्ट और उसकी हर स्कीम की संक्षिप्त रिपोर्ट में वह जानकारी भी दी जाएगी जिसका जिक्र नवीं अनुसूची में किया गया है और साथ ही दूसरी जरूरी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे कि म्यूचुअल फंड के कामकाज की सही-सही तस्वीर पेश हो।
- (ग) किसी यूनिटधारक की ओर से अनुरोध प्राप्त होने पर, ए.एम.सी. वार्षिक रिपोर्ट (जो उसी फॉर्मेट में तैयार की जाए जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए) के संक्षिप्त रूप की कागज़ी प्रति (फिजिकल कॉपी) बिना कोई शुल्क आदि लिए उपलब्ध करवाएगी।
- (घ) ए.एम.सी. यूनिटधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की कागज़ी प्रति म्यूचुअल फंड द्वारा तय किया गया नाममात्र शुल्क (नॉमिनल फीस) लेकर उपलब्ध करवाएगी।
- (ङ) ए.एम.सी. हर स्कीम की पूरी वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक इस प्रकार डलवाएगी कि उसका साफ पता चल जाए।

(2) यूनिटधारकों को छमाही वित्तीय परिणाम (जिनका ऑडिट न हुआ हो / अलेखापरीक्षित) डिस्कलोज़ करना

- (क) प्रत्येक म्यूचुअल फंड और ए.एम.सी, 31 मार्च और 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक छमाही के समाप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर, अपनी स्कीमों के वित्तीय परिणाम (जिनका ऑडिट न हुआ हो / अलेखापरीक्षित) अपनी वेबसाइट पर डलवाएगी।
- (ख) वित्तीय परिणाम [जिनका जिक्र खंड (क) में किया गया है] बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए फॉर्मेट में होंगे। उनमें वे और ब्यौरे भी दिए जाएंगे, जिससे कि म्यूचुअल फंड के कामकाज की सही-सही तस्वीर पेश हो।
- (ग) ए.एम.सी. यूनिटधारकों को लिखित रूप में यह सूचित करेगी (डिजिटल रूप में जैसे कि ई-मेल/एसएमएस आदि के जरिए भी सूचित किया जा सकता है) कि वित्तीय विवरण [जिनका जिक्र खंड (क) में किया गया है] कहाँ डलवाए गए।

(3) पोर्टफोलियो के विवरण (पोर्टफोलियो स्टेटमेंट) डिस्कलोज़ करना: ए.एम.सी. सभी यूनिटधारकों को अपनी स्कीम के पोर्टफोलियो का पूरा विवरण उसी प्रकार भेजेगी, जैसा बोर्ड समय-समय पर बताए।

(4) टोटल एक्सपेंस रेशियो (कुल खर्च अनुपात / टी.ई.आर.) डिस्कलोज़ करना: म्यूचुअल फंड की स्कीमों के टी.ई.आर. की जानकारी निवेशकों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताए गए तरीके से और निर्धारित किए गए फॉर्मेट में दी जाएगी।

(5) एन.ए.वी. (नेट असेट वैल्यू) डिस्कलोज़ करना: स्कीम की एन.ए.वी. की गणना हर दिन की जाएगी, और उसकी जानकारी उसी प्रकार दी जाएगी जैसा बोर्ड बताए।

(6) दूसरे डिस्कलोज़र

- (क) ट्रस्टी यूनिटधारकों को हर जरूरी डिस्कलोज़र (जानकारी) भी देगा, ताकि उनके पास वह हर जरूरी जानकारी हो जिसका असर उनके निवेश पर पड़ सकता हो।
- (ख) ट्रस्टी या ए.एम.सी. तब तक म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम की यूनिटों की कोई बिक्री नहीं करेगी, जब तक कि निवेश हेतु किए गए आवेदन के साथ निवेशकों को वे दस्तावेज (जिनमें पर्याप्त जानकारी हो) न दिए जाएँ, जिनके आधार पर निवेशक ने सोच-समझकर अपने निवेश के निर्णय ले सकें।
- (ग) म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड की ए.एम.सी., उसके ट्रस्टी, उसके कस्टोडियन तथा उसके स्पॉन्सर:
 - (i) वे समस्त डिस्कलोज़र करेंगे (जानकारी देंगे), जो बोर्ड करने को कहे; और
 - (ii) वे समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो बोर्ड प्रस्तुत करने को कहे।

71. विवाद सुलझाना और शिकायत निवारण व्यवस्था

- (1) ए.एम.सी. निवेशकों की शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द किंतु शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस कैलेंडर दिनों के भीतर करेगी, और उसी प्रकार करेगी जैसा बोर्ड समय-समय पर बताए।
- (2) यदि किसी ए.एम.सी. द्वारा सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में किए जाने वाले कार्यों आदि की वजह से या उन कार्यों आदि के सिलसिले में उस ए.एम.सी तथा निवेशकों के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे।
- (3) बोर्ड उतने समय के भीतर और उस तरह से शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए किसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) को मान्यता प्रदान कर सकेगा, जैसा बताया जाए।

अध्याय - XIV

दायित्व

72. बही-खाते (लेखा-बहियाँ) और रिकॉर्ड सही तरह से रखना

- (1) प्रत्येक ए.एम.सी. अपनी हर स्कीम के बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज संभालकर रखेगी, ताकि -
 - (क) उसके लेनदेन (ट्रांजेक्शन) [जिनमें स्कीमों के बीच हुए लेनदेन भी शामिल हैं] का जायजा मिल सके, और यह भी पता चल सके कि मूल्यांकन (वैल्यूएशन) के पीछे क्या तर्क आदि रहे;
 - (ख) पूरा ऑडिट ट्रेल (लेनदेन के पूरे पिछले ब्यौरे) रहे;
 - (ग) किसी भी समय यह बताया जा सके कि हर स्कीम की वित्तीय स्थिति कैसी है; और
 - (घ) फंड के कामकाज की सही-सही तस्वीर मिल सके।
- (2) ए.एम.सी. बोर्ड को यह सूचित करेगी कि उसके वे बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज संभालकर कहाँ रखे गए हैं।
- (3) म्यूचुअल फंड की स्कीमों के वित्तीय विवरण और खाते (अकाउंट) भारतीय लेखा मानकों [जो भी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा अधिसूचित किए जाएँ] के अनुसार तैयार किए जाएँगे।

- (4) जहाँ भारतीय लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) और इन विनियमों या इनके तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों में कोई अंतर आ जाए, तो वहाँ ए.एम.सी. इन विनियमों में दिए हुए प्रावधानों का पालन करेगी।
- (5) प्रत्येक ए.एम.सी. अपने बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज कम से कम आठ वर्षों की अवधि तक संभालकर रखेगी।
- (6) ए.एम.सी. आठवीं अनुसूची में बताई गई और बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाने वाली अकाउंटिंग की नीतियों और मानदंडों (अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) का सही तरीके से इस प्रकार पालन करेगी कि:
 - (क) अकाउंटिंग की संबंधित तारीख तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक स्कीम के मुताबिक फंड के असेट्स की बिक्री के पूरे ब्यौरे मिल सकें;
 - (ख) यह पता चल सके कि उस अवधि के दौरान स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा; और
 - (ग) यह पता चल सके कि यूनिटधारकों को कितनी आमदनी हुई या होगी।

73. वित्तीय वर्ष

- (1) सभी स्कीमों के मामले में वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा।
- (2) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने वाली किसी नई स्कीम के लिए, डिस्कलोजर तथा रिपोर्टों के प्रावधान वह स्कीम शुरू होने की तारीख से उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक के लिए ही लागू होंगे।

अध्याय - XV

निरीक्षण और आडिट

74. बोर्ड का निरीक्षण और तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) करने का अधिकार

बोर्ड नीचे बताए गए किसी भी उद्देश्य से म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. के बही-खातों, रिकॉर्ड, दस्तावेजों, उनके यहाँ मौजूद बुनियादी सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर), व्यवस्थाओं (सिस्टम) और प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए, या उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों आदि की तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) करने के लिए एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों को निरीक्षण अधिकारी (अधिकारियों) के रूप में नियुक्त कर सकेगा:

- (क) यह जाँच करने के लिए कि म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. द्वारा बही-खाते उसी तरह से रखे जा रहे हैं, जिस तरह से इन विनियमों के तहत रखने को कहा गया है;

- (ख) यह पता लगाने के लिए कि म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. द्वारा अधिनियमों (एक्ट) और इन विनियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं;
- (ग) यह पता लगाने के लिए कि म्यूचुअल फंड के यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएँ व प्रक्रियाएँ मौजूद हैं या नहीं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या नहीं;
- (घ) म्यूचुअल फंडों, ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. के कार्यों आदि से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में निवेशकों या किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की तहकीकात (का अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) करने के लिए; या
- (ङ) खुद से यह जाँच-पड़ताल करने के लिए कि म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. का कामकाज यूनिटधारकों के हित में या सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) के हित में किया जा रहा है या नहीं।

75. निरीक्षण और तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) करने से पहले सूचना (नोटिस)

- (1) विनियम 74 के तहत निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) का आदेश देने से पहले, बोर्ड, यथास्थिति, म्यूचुअल फंड या ए.एम.सी. या ट्रस्टीज़ को कम से कम दस (10) कैलेंडर दिन पहले सूचना (नोटिस) देगा।
- (2) यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यूनिटधारकों के हित में उप-विनियम (1) में बताई गई सूचना (नोटिस) नहीं दी जानी चाहिए, तो ऐसे में बोर्ड लिखित आदेश जारी करके यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निरीक्षण या ऐसी तहकीकात (ऐसा इन्वेस्टिगेशन) ऐसी कोई सूचना (नोटिस) दिए बिना ही की जाए (किया जाए)।
- (3) जिस म्यूचुअल फंड का, जिन ट्रस्टीज़ का या जिस ए.एम.सी. का निरीक्षण किया जा रहा हो या की तहकीकात की जा रही हो (का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो), वह (वे) विनियम 76 में बताए गए अपने सभी दायित्व पूरे करने के लिए बाध्य होगा (होंगे)।

76. निरीक्षण और तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) के संबंध में दायित्व

(1) दायित्व:

(क) दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी:

- (i) जिस म्यूचुअल फंड का, जिन ट्रस्टीज़ का या जिस ए.एम.सी. का निरीक्षण किया जा रहा हो या की तहकीकात की जा रही हो (का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो) उसका (उनका), और उसके (उनके) प्रत्येक निदेशक (डायरेक्टर), अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह:

क. निरीक्षण अधिकारी के पास वे बहियाँ, वे खाते (अकाउंट्स), वे रिकॉर्ड [जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जैसे ई-मेल, म्यूचुअल फंडों के कामकाज

हेतु इस्तेमाल में लाए जा रहे एप्लीकेशन व सॉफ्टवेयर] और दूसरे दस्तावेज पेश करे जो उसकी कस्टडी में हों या उसके नियंत्रण में हों, और जो तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) या निरीक्षण के लिए जरूरी हों; और

ख. अपने कामकाज से जुड़े ऐसे विवरण, ऐसे दस्तावेज, ऐसी जानकारी या ऐसी अन्य सामग्री प्रस्तुत करे, जो तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) या निरीक्षण के लिए जरूरी हों।

(ii) खंड (i) के अनुसार समस्त दस्तावेज और जानकारी वाजिब समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जैसा निरीक्षण अधिकारी बताए।

(ख) परिसर में जाने और रिकॉर्ड देखने के लिए सुविधा मुहैया कराना (एक्सेस देना):

(i) म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज़ या ए.एम.सी. निरीक्षण अधिकारी को:

क. उन परिसरों में जाने के लिए हर यथोचित सुविधा मुहैया कराएगी (कराएंगे [एक्सेस देगी], जिनका कब्जा उसके (उनके) पास हो या उसकी (उनकी) ओर से किसी दूसरे व्यक्ति के पास हो;

ख. उसके (उनके) पास या ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो बही-खाते, रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा कंप्यूटर डाटा हो उनकी जाँच-पड़ताल करने हेतु यथोचित सुविधा भी प्रदान करेगी (करेंगे), जो तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) या निरीक्षण करने के लिए जरूरी हों; और

ग. उन दस्तावेजों की प्रतियाँ या अन्य सामग्री प्रदान करेगी (करेंगे), जो निरीक्षण अधिकारी की राय में निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) करने के लिए जरूरी हों।

(ग) बयानों की पड़ताल करना और बयान दर्ज करना:

(i) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) के दौरान, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज़ या ए.एम.सी. के किसी निदेशक (डायरेक्टर), अधिकारी, या कर्मचारी के बयानों की पड़ताल कर सकेगा या उनके बयान दर्ज कर सकेगा।

(घ) सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी:

(i) म्यूचुअल फंड, ए.एम.सी. या ट्रस्टीज़ के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) के संबंध में निरीक्षण अधिकारी को वह समस्त सहायता प्रदान करे, जो निरीक्षण अधिकारी प्रदान करने को कहे।

77. बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- (1) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) पूरी होने पर, बोर्ड को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (2) निरीक्षण अधिकारी बोर्ड को अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा, यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने को कहा जाए।

78. निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) संबंधी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) संबंधी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, बोर्ड ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे, यानि कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] के अध्याय - V के अनुसार की जा सकने वाली कार्रवाइयों के अलावा दूसरी कार्यवाहियाँ भी की जा सकती हैं।

79. ऑडिटर (लेखापरीक्षक) की नियुक्ति और फीस

- (1) बोर्ड म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज़ या ए.एम.सी. के बही-खातों या उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जाँच-पड़ताल या उसकी तहकीकात करने के लिए एक ऑडिटर को नियुक्त कर सकेगा।
- (2) उप-विनियम (1) के तहत नियुक्त किए गए ऑडिटर के पास वही शक्तियाँ होंगी, जो विनियम 74 के तहत नियुक्त किए गए निरीक्षण अधिकारी को मिलती हैं।
- (3) जहाँ उप-विनियम (1) के तहत ऑडिटर को नियुक्त किया जाए, वहाँ विनियम 76 में म्यूचुअल फंड, ए.एम.सी., ट्रस्टी, और उनके कर्मचारियों के जिन दायित्वों का जिक्र किया गया है वे इस विनियम के तहत की जाने वाली तहकीकात के मामले में भी लागू होंगे।

80. निरीक्षण पर हुए खर्चे लेना

बोर्ड म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. के बही-खातों, रिकॉर्डों और दस्तावेजों की तहकीकात करने (का इन्वेस्टिगेशन करने) या का निरीक्षण करने के संबंध में हुए खर्चों की रकम म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. से वसूल कर सकेगा। इस प्रकार वसूले जाने वाले खर्चों की रकम में दूसरे खर्चों के साथ-साथ तहकीकात तथा निरीक्षण किए जाने के संबंध में ऑडिटरों को अदा की गई फीस की रकम भी शामिल होगी।

अध्याय - XVI

चूक के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

81. चूक (डिफॉल्ट) के मामले में कार्रवाई का दायित्व

जो ए.एम.सी., म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी या प्रायोजक (स्पॉन्सर) अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या उनके तहत जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर) या दिशानिर्देशों (गाइडलाइंस) के किसी प्रावधान का उल्लंघन करे, और:

- (क) म्यूचुअल फंड के कामकाज के संबंध में जो जानकारी इन विनियमों के तहत देने को कही जाए, वह जानकारी न दे या फिर गलत जानकारी दे;
- (ख) वे विवरण आदि प्रस्तुत न करे, जो इन विनियमों के तहत प्रस्तुत करने को कहा जाए;
- (ग) बोर्ड द्वारा की गई जाँच या किए गए निरीक्षण में सहयोग न करे;
- (घ) अधिनियम (एक्ट) या इन विनियमों के प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा दिए गए किसी निदेश का पालन न करे;
- (ङ) निवेशकों की शिकायतों का निवारण न करे या फिर इस संबंध में बोर्ड को संतोषजनक उत्तर न दे;
- (च) शेयरों आदि में अनुचित तरीके से ट्रेडिंग और/या इनसाइडर ट्रेडिंग करे।

स्पष्टीकरण: इस खंड के सिलसिले में, “अनुचित तरीके से ट्रेडिंग” [अक्रड़ु (अनुचित) व्यापारिक व्यवहार / अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़] का वही अर्थ है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रड़ु (अनुचित) व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध] विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन्स, 2003] में दिया हुआ है;

इस खंड के सिलसिले में, “इनसाइडर ट्रेडिंग” (अंतरंग व्यापार) का वही अर्थ है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन्स, 2015] में दिया हुआ है;

- (छ) गलत या अनुचित तरीके से कार्य या कारोबार करे अथवा अपेक्षानुसार कार्य न करे और चौथी अनुसूची में दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन न करे;
- (ज) अपने वे दायित्व पूरे न करे, जिनका जिक्र इन विनियमों में किया गया है;
- (झ) रजिस्ट्रेशन जिन शर्तों पर दिया गया है, वे शर्तें पूरी न करे;

- (ज) यदि उसकी उतनी नेटवर्थ न रहे, जितनी विनियम 5 के उप-विनियम (1) और विनियम 57 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए;
- (ट) कोई फीस अदा न करे;
- (ठ) यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि जारी किया गया विज्ञापन पाँचवीं अनुसूची में दी हुई विज्ञापन संहिता (कोड) का उल्लंघन तो नहीं हो रहा; या
- (ड) यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) का मूल्यांकन करते समय सातवीं अनुसूची में सही-सही मूल्यांकन किए जाने के संबंध में निर्धारित किए गए सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा,

उसके खिलाफ, अधिनियम (एक्ट), उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) के लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी, यानि कि किसी इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) [जिसके पास रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो) का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने या रद्द करने, म्यूचुअल फंड की मौजूदा स्कीमों में सब्सक्रिप्शन रोकने या म्यूचुअल फंड द्वारा नई स्कीम लाए जाने पर पाबंदी लगाने और विनियम 22 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के अनुसार ए.एम.सी. द्वारा उसकी किसी स्कीम में निवेश की गई रकम को जब्त करने के अलावा दूसरी कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं।

अध्याय - XVII

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान करने की शक्ति

82. विनियमों के लागू होने से छूट

- (1) बोर्ड, यूनिटधारकों के हित में या सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) के विकास के लिए, इन विनियमों के किसी प्रावधान के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान कर सकेगा, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि:
 - (क) ऐसा करना प्रक्रिया के लिहाज से या तकनीकी कारणों से जरूरी है; या
 - (ख) प्रावधानों का पालन उन कारणों से नहीं हो पाया, जो ए.एम.सी. या म्यूचुअल फंड के नियंत्रण से परे थे; या
 - (ग) संबंधित प्रावधान का पालन करने की वजह से यूनिटधारकों को बेवजह परेशानी हो सकती है।

- (2) उप-विनियम (1) के तहत छूट प्राप्त करने के लिए, बोर्ड के पास एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह विस्तार से बताया जाएगा कि छूट किस आधार पर माँगी गई है, और आवेदन करते समय एक लाख रुपये की फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) भी जमा करानी होगी, जो एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए) से अदा की जाएगी।

83. इनोवेशन करने के लिए विनियमों से छूट:

- (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, बताई गई अवधि तक (किंतु जो बारह महीनों से अधिक की नहीं होगी) सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए प्रोडक्ट्स (उत्पादों), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) के संबंध में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

- (2) यदि उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा कोई छूट प्रदान की भी जाती है, तो इसके लिए आवेदक को बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें वे शर्तें भी शामिल हैं जिनका आगे भी पालन करते रहना होगा।

स्पष्टीकरण. — इन विनियमों के सिलसिले में, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" का अर्थ है - ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट, जहाँ, ऐसी शर्तों के तहत जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में इनोवेशन लाने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट्स (उत्पाद), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

अध्याय - XVIII

विविध

84. बोर्ड की स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

इन विनियमों के प्रावधानों के लागू होने को लेकर या उनके आशय को लेकर यदि किसी तरह की कोई कठिनाई आए, तो उसे दूर करने के लिए बोर्ड नोट या परिपत्र (सर्कुलर) के तौर पर स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स) जारी कर सकेगा, जिनका पालन स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंडों, ट्रस्टीज़, ए.एम.सी. और कस्टोडियन को करना होगा।

85. पहले के प्रावधानों को निरस्त करना और उनके तहत की गई कार्रवाई पर असर न पड़ना

- (1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से ही, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 [सेबी (म्यूचुअल फंड) रेग्यूलेशन, 1996] निरस्त हो जाएँगे।
- (2) उपरोक्त विनियमों (रेग्यूलेशन) के इस प्रकार निरस्त हो जाने पर:
 - (क) उपरोक्त विनियमों के निरस्त होने से पहले, उनके तहत की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई अथवा की जा सकने वाली किसी बात या किसी कार्रवाई [जिसमें शामिल हैं – दिया गया रजिस्ट्रेशन या दी गई मंजूरी, ली गई फीस, स्कीम के संबंध में की गई घोषणा, निलंबित या रद्द किया गया रजिस्ट्रेशन अथवा निलंबित या रद्द की गई मंजूरी, शुरू किया गया न्यायनिर्णयन (अड्जुडिकेशन), शुरू की गई कोई कार्यवाही, शुरू की गई कोई जाँच या शुरू की गई कोई तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) या जारी की गई कारण बताओ सूचना (शो काज़ नोटिस)] के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत की गई है;
 - (ख) इस प्रकार निरस्त विनियमों के तहत पहले की गई किसी कार्रवाई आदि (ऑपरेशन) अथवा उनके तहत विधिवत रूप से की गई किसी बात आदि, इस प्रकार निरस्त विनियमों के तहत अर्जित हुए या मिले किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बने दायित्व (ऑब्लिगेशन) या बनी देनदारी (लायबिलिटी), इस प्रकार निरस्त विनियमों के किसी उल्लंघन या अपराध के संबंध में लगाई गई किसी शास्ति (पेनल्टी), की गई जब्ती या दी गई सज़ा या की गई कोई तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन), उपरोक्तानुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व (ऑब्लिगेशन), देनदारी (लायबिलिटी), शास्ति (पेनल्टी), जब्ती या सज़ा के संबंध में की गई कार्यवाही आदि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मानो कि इस प्रकार निरस्त विनियम कभी निरस्त ही न हुए हो;
 - (ग) उपरोक्त विनियमों के निरस्त होने से पहले, उनके तहत बोर्ड के पास प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन (जो बोर्ड के पास लंबित हो) पर कार्यवाही इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के अनुसार की जाएगी; और
 - (घ) इन विनियमों के अधिसूचित होने की तारीख से पहले किसी म्यूचुअल फंड द्वारा लाई गई कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर डैट फंड स्कीम तब तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 [सेबी (म्यूचुअल फंड) रेग्यूलेशन, 1996] के प्रावधानों के दायरे में आएगी जब तक उसे बंद (वाउड-अप) न कर दिया जाए।

पहली अनुसूची**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026****[विनियम 3(1)(क), 3(1)(ड), 4(1)(घ), 24(4)]****फीस**

क. म्यूचुअल फंड द्वारा अदा की जाने वाली फीस (जैसा नीचे दी गई सारणी में बताया गया है) एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।

क्र.सं.	विवरण	फीस / शुल्क*
1	म्यूचुअल फंडों द्वारा दी जाने वाली आवेदन फीस	पांच लाख रुपये
2	म्यूचुअल फंडों द्वारा दी जाने वाली रजिस्ट्रीकरण फीस	पच्चीस लाख रुपये
3	31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार यदि म्यूचुअल फंडों का औसत ए.यू.एम. 10,000 करोड़ रुपये तक हो, तो उसके द्वारा दी जाने वाली वार्षिक फीस#	औसत ए.यू.एम. का 0.0015 प्रतिशत
4	31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार यदि म्यूचुअल फंडों का औसत ए.यू.एम. 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो, तो ऐसे में औसत ए.यू.एम. 10,000 करोड़ रुपये से जितना ज्यादा हो उस हिस्से पर म्यूचुअल फंडों द्वारा दी जाने वाली वार्षिक फीस#	औसत ए.यू.एम. 10,000 करोड़ रुपये से जितना ज्यादा हो उस हिस्से का 0.0010 प्रतिशत
5	ऑफर डाक्यूमेंट और प्लेसमेंट मेमोरेण्डम दाखिल करने के लिए फीस (फाइलिंग फीस)	यथास्थिति, न्यू फंड ऑफर (ए.एफ.ओ.) या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाई गई रकम का 0.005 प्रतिशत, हालाँकि यह फीस कम से कम दो लाख रुपये की होगी और अधिक से अधिक पचास लाख रुपये तक की होगी।

#यह फीस कम से कम 2,50,000 रुपये की होगी और अधिक से अधिक 1,00,00,000 रुपये तक की होगी

*यहाँ फीस/शुल्क की जिस रकम का जिक्र किया गया है उसमें जीएसटी की रकम शामिल नहीं है

दूसरी अनुसूची**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026****[विनियम 10(1)]****ट्रस्ट डीड में क्या-क्या जिक्र होगा**

- (1) ट्रस्ट डीड में एक ऐसा खंड होगा कि ट्रस्टीज़ इन विनियमों के प्रावधानों के पालन के लिए जिम्मेदार रहेंगे।
- (2) ट्रस्ट डीड में ट्रस्टीज़ को दी जाने वाली फीस (ट्रस्टीशिप फीस) [यदि कोई हो] का उल्लेख होगा।
- (3) ट्रस्ट डीड में यह भी उल्लेख होगा कि ट्रस्टीज़ की संख्या कम से कम चार होगी और ट्रस्टीज़ को हटाने से पहले बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी।
- (4) ट्रस्ट डीड में यह जिक्र होगा कि ट्रस्ट डीड में बदलाव तभी किया जाएगा जब:
 - (क) बोर्ड से पहले ही मंजूरी ले ली जाए; और
 - (ख) यूनिटधारकों से पहले ही मंजूरी ले ली जाए, किंतु जहाँ विनियम 17 के खंड (ग) के अनुसार ए.एम.सी. के नियंत्रण में परिवर्तन होने की वजह से ट्रस्ट डीड में बदलाव किया जा रहा हो वहाँ और उन दूसरे मामलों में यूनिटधारकों से पहले ही मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (5) ट्रस्ट डीड में यह बताया जाएगा कि सभी परिस्थितियों (जिनका जिक्र इन विनियमों में किया गया है) में यूनिटधारकों की मंजूरी कैसे ली जानी है, और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि ट्रस्ट डीड में बदलाव करते समय यूनिटधारकों की मंजूरी कैसे ली जानी है।
- (6) ट्रस्ट डीड में यह उल्लेख होगा कि ट्रस्टीज़ की बैठक का कोरम क्या होगा और साथ ही यह खास तौर पर सुनिश्चित करना होगा कि बैठक की कोरम में कम से कम एक स्वतंत्र ट्रस्टी या स्वतंत्र निदेशक का मौजूद रहना जरूरी है।
- (7) ट्रस्ट डीड में ट्रस्टीज़ को यह शक्ति प्रदान की जाएगी कि वे उतने-उतने समय में बैठकें कर सकें, जो यह देखने के लिए जरूरी हो कि ए.एम.सी. द्वारा म्यूचुअल फंड की स्कीमों का सही ढंग से प्रबंधन (मैनेजमेंट) किया जा रहा है या नहीं और इस विनियम का पालन किया जा रहा है या नहीं, किंतु यह अनिवार्य होगा कि ट्रस्टीज़ हर तिमाही में कम से कम एक बैठक अवश्य करें तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार ऐसी बैठकें अवश्य हों।
- (8) ट्रस्ट डीड में यह उल्लेख होगा कि किसी यूनिटधारक के पास किसी स्कीम की यूनिटें जिस अनुपात में हों, उस यूनिटधारक की ट्रस्ट की संपत्ति में हिस्सेदारी भी उसी अनुपात में रहेगी।
- (9) ट्रस्ट डीड में यह उल्लेख होगा कि ट्रस्टीज़ निम्नलिखित का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे:

- (क) जो ट्रस्टी, किसी ट्रस्टी कंपनी के मेंबर (सदस्य) के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हो, वह उन दूसरी कंपनियों, या संस्थाओं या वित्तीय कामकाज करने वाले उन मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) या ऐसी किसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) से समुचित दूरी का संबंध बनाकर रखेगा, जिससे वह किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ हो [जिसका वह सहयोगी (असोसिएट) हो] ।
- (ख) ट्रस्टी, ट्रस्टी कंपनी की बैठकों में तब भाग नहीं लेगा जब ऐसे निवेश के संबंध में निर्णय लिया जा रहा हो, जिनसे उसका भी हित जुड़ा हुआ हो ।
- (10) ट्रस्ट डीड में ट्रस्टीज़ के उन कर्तव्यों / की उन जिम्मेदारियों का और ट्रस्टीज़ की उन शक्तियों का हूबहू उल्लेख किया जाएगा, जिनका जिक्र विनियम 12 के तहत किया गया है और साथ ही निम्नलिखित का भी जिक्र किया जाएगा:
- (क) ट्रस्टीज़ की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यूनिटधारकों के हित में कार्य करें।
- (ख) ट्रस्टीज़ म्यूचुअल फंड की स्कीमों की सभी संपत्तियाँ अपनी कस्टडी में लेगा, या अपने नियंत्रण में लेगा और उन्हें यूनिटधारकों के लिए ट्रस्ट में रखेगा ।
- (ग) ट्रस्टीज़ की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यूनिटधारकों और बोर्ड को वह जानकारी दे या दिलवाए, जो भी बोर्ड बताए ।
- (घ) ट्रस्टीज़ की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस पर नज़र रखें कि ट्रस्ट डीड और विनियमों के अनुसार स्कीम को जो भी आमदनी होनी है वह स्कीम को मिल रही है या नहीं, और कर आदि की रकम वापस लेने (रीपेमेंट) के संबंध में दावा आदि प्रस्तुत किया जा रहा है या नहीं और जो आमदनी हो रही है उसे यूनिटधारकों के लिए ट्रस्ट में रखा जा रहा है या नहीं ।
- (ङ) ट्रस्टी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ट्रस्टी कंपनी को ये ब्यौरे दे कि किसी दूसरी कंपनी, या संस्था या वित्तीय कामकाज करने वाले मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या किसी कंपनी (कारपोरेट बॉडी) में निदेशक, भागीदार (पार्टनर) होने के नाते या फिर उससे किसी और हैसियत से संबंध होने के नाते उसका कितना हित जुड़ा हुआ है ।
- (11) ट्रस्ट डीड में इसका खास तौर पर उल्लेख होगा कि म्यूचुअल फंड:
- (क) ट्रस्ट की संपत्ति में से ऐसी कोई संपत्ति अर्जित (अक्रायर) नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऐसी कोई देनदारी (लाइबिलिटी) बन जाए जिसकी कोई सीमा ही न हो या फिर जिसकी वजह से ट्रस्ट की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण-भार (इन्क्ब्रेंस) आ जाए; और
- (ख) न तो ऐसा कोई ऋण देगा और न ही ऐसी किसी ऋण की गारंटी देगा और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे कि इन विनियमों का उल्लंघन हो जाए ।

तीसरी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026

[विनियम 12(1)(ख)]

इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट में क्या-क्या जिक्र होगा

- (1) इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट में एक ऐसा खंड होगा कि ए.एम.सी. इन विनियमों के प्रावधानों के पालन के लिए जिम्मेदार रहेगी।
- (2) इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट में ए.एम.सी. के उन कर्तव्यों / की उन जिम्मेदारियों का और ए.एम.सी. की उन शक्तियों का हूबहू उल्लेख किया जाएगा, जिनका जिक्र विनियम 22 के तहत किया गया है और साथ ही निम्नलिखित का भी जिक्र किया जाएगा:
 - (क) ट्रस्टीज़ द्वारा नियुक्त ए.एम.सी. की जिम्मेदारी होगी कि वह म्यूचुअल फंड की नई स्कीमें तब शुरू करे जब इस संबंध में ट्रस्टीज़ की मंजूरी मिल जाए, और साथ ही ए.एम.सी. की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह ट्रस्ट डीड तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न स्कीमों के तहत जुटाए गए पैसों (फंड) का प्रबंधन (को मैनेज) करे;
 - (ख) ए.एम.सी. यह सुनिश्चित करेगी कि ट्रस्टीज़ से लिखित रूप में पहले ही मंजूरी लिए बिना किसी स्कीम का ऑफर डॉक्यूमेंट, की इन्फॉर्मेशन मैमोरेण्डम, संक्षिप्त छमाही परिणाम और वार्षिक परिणाम न तो जारी किए जाएँ और न ही प्रकाशित किए जाएँ, साथ ही इनमें उन्हीं बातों आदि का जिक्र हो, जिनका उल्लेख ट्रस्ट डीड में या ऑफर डॉक्यूमेंट में या स्कीम से जुड़े विवरण आदि (जिनकी मंजूरी ट्रस्टीज़ और बोर्ड द्वारा दी गई हो) में किया गया हो; और
 - (ग) ए.एम.सी. की यह जिम्मेदारी होगी कि वह म्यूचुअल फंड की विभिन्न स्कीमों (जिनका प्रबंधन ए.एम.सी. द्वारा किया जा रहा हो) के संचालन के संबंध में और म्यूचुअल फंड की स्कीमों के कामकाज के संबंध में ट्रस्टीज़ और बोर्ड को समस्त जानकारी और रिपोर्टें प्रदान करे, उतने-उतने समय में और उसी प्रकार जैसा ट्रस्टीज़ या बोर्ड द्वारा बताया जाए।
- (3) इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट में ऐसा प्रावधान होगा जिससे कि ए.एम.सी. पर यह पाबंदी हो कि वह:
 - (क) म्यूचुअल फंड के प्रबंधन (मैनेजमेंट) संबंधी कार्य को छोड़कर और विनियम 21 के खंड (ख) के तहत अनुमत कार्यों को छोड़कर कोई दूसरे कार्य न करे;

- (ख) ट्रस्ट की संपत्ति में से ऐसी कोई संपत्ति अर्जित न करे, जिसकी वजह से ऐसी कोई देनदारी (लाइबिलिटी) बन जाए जिसकी कोई सीमा ही न हो या फिर जिसकी वजह से ट्रस्ट की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण-भार (इन्कंब्रेंस) आ जाए;
 - (ग) ऐसा कोई कार्य न करे, जिससे कि इन विनियमों का उल्लंघन हो जाए;
 - (घ) ए.एम.सी. द्वारा या ए.एम.सी. के अधिकारियों द्वारा या ए.एम.सी. ने जिस व्यक्ति को कार्य आदि सौंपा हो उस व्यक्ति द्वारा किए गए नुकसान आदि या खर्च की भरपाई करने (जिसमें विनियम 71 के अनुसार निवेशकों के दावे या विवाद के सुलझाना भी शामिल है) के लिए ट्रस्ट की संपत्ति का इस्तेमाल न करे ।
 - (ङ) न तो ऐसा कोई ऋण दे और न ही ऐसी किसी ऋण की गारंटी दे और न ही ऐसा कोई कार्य करे, जिससे कि इन विनियमों का उल्लंघन हो जाए ।
- (4) इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट में एक ऐसा खंड होगा जिससे ट्रस्टीज़ को यह शक्ति मिले कि वे किन्हीं खास परिस्थितियों में, बोर्ड से पहले ही मंजूरी लेकर और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, ए.एम.सी. को हटा सकें ।

चौथी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026

[विनियम 12(3)(ख), 12(4)(क), 22(8)(क)(ii), 62(4)(क), 63(8)(क)(iii), 81(छ)]

आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)

भाग - क

ए.एम.सी. (असेट मैनेजमेंट कंपनी) और ट्रस्टीज़ के लिए

- (1) ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. अपना समस्त लेनदेन (डीलिंग) और अपना समस्त कारोबार पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्पक्षता से करेंगे।
- (2) स्पॉन्सर (प्रायोजकों), ए.एम.सी. के निदेशकों, ट्रस्टी कंपनी के निदेशकों, और उनके सहयोगियों (असोसिएट्स) का हित साधने के उद्देश्य से न तो म्यूचुअल फंड की स्कीमें चलाई जाएंगी, न ही उनका प्रबंधन किया जाएगा और न ही शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) का चयन किया जाएगा।
- (3) म्यूचुअल फंड की स्कीमें इस तरह से चलाई जाएंगी, उनका प्रबंधन इस तरह से किया जाएगा और शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) का चयन इस तरह से किया जाएगा जिससे कि स्कीम के सभी वर्गों के यूनिटधारकों के साथ समान और निष्पक्ष रूप से व्यवहार हो। यदि निवेशकों के किसी एक वर्ग के पक्ष में या उन्हें फायदा पहुँचाने के इरादे से कोई निर्णय लिए जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें सभी वर्गों के यूनिटधारकों के साथ समान और निष्पक्ष रूप से व्यवहार करना नहीं माना जाएगा।
- (4) ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कीम से संबंधित निवेश नीतियों, निवेश के उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और सामान्य कामकाज के बारे में पूरी-पूरी, सही-सही और स्पष्ट जानकारी समय रहते उस स्कीम के सभी यूनिटधारकों को आसान भाषा में दे दी जाए।
- (5) ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. यह सुनिश्चित करेंगे कि न तो एक ही ब्रोकिंग फर्म, तथा उसके सहयोगियों (असोसिएट) को काफी ज्यादा कार्य आदि सौंपा जाए और न ही कुछेक निवेशकों के पास म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम की ज्यादा यूनिटें रहें।
- (6) ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. स्कीमों के कामकाज का प्रबंधन करते समय हितों के टकराव की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और सभी मामलों में सभी यूनिटधारकों के हितों को ही सबसे पहले रखेंगे।
- (7) ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. यह सुनिश्चित करेंगे कि म्यूचुअल फंड की प्रत्येक स्कीम के असेट्स और उनकी देनदारियाँ (लाइबिलिटीज़) उसकी दूसरी स्कीमों से पूरी तरह से अलग रहें; और प्रत्येक स्कीम के बैंक खाते और सिक्यूरिटीज़ अकाउंट भी पूरी तरह से अलग-अलग रहें।

- (8) ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. अपना कारोबार और निवेश अपने ऑफर डाक्यूमेंट में दिए गए 'निवेश के उद्देश्यों' के अनुसार ही करेंगे और निवेश का निर्णय भी केवल यूनिटधारकों के हितों को ध्यान में रखकर ही लेंगे।
- (9) ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. बिक्री करने, प्रचार-प्रसार (मार्केटिंग) करने या किसी निवेशक को अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करने हेतु उकसाने के लिए कोई अनुचित तरीका नहीं अपनाएँगे।
- (10) ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. हमेशा अपने कामकाज का स्तर बेहतरीन बनाए रखेंगे, पूरी एहतियात व सावधानी बरतेंगे और अपेक्षानुसार अपने स्तर पर ही सही ढंग से निर्णय लेंगे।
- (11) ए.एम.सी. अपनी योग्यताओं के बारे में या निवेश प्रबंधन सेवाएँ देने से संबंधित अपनी क्षमता के बारे में या अपनी उपलब्धियों के बारे में, न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित रूप में, बढ़ाचढ़ाकर बताएंगी।
- (12) ट्रस्टीज़ और ए.एम.सी. यह सुनिश्चित करेंगे कि:
 - (क) म्यूचुअल फंड का प्रायोजक (स्पॉन्सर), ट्रस्टीज़ या ए.एम.सी. या उनका कोई भी कर्मचारी किसी शेयर आदि (सिक्यूरिटी / प्रतिभूति) के बारे में आम जनता के लिए उपलब्ध मीडिया (फिर चाहे वह रियल टाइम वाला हो या न हो) में, सीधे-सीधे या किसी और के जरिए, कोई निवेश सलाह तब तक नहीं देगा, जब तक ऐसी सलाह देते समय उस शेयर आदि में उसके हितों की और उसके द्वारा ली गई लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन की जानकारी न दे दी जाए (उसे डिस्क्लोज़ न कर दिया जाए)।
 - (ख) जब प्रायोजक (स्पॉन्सर), ट्रस्टीज़ या ए.एम.सी. का कोई कर्मचारी ऐसी कोई सलाह दे रहा हो तो वह यह खुलासा भी कर देगा कि उसका खुद का, उसके परिवार के आश्रित सदस्यों का और जहाँ वह कार्यरत हो उस नियोक्ता का कितना हित जुड़ा हुआ है [यानि कि ऐसी सलाह देते समय उस शेयर आदि में उन्होंने कितनी लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ले रखी है]।

भाग – ख

[विनियम 22(4)(क)(iv), 22(4)(ख)(ii), 22(4)(ग)(ii), 63(4)(क)(iv), 63(4)(ख), 63(4)(ग) एवं
81(छ)]

फंड मैनेजरोँ और डीलरोँ के लिए

(1) सामान्य:

डीलर और फंड मैनेजरोँ:

- (क) यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेश यूनिटधारकोँ के हित में किए जाएँ;
- (ख) पूरी नैतिकता के साथ और पेशेवर की हैसियत से बेहतरीन ढंग से कार्य करने की कोशिश करेंगे, ताकि बाजारों की साख बढ़े;
- (ग) दूसरे मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स (बाजार सहभागियों) के साथ लेनदेन (डीलिंग) करते समय पूरी ईमानदारी बरतेंगे;
- (घ) बिना भेदभाव के कार्य करेंगे और मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स के साथ एक जैसा तथा पारदर्शी तरीके से व्यवहार करेंगे;
- (ङ) सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे, खासतौर पर उनके कामकाज का तरीका और उनका व्यवहार ऐसा न हो, जिन पर सवाल उठाए जा सकें हों;
- (च) सिक्यूरिटीज़ मार्केट, अधिनियम (एक्ट), नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) और परिपत्रों (सर्कुलर्स) के जिन प्रावधानों के दायरे में आते हैं उनका पालन करेंगे और इनमें होने वाले बदलावों आदि की भी पूरी जानकारी रखेंगे;
- (छ) किसी भी तरह की अनैतिक कारोबारी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे या पेशेवर की हैसियत से ऐसा कोई गलत कार्य (जैसे बेईमानी, धोखाधड़ी या छल आदि) नहीं करेंगे या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि उनकी संस्था (उनके संगठन) या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा पर आंच आए;
- (ज) अपनी संस्था की नीतियों के अनुसार जहाँ कहीं भी हित विरोध की स्थिति पैदा हो रही हो या हो सकती हो उसका पता लगाएँगे और उन्हें दूर करेंगे;
- (झ) फंड की ओर से किसी ऐसी काउंटर पार्टी के साथ तब तक ऐसा कोई लेनदेन (ट्रांजेक्शन) नहीं करेंगे, जो प्रयोजक (स्पॉन्सर) / ए.एम.सी. / फंड मैनेजर / डीलर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) का सहयोगी (असोसिएट) हो, जब तक कि ऐसा लेनदेन समुचित दूरी बनाते

हुए उन शर्तों आदि पर और उस कीमत पर न किया जाए जो सर्वोत्तम मानदंडों के अनुरूप हो और जिसके संबंध में कमीशन दर आम तौर पर संस्थाओं की दरों से अधिक न हो;

इस खंड के सिलसिले में, शब्द “सहयोगी” (असोसिएट) का अर्थ होगा:

- (i) ए.एम.सी. और प्रायोजक (स्पोन्सर) मामले में; सहयोगी (असोसिएट) का वही अर्थ होगा, जैसी परिभाषा विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) में दी हुई है; और
 - (ii) फंड मैनेजर / डीलर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) के मामले में, इसमें शामिल होंगे – उनके नातेदार या कोई एंटीटी, जिस पर फंड मैनेजर / डीलर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) का नियंत्रण हो सकता हो;
- (ज) यूनिटधारकों के पैसों (फंड / निधि) के प्रबंधन के कार्य आदि के संबंध में न तो ऐसा कोई लालच देने की कोशिश करेंगे और न ही ऐसे किसी लालच की जाल में फंसेंगे, जिससे कि यूनिटधारकों के प्रति उनके कर्तव्यों को लेकर हितों के टकराव की कोई स्थिति पैदा हो जाए;
- (ट) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में उनके जो भी हित जुड़े हुए हों उन सभी की जानकारी देंगे, जैसा समस्त लागू कानूनी प्रावधानों के तहत जरूरी हो; और
- (ठ) ऐसे किसी उपहार या आवभगत (इंटरटेनमेंट) की पेशकश स्वीकार नहीं करेंगे, जो ए.एम.सी. द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गई नीति के विरुद्ध हो।

(2) जानकारी आदि: कैसे दी जाएगी, क्या-क्या जानकारी दी जाएगी और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी:

डीलर और फंड मैनेजर:

- (क) जो भी जानकारी आदि देंगे वह हमेशा स्पष्ट रूप से दी जाए, पारदर्शी तरीके से दी जाए, सही-सही जानकारी दी जाए और पेशेवर तरीके से दी जाए जिससे कि बाजार में भी पारदर्शिता आए;
- (ख) बाजार खुले रहने के दौरान समस्त संवाद [आमने-सामने किए जाने वाले (फेस टू फेस) संवाद आदि (जिसमें कार्यालय से बाहर की जाने वाली बातचीत आदि भी शामिल है) को छोड़कर] केवल उन्हीं माध्यमों से करेंगे जिनके जरिए संवाद आदि को रिकॉर्ड किया जा सके;
- (ग) इस बात के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे कि यदि उन्हें ऐसा लगे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या फिर बाजार में कोई गलत कार्य आदि किया जा रहा है, तो उसकी सूचना वे जोखिम का कामकाज देखने वाले, पालन सुनिश्चित करने से संबंधित कामकाज देखने वाले और विनियामक (रेग्युलेटरी) कामकाज देखने वाले संबंधित अधिकारियों को दें;

- (घ) मूल्यांकन एजेंसियों (वैल्यूएशन एजेंसी) या ए.एम.सी. की मूल्यांकन समिति (वैल्यूएशन कमेटी) को सही-सही जानकारी देंगे। ए.एम.सी. द्वारा मूल्यांकन की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई हो यदि उससे हटकर कुछ किया जाए, तो उसकी भी जानकारी मूल्यांकन एजेंसियों और ए.एम.सी. की मूल्यांकन समिति को देंगे;
- (ङ) अपने विवेकानुसार बाजार के मिजाज, बाजार की सामान्य स्थिति या उसके रुख के बारे में अपनी राय साझा कर सकेंगे, किंतु कोई गोपनीय जानकारी नहीं देंगे;
- (च) किन्हीं बाहरी व्यक्तियों को ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी (जो आम जनता के लिए उपलब्ध न हो) नहीं देंगे जिससे निवेश के मूल्य पर असर पड़ सकता हो, और न तो ऐसी जानकारी के आधार पर स्वयं कुछ करेंगे तथा न ही किसी और से कुछ करवाएं; और
- (छ) जानबूझकर किसी शेयर आदि (सिक्यूरिटी) की कीमत के बारे में या बाजार में उसकी मांग आदि के बारे में कोई गलत जानकारी या गुमराह करने वाली कोई जानकारी नहीं फैलाएं।

(3) कामकाज से संबंधित मानदंड (एग्जिक्यूशनस स्टैण्डर्ड्स):

(क) फंड मैनेजर:

- (i) सही-सही और पूरी जानकारी के आधार पर ही निवेश संबंधी निर्णय लेंगे, और उन फंडों के संबंध में किए जाने वाले निवेश के लिए जिम्मेदार रहेंगे जिनका वे प्रबंधन करते हों;
- (ii) यदि किन्हीं विशेष शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को खरीदा जा रहा हो या फिर बेचा जा रहा हो, तो ऐसे निर्णय का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखेंगे और साथ ही ऐसे निर्णय लिए जाने के औचित्य का भी विस्तार से उल्लेख करेंगे;
- (iii) ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे या ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएं, जिससे कि बनावटी तौर पर एन.ए.वी. को बढ़िया दिखाया जा सके (एन.ए.वी. की विंडो ड्रेसिंग की जा सके); और
- (iv) ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे या ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएं, जिससे कि म्यूचुअल फंड की स्कीमों के मूल्यांकन (वैल्यूएशन) को गलत तरीके से बढ़ाकर या घटाकर दिखाया जा सके और उनकी मैकॉले अवधि की गणना गलत तरीके से की जाए।

(ख) डीलर और फंड मैनेजर:

- (i) ऐसी तरीके अपनाएं, जिससे कि लेनदेन (डील) निष्पक्ष रूप से और कम समय में पूरे हो सकें;
- (ii) इसका हर संभव प्रयास करेंगे कि सिक्यूरिटीज़ मार्केट की सत्यनिष्ठा पर कोई आंच न आए, और साथ ही वे हेराफेरी करने के इरादे से किए जाने वाले ट्रेड में शरीक भी नहीं होंगे।

- (iii) यदि काउंटर पार्टी ने म्यूचुअल फंड की ओर से लेनदेन करने का वादा किया हो, तो ऐसे में उनके साथ लेनदेन (डील) करते समय जो भी पत्र आदि भेजे जाएँ और जो भी समझौते आदि किए जाएँ उनका पूरा रिकॉर्ड फंड की बहियों (बुक्स) में रखेंगे;
- (iv) शेयर आदि आबंटित किए जाने (सिक्क्यूरिटी अलोकेशन) के उद्देश्य से फायदों (मुनाफे / नुकसान) की रकम या मूल्यांकन (वैल्यूएशन) के आधार पर हुए किसी मुनाफे / नुकसान की रकम ट्रांसफर [जिसमें शामिल है – स्कीमों के बीच किए होने वाले ट्रांसफर (इंटर स्कीम ट्रांसफर) या कोई अन्य ट्रांसफर] किए जाने के उद्देश्य से, किसी एक स्कीम की तुलना में दूसरी स्कीम को तबज्जो नहीं देंगे;
- (v) किसी भी तरीके से सर्कुलर ट्रेडिंग (सौदे घुमाने) [फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए] में शरीक नहीं होंगे;
- (vi) बाजार में खलल पैदा करने, कीमतों को तोड़ने-मरोड़ने, या ट्रेडिंग वॉल्यूम को बनावटी तौर पर बढ़ाने के मकसद से लेनदेन (ट्रांजेक्शन) नहीं करेंगे या ऐसे लेनदेन में शरीक नहीं होंगे;
- (vii) किसी शेयर आदि (सिक्क्यूरिटीज़) की बाजार से परे (ऑफ मार्केट) जो कीमतें हों उन कीमतों पर उनकी खरीद और बिक्री साथ-साथ नहीं करेंगे, जिससे कि उस शेयर आदि (उन शेयरों आदि) की सप्लाई (आपूर्ति), उसकी (उनकी) मांग, या उसके (उनके) बाजार भाव के बारे में गलत या गुमराह करने वाले संकेत मिलें;
- (viii) जिन शेयरों आदि में बार-बार ट्रेडिंग न होती हो, यानि कि जिनमें हर महीने के दौरान / तिमाही के दौरान में या वर्ष के दौरान बाजार के बंद होने की तारीख तक ट्रेडिंग न होती हो, उनके भाव (उनकी कीमतों) में हेराफेरी नहीं करेंगे;
- (ix) किसी प्रतिभूति (सिक्क्यूरिटी) [जिसमें सरकारी प्रतिभूति (सिक्क्यूरिटी) भी शामिल है] को बेचने या खरीदने के लिए इंतजाम (अरेंजमेंट) नहीं करेंगे, जहाँ बेनिफिशियल इंटरैस्ट में कोई बदलाव न होता हो या जिसमें कोई बाजार जोखिम (मार्केट रिस्क) न हो अथवा जहाँ बेनिफिशियल इंटरैस्ट या बाजार जोखिम का ट्रांसफर केवल उन्हीं पक्षों के बीच हो जो एक ही इरादे से कार्य कर रहे हों या मिलीभगत से कार्य कर रहे हों;
- (x) न तो “रूटिंग डील” {यानि कि किसी दूसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) [जिसके पास सिक्क्यूरिटी को खरीदने के लिए पैसा न हो] के कहने पर शेयर आदि (सिक्क्यूरिटी) को यह समझौता करके खरीदना कि बाद में किसी दिन पहले से तय कीमत (फिर चाहे उसका संबंध बाजार से हो या न हो) पर उस अन्य पक्ष को वह शेयर आदि (सिक्क्यूरिटी) बेच दिए जाएंगे} करेंगे और न ही उसमें शरीक होंगे;
- (xi) ट्रेड न करने के इरादे से ऐसे बिड (ऐसी बोलियाँ) नहीं डालेंगे और ऐसी कोई पेशकश नहीं करेंगे जो मार्केट रेंज (जो उसकी संस्था द्वारा निर्धारित हो) से बाहर हों;

- (xii) मार्केट पार्टिसिपेंट्स को गुमराह करने के इरादे से ऐसे कोटेशन नहीं डालेंगे, जिनका वास्तव में कोई मायना न हो; और
- (xiii) किसी अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) को किसी महीने / तिमाही के अंत में यह समझौता करके शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) नहीं बेचेंगे कि वे बाद में किसी दिन उन्हें खरीद लेंगे, फिर चाहे ऐसा किसी भी उद्देश्य (जैसे कि कुछ समय के लिए लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए या फिर महीने के अंत में जानकारी देने से बचने के लिए) से किया जाए।

पाँचवी अनुसूची**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026****[विनियम 28]****विज्ञापन संहिता (कोड)**

- (क) विज्ञापनों में सही-सही जानकारी दी जाए, निष्पक्ष रूप से जानकारी दी जाए, सरल शब्दों में दी जाए, पूरी जानकारी दी जाए, स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाए और संक्षिप्त रूप से जानकारी दी जाए और साथ ही जो भी जानकारी दी जाए वे गुमराह करने वाली न हो।
- (ख) विज्ञापनों में अनुमानों आदि के आधार पर ऐसे विवरण न दिए जाएँ या ऐसा कुछ न कहा जाए जो गलत हो, जिससे गुमराह किया जा सकता हो, जिससे पक्षपात हो सकता हो या जिसके आधार पर धोखाधड़ी की जा सकती हो, और विज्ञापनों में किसी भी बात के आधार पर स्कीम आदि या रैंकिंग के बारे में बढ़ाचढ़ाकर कुछ भी न कहा जाए।
- (ग) विज्ञापनों को इस प्रकार तैयार न किया जाए कि उसे पढ़ने से कुछ और ही समझ में आए या फिर जिससे किसी विवरण को छिपाने की गुंजाइश बढ़ जाए। विज्ञापनों में ऐसा कुछ शामिल न हो जिससे कि निवेशक को या तो सीधे-सीधे या फिर किसी और तरीके से गुमराह किया जा सके या फिर कोई जानकारी छिपाकर गुमराह किया जा सके।
- (घ) विज्ञापनों में कोई भी ऐसा नारा (स्लोगन) न हो जिसमें बढ़ाचढ़ाकर कुछ कहा गया हो या जो प्रोडक्ट (उत्पाद) की रिस्क (के जोखिम) और रिटर्न प्रोफाइल से बिल्कुल भी मेल न खाता हो या फिर जिसका प्रोडक्ट (उत्पाद) की रिस्क (के जोखिम) और रिटर्न प्रोफाइल से कोई सरोकार ही न हो।
- (ङ) कोई भी सेलिब्रिटी (प्रसिद्ध व्यक्ति) विज्ञापन का हिस्सा न बने।
- (च) विज्ञापन इस तरह से तैयार न किए जाएँ, जिससे कि निवेशकों में अनुभव और उनमें जानकारी की जो कमी है उसका फायदा उठाया जा सके। विज्ञापनों में न तो ऐसी तकनीकी या कानूनी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए, न तो उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा (जो आसानी से समझ में ही न आए) और न ही उसमें इस प्रकार जरूरत से ज्यादा ब्यौरे दिए जाएँ, जिससे कि निवेशकों की दिलचस्पी ही समाप्त हो जाए।
- (छ) विज्ञापनों में जो भी जानकारी दी जाए वह समय रहते ही दी जाए और साथ ही वह जानकारी एस.आई.डी. (स्कीम सूचना दस्तावेज / स्कीम इन्फॉर्मेशन डाक्यूमेंट), एस.ए.आई. (अतिरिक्त जानकारी के विवरण / स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन) और के.आई.एम. (मुख्य सूचना ज्ञापन / की इन्फॉर्मेशन मैमोरैंडम) में दी गई जानकारी के अनुरूप हो।
- (ज) किसी भी विज्ञापन में न तो सीधे-सीधे और न ही किसी और तरीके से किसी दूसरे विज्ञापनों को लेकर कोई आपत्तिजनक बात न की जाए और न ही उसमें किसी और विज्ञापन से उसकी कोई तुलना ही की जाए।

- (झ) विज्ञापनों के साथ साफ-साफ अक्षरों में उस चेतावनी का भी उल्लेख किया जाएगा जो आम तौर पर दी जाती है – ‘म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें’। इस चेतावनी में किसी भी तरह का बदलाव न किया जाए।
- (ञ) स्थानीय भाषा (भाषाओं) में जारी किए जाने वाले विज्ञापनों में स्थानीय भाषाओं में भी वही चेतावनी दी जाए जिसका उल्लेख खंड (झ) में किया गया है।
- (ट) ऑडियो-विजुअल मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों में यह चेतावनी लिखी हुई भी दिखेगी और साथ ही इसे साफ-साफ शब्दों में इस तरह से पढ़ा जाएगा कि वह सुनने वालों को साफ-साफ समझ में आ जाए। उदाहरण के तौर पर, जो चेतावनी लिखी हुई दिखेगी और जो पढ़ी जाएगी उन दोनों में ही सोलह (16) शब्द होंगे और जो कम से कम पाँच (5) सेकंडों तक दिखेंगे भी व पढ़े भी जाएँगे, और तभी यह माना जाएगा कि चेतावनी साफ-साफ दिखाई व सुनाई गई है और जो समझ में भी आ रही है।

छठी अनुसूची**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026****[विनियम 41(1)]****निवेश पर पाबंदियाँ**

1. म्यूचुअल फंड की स्कीम इक्विटी शेयरों, इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रुमेंट्स और डेट इंस्ट्रुमेंट्स में केवल तभी निवेश करेगी जब ये या तो सूचीबद्ध (लिस्ट) हो चुके शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) हों या फिर सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने वाले शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) हों, हालाँकि म्यूचुअल फंड:
 - (क) असूचीगत (अनलिस्टिड) सरकारी प्रतिभूतियों और मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स (कॉमर्शियल पेपर को छोड़कर) में भी निवेश कर सकता है; और
 - (ख) असूचीगत (अनलिस्टिड) नॉन-कन्वर्टिबल (असंपरिवर्तनीय) डिबेंचरों में उतना निवेश उसी प्रकार कर सकता है, जैसा बोर्ड बताए।
2. म्यूचुअल फंड की स्कीम उन डेट इंस्ट्रुमेंट्स, जिनकी रेटिंग न हुई हो (अनरेटेड डेट इंस्ट्रुमेंट्स), में निवेश उन शर्तों के तहत करेगी, जो बोर्ड समय-समय पर बताए।
3. कोई स्कीम उसी म्यूचुअल फंड की किसी दूसरी स्कीम या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम में बिना कोई फीस लिए निवेश कर सकती है, किंतु ऐसे निवेश के संबंध में वे सीमाएँ लागू होंगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाएँ। यह प्रावधान फंड ऑफ फंड्स स्कीम के मामले में लागू नहीं होगा।
4. म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम किसी फंड ऑफ फंड्स स्कीम में कोई निवेश नहीं करेगी।
5. फंड ऑफ फंड्स स्कीम के मामले में निवेश के संबंध में निम्नलिखित पाबंदियाँ लागू होंगी:
 - क. कोई फंड ऑफ फंड्स स्कीम किसी दूसरी फंड ऑफ फंड्स स्कीम में निवेश नहीं करेगी; और
 - ख. कोई फंड ऑफ फंड्स स्कीम अपने असेट्स का निवेश म्यूचुअल फंड की स्कीमों को छोड़कर कहीं और नहीं करेगी [यूनिटों की पुनर्खरीद करने (रीपर्चेज़) या यूनिटें रिडीम करने (रिडेंम्पशन) हेतु किए गए निवेदनों के संबंध में भुगतान करने के लिए पैसों (लिक्विडिटी) की जरूरत को पूरा करने हेतु जितने पैसों की जरूरत हो, उसे छोड़कर], जैसा कि ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) में जिक्र किया गया हो।
6. प्रत्येक म्यूचुअल फंड शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की खरीद और बिक्री डिलीवरी के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की डिलीवरी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में शेयर आदि डिलीवर करेगा:

परंतु यह कि म्यूचुअल फंड शेयरों आदि की शॉर्ट सेलिंग कर सकता है, किंतु उसे शॉर्ट सेलिंग और शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को उधार देने व उधार पर लेने के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए प्रावधानों का पालन करना होगा:

परंतु यह और कि म्यूचुअल फंड मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव में भी लेनदेन (ट्रांजेक्शन) कर सकता है, किंतु उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए प्रावधानों का पालन करना होगा:

परंतु यह और कि जिस सरकारी प्रतिभूति को खरीदने के लिए कोई करार आदि पहले ही किया जा चुका हो उस सरकारी प्रतिभूति की बिक्री करने की भी अनुमति होगी, किंतु ऐसा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

7. प्रत्येक म्यूचुअल फंड, खरीदे गए या ट्रांसफर किए गए शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को संबंधित स्कीम की ओर से उस म्यूचुअल फंड के नाम पर ही रखेगा, हालाँकि उन शेयरों आदि के मामले में ऐसा करना जरूरी नहीं होगा, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
8. जब तक स्कीम के निवेश के उद्देश्यों के अनुसार स्कीम के पैसों (फंड) का निवेश न कर दिया जाए, तब तक म्यूचुअल फंड वे पैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अल्पकालिक जमाओं (शॉर्ट-टर्म डिपॉज़िट्स) में रख सकेगा, हालाँकि इस संबंध में उन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा जो बोर्ड द्वारा बताए जाएँ।
9. म्यूचुअल फंड की स्कीमों द्वारा निवेश करते समय बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई गई सीमाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

सातवीं अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026

[विनियम 22(9)(ख)(i), 63(9)(ख)(ii)]

निवेश के मूल्यांकन के संबंध में मानदंड

सही-सही मूल्यांकन के जाने के संबंध में सिद्धांत

म्यूचुअल फंड अपने निवेश का मूल्यांकन मोटे तौर पर नीचे दिए गए सिद्धांतों के अनुसार करेगा, ताकि सभी स्कीमों के सभी निवेशकों (जिनमें मौजूदा निवेशकों के साथ-साथ वे निवेशक भी शामिल हैं जो म्यूचुअल फंड की यूनितें खरीदना या रिडीम करना चाहते हों) के साथ कभी भी कोई भेदभाव न हो पाए:

- (क) निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन के उन सिद्धांतों के आधार पर किया जाए जो सही हो, यानि कि – मूल्यांकन के बाद यह साफ तौर पर पता चल जाए कि किसी निश्चित तारीख को यदि शेयर आदि बेचे / असेट्स (संपत्तियाँ) बेची जाएँ तो क्या भाव मिलेगा।

- (ख) मूल्यांकन सद्भावपूर्वक किया जाए, सही-सही किया जाए व निष्पक्ष रूप से किया जाए, और साथ ही मूल्यांकन करते समय ए.एम.सी. के बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के संबंध में मंजूर की गई नीतियों व प्रक्रियाओं (बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप) का भी पालन किया जाए।
- (ग) म्यूचुअल फंड की स्कीम द्वारा नई तरह की सिक्यूरिटीज़ / नए तरह के असेट्स में निवेश केवल तभी किया जाए, जब उन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के मूल्यांकन के संबंध में प्रक्रियाएँ आदि निर्धारित हो जाएँ तथा उनके संबंध में ए.एम.सी. के बोर्ड की मंजूरी भी मिल जाए।
- (घ) मूल्यांकन की नीतियाँ व प्रक्रियाएँ (जैसी कि ए.एम.सी. के बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई हो) निर्धारित करते समय निम्नलिखित का भी जिक्र किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) / असेट्स (संपत्तियों) के मूल्यांकन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह पर्याप्त है, उससे सही-सही मूल्यांकन हो पाएगा और उसे कारगर ढंग से अमल में लाया जाएगा:
- उन विस्तृत प्रक्रियाओं का, जिनका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड की स्कीमों के पास पड़े हर तरह के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) / असेट्स (संपत्तियों) का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा;
 - यह कि यदि ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति सामने आ जाए, जहाँ किसी विशेष शेयर आदि (सिक्यूरिटी) के मामले में बाजार भाव विश्वसनीय न रह जाए, तो ऐसे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उस प्रक्रिया का इस्तेमाल किन-किन परिस्थितियों में किया जाएगा, और यदि उसके इस्तेमाल से कोई असर आदि पड़ रहा हो, तो उसका भी जिक्र किया जाएगा;
 - ए.एम.सी. द्वारा मूल्यांकन के संबंध में अपनाई जाने वाली नीतियों व प्रक्रियाओं की समीक्षा कितने-कितने समय में की जाएगी (हालाँकि वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना जरूरी होगा); और
 - हितों के टकराव की स्थिति से कैसे निपटा जाएगा।
- (ङ) ए.एम.सी. के यहाँ वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ भी हों, जिनसे कि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई गलत मूल्यांकन तो नहीं किया गया और साथ ही उसे रोका भी जा सके।
- (च) मूल्यांकन के संबंध में अपनाई जाने वाली नीतियों व प्रक्रियाओं की समीक्षा किसी स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा भी नियमित रूप से की जाए (हालाँकि वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना जरूरी होगा), ताकि हमेशा ही उनकी सटीकता सुनिश्चित हो सके।
- (छ) मूल्यांकन के संबंध में अपनाई जाने वाली नीतियों व प्रक्रियाओं की ए.एम.सी. और ऑडिटर द्वारा समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा से जो निष्कर्ष सामने आए उससे ट्रस्टी के बोर्ड तथा ए.एम.सी. के बोर्ड को अवगत कराया जाए, जैसा कि इन विनियमों में जिक्र किया गया है।
- (ज) मूल्यांकन के संबंध में अपनाई जाने वाली नीतियों व प्रक्रियाओं (जैसी कि ए.एम.सी. के बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई हो) का जिक्र [यानि कि शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) / असेट्स की जिन-जिन श्रेणियों में स्कीम निवेश करेगी उनके मूल्यांकन के संबंध में क्या प्रक्रियाएँ अपनाई जाएंगी, किन-किन परिस्थितियों में ये प्रक्रियाएँ अपनाई जाएंगी, और इन प्रक्रियाओं की वजह से क्या-क्या असर पड़ेगा] एस.ए.आई. ('अतिरिक्त

जानकारी के विवरण' / स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन) में किया जाए, उन्हें ए.एम.सी. की वेबसाइट पर डलवाया जाए और वहाँ-वहाँ भी डलवाया जाए जहाँ बोर्ड डलवाने को कहे, ताकि यह साफ पता चल पाए कि ए.एम.सी. मूल्यांकन के संबंध में क्या प्रक्रिया अपना रही है व पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

- (झ) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) का सही-सही मूल्यांकन करने तथा निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने और सही-सही एन.ए.वी. निकालने की जिम्मेदारी ए.एम.सी. की होगी, फिर भले ही मूल्यांकन के संबंध में अपनाई जाने वाली नीतियों व प्रक्रियाओं (जिन्हें मंजूरी भी किया गया हो) की जानकारी दी गई हो, यानि कि यदि मूल्यांकन के संबंध में जो नीतियाँ व प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं यदि उनसे निष्पक्ष रूप से / सही-सही मूल्यांकन न हो पा रहा हो, तो उसके लिए ए.एम.सी. ही जिम्मेदार रहेगी। असेट्स (संपत्तियों) / शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) का सही मूल्य निकालने के उद्देश्य से ए.एम.सी. मूल्यांकन के संबंध में उपरोक्तानुसार निर्धारित की गई नीतियों व प्रक्रियाओं से हटकर कोई और तरीका भी अपना सकेगी:

परंतु यह कि मूल्यांकन के संबंध में अपनाई जाने वाली जिन नीतियों व प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई हो, यदि उनसे हटकर कुछ भी किया जाता है, तो उसे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके औचित्य भी बताए जाएँगे, और साथ ही उसकी रिपोर्ट ट्रस्टी कंपनी के निदेशक मंडल और ए.एम.सी. के निदेशक मंडल को दी जाएगी तथा निवेशकों को भी इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी।

- (ञ) म्यूचुअल फंड अपने निवेश का मूल्यांकन करते समय बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करेगी। यदि निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने के संबंध में उपरोक्तानुसार निर्धारित सिद्धांतों और बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों में कहीं कोई अंतर आ जाए, तो ऐसे में मूल्यांकन करने के संबंध में उपरोक्तानुसार निर्धारित सिद्धांत का ही पालन किया जाए।

आठवीं अनुसूची**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026****[विनियम 72(6), 69(3)(ग)]****अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड****शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने के लिए**

- (क) वित्तीय विवरणों के सिलसिले में, म्यूचुअल फंड किए गए सभी निवेश बाजार भाव (मार्केट वैल्यू) पर दर्शाएंगे और तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में निवेश बाजार भाव (मार्केट वैल्यू) पर दर्शाएंगे। निवेश निकाले जाने या रिडीम किए जाने पर असल में जो मुनाफा या नुकसान होगा और साथ ही भाव जितना बढ़ा या घटा होगा, उसे सभी वित्तीय विवरणों के अंतर्गत रेविन्यू अकाउंट में दर्शाया जाएगा। हालाँकि, किए गए निवेश का भाव बढ़ने पर जो मुनाफा होता दिखेगा उसे बाँटा तो नहीं जा सकेगा, इसीलिए इस प्रकार प्रावधान किया जाए कि जब कभी भी यह नीकाला जाता हो कि कितनी आमदनी को बाँटी जानी है, इसे न गिना जाए।
- (ख) किसी स्कीम को लाभांश (डिविडेंड) से जो आमदनी होगी उसे उस तारीख के भाव पर नहीं दर्शाया जाएगा जिस तारीख को लाभांश की घोषणा की गई हो बल्कि उस तारीख के भाव पर दर्शाया जाएगा जिस तारीख को एक्स-डिविडेंड बेसिस के आधार पर शेयर का भाव दर्शाया गया हो। जिन निवेश का भाव स्टॉक एक्सचेंज में नहीं दिखता उनके मामले में लाभांश से हुई आमदनी को लाभांश की घोषणा किए जाने की तारीख को हुई आमदानी के तौर पर ही दर्शाया जाएगा।
- (ग) जिन निवेश पर ब्याज मिलता हो, उनसे हुई आमदनी उसी दिन दर्शाई जाएगी जिस दिन वह हुई हो। इसीलिए, जब ऐसे निवेश खरीदे जाएँ, तो ऐसे में अदा किए गए ब्याज (जो उस अवधि का हो, जो अंतिम बार ब्याज देय होने की तारीख से लेकर खरीद की तारीख के बीच की अवधि हो) को खरीद की लागत नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे इंटरस्ट रीकवरेबल अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। इसी तरह, बिक्री के समय मिले ब्याज (जो उस अवधि का हो, जो अंतिम बार ब्याज देय होने की तारीख से लेकर बिक्री की तारीख के बीच की अवधि हो) को बिक्री के भाव में जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसे इंटरस्ट रीकवरेबल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा।
- (घ) निवेश का होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए और निवेश की बिक्री से हुआ मुनाफा या नुकसान निकालने के लिए “वेटिड एवरेज कॉस्ट” निकालना होगा।
- (ङ) निवेश (इन्वेस्टमेंट्स) करने के लिए खरीद या बिक्री का ट्रांजेक्शन उस दिन का माना जाएगा जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ हो न कि सेटलमेंट, ताकि एक वित्तीय वर्ष के दौरान इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी सौदे डाले गए वे सभी उस वर्ष के वित्तीय विवरण में दर्ज हो जाएँ। जहाँ सिक्यूरिटीज़ मार्केट के बाहर

लेनदेन (सौदे) किए जाएँ, जैसे कि या तो प्राइवेट प्लेसमेंट करके कुछ अर्जित (एक्वायर) किया जाए या फिर आपसी समझौते के जरिए कोई खरीद या बिक्री की जाए, तो वहाँ खरीद के मामले में ट्रांजेक्शन उस तारीख का दर्ज किया जाएगा जिस तारीख को कीमत अदा करने का दायित्व बन जाए, और बिक्री के ट्रांजेक्शन के मामले में उस तारीख का दर्ज किया जाएगा जिस तारीख को पैसा आना तय हो जाए या फिर बेचे गए इन्वेस्टमेंट की डिलीवरी करने का दायित्व बन जाए।

- (च) जिस स्कीम के तहत बोनस शेयर मिलने हों, उन्हें तभी दर्शाया जाएगा जब जिन शेयरों पर बोनस शेयर मिलने हों उनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में एक्स-बोनस बेसिस पर की जाए। इसी तरह, राइट्स एन्टाइटलमेंट को भी तभी दर्शाया जाएगा जब जिन शेयरों पर राइट्स एन्टाइटलमेंट मिलनी हो, उनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में एक्स-राइट्स बेसिस पर की जाए।
- (छ) जहाँ निवेश पर मिलने वाली आमदनी देय तो हो गई हो किंतु मिली न हो या जो डैट सिक्यूरिटीज़ इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे की श्रेणी की हों, उनके मामले में रेविन्यू अकाउंट में इस तरह देय आमदनी को उसी तरह डेबिट किया जाएगा, जिस तरह डेबिट करने का जिक्र बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में किया गया हो।
- (ज) यदि किसी ओपन एंडेड स्कीम की यूनितों की बिक्री की जाती है, तो ऐसे में यदि बिक्री से मिलने वाली रकम यूनित की फेस वैल्यू से ज्यादा हो, तो उनके बीच जितनी रकम का अंतर हो उसे रिज़र्व में क्रेडिट किया जाएगा और यदि कम हो, तो उनके बीच जितनी रकम का अंतर हो उसे रिज़र्व से डेबिट किया जाएगा, और फेस वैल्यू को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह, जब उस स्कीम में यूनितें फिर से खरीदी जाती हैं, तो ऐसे में यदि खरीदने के लिए अदा की जाने वाली रकम यूनित की फेस वैल्यू से ज्यादा हो, तो उनके बीच जितनी रकम का अंतर हो उसे रिज़र्व से डेबिट किया जाएगा और यदि कम हो, तो उनके बीच जितनी रकम का अंतर हो उसे रिज़र्व में क्रेडिट किया जाएगा, और फेस वैल्यू को कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया जाएगा।
- (झ) ओपन एंडेड स्कीम के मामले में:

- (1) जब यूनितों की बिक्री की जाए, तब बिक्री से मिलने वाले पैसों में से एक वाजिब हिस्सा इक्वलाइज़ेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, और जब यूनितों की पुनर्खरीद की जाए, तब एक वाजिब हिस्से को इक्वलाइज़ेशन अकाउंट से डेबिट कर दिया जाए। इक्वलाइज़ेशन अकाउंट में कुल-मिलाकर जो शेष रकम रहे, उसे रेविन्यू अकाउंट में क्रेडिट या से डेबिट किया जाएगा। इक्वलाइज़ेशन अकाउंट की जो शेष रकम रेविन्यू अकाउंट में क्रेडिट या से डेबिट की जाए, उससे फंड को कुल-मिलाकर होने वाली आमदनी घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए, बल्कि उसका एडजस्टमेंट केवल डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस से ही किया जाना चाहिए। इसीलिए, इसे रेविन्यू अकाउंट में तभी दर्शाया जाए, जब फंड को कुल-मिलाकर होने वाली आमदनी निकाल ली जाए।

- (2) ट्रस्टी यदि जरूरी हो, तो बाँटे जाने वाले मुनाफे में से कुछ हिस्सा डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिज़र्व में ट्रांसफर कर सकेंगे। हालांकि, ट्रांसफर किए जाने पर भी इक्विलाइजेशन अकाउंट से संबंधित प्रावधान का पालन तो करना ही होगा [जैसा ऊपर झ(1) में जिक्र किया गया है]।
- (ज) जिन निवेश की खरीदी या बिक्री की जाए, उनके मामले में उनकी खरीद या बिक्री जिस कीमत पर की गई हो वही कीमत अकाउंट्स में दिखाई जाएगी [जिसमें से लेनदेन पर हुए सभी खर्चे घटाए जाएंगे, जैसे ब्रोकरेज, स्टॉप शुल्क तथा कोई और शुल्क]।
- (ट) जिन निवेश में कोई ट्रेडिंग न होती हो, उनका भाव सातवीं अनुसूची में सही-सही मूल्यांकन के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार ही निकाला जाएगा।

नवीं अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026

[विनियम 68]

वार्षिक रिपोर्ट

1. वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी -

- (i) वर्ष के दौरान फंड की अलग-अलग स्कीमें कैसे चलाई गई और पूरा फंड कैसा चलाया गया और साथ ही आगे चलकर फंड की स्थिति क्या होगी, इन सभी पहलुओं पर ट्रस्टी कंपनी की रिपोर्ट;
- (ii) इस अनुसूची के पैरा 2, 3 एवं 4 के अनुसार बैलेंस शीट और रेविन्यू अकाउंट;
- (iii) इस अनुसूची के पैरा 5 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट;
- (iv) निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में ट्रस्टी कंपनी का संक्षिप्त विवरण, अर्थात्:-
 - (क) ट्रस्टीज़ और सेटलर की देनदारियाँ (लाइबिलिटी) और जिम्मेदारियाँ;
 - (ख) प्रत्येक स्कीम के निवेश के उद्देश्य;
 - (ग) स्कीम के तहत निवेश किस आधार पर किया जाता है और निवेश की नीति क्या है;
 - (घ) चूंकि स्कीम ऐसी स्क्रिप या शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करती है, जिनका भाव घट-बढ़ सकता है, इसलिए इस तरह का एक कथन दिया जाए:

“यूनिटों का भाव और रिडीम करते समय उनका भाव और उनसे होने वाली आमदनी उन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के बाज़ार भाव के मुताबिक घट-बढ़ सकती है, जिनमें स्कीम के अंतर्गत निवेश किया गया हो”; और
 - (ङ) स्कीम के प्रदर्शन के संबंध में ट्रस्टीज़ की टिप्पणियाँ (पूरा स्पष्टीकरण देते हुए)।
- (v) इस अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार हर यूनिट के संबंध में पिछले संबंधित आंकड़ों का विवरण; और
- (vi) इस तरह का एक कथन:

“अभी जो यूनिटधारक / निवेशक हैं और जो भी यूनिटधारक / निवेशक बनेंगे, वे लिखित में निवेदन करके, ट्रस्ट डीड, वार्षिक रिपोर्ट और स्कीम से जुड़े दस्तावेजों की कागजी प्रति नाममात्र (नॉमिनल) शुल्क अदा करके प्राप्त कर सकते हैं।”

2. लेखा नीतियाँ: आठवीं अनुसूची में दी हुई लेखा नीतियाँ अपनाई जाएंगी।

3. तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में क्या-क्या जानकारी दी जाएगी

- i. तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में हर स्कीम की असेट्स और लाइबिलिटीज़ का विवरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में दिया जाएगा। इसमें यह भी बताया जाएगा कि निवेश का भाव निकालने के लिए कौन-सी लेखा नीतियाँ (अकाउंटिंग पॉलिसी) अपनाई गईं।
- ii. शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए निवेश का कुल बाजार मूल्य हर तरह के निवेश के संबंध में अलग-अलग दिखाया जाएगा, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिड कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर या बॉण्ड में किया गया निवेश और साथ ही यह भी साफ-साफ बताया जाएगा कि किन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) किया गया है, किन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) किया जाना है, और कौन-से असूचीगत (अनलिस्टिड) हैं।
- iii. तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में यह बताया जाएगा कि शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए हर तरह के निवेश में जो निवेश इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे की श्रेणी या डिफॉल्ट की श्रेणी के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किया गया है, उनका कुल बाजार भाव या उचित भाव (फेयर वैल्यू) कितना रहा। किसी शेयर आदि को इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे की श्रेणी या डिफॉल्ट की श्रेणी में रखने के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में बताया गया है।
- iv. तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में यह बताया जाएगा कि लेखा (अकाउंटिंग) वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार प्रति यूनिट नेट असेट वैल्यू (एन.ए.वी.) कितनी रही।
- v. जैसा कि कंपनियों के मामले में किया जाता है, तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में प्रत्येक मद के सामने, पिछले लेखा (अकाउंटिंग) वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार संबंधित आँकड़े भी दिए जाने चाहिए।
- vi. तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की टिप्पणियों में निवेश के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए:
 - क. सभी निवेश को तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में किए गए मुख्य वर्गीकरण के अनुसार ही दिया जाएगा;
 - ख. प्रत्येक मुख्य वर्गीकरण में, बड़े इंडस्ट्री ग्रुप के तहत किए गए निवेश का कुल मूल्य (जो मुख्य वर्गीकरण में किए गए कुल निवेश के 5% से कम न हो) की जानकारी उसके प्रतिशत के साथ दी जाएगी और साथ ही यह जानकारी भी दी जाएगी कि उस वर्गीकरण के तहत कुल कितना निवेश किया गया;
 - ग. स्कीम के निवेश की पूरी सूची ए.एम.सी. के पास निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी;
 - घ. ए.एम.सी. को मैनेजमेंट फीस जिस आधार पर अदा की गई और वह कैसे निकाली गई;
 - ङ. जिस एंटीटी में किसी ए.एम.सी. या उसके बड़े शेयरधारकों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा हो (जो इक्विटी कैपिटल के 10% से कम न हो), यदि उस एंटीटी को ब्रोकरेज, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन,

कस्टोडियल फीस या सेवाओं के सिलसिले में कोई रकम अदा की गई हो या की जानी हो, तो ऐसे में रेविन्यू अकाउंट से जो रकम डेबिट की गई हो या जिस रकम को ऐसी सेवाओं के संबंध में निवेश की लागत माना गया हो, उसकी जानकारी ए.एम.सी. या उसके बड़े शेयरधारकों के हितों के व्यौरों के साथ अलग से भी देनी होगी;

च. वर्ष के दौरान जिन निवेश की खरीदी और बिक्री की गई, उनका कुल मूल्य कितना है (इसे एवरेज नेट असेट के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाए);

छ. यदि किन्हीं शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) [डैट सिक्यूरिटीज़ को छोड़कर] में किए गए निवेश में ट्रेड न किया गया हो और उनके संबंध में सद्भावपूर्वक निकाला गया मूल्य वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार नेट असेट्स के 5% से अधिक हो जाए, तो ऐसे में यह बताया जाए कि उस निवेश का कुल मूल्य कितना है और नेट असेट्स की तुलना में उस निवेश का प्रतिशत भी दर्शाया जाए। जिन डैट सिक्यूरिटीज़ के मामले में वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य को छोड़कर कोई दूसरा मूल्य दिखाया जाए, उन सिक्यूरिटीज़ का कुल मूल्य बताया जाए और नेट असेट्स की तुलना में उनका प्रतिशत भी दर्शाया जाए; और

ज. यूनिट कैपिटल में बदलाव की जानकारी दी जाए।

यूनिट कैपिटल में बदलाव की जानकारी कैसे दी जा सकती है, यह नीचे बताया गया है:

	यूनिटों की संख्या	(रु. लाख में)
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में कितनी यूनिट कैपिटल रहीं [उनका बैलेस (शेष)]	12,50,00,000	12,500.00
अवधि के दौरान नए फंड / प्लान ऑफर, अवधि के दौरान इश्यू की गई कैपिटल (डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट सहित) आदि	1,27,50,000	1,275.00
अवधि के दौरान कितनी यूनिट कैपिटल रिडीम हो गई	(15,40,000)	(154.00)
अवधि की समाप्ति पर कितनी यूनिट कैपिटल बच गई [उनका शेष (बैलेस)]	13,62,10,000	13,621.00

टिप्पणी: यूनिट कैपिटल प्लान / ऑप्शन के अनुसार ब्रेक-अप दें।

- झ. कंपनी के नाम का उल्लेख करे और साथ ही यह जानकारी दें कि प्रत्येक स्कीम द्वारा ग्रुप की प्रत्येक कंपनी में कितनी रकम का निवेश किया गया और स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनियों की सभी स्कीमों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया;
- ज. स्कीम की कुल आमदनी निकालते समय यह भी हिसाब में लिया जाएगा कि किए गए निवेश के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई या कमी आई।

	रु. (लाख में)	रु. (लाख में)
रेविन्यू अकाउंट के अनुसार कुलमिलाकर हुई (नेट) आमदनी		100
जोड़ें : 1 अप्रैल, 1994 के अनुसार उस रकम का शेष जो बांटी नहीं गई (जो पिछली अवधि में भी दिखाई गई थी और इस अवधि में भी दिखाई गई)		20
		120
घटाएँ : किए गए निवेश जिस भाव पर किया गया था, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई		30
31 मार्च, 1995 तक की स्थिति के अनुसार		15
1 अप्रैल, 1994 तक की स्थिति के अनुसार		(15)
		105
घटाएँ : यूनिटधारकों को जितनी रकम बाँटी गई	80	
रिजर्व में ट्रांसफर	5	(85)
		20

- vii. डाउटफुल डिपॉज़िट, डाउटफुल डैट और डाउटफुल आउटस्टैंडिंग और एक्कूड इनकम के लिए जो भी प्रावधान (प्रोविज़न) किए गए, उन्हें तुलन-पत्र (बैलेस शीट) के देनदारियों (लाइबिलिटी) वाले हिस्से में प्रोविज़न के तहत नहीं दिखाया जाएगा, किंतु उस संबंधित असेट के कुल मूल्य में से घटाकर दर्शाया जाएगा।
- viii. सभी कंटेनजेंट लाइबिलिटी, पार्टली पेड शेयरों के मामले में अनकॉलड लाइबिलिटी और दूसरे कमिटमेंट (ब्यौरों सहित) की जानकारी।

4. रेविन्यू अकाउंट में क्या-क्या जानकारी दी जाएगी

- (i) रेविन्यू अकाउंट में म्यूचुअल फंड की आमदनी, उसके खर्चे और सरप्लस के विवरण स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में दिए जाएंगे।
- (ii) यदि रेविन्यू अकाउंट में दिखाए गए निवेश की बिक्री से हुए मुनाफे में एक ही म्यूचुअल फंड की स्कीमों के बीच हुए निवेश के ट्रांसफर से हुआ मुनाफा / नुकसान शामिल हो, तो कुल-मिलाकर कितना मुनाफा हुआ उसकी जानकारी अलग से दी जाएगी और उसे अन्य पक्षों (थर्ड पार्टी) को जो निवेश बेचे गए उनसे हुए मुनाफे / नुकसान के साथ जोड़कर नहीं दिखाया जाएगा।
- (iii) रेविन्यू अकाउंट में निम्नलिखित जानकारी भी दी जाएगी:
 - (क) डाउटफुल डिपॉज़िट, डैट और आउटस्टैंडिंग तथा होने वाली आमदनी के कुल मूल्य के लिए कितना प्रावधान (प्रोविज़न) किया गया;
 - (ख) निवेश की बिक्री और उसे रिडीम करने से हुए मुनाफे या नुकसान को सकल आधार पर दिखाया जा सकेगा;
 - (ग) कस्टोडियन और रजिस्ट्रार की फीस के ब्यौरे; और
 - (घ) कुल आमदनी और खर्च जो एवरेज नेट असेट के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाएगा, और जो हर दिन निकाला जाएगा।

5. ऑडिटर की रिपोर्ट

- (i) सभी म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के अनुसार अपने अकाउंट का ऑडिट करवाना होगा।
- (ii) ऑडिटर ट्रस्टी कंपनी को रिपोर्ट करेगा, न कि यूनिटधारकों को।
- (iii) ऑडिटर की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी।
- (iv) ऑडिटर यह जानकारी देगा कि:
 - 1) क्या उसने वह समस्त जानकारी ले ली है और वे समस्त स्पष्टीकरण ले लिए हैं, जो उसके हिसाब से ऑडिट करने के लिए जरूरी हों; और

2) क्या तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) और रेविन्यू अकाउंट के आंकड़े फंड के बही-खातों के आंकड़ों से मेल खाते हैं।

(iv) ऑडिटर इस बारे में अपनी राय देगा कि:

- 1) तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) उसे तैयार किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार फंड की स्कीमों की सही-सही तस्वीर पेश करता है, और
- 2) रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस शीट तैयार किए जाने की तारीख को समाप्त वर्ष / अवधि तक की स्थिति के अनुसार सही ढंग से यह तस्वीर पेश कर देता है कि फंड की कौन सी स्कीम मुनाफे में रही और कौन सी घाटे में।

6. प्रति यूनिट के अनुसार पिछले आँकड़े

(1) इस विवरण में स्कीम के अनुसार पिछले 3 वर्षों के प्रति यूनिट के मुताबिक आंकड़ों की निम्नानुसार जानकारी दी जाएगी:

(क) प्लान / ऑप्शन के स्तर पर प्रति यूनिट नेट असेट वैल्यू कितना रहा;

(ख) प्रति यूनिट के मुताबिक कुल कितनी आमदनी हुई, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

- (i) निवेश की बिक्री से हुए मुनाफे (नुकसान) को छोड़कर दूसरी आमदनी कितनी रही (प्रति यूनिट);
- (ii) एक स्कीम से दूसरी स्कीम को निवेश की बिक्री करने / ट्रांसफर करने से हुए मुनाफे (नुकसान) से कितनी आमदनी हुई (प्रति यूनिट);
- (iii) किसी अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) को निवेश की बिक्री से हुए मुनाफे (नुकसान) से कितनी आमदनी हुई (प्रति यूनिट);
- (iv) पिछले वर्ष के रिज़र्व से रेविन्यू अकाउंट में कितनी रकम ट्रांसफर की गई (प्रति यूनिट)।
- (v) कुल आमदनी – ख(i), (ii) एवं (iii) का योग

(ग) कुल कितना खर्च गया गया, कितना राइट-ऑफ किया गया, कितना अमॉरटाइजेशन किया गया और कितना शुल्क लिया गया (प्रति यूनिट);

(घ) प्रति यूनिट कुलमिलाकर कितनी आमदनी हुई (कुल आमदनी – कुल खर्च);

(ङ) निवेश (जो निकाला नहीं गया) का मूल्य कितना बढ़ा / घटा (प्रति यूनिट);

(च) यदि यूनिटों में ट्रेडिंग की गई हो, तो वर्ष के दौरान प्रति यूनिट मिला सबसे ज्यादा और सबसे कम भाव कितना रहा;

- (छ) कुल खर्च का एवरेज नेट असेट से अनुपात (प्रतिशत में);
- (ज) कुल आमदनी का एवरेज नेट असेट से अनुपात (प्रतिशत में) [जिसमें पिछले वर्ष के रिज़र्व से रेविन्यू अकाउंट में किया गया ट्रांसफर शामिल न किया जाए, किंतु निवेश (जो निकाला नहीं गया) का मूल्य कितना बढ़ा उसे हिसाब में लिया जाए];
- (झ) प्लान / ऑप्शन के स्तर पर वर्ष के दौरान प्रति यूनिट सबसे ज्यादा और सबसे कम एनएवी कितनी रही;
- (ञ) प्रति यूनिट फेस वैल्यू कितना रहा;
- (ट) कुल यूनिट कैपिटल (रुपये में);
- (ठ) एवरेज नेट असेट (रुपये में) कितना रहा;
- (ड) संबंधित अवधि के दौरान कितने दिन थे; और
- (ढ) वर्ष / अवधि के अंत तक की स्थिति के अनुसार इक्विटी / इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट का वेटेड एवरेज प्राइस अर्निंग्स रेशियो कितना रहा।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./621/2025-26]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th January, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 2026**

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/294.—In exercise of the powers conferred by section 30, read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations:-

**Chapter I
PRELIMINARY****1. Short title and commencement**

- (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026.
- (2) These regulations shall come into force with effect from April 1, 2026.

2. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires: —
 - (a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (b) “accredited investor” shall have the same meaning as assigned to it in clause (ab) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;
 - (c) “advertisement” shall include any communication issued by or on behalf of the mutual fund or asset management company that may influence the investment decision of any investor or prospective investor;
 - (d) “associate” includes, —
 - (i) any person who directly or indirectly, either individually or in combination with relatives, exercises control over the asset management company or the trustee or the sponsor, as the case may be;
 - (ii) any person, in respect of whom the asset management company or the trustee or the sponsor, directly or indirectly, by itself, or in combination with other persons, exercises control;

- (iii) a company whose director, other than an independent director, or officer or employee is also a director, or officer or employee of the asset management company; or
- (iv) in respect of a pooled investment vehicle including private equity funds that acts as a sponsor of a mutual fund,
 - a. an associate or group company of the manager of the pooled investment vehicle;
 - b. any investee company in which ten percent or more of the shareholding is held by the schemes or funds managed by manager of the pooled investment vehicle; or
 - c. any investee company in which the pooled investment vehicle holds ten percent or more of the shareholding or where the directors of the pooled investment vehicle or corporate sponsor has representation on the board or right to nominate representatives on the board:

Provided that the above definition of associate shall not be applicable to sponsors that invest in companies on behalf of the beneficiaries of insurance policies or such other schemes specified by the Board;

- (e) “asset management company” means a company incorporated under the Companies Act 1956 (1 of 1956) or Companies Act, 2013 (18 of 2013) and approved by the Board under regulation 18;
- (f) ‘broad based fund’ shall mean the fund which has at least twenty investors and no single investor holds more than twenty-five percent of corpus of the fund;
- (g) “broker” means a stock broker as defined in the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 2026;
- (h) “close-ended scheme” means any scheme of a mutual fund in which the period of maturity of the scheme is specified;
- (i) “control” means, —
 - (i) in the case of a company any person, either individually or together with persons acting in concert, who directly or indirectly own, control or hold shares carrying not less than 10% of the voting rights of such company; or
 - (ii) as between two companies, if the same person, either individually or together with persons acting in concert, directly or indirectly, own, control or hold shares carrying not less than 10% of the voting rights of each of the two companies; or
 - (iii) majority of the directors of any company who are in a position to exercise control over the asset management company;
- (j) Corporate Debt Market Development Fund shall have the same meaning assigned to it under clause (ga) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;

- (k) “custodian” means a person who has been granted a certificate of registration to carry on the business of custodian of securities under the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996;
- (l) “depository” means a body corporate as defined in the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);
- (m) “economic offence” means an offence under the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018);
- (n) “equity oriented schemes” means a scheme other than an index fund scheme or an exchange traded fund, where, the scheme invests a minimum of sixty-five per cent of its net assets in equity and equity related instruments;
- (o) “equity related instruments” include convertible debentures, convertible preference shares, warrants carrying the right to obtain equity shares, equity derivatives, units of Real Estate Investment Trust and such other instrument as may be specified by the Board;
- (p) “exchange traded fund” means a mutual fund scheme that invests in securities in the same proportion of an index of securities in the manner specified by the Board and whose units are mandatorily listed and traded on a stock exchange platform;
- (q) ‘exit load’ means the charge or fee levied by the mutual fund at the time of redemption or repurchase of units;
- (r) “fraud” means a fraud as defined in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market) Regulations, 2003;
- (s) “free reserve” shall have the same meaning as defined under Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (t) “fund of funds scheme” means a mutual fund scheme that invests primarily in other schemes of the same mutual fund or other mutual funds;
- (u) “gold exchange traded fund scheme” shall mean a mutual fund scheme that invests primarily in gold or gold related instruments;
- (v) “gold related instrument” shall mean such instrument having gold as underlying, as may be specified by the Board;
- (w) “goods” means the goods notified by the Central Government under clause (bc) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and forming the underlying of any commodity derivative;
- (x) “group” means a group as defined in clause (b) of the Explanation to Section 5 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
- (y) “index fund scheme” means a mutual fund scheme that invests in securities in the same proportion of an index of securities in the manner specified by the Board;
- (z) “Infrastructure debt fund scheme” means a mutual fund scheme that invests primarily (minimum 90% of scheme assets) in the debt securities or securitized debt instrument of infrastructure companies or infrastructure capital companies or infrastructure projects or special purpose vehicles which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure or other permissible assets in accordance with these regulations

- or bank loans in respect of completed and revenue generating projects of infrastructure companies or other projects or special purpose vehicles;
- (aa) “SIF Investment Strategy” means a scheme of mutual fund launched under the Specialized Investment Fund;
 - (bb) “InvIT” or “Infrastructure Investment Trust” shall have the meaning assigned in clause (za) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014;
 - (cc) “inspecting officer” means any person appointed as such by the Board under Chapter XV;
 - (dd) “Liquid net worth” means the net worth deployed in liquid assets which are unencumbered and shall include cash, bank deposits with Scheduled Commercial Banks, money market instruments, Government Securities, Treasury bills, Repo on Government securities and any other instruments as specified by the Board;
 - (ee) “market abuse” includes manipulative, fraudulent and unfair trade practices which may contravene Section 12A of the Act or any of the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 or the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (ff) “money market instruments” includes commercial papers, commercial bills, treasury bills, Government securities having an unexpired maturity up to one year, call or notice money, certificate of deposit, usance bills, and any other like instruments as specified by the Reserve Bank of India;
 - (gg) “mutual fund” means a fund established in the form of a trust granted registration under regulation 3 and which raises monies through the sale of units to the public under one or more schemes for investing in securities, money market instruments, gold or gold related instruments, silver or silver related instruments and such other assets and instruments as may be specified by the Board. Mutual fund schemes investing in exchange traded commodity derivatives can hold the underlying goods in case of physical settlement of such contracts;
 - (hh) “Mutual fund lite” or “MF Lite” means a mutual fund granted registration under Chapter X of these regulations and has only such index funds, exchange traded funds, fund of funds or other mutual fund schemes as may be specified by the Board;
 - (ii) “Mutual fund lite asset management company” or “MF Lite asset management company” means an asset management company of a mutual fund lite that has been granted approval under Chapter X;
 - (jj) “Mutual fund lite scheme” or “MF Lite Scheme” means any scheme launched by a mutual fund lite or any other eligible passive scheme as may be specified by the Board;
 - (kk) “NAV” or “Net Asset Value” shall mean the value computed in the manner provided in regulation 43 of these regulations;
 - (ll) “Net worth” means the aggregate of the paid up capital and free reserves after deducting therefrom, miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted or deferred revenue expenditure, intangible assets, accumulated losses and any loans and advances

- given by asset management company or MF Lite asset management company to either its sponsor, associates or group company of sponsor and its associates or group company;
- (mm) “offer document” means scheme information document and statement of additional information by which a mutual fund invites public for subscription of units of a scheme;
- (nn) “open-ended scheme” means a scheme of a mutual fund which offers units for sale without specifying any duration for redemption;
- (oo) “private placement” means any offer of units of a mutual fund scheme or invitation to subscribe such units to a select group of persons, by a mutual fund (other than by way of public offer) through issue of a placement memorandum and which is not being calculated to result, directly or indirectly in the units becoming available for subscription or purchase by persons other than those receiving the offer or invitation;
- (pp) “REIT” or “Real Estate Investment Trust” shall have the meaning assigned in clause (zm) of sub-regulation 1 of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014;
- (qq) “relative” means a person as defined in section 2(77) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (rr) “scheme” means a scheme of a mutual fund launched under Chapter V;
- (ss) “schedule” means any of the schedules annexed to these regulations;
- (tt) “securities laws” means the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) and the provision of any other law to the extent it is administered by the Board and the relevant rules and regulations made thereunder;
- (uu) “silver exchange traded fund scheme” shall mean a mutual fund scheme that invests primarily in silver or silver related instruments;
- (vv) “silver related instrument” shall mean an instrument as may be specified by the Board, which has silver as the underlying product;
- (ww) “Specialized Investment Fund” means a mutual fund as defined under clause (gg) of sub-regulation (1) of regulation 2 of these regulations and subject to such other conditions as specified under these regulations;
- (xx) “sponsor” means any person who, acting individually or in concert with another body corporate, establishes a mutual fund or a mutual fund lite;
- (yy) “statutory levy” means levy imposed by state government and central government;
- (zz) “to be listed securities” means equity securities available for purchase or application or investment under anchor investment category or qualified institutional buyer category or public issue in an initial public offer, or debt securities under primary market issuance, till its listing on a recognized stock exchange;
- (aaa) “total expense ratio” means the ratio of total of all expenses charged to the investors of the scheme to the total asset under management of the scheme, as may be specified by the Board;
- (bbb) “trustees” of the mutual fund shall mean the trustee company that holds the property of the mutual fund in trust for the benefit of the unit holders. Further, “trustees” in case of mutual

fund Lite shall mean a debenture trustee registered with the Board under the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993; in case an existing sponsor transfers its eligible passive schemes from its existing mutual fund to a mutual fund lite in accordance with regulation 58, the MF Lite asset management company may appoint the existing trustee of the mutual fund as the trustee of the mutual fund lite;

Explanation: Wherever the context requires applicability of provisions for individual trustees, the term ‘trustees’ shall be deemed to mean the directors of board of the trustee company;

- (ccc) “unit” means the interest of the unit holders in a scheme representing one undivided share in the assets of a scheme; and
 - (ddd) “unit holder” means a person holding unit in a scheme of a mutual fund.
- (2) The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Indian Trusts Act, 1882 or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

Chapter II

PROCEDURE FOR REGISTRATION OF A MUTUAL FUND

3. Application for registration of mutual fund and fees

The application for registration of a mutual fund shall be made in the following manner:

- (a) A sponsor shall submit to the Board an application for mutual fund registration in the format as specified by the Board from time to time, along with a non-refundable fee as specified in the First Schedule.
- (b) An application which is incomplete in any respect shall be liable to be rejected. Before rejecting any such application, the applicant shall be given an opportunity to complete such formalities within such time as may be specified by the Board.
- (c) The Board may direct the sponsor to provide such additional information or clarifications as it deems requisite.
- (d) The Board may, upon receipt of all information, decide on the application.
- (e) The Board may register the mutual fund and issue a certificate of registration if it is satisfied that the applicant complies with the eligibility criteria and other requirements provided in these regulation and upon the applicant paying the registration fee as specified in First Schedule.

- (f) If the sponsor does not satisfy the eligibility criteria mentioned in regulation 5 or regulation 57 and such other requirements provided in this regulation the application shall be liable to be rejected. If the application is rejected, the same shall be informed to the applicant.

4. Conditions of registration

The registration granted to a mutual fund under regulation 3, shall be subject to the following terms and conditions—

- (a) the trustees, the sponsor, the asset management company and the custodian shall adhere to the provisions of these regulations;
- (b) the mutual fund shall promptly notify the Board, if any information or particulars previously submitted to the Board prove misleading or false in any material respect;
- (c) the mutual fund shall immediately inform the Board, of any material change in previously furnished information or particulars, which have a bearing on the registration granted; and
- (d) payment of annual fees as specified in the First Schedule.

Explanation: The annual fees shall be paid before the 15th April each year from the year following the year of registration. In case of delay of payment of annual fees, the Board may, on being satisfied of reasons for delay, accept the fees till the expiry of two months from the commencement of the financial year to which such fee pertains. In case of delay of payment of annual fees beyond the extended period, the Board may take such action as deemed fit including withholding permission for launch of scheme(s).

- 5. Eligibility Criteria for Registration:** For the purpose of granting a certificate of registration, the sponsor shall fulfill the following:

(1)	The sponsor shall have a general reputation of fairness and integrity in all business transactions and shall fulfill the criteria relating to “sound track record” given under one of the following two routes:			
	S. no	Particulars	Route 1	Route 2
	(a)	Experience	Be carrying on business in financial services for minimum five years. Appoint Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Chief Investment Officer in the asset management company	Appoint Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Chief Investment Officer in the asset management company with total

			with a minimum of 3 years of relevant experience.	combined experience in the relevant field of at least thirty years and each of them shall have a minimum of 3 years of relevant experience.
	(b)	Profitability	<p>Net profit in financial services business after providing for depreciation, interest and tax in each of the immediately preceding five years and;</p> <p>Average net annual profit of at least rupees ten crore, after depreciation, interest and tax, from financial services business during the immediately preceding five years.</p>	No profitability criteria for granting of a certificate of registration under this route.
	(c)	Net worth of sponsor	Positive net worth in each of the preceding five years.	Not Applicable
	(d)	Positive Liquid Net worth	Positive liquid net worth is more than the proposed capital contribution of the sponsor in the asset management company.	
	(e)	Net worth of asset management company	<p>The sponsor shall ensure that the net worth of asset management company is at least fifty crores (Rs. 50 Crores) and deployed in assets as may be specified by the Board, at all times.</p> <p>The sponsor shall ensure maintaining the net worth requirement on a continuous basis.</p>	<p>Net worth of the asset management company shall be at least rupees one hundred fifty crore (Rs. 150 Crores) at the time of registration which shall be infused by the sponsor.</p> <p>However, the asset management company shall</p>

				<p>maintain net worth of at least one hundred crores deployed in assets as may be specified by the Board, on a continuous basis:</p> <p>Provided that if asset management company has profits for five consecutive years, the net worth of asset management company shall be maintained at least rupees fifty crore.</p> <p>The sponsor shall ensure maintaining the net worth requirement on a continuous basis.</p>
	(f)	Lock-in Requirement	No lock-in requirements for certificate of registration under this route.	The initial shareholding equivalent to capital contributed to the asset management company, to the extent of at least rupees one hundred fifty crore (Rs. 150 Crores), shall be locked-in for a period of five years
	(g)	Change in Control	In case of change in control of an existing asset management company due to acquisition of shares, the positive liquid net worth of the sponsor or funds tied up by the sponsor shall be	In case of acquisition of existing asset management company, the sponsor shall have minimum positive liquid net worth equal to

			higher of aggregate par value or market value of the shares proposed to be acquired	<p>incremental capitalization required to ensure minimum capitalization of the asset management company and the positive liquid net worth of the sponsor or the funds tied up by the sponsor shall be higher of aggregate par value or market value of the shares proposed to be acquired.</p> <p>In case of acquisition of stake in an existing asset management company, the shareholding of the sponsor(s) equivalent to minimum of rupees one hundred fifty crore shall be locked in for five years.</p>
	(h)	Private Equity fund as a sponsor of mutual fund	Not applicable for certificate of registration under this route.	A pooled investment vehicle including a private equity fund may sponsor mutual fund by complying with conditions under this route and such other conditions as may be specified by the Board.
(2)	Fit and proper requirement for sponsor and mutual fund		Applicant and mutual fund shall comply with the fit and proper criteria specified in Schedule II of the Securities	

		and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.
(3)	Minimum holding of sponsor in an asset management company	<p>The sponsor shall contribute at least 40% to the net worth of the asset management company:</p> <p>Provided that any person who holds 40% or more of the net worth of an asset management company shall be deemed to be a sponsor and shall be required to fulfill the eligibility criteria specified in this regulation.</p>
(4)	Fit and proper requirement for sponsor, its directors or the key personnel to be employed by the mutual fund and/or asset management company	The sponsor or any of its directors or the key personnel to be employed by the mutual fund and asset management company should not have been guilty of fraud or been convicted of an offence involving moral turpitude or been found guilty of any economic offence.
(5)	Appointment of trustees	Appointment of trustees to act as trustees for the mutual fund shall be in accordance with the provisions of the regulations.
(6)	Appointment of asset management company	Appointment of asset management company to manage the mutual fund and operate the scheme of such funds shall be in accordance with the provisions of these regulations.
(7)	Appointment of custodian	Appointment of custodian in order to keep custody of the securities or goods or gold or gold related instruments or silver or silver related instruments or other assets of the mutual fund held in terms of these regulations, and provide such other custodial services as may be authorised by the trustees.
(8)	Other conditions	Other conditions in this regard as may be specified by the Board are complied with.
(9)	Approval to establish a Specialized Investment Fund	A mutual fund registered under clause (e) of regulation 3 may be granted an approval to establish a Specialized Investment Fund subject to fulfilling such additional eligibility criteria and in the manner as may be specified by the Board.

(10)	Eligibility criteria for sponsor of mutual fund lite	The eligibility criteria for sponsor of mutual fund lite shall be as specified under Chapter X and the above mentioned eligibility criteria shall not be applicable to application for mutual fund lite.
------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Norms for shareholding and governance in mutual funds

- (1) The sponsor of a mutual fund, its associate or group company including the asset management company (through the schemes of the mutual fund or otherwise, individually or collectively), or any shareholder holding 10% or more of the shareholding or voting rights in the asset management company or the trustee company of a mutual fund, shall not, directly or indirectly:
 - (a) hold ten percent or more of the shareholding or voting rights in the asset management company or the trustee company of any other mutual fund; or
 - (b) have representation on the board of the asset management company or trustee company of any other mutual fund.
- (2) In the event of a merger, acquisition, scheme of arrangement or any other arrangement involving the sponsors of the mutual funds, shareholders of the asset management companies or trustee companies, their associates or group companies, which results in the incidental acquisition of shares, voting rights or representation on the board of another asset management company or trustee company, the acquirer shall comply with sub-regulation (1) within a period of one year of coming into force of such an arrangement.
- (3) The restriction on holding shares or voting rights or representation on the Board provided in sub regulation (1) shall not apply to:
 - (a) an existing sponsor of mutual fund that transfers its eligible passive schemes of mutual fund to a mutual fund lite belonging to a group entity of the same sponsor, subject to conditions as specified by the Board; and
 - (b) an existing shareholder holding ten per cent or more shareholding or voting rights in an existing asset management company of the mutual fund and holding ten per cent or more shareholding or voting rights in a mutual fund lite asset management company belonging to a group entity of the same sponsor.

7. Disassociation of sponsor from asset management company and the mutual fund

- (1) A sponsor may disassociate from the asset management company and the mutual fund subject to the approval of the Board and in the manner specified by the Board.
- (2) Where the sponsor disassociates under sub-regulation (1),-
 - (a) the existing asset management company of the mutual fund may act as the sponsor of the mutual fund, subject to compliance with the conditions specified by the Board;

- (b) if the existing asset management company fails to act as sponsor as under clause (a), any other entity, including the disassociated sponsor, may become the sponsor of the mutual fund, subject to compliance with the conditions specified by the Board;
- (c) the shareholding for any shareholder in the asset management company shall be below ten percent; and
- (d) the board of directors of the asset management company shall comprise at least two-third independent directors.

8. Surrender of Certificate of Registration

Upon the winding up of all schemes launched by the asset management company, the sponsor shall apply to the Board for surrender of the certificate of registration granted under these regulations, in such manner and subject to such conditions as may be specified by the Board.

CHAPTER III

ESTABLISHMENT OF TRUST AND ROLE OF TRUSTEES

9. Registration of trust deed

- (1) A mutual fund shall be constituted in the form of a trust and the instrument of trust shall be in the form of a deed, duly registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), executed by the sponsor in favour of the trustee named in such an instrument.
- (2) In the event the sponsor disassociates from a mutual fund as provided under regulation 7, the signatory to the trust deed in place of the disassociated sponsor shall be as specified by the Board.

10. Contents of trust deed

- (1) The trust deed shall contain such clauses as are mentioned in the Second Schedule and such other additional clauses which are necessary for safeguarding the interests of the unitholders.
- (2) Trust deed shall not contain any clause which has the effect of—
 - (a) limiting or extinguishing the obligations and liabilities of the trustee company in relation to the mutual fund or the unitholders; or
 - (b) indemnifying the trustee company or the asset management company for loss or damage caused to the unitholders by their acts of negligence or acts of commission or omission.

11. Appointment of board of directors of the trustee company

- (1) The appointment and reappointment of the board of directors of the trustee company of the mutual fund shall be in accordance with these regulations and with prior approval of the Board.
- (2) The chairperson of the board of directors of the trustee company shall be an independent director.

- (3) The directors of the trustee company of a mutual fund can act as a trustee of any other trust (except mutual fund trust) only if the object of the trust is not in conflict with the object of the mutual fund.
- (4) A person shall be eligible to be appointed as a trustee only if that person —
 - (a) complies with fit and proper person criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;
 - (b) is not a director (including independent director), officer or employee of an asset management company;
 - (c) is not trustee of any other mutual fund; and
 - (d) furnishes all such information as may be sought by the Board.
- (5) At least two-thirds of the board of directors of a trustee company shall comprise of independent directors, who are not associates of the sponsor or the asset management company or the trustee company

12. Rights and obligations of the trustees

(1) Appointment and termination of asset management company

- (a) The trustee company, with prior approval from the Board, shall appoint an asset management company and shall enter into an investment management agreement with the asset management company.
- (b) The investment management agreement shall include the clauses set out in the Third Schedule and any additional clauses necessary for the purpose of investments and fair and transparent functioning of an asset management company.
- (c) A copy of the draft investment management agreement shall be enclosed with the trust deed.
- (d) The trustees shall ascertain that the asset management company has the necessary expertise, internal control systems and risk management mechanism to invest and manage assets of the mutual fund.
- (e) The trustees shall ensure that the asset management company establishes systems and submits reports and information that the trustees may require in discharging their responsibility under these regulations including matters relating to:
 - (i) prevention and oversight of mis-selling;
 - (ii) prevention and oversight of undue influence of sponsor;
 - (iii) ensuring adequate systems are in place to prevent misconduct including market abuse; and
 - (iv) addressing potential conflict of interest.
- (f) Where the trustees have reason to believe that the conduct of business of the asset management company is not in accordance with these regulations, the contraventions by asset management company and remedial action taken by the trustees shall immediately be informed to the Board.
- (g) Termination of the assignment of the asset management company by the trustees may be under the below given circumstances and shall be subject to prior approval from the Board:

- (i) Trustees own accord if they have reasons to believe that the affairs of the asset management company are being conducted in contravention to the provisions of these regulations; or
- (ii) Request by the asset management company.

Explanation: Termination shall become effective only after the trustees have accepted the termination of assignment and communicated their decision in writing to the asset management company.

(2) Addressing conflict of interest and broker empanelment:

The trustees shall take all necessary measures as they deem necessary to ensure that any conflict of interest involving the asset management company is effectively addressed and such measures shall include:

- (a) conducting a quarterly review of reports submitted by the asset management company on transactions between the mutual fund and the asset management company or its associates;
- (b) ensuring that the asset management company does not grant unfair advantage to its associates or engage in transactions that may prejudice the interests of unitholders;
- (c) ensuring that the asset management company manages each mutual fund scheme independently of its other business activities, and adopts safeguards to ensure fair and equitable treatment of investors across all schemes, without compromising the interests of one scheme for another or for its other businesses; and
- (d) approving broker empanelment policy of the asset management company and ensuring that brokers are empaneled after requisite due diligence, and that broker transactions are monitored to avoid undue concentration of business or unfair advantage to any associate or group entity.

(3) Regulatory compliance and trustee responsibilities

- (a) The trustees shall have the right to request for any information from the asset management company that they deem necessary.
- (b) The trustees shall ensure that the asset management company complies with the obligations set out under regulation 22, adhere to the Code of Conduct applicable to asset management companies, and observe all other provisions of these regulations.
- (c) The transactions under the mutual fund schemes are in accordance with the provisions of these regulations and trust deed, and the asset management company makes investments only in permissible instruments, in compliance with these regulations and in alignment with the stated investment objectives of each scheme.
- (d) The trustees shall be accountable for and be the custodian of the funds and property of the respective schemes and shall hold them in trust for the benefit of unitholders in accordance with these regulations and the provisions of trust deed.

(4) Trustee oversight for investor interests

- (a) The trustees shall abide by the Code of Conduct as specified in Part – A of the Fourth Schedule.
- (b) The trustees shall obtain unitholder consent:
 - (i) when required by the Board for the benefit of unitholders;
 - (ii) on the requisition of three-fourths of the unitholders of any scheme; and
 - (iii) when the majority of trustees decide to wind up a scheme or prematurely redeem units of a closed-ended scheme.
- (c) The trustees shall request details of securities transactions by key personnel of the asset management company, whether made in their own name or in the name of the asset management company, and report to the Board when required.
- (d) The trustees shall periodically review investor complaints and their resolution by the asset management company.
- (e) The trustees shall appoint auditor, who is not in any manner associated with the auditor of the asset management company, for audit of annual statement of accounts of mutual fund schemes.
- (f) The trustees shall submit to the Board on a half-yearly basis
 - (i) a report on the activities of the mutual fund;
 - (ii) a certificate confirming there have been no instances of self-dealing or front running by trustees, directors, or key personnel of the asset management company; and
 - (iii) a certificate confirming that the asset management company has managed the schemes independently of other activities, and any conflicts were addressed to protect unitholders' interests.
- (g) The independent trustees, i.e. trustees not associated with the sponsors, shall review and give their comments on the reports received from asset management company on investments in securities of group companies of the sponsor.

(5) Additional trustee oversight

- (a) The trustees shall review the asset management company's net worth quarterly to ensure compliance with clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 5.
- (b) The trustees shall ensure there is no conflict of interest in how the asset management company deploys its net worth and the interests of unitholders.
- (c) The trustees shall periodically review service contracts related to custody arrangements and ensure they serve the unitholders' interests.
- (d) The trustees shall review the details of securities transactions filed by directors of the asset management company on a quarterly basis.
- (e) The trustees shall exercise due diligence as under:

General Due Diligence:

- (i) The trustees shall be discerning in the appointment of the directors on the Board of the asset management company.
- (ii) The trustees shall review the desirability or continuance of the asset management company if substantial irregularities are observed in any of the schemes of the mutual fund, and shall not permit the asset management company to float new schemes until such irregularities are resolved.
- (iii) The trustees shall ensure that the trust property is adequately protected, held and administered by persons with necessary expertise and experience, and in a manner that ensures adequate oversight through an appropriate number of such persons.
- (iv) The trustees shall ensure that all service providers engaged for mutual fund related services are holding appropriate registrations from the Board or concerned regulatory authority.
- (v) The trustees shall arrange for test checks of service contracts relating to key service providers, whose services, functions, operations and access to information or assets is critical to, or could materially influence the protection of investor interests.
- (vi) The trustees shall immediately report to the Board of any special developments in the mutual fund.

Specific due diligence:

- (vii) The trustees shall obtain internal audit reports at regular intervals from independent auditors appointed by them.
 - (viii) The trustees shall obtain compliance certificates at regular intervals from the asset management company.
 - (ix) The trustees shall meet periodically to review reports and functioning of asset management company and ensure compliance with these regulations.
 - (x) The trustees shall maintain records of the decisions of the Trustees at their meetings and of the minutes of the meetings.
 - (xi) The trustees shall prescribe the Code of Ethics to be adhered to by the asset management company and its personnel.
 - (xii) The trustees shall communicate in writing to the asset management company of the deficiencies and review the rectification of such deficiencies.
- (f) The independent directors of the trustee company and asset management company shall exercise oversight over:—
- (i) the investment management agreement and the compensation paid under the agreement;
 - (ii) fees and ensure that fees charged in service contracts entered with associates are not higher than those charged by outside contractors for the similar services;

- (iii) securities transactions involving associates to the extent such transactions are permitted;
 - (iv) selecting and nominating individuals to fill independent directors' vacancies;
 - (v) ensuing code of ethics designed prevents fraudulent, deceptive or manipulative practices by insiders in connection with personal securities transactions;
 - (vi) the reasonableness of fees paid to sponsors, asset management company and any others for services provided; and
 - (vii) any service contract with the associates of the asset management company.
- (g) The trustees shall not be held liable for acts done in good faith if they have exercised adequate due diligence.
- (6) The trustees shall also exercise due diligence on such matters as may be specified by the Board.

13. Appointment of custodian

- (1) The trustees shall appoint a custodian for the mutual fund and enter into a custodian agreement and send intimation to the Board within fifteen calendar days of such appointment.
- (2) The trustees shall maintain oversight of the activities of the custodian in relation to the mutual fund.
- (3) Custodian appointed shall carry out the custodial services for the schemes of the fund for safekeeping of assets of the scheme.
- (4) A custodian in which fifty per cent or more of the directors represent the interest of the mutual fund sponsor or its associates shall not be appointed as custodian for a mutual fund constituted by the same sponsor, or any of its associates or any of its subsidiaries.
- (5) Custodian in which the sponsor or its associates hold fifty per cent or more of the voting rights of the share capital of the custodian shall act as custodian for a mutual fund constituted by the same sponsor or any of its associates or subsidiary company only if:
 - (a) the sponsor has a net worth of at least twenty thousand crore rupees at all points of time;
 - (b) fifty per cent or more of the directors of the custodian are those who do not represent the interest of the sponsor or its associates;
 - (c) the custodian and the asset management company of a mutual fund are not subsidiaries of each other;
 - (d) no person is a director of both the custodian and the asset management company of a mutual fund; and
 - (e) the custodian and the asset management company of a mutual fund sign an undertaking that they will act independently of each other in their dealings with the scheme.

14. Agreement with custodian

The mutual fund, upon approval of the trustees on the service contract and terms of appointment of the custodian, shall enter into a custodian agreement with the custodian, which shall contain the clauses which are necessary for the efficient and orderly conduct of the affairs of the custodian.

CHAPTER IV

CONSTITUTION AND MANAGEMENT OF ASSET MANAGEMENT COMPANY

15. Application for approval of asset management company

- (1) The application for the approval of the asset management company shall be made in the format specified by the Board.
- (2) An application, which is not complete in all respects shall be liable to be rejected. Before rejecting any such application, the applicant shall be given an opportunity to complete such formalities within such time as may be specified by the Board.
- (3) The Board may require the applicant or the asset management company to furnish such further information or clarification as may be required by it.
- (4) The Board may on receipt of all information decide the application.

16. Eligibility criteria for asset management company

(1) Track record and reputation

- (a) If the applicant is an existing asset management company, it shall have a general reputation for fairness in transactions, demonstrable integrity and shall comply with the profitability and networth requirements specified under sub-regulation (1) of regulation 5 and sub-regulation (1) of regulation 57.
- (b) The asset management company shall comply with fit and proper person criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

(2) Director and key personnel qualifications

- (a) The directors of the asset management company must be individuals possessing adequate professional experience in finance and financial services related fields.
- (b) The persons so appointed as director and/ or key personnel shall also be fit and proper persons in accordance with the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.
- (c) The board of directors of asset management company must comprise at least fifty per cent directors, who are not associates of the sponsor, or any of its subsidiaries, or the trustees.
- (d) The directors of the asset management company (including Chairman) shall not simultaneously serve on the board of a trustee company of any mutual fund.

(3) Net worth requirements

- (a) The sponsor shall be responsible for ensuring that the asset management company complies with the minimum net worth requirement at all times.

- (b) The minimum net worth of the asset management company as required under clause (e) sub-regulation (1) of regulation 5 shall be deployed in assets as may be specified by the Board and shall be maintained on a continuous basis.
- (4) The Board may, after considering an application with reference to the matters specified in sub-regulations (1), (2) and (3), grant approval to the asset management company.

17. Additional criteria to be complied by the asset management companies on a continuous basis

The approval granted under sub-regulation (4) of regulation 16 shall be subject to the following additional conditions:

(a) Director appointment and cross-directorship:

- (i) A person shall not simultaneously hold the office of director in more than one asset management company.
- (ii) The restriction provided in sub-clause (i) shall not be applicable to independent director appointed as per clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 16, and the approval of the board of the asset management company in which such person is an independent director has been duly obtained.
- (iii) A director of an asset management company shall be appointed only with prior approval of the trustees.

(b) Compliance and information disclosure:

- (i) An asset management company shall undertake to comply with all the provisions of these regulations.
- (ii) An asset management company shall forthwith inform the Board of any material change in the information or particulars previously furnished, directly impacts the approval granted by it.
- (iii) An asset management company shall provide the trustees with such information and documents as they may require.

(c) Change in Control of the Asset Management Company:

A change in the control of the asset management company shall not be effected unless:

- (i) prior approval of the trustees and the Board has been obtained;
- (ii) written communication (including digital modes such as email/sms etc.) regarding the proposed change is dispatched to unitholders;
- (iii) details specified by the Board in this regard are appropriately displayed on the website of asset management company; and
- (iv) the unitholders are given an option to exit from the schemes of the mutual fund managed by the asset management company at the prevailing Net Asset Value without incurring any exit load.

18. Appointment of an asset management company

The sponsor, or the trustee if so authorised by the trust deed, shall appoint an asset management company approved by the Board under regulation 16(4).

19. Termination of an asset management company

- (1) The appointment of an asset management company may be terminated,-
 - (a) by the trustee company with the approval of majority of its board of directors;
 - (b) on request of the asset management company;
 - (c) on the directions of the Board; or
 - (d) by a resolution passed by at least seventy-five per cent of the unit holders.
- (2) Any change in the appointment of the asset management company including termination of appointment of existing asset management company and appointment of new asset management company shall require prior approval from the Board.

20. Procedure where approval is not granted

Where an application made under regulation 15 for grant of approval does not satisfy the eligibility criteria laid down in regulation 16, the Board may reject the application.

21. Other permissible business activities of the asset management company

The asset management company shall, -

- (a) not act as a trustee of a mutual fund; and
- (b) not undertake any business activities other than in the nature of management and advisory services provided to pooled assets including offshore funds, insurance funds, pension funds, provident funds, or such categories of foreign portfolio investor subject to such conditions, as maybe specified by the Board, from time to time, if any of such activities are not in conflict with the activities of the mutual fund:

Provided that the asset management company may itself or through its subsidiaries undertake such activities, as permitted under clause (b), if, -

- (i) it satisfies the Board that bank and securities accounts are segregated activity wise;
- (ii) it meets with the capital adequacy requirements, if any, separately for each such activity and obtain separate approval, if necessary under the relevant regulations;
- (iii) it ensures that there is no material conflict of interest across different activities;
- (iv) the absence of conflict of interest shall be disclosed to the trustees and unit holders in scheme information document and statement of additional information;
- (v) there are unavoidable conflict of interest situations, it shall satisfy itself that disclosures are made of source of conflict, potential 'material risk or damage' to investor interests and detailed parameters for the same;

- (vi) it appoints separate fund manager for each separate fund managed by it unless the investment objectives and asset allocation are same and the portfolio is replicated across all the funds managed by the fund manager:

Provided that the requirements of this clause shall not apply if the funds managed are of such categories of foreign portfolio investor subject to such conditions, as maybe specified by the Board from time to time.

- (vii) it ensures fair treatment of investors across different products that shall include, but not limited to, simultaneous buy and sell in the same equity security only through market mechanism and a written trade order management system; and
- (viii) it ensures independence to key personnel handling the relevant conflict of interest is provided through removal of direct link between remuneration to relevant asset management company personnel and revenues generated by that activity:

Provided further that the asset management company may, itself or through its subsidiaries, undertake portfolio management services and advisory services for other than broad based fund till further directions, as may be specified by the Board, subject to compliance with the following additional conditions:-

- (i) it satisfies the Board that key personnel of the asset management company, the system, back office, bank and securities accounts are segregated activity wise and there exist system to prohibit access to inside information of various activities; and
- (ii) it meets with the capital adequacy requirements, if any, separately for each of such activities and obtain separate approval, if necessary under the relevant regulations:

Provided further that an asset management company may become a proprietary trading member for carrying out trades in the debt segment of the recognised stock exchanges, on behalf of its mutual fund schemes and may also become a self-clearing member of the recognised clearing corporations to clear and settle trades in the debt segment on behalf of its mutual fund schemes.

22. Obligations of asset management company and its employees

(1) Investment and operational due diligence

- (a) The asset management company shall ensure that all activities of the asset management company adhere to these regulations including taking all reasonable steps and exercise due diligence to ensure that the investment of funds pertaining to any mutual fund scheme is not contrary to the provisions of these regulations, circulars/ and guidelines issued thereunder and the trust deed.
- (b) The asset management company shall exercise due diligence and reasonable care in all investment decisions consistent with the standards of other entities engaged in the same business.

(2) Operational systems and personnel:

Before launching any scheme, the board of directors of the asset management company shall ensure that asset management company has:

- (i) established systems for its back office, dealing room and accounting;
- (ii) appointed all key personnel specified by the Board, including fund managers for the scheme(s) and submitted their bio-data (including educational qualifications and securities market experience) to the trustees within 15 calendar days of their appointment;
- (iii) appointed auditors for audit of its accounts;
- (iv) appointed a compliance officer responsible for monitoring compliance with the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Board or the Central Government and for addressing investors grievances;
- (v) appointed a registrar to an issue and share transfer agent registered under the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 2025 and established parameters for their supervision;
- (vi) prepared a compliance manual and designed internal control mechanisms including internal audit systems;
- (vii) specified norms for the empanelment of brokers and marketing agents; and
- (viii) obtained, where required by these regulations, prior in-principle approval from the recognized stock exchange(s) where units are proposed to be listed, in the manner specified by such exchange(s).

(3) Remuneration and Investment

- (a) The asset management company shall invest such amounts in such schemes of the mutual fund, based on the risks associated with the schemes, as may be specified by the Board.
- (b) The asset management company shall invest a percentage of the remuneration of employees in units of mutual fund schemes based on the designation or roles, as specified by the Board.
- (c) The asset management company shall not invest in any of its scheme other than as provided in clause (a) unless full disclosure of its intention to invest has been made in the offer documents.
- (d) The asset management company shall not charge any fees on its own investments in a scheme of a mutual fund managed by it.

(4) Responsibility of key personnel and employees:

- (a) The Chief Executive Officer (whatever be the designation) of the asset management company shall ensure that:
 - (i) the mutual fund complies with all the provisions of these regulations and related guidelines and circulars;
 - (ii) investments made by the fund managers are in the interest of the unit holders;

- (iii) the overall risk management function of the mutual fund is comprehensively managed; and
- (iv) the asset management company has adequate systems in place to ensure adherence to the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers (specified in PART - B of the Fourth Schedule of these regulations) and any breach of this Code of Conduct shall be immediately brought to the attention of the Board of Directors of the asset management company and trustees.
- (b) The fund managers (whatever be the designation including chief investment officer) shall ensure:
 - (i) that scheme funds are invested to achieve scheme objectives, in the interest of unit holders and in compliance with the provisions of these regulations and related guidelines and circulars; and
 - (ii) adherence to the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers (specified in PART - B of the Fourth Schedule and submit a quarterly self-certification to the trustees confirming complied or listing exceptions, if any.
- (c) The Dealers (whatever be the designation) shall:
 - (i) ensure that orders are executed on the best available terms and in the best interest of all unit holders; and
 - (ii) abide by the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers (specified in PART - B of the Fourth Schedule and submit a quarterly self-certification to the trustees confirming complied or listing exceptions, if any.
- (d) The compliance officer appointed under clause (iv) of sub-regulation (2) of regulation 22 shall independently and immediately report any observed non-compliance to the Board.
- (e) Employees of asset management company shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of his interest including long or short position in the said security has been made, while rendering such advice:

Provided that in case of rendering investment advice, he/she shall also disclose the interest of his dependent family members and the employer including their long or short position in the said security, while rendering such advice.

(5) Financial transactions and disclosures:

(a) Brokerage transactions

- (i) The asset management company shall ensure that the purchase or sale of securities through any stock broker that is an associate of the sponsor does not, on average, exceed five percent of the aggregate value of securities purchased or sold by the mutual fund across all its schemes.
- (ii) The asset management company may undertake purchase or sale of securities through a stock broker which is not an associate of the sponsor in excess of five percent of the aggregate value

of securities transacted by the mutual fund across all its schemes, provided that the justification for exceeding the limit is recorded in writing and reported to the trustees on a quarterly basis.

Explanation: The limits specified in clauses (i) and (ii) shall apply for each block of three months and shall exclude transactions relating to the sale and distribution of units issued by the mutual fund.

(b) Transactions with associates/sponsor:

- (i) Where an asset management company proposes to utilise the services of the sponsor or any of its associates, employees or their relatives, for the purpose of any securities transaction, distribution and sale of securities, the proposed engagement of such persons shall be disclosed to the unitholders and the brokerage or commission paid shall be disclosed in the half-yearly and annual accounts of the mutual fund.
- (ii) The half-yearly and yearly annual accounts disclosure shall include:
 - a. subscription by the schemes in the issues lead managed by associate companies; and
 - b. subscription to any equity or debt issue on a private placement basis where the sponsor or its associate companies acted as arranger or manager.
- (iii) If the asset management company enters into any securities transactions with any of its associates, a report to that effect shall be placed before the trustees at their next meeting.

(6) Investment concentration disclosure:

If the investment made by any company in a scheme exceeds five per cent of the net asset value of the scheme, the investment made by that scheme or by any other scheme of the same mutual fund in that company or its subsidiaries shall be brought to the notice of the trustees by the asset management company and be disclosed in the half-yearly and annual accounts of the respective schemes, with justification for such investment, where the cross investment is made within a period of one year before or after the initial investment.

(7) Reporting and oversight

(a) Quarterly reports to trustees:

- (i) The asset management company shall submit to the trustees quarterly reports on its activities and the compliance with these regulations.
- (ii) The board of directors shall ensure that there has been exercise of due diligence on the reports submitted by the asset management company to the trustees.

(b) Director and Key Personnel Disclosures:

- (i) The asset management company shall file with the trustees and the Board:

- a. detailed bio-data of all its directors, along with their interest in other companies, within 15 calendar days of their appointment;
 - b. a half yearly report regarding any change in the interest of directors; and
 - c. a quarterly report to the trustees providing details and adequate justification about the purchase and sale of securities of the group companies of the sponsor or the asset management company by the mutual fund during that quarter.
- (ii) Each director of the asset management company shall file with the trustees the details of their securities transactions on a quarterly basis, in the manner specified by the Board.
- (iii) The asset management company shall file with trustees the details of transactions in securities by its key personnel in their own name or in the name of the asset management company, and shall report to the Board, as required.

(c) Board of Directors' Oversight:

The board of directors of the asset management company shall ensure that –

- a. the asset management company has been diligent in empaneling brokers, monitoring securities transactions with brokers, and avoiding undue concentration of business with specific brokers;
- b. the asset management company has not given any undue or unfair advantage to any associate or dealt with any associate in any manner detrimental to the interest of unit holders;
- c. the transactions entered into by the asset management company align with these regulations, investment objective and asset allocation of the respective schemes;
- d. mutual fund transactions align with the provisions of the trust deed;
- e. the net worth of the asset management company is reviewed quarterly to ensure continuous compliance with the threshold provided in clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 5;
- f. all service contracts, including custody arrangements for assets and transfer agency of securities, are executed in the interest of unit holders and test checks of service contracts are arranged;
- g. there is no conflict of interest between the deployment of the asset management company's net worth and the interest of unit holders;
- h. investor complaints are periodically reviewed and redressed;
- i. all service providers hold appropriate registrations with the Board or relevant regulatory authority;
- j. any special developments in the mutual fund are immediately reported to the trustees; and
- k. due diligence is exercised on such matters as specified by the Board.

(8) Ethical Conduct and Investor Protection**(a) Prevention of misconduct:**

- (i) The asset management company shall be responsible for acts of commission or omission by its employees or persons whose services have been procured by the asset management company, where such act or omission is committed in the course of carrying out functions under these regulations, and involves negligence, breach of duty, or failure to comply with applicable law.
- (ii) The asset management company shall abide by the Code of Conduct specified in PART-A of the Fourth Schedule.

(b) Market abuse deterrence:

- (i) The asset management company shall establish, implement and maintain an institutional mechanism (as specified by the Board), for identifying and deterring potential market abuse, including front-running and fraudulent transactions in securities.
- (ii) The Chief Executive Officer or Managing Director (or equivalent or analogous rank) and Chief Compliance Officer of the asset management company shall be responsible and accountable for implementing institutional mechanism for deterring potential market abuse, including front-running and fraudulent securities transactions.

(c) Whistleblower policy:

The asset management company shall establish, implement and maintain a documented whistle blower policy that:

- a. provides a confidential channel for employees, directors, trustees, and other stakeholders to raise concerns about suspected fraudulent, unfair or unethical practices, violations of regulatory or legal requirements or governance vulnerability; and
- b. establishes procedure to ensure adequate protection of whistle blowers.

(d) Investor grievance and protection:

- (i) The asset management company shall constitute a Unit Holder Protection Committee in the form and manner and with a mandate as specified by the Board.
- (ii) Asset management company shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board.

(9) Scheme management and valuation:**(a) Registrars and share transfer agents**

- (i) Registrars and share transfer agents appointed by the asset management company shall be registered with the Board.

- (ii) If the work relating to the transfer of units is processed in-house, the charges at competitive market rates may be debited to the scheme and for rates higher than the competitive market rates, prior approval of the trustees shall be obtained and reasons for charging higher rates shall be disclosed in the annual accounts.

(b) Valuation and Disclosure

- (i) The asset management company shall compute and carry out valuation of investments made by its scheme(s) in accordance with the investment valuation norms specified in the Seventh Schedule, and shall publish the same.
- (ii) The asset management company and the sponsor of the mutual fund shall be liable to compensate affected investors and/or the scheme for any unfair treatment to an investor resulting from inappropriate valuation.
- (iii) The asset management company shall report and disclose all transactions in debt and money market securities, including inter scheme transfers, as specified by the Board.

(c) Changes to scheme attribute:

The asset management company shall ensure that no change in the fundamental attributes of any scheme, fees and expenses payable or any other change that would modify the scheme and affect the interest of unit holders, shall be carried out unless, —

- a. written communication (including digital modes such as email/sms etc.) about the proposed change is sent to each unit holder;
- b. details, as specified by the Board, are appropriately displayed on the website of asset management company; and
- c. unit holders are given an option to exit at the prevailing Net Asset Value without any exit load.

(d) Income calculation:

The asset management company shall be responsible for calculating any income due to be paid to the mutual fund and also any income received in the mutual fund for the unit holders of any scheme, in accordance with these regulations and the trust deed.

(e) Stress testing:

The asset management company shall conduct stress testing for such schemes as specified by the Board and disclose the results in the form and manner specified by the Board.

(f) **Geographic scope:**

The asset management company shall not carry out its fund management operations or execution of transactions relating to mutual funds, outside the territory of India, except for execution of trades for investment in overseas securities.

(10) Termination and Liability

(a) **Termination of assignment of asset management company:**

The asset management company may request trustees for termination of the assignment of the asset management company at any time:

Provided that such termination shall become effective only after the trustees have accepted the termination of assignment and communicated their decision in writing to the asset management company.

(b) **Continuing Liability**

Notwithstanding any contract, agreement or termination, the asset management company or its directors or other officers shall not be absolved of liability to the mutual fund for their acts of commission or omission, while holding such position or office.

23. Meeting of the board of directors of the trustee company and the board of directors of the asset management company

The board of directors of the trustee company and the asset management company, including their respective committees, shall hold meetings at least as often as specified by the Board, and may hold additional meetings as necessary.

**CHAPTER V
SCHEMES OF MUTUAL FUND**

24. Filing of offer document

- (1) An asset management company may launch a scheme:
 - (i) after approval of the trustees; and
 - (ii) on receipt of Board's final observations on the offer document filed with the Board.
- (2) The Board may issue observations, if any, within 21 working days from the date of filing of the offer document.
- (3) While filing the offer document under sub-regulation (1), the mutual fund shall pay to the Board the minimum filing fee specified in the First Schedule.

- (4) The mutual fund shall pay to the Board the balance filing fee calculated in accordance with the First Schedule within such time as may be specified by the Board from time to time.

25. Disclosures in the offer document

- (1) The offer document shall contain disclosures which are adequate to enable investors to make an informed investment decision, including the disclosures:
 - (a) on maximum investments proposed to be made by the scheme in the listed securities of the group companies of the sponsor; and
 - (b) regarding the prior in principle approval obtained from the recognized stock exchange(s) on which units are proposed to be listed in accordance with these regulations.
- (2) The Board may, in the interest of investors, require the asset management company to carry out such modifications in the offer document as the Board deems fit.
- (3) The offer document shall not contain any disclosure or statement or opinion that is false, misleading, or incorrect.
- (4) The offer document shall contain such other disclosures as may be specified by the Board from time to time.

26. Application for subscription to mutual fund units

Every physical application form for subscription to units of a mutual fund shall be accompanied by a Key Information Memorandum containing such information as may be specified by the Board from time to time.

27. Nomination

- (1) The asset management company shall provide to every unitholder an option, in such manner as may be specified by the Board from time to time, to nominate person(s):
 - (a) who shall be authorized to conduct transactions on behalf of the unitholder in the event of the incapacitation of the unitholder; and
 - (b) with whom the units held by the unitholder shall vest, as trustee on behalf of the legal heir, in the event of the death of the unitholder.
- (2) Where the units are held jointly by more than one unitholder, the joint unitholders may together nominate person(s) with whom all the rights in the units shall vest, as trustee on behalf of the legal heir, in the event of death of all the joint unitholders.
- (3) An asset management company or its registrar to an issue and share transfer agent shall not be liable for any action taken in good faith, on the basis of nomination made by the unitholder in accordance with these regulations.

28. Advertisement material

The advertisements by the asset management company shall be in conformity with the Advertisement Code as specified in the Fifth Schedule.

29. Listing and delisting of mutual fund schemes

- (1) Prior to the listing of units of any scheme of mutual fund on the recognised stock exchange(s), the asset management company of such mutual fund shall enter into an agreement with such exchange(s).
- (2) Every scheme wherein daily investment and redemptions from the scheme is not available, and such other schemes as specified by the Board, shall be listed on a recognised stock exchange in the manner as may be specified by the Board from time to time.
- (3) Every exchange traded fund shall be listed on a recognised stock exchange.
- (4) The units of mutual fund schemes that have ceased to exist shall be delisted from recognised stock exchange(s) in accordance with the guidelines as may be specified by the Board from time to time.

30. Repurchase of units of close ended schemes

- (1) The units of a close ended scheme launched on or after the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 shall not be repurchased before the expiry of maturity period of such scheme.
- (2) The close ended scheme may be converted into open-ended scheme where:
 - (a) the offer document of such scheme discloses the option for such conversion and the time period of such conversion; and
 - (b) the unitholders are provided with an option to redeem their units in full.
- (3) A close ended scheme shall be fully redeemed at the end of its maturity period subject to the provisions of sub-regulation (4).
- (4) A close-ended scheme may be rolled over for those unitholders who express their consent in writing, after following the process of filing of the offer document, and the units of unitholders who have not given such written consent shall be redeemed in full at net asset value based price prevailing on the maturity date.

31. Offering period

Mutual fund schemes, other than equity linked savings schemes, shall be open for initial subscription for such time as may be specified by the Board.

32. Allotment of units and refunds of moneys

- (1) The asset management company shall specify in the offer document the minimum and, wherever applicable, the maximum subscription amount to be raised under the scheme.
- (2) In the event of over subscription, the allotment of units to unitholders shall be made on a pro-rata basis.
- (3) The mutual fund and asset management company shall be liable to refund the application money to the applicants within the period specified by the Board, —

- (a) where the mutual fund fails to receive the minimum subscription amount referred to in sub-regulation (1);
 - (b) where the money received from the applicants for units exceeds the maximum subscription amount referred to in sub-regulation (1); or
 - (c) where the application is rejected for any other reason.
- (4) The scheme shall deploy the funds received under the new fund offer within such time period as may be specified by the Board from time to time.

33. Holding of mutual fund units

- (1) An applicant under a scheme whose application has been accepted shall have the option to receive units either in the statement of accounts mode or in the dematerialized mode.
- (2) The asset management company shall, in the mode of holding specified by the investor, credit the mutual fund units to investor's account immediately upon allotment of units.
- (3) Upon receipt of a request from a unitholder for change in the mode of holding of mutual fund units, the asset management company shall credit mutual fund units to unit holders' account, in the mode of holding specified by investor, within such period as may be specified by the Board from time to time.

34. Consolidated account statement

- (1) The asset management company shall ensure that the consolidated account statement is issued for each calendar month, as per the timeline specified by the Board from time to time, detailing all the transactions and holding at the end of the month, including distribution commission paid to its distributor, across all schemes of all mutual funds, to every investor in whose folio any transaction has taken place during that month.
- (2) In respect of investors in whose folios no transaction has taken place during the preceding six-month period ending in September or March, a consolidated account statement shall be issued on half yearly basis as per the timeline specified by the Board from time to time.
- (3) The asset management company shall identify common investor across mutual funds by their Permanent Account Number for the purposes of issuing the consolidated account statement.

Explanation: For the purpose of this regulation, the expression “transaction” shall include purchase, redemption, switch, Income Distribution cum Capital Withdrawal payout, Income Distribution cum Capital Withdrawal reinvestment, systematic investment plan, systematic withdrawal plan and systematic transfer plan.

35. Transfer of units

- (1) Unless otherwise restricted or prohibited under the scheme, a unit shall be freely transferable.

- (2) A unitholder who desires to trade in units listed on a recognized stock exchange shall hold such units in dematerialised form.
- (3) The asset management company shall allow transfer of mutual fund units in the manner as may be specified by the Board from time to time.
- (4) Where units are held in dematerialized form with the depository, such units will be transferable in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

CHAPTER VI

WINDING UP OF MUTUAL FUND SCHEMES

36. Winding up of mutual fund schemes

- (1) A close-ended scheme shall be wound up by redemption of the units on the expiry of duration fixed in the scheme, unless the scheme is rolled over for a further period as specified under sub-regulation (4) of regulation 30.
- (2) A scheme of a mutual fund, including a close ended scheme proposed to be wound up before the expiry of its fixed duration, shall be wound up:
 - (a) on the occurrence of any event which, in the opinion of the trustees, requires the scheme to be wound up;
 - (b) if seventy-five per cent of the unit holders of a scheme pass a resolution for its winding up; or
 - (c) if the Board so directs in the interest of the unitholders.
- (3) Where a scheme is required to be wound up under sub-regulation (2), the trustees shall, within one day, give notice disclosing the circumstances leading to the winding up of the scheme, -
 - (a) to the Board; and
 - (b) in two daily newspapers having nationwide circulation and in one vernacular newspaper circulating at the place where the mutual fund is formed.
- (4) Where a scheme is required to be wound up under clause (a) of sub-regulation (2), the trustees shall obtain consent of the unit holders, by simple majority of unitholders participating in the voting on the basis of one vote per unit, and shall publish the results of such voting within forty-five calendar days from the date of publication of notice under sub-regulation (3).
- (5) Where the trustees fail to obtain the consent of the unitholders under sub-regulation (4), the scheme shall be reopened for business activities with effect from the second business day following the publication of results of the voting.

37. Effect of winding up

On and from the date of the publication of notice under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 36, the trustees or the asset management company, as the case may be, shall:

- (a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme being wound up;
- (b) cease to create or cancel units of the scheme;
- (c) cease to issue or redeem units of the scheme; and
- (d) list the units of mutual fund scheme under winding up on a recognised stock exchange.

38. Procedure and manner of winding up of schemes

- (1) Winding up of a scheme under sub-regulation (2) of regulation 36, after compliance with sub-regulation (3) of regulation 36 and sub-regulation (4) of regulation 36, shall be carried out in accordance with the following:
 - (a) the trustees shall call a meeting of the unitholders to seek approval with simple majority of the unitholders authorizing the trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme under clauses (a) and (b) of sub-regulation (2) of regulation 36;
 - (b) the trustees or any other person shall proceed with the winding up as directed by the Board or in the manner otherwise specified by the Board for winding up of the scheme under clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 36;
 - (c) the trustees or the person so authorised under clause (a) or clause (b) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the unitholders;
 - (d) the proceeds realized from the sale of assets under clause (c), shall be:
 - (i) first, utilised towards discharging all liabilities that are due and payable under the scheme; and
 - (ii) thereafter, after making appropriate provision for expenses connected with the winding up, paid to the unitholders in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date on which the decision for winding up was taken;

Explanation: For the purpose of this clause:

- i. The costs related to custodian fees, audit fees and investor communication are unavoidable till the schemes are wound-up and therefore the said costs can be considered as winding up costs for terminating a fund or a scheme; and
- ii. investment and advisory fees and distribution commission shall not be considered as winding up costs for terminating a fund or a scheme;
- (e) upon completion of the winding up, the trustee shall submit to the Board and to the unitholders a report on the winding up containing particulars such as:
 - (i) the circumstances leading to the winding up;
 - (ii) the steps taken for disposal of assets of the fund before winding up;
 - (iii) the expenses incurred in connection with the winding up;
 - (iv) the net assets available for distribution to the unit holders; and
 - (v) a certificate from the auditors of the fund;

- (f) the provisions of these regulations in respect of disclosures of half-yearly and annual reports shall continue to be applicable until winding up is completed or the scheme ceases to exist.
- (2) Upon receipt of the report referred to in clause (e) of sub-regulation (1), and upon being satisfied that all measures for winding up of the scheme have been complied with, the Board shall record and communicate to trustees that the scheme ceases to exist.

CHAPTER VII

INVESTMENT BY MUTUAL FUND SCHEMES AND ASSET MANAGEMENT COMPANIES

39. Investment by Mutual Fund Schemes

- (1) Subject to the investment objective of the relevant mutual fund scheme and provisions of these regulations, the asset management company shall invest funds of a mutual fund scheme only in the following:
 - (a) securities;
 - (b) money market instruments;
 - (c) privately placed debentures;
 - (d) securitised debt instruments, which are either asset backed or mortgage backed securities;
 - (e) gold or gold-related instruments;
 - (f) silver or silver-related instruments; and
 - (g) any other asset or instrument as may be specified by the Board from time to time.
- (2) The Board may specify conditions for investment of the funds collected under mutual fund schemes or Specialized Investment Fund.

40. Investment by mutual fund and asset management companies in Corporate Debt Market Development Fund

- (1) The mutual fund shall invest such percentage of net assets of such categories of mutual fund schemes as may be specified by the Board in the units of the Corporate Debt Market Development Fund.
- (2) The asset management company of the mutual funds shall invest such percentage of assets under management as may be specified by the Board in the units of Corporate Debt Market Development Fund.

41. Investment restrictions

- (1) Any investment to be made under regulation 39, other than investments made by gold exchange traded fund schemes and silver exchange traded fund schemes, shall be subject to the investment restriction specified in Sixth Schedule and with any other restrictions as may be specified by the Board from time to time.
- (2) A gold exchange traded fund scheme and silver exchange traded fund scheme may invest in exchange traded commodity derivatives subject to such restrictions as may be specified by the Board from time to time.
- (3) The mutual fund shall settle their transactions only in dematerialised securities except for such instruments as may be specified by the Board from time to time.
- (4) A gold exchange traded fund scheme and silver exchange traded fund scheme shall be subject to the following investment restrictions:
 - (a) the funds of any such scheme shall be invested only in gold or gold related instruments or silver or silver related instruments, as the case may be, in accordance with its investment objective, except to the extent necessary to meet the liquidity requirements for honouring redemptions requests, as disclosed in the offer document; and
 - (b) pending deployment of funds in accordance with clause (a), the mutual fund may invest such funds in short-term deposits of scheduled commercial banks.
- (5) The funds of mutual fund scheme shall not in any manner be used in carry forward transactions except as provided in sub-regulation (6).
- (6) The mutual fund may enter into derivatives transactions on a recognized stock exchange, subject to the framework specified by the Board from time to time.
- (7) Any short selling transaction for the mutual fund schemes shall be executed on a recognized stock exchange and shall be subject to the framework for short selling and securities lending and borrowing specified by the Board from time to time.
- (8) Any transfers of investments between schemes within the same mutual fund shall be permitted subject to such conditions as specified by the Board from time to time.

42. Borrowing and Lending by Mutual Funds

- (1) The mutual fund shall not borrow except to meet temporary liquidity needs for the purpose of repurchase or redemption of units or payment of interest or Income Distribution cum Capital Withdrawal payout to the unitholders or for settlement of trades by equity oriented index funds and equity oriented exchange traded funds on account of under execution of sell trades on the stock exchange in the manner as may be specified by the board from time to time. The borrowing specified above shall be subject to -
 - (a) such borrowing not exceeding twenty per cent of the net assets of the scheme; and
 - (b) duration of such borrowing not exceeding a period of six months.
- (2) The limit specified at clause (a) of sub-regulation (1) shall not be applicable for intraday borrowing subject to such conditions as may be specified by the board.

- (3) Save as otherwise expressly provided under these regulations, the mutual fund shall not advance any loans for any purpose.
- (4) The mutual fund may lend and borrow securities in accordance with the framework relating to short selling and securities lending and borrowing specified by the Board.

CHAPTER VIII

NET ASSET VALUE AND TIMELINES FOR ALLOTMENT OF MUTUAL FUND UNITS AND PAYMENT OF INVESTMENT PROCEEDS

43. Computation of net asset value

Every asset management company shall compute the Net Asset Value of each scheme, on a daily basis, by dividing the net assets of the scheme, computed in terms of valuation norms specified by the Board, by the number of units outstanding on the date of valuation.

44. Subscription and redemption value of mutual fund units

- (1) The subscription or sale price and the redemption or repurchase price of mutual fund units shall be disclosed to the investors by the asset management company in the manner specified by the Board from time to time.
- (2) The asset management company shall disclose the methodology of computation of the subscription or sale price and the redemption or repurchase price of mutual fund units in the manner specified by the Board from time to time.
- (3) Any exit load charged to the investors shall be credited to the respective scheme.
- (4) The exit load of an open-ended mutual fund scheme shall not exceed three per cent of the Net Asset Value of the scheme.

45. Income Distribution cum Capital Withdrawal

The asset management company may declare Income Distribution cum Capital Withdrawal for mutual fund schemes in accordance with the offer document and subject to such guidelines as may be specified by the Board from time to time.

46. Credit of mutual fund units, redemption or Income Distribution cum Capital Withdrawal payouts

- (1) Every asset management company shall transfer to the unitholders, as the case may be:
 - (i) the Income Distribution cum Capital Withdrawal payments; and
 - (ii) redemption proceeds (also known as repurchase proceeds) and the application money, if the application is rejected due to undersubscription, oversubscription or for any other reason, within such period as may be specified by the Board from time to time.

- (2) In the event of failure to transfer the redemption proceeds or Income Distribution cum Capital Withdrawal payments or application money, as referred under sub-regulation (1), within the specified period, the asset management company shall be liable to pay interest to the unitholder, as the case may be, at the rate of fifteen per cent per annum for the period of such delay.
- (3) In addition to the refund with interest as referred under sub-regulation (2), asset management company may be liable for action by the Board as deemed fit, for failure to comply with the sub-regulation (1).
- (4) The physical dispatch of redemption or repurchase proceeds or Income Distribution cum Capital Withdrawal payments or application money shall be carried out only in exceptional circumstances and the asset management companies shall be required to maintain records along with reasons for all such physical dispatches.

CHAPTER IX

SPECIALIZED INVESTMENT FUND

47. Applicability

- (1) The provisions of this chapter shall apply to a Specialized Investment Fund.
- (2) Unless the context otherwise requires, all other provisions of these regulations and the guidelines and circulars issued thereunder shall apply to a Specialized Investment Fund, its investment strategies, trustees and asset management companies in relation to such investment strategies, except where specific provisions are made in relation thereto under this Chapter.

48. Approval requirements

- (1) A mutual fund registered under clause (e) of regulation 3 may be granted an approval to launch a Specialized Investment Fund, subject to fulfilling such eligibility criteria and in the manner as may be specified by the Board from time to time.
- (2) A mutual fund registered under clause (e) of regulation 3 shall not be required to establish a separate trust for launching any investment strategy under the Specialized Investment Fund.

49. Conditions for Specialized Investment Fund

- (1) A Specialized Investment Fund shall not accept an investment amount of less than ten lakh rupees from any investor except an accredited investor, across all its investment strategies in the manner as may be specified by the Board.
- (2) The fund manager of Specialized Investment Funds shall have the relevant NISM certification as may be specified by the Board from time to time.

- (3) All provisions applicable to the schemes of a mutual fund under these regulations shall also apply to the Investment Strategies launched under the Specialized Investment Fund, unless otherwise specified.

50. Procedure for launching of investment strategies

- (1) The investment strategies under the Specialized Investment Fund shall be launched in accordance with the procedure applicable to the mutual fund schemes under regulation 24 and in the manner as may be specified by the Board from time to time.
- (2) An investment strategy under the Specialized Investment Fund shall be launched as an open-ended or close-ended or interval investment strategy, with the subscription and redemption frequency clearly disclosed in the offer document.
- (3) The fees and expenses for the investment strategies launched under the Specialized Investment Fund shall be in accordance with Chapter IX.

51. Permissible investments

- (1) The Specialized Investment Fund may invest monies collected under any of its investment strategies in instruments permitted under regulation 39 for mutual funds schemes.
- (2) The Board may specify the manner of investment by a Specialized Investment Fund.

52. Restrictions on investments

Any investment under sub-regulation (1) of regulation 51 shall be subject to investment restrictions applicable to mutual fund schemes as specified in the Sixth Schedule.

53. Duties of Asset Management Company

- (1) The asset management company shall ensure that the Specialized Investment Fund has distinct identification, separate from that of the mutual fund, to maintain a clear differentiation between the offerings of the Specialized Investment Fund and that of a mutual fund.
- (2) The asset management company shall comply with the provisions relating to branding, advertising, standard disclaimers, guidelines on usage of sponsor or asset management company or mutual fund's brand name and maintenance of a separate website, as may be specified by the Board from time to time.

54. Duties of trustees

The trustees shall ensure that:

- (a) the asset management company has the necessary expertise, internal control systems and risk management mechanism to invest in and manage investments;
- (b) the asset management company complies with such other requirements related to risk management, investor protection, disclosures and reporting, as may be specified by the Board from time to time; and

- (c) all activities of the Specialized Investment Fund are in accordance with the provisions of these regulations.

55. Disclosures in offer document and other disclosures

- (1) The offer documents of the Specialized Investment Fund shall contain adequate disclosures for investors to make informed investment decisions, highlighting the high-risk nature of the product, in such manner as may be specified by the Board from time to time.
- (2) The portfolio disclosures in respect of a Specialized Investment Fund shall be made in the manner as may be specified by the Board from time to time.

CHAPTER X MUTUAL FUNDS LITE

56. Applicability

- (1) The provisions of this Chapter shall be applicable to mutual funds lite and mutual fund lite schemes.
- (2) All other provisions of these regulations except the following provisions and the guidelines and circulars issued thereunder, unless the context otherwise requires, or is repugnant to the provisions of this Chapter, shall apply to a Mutual Fund Lite, Mutual Fund Lite schemes, and trustees and asset management companies in relation to such mutual funds and schemes:
- (a) Regulation 5,
 - (b) Regulation 9;
 - (c) Regulation 10;
 - (d) Regulation 11;
 - (e) Regulation 12;
 - (f) Clause (b) of sub-regulation (3) of Regulation 16;
 - (g) Clause (a)(iii) of Regulation 17;
 - (h) Regulation 21;
 - (i) Regulation 22;
 - (j) Regulation 23;
 - (k) Regulation 24(1);
 - (l) Regulation 40;
 - (m) Regulation 70(2);
 - (n) Chapter IX;
 - (o) Second Schedule; and
 - (p) Third Schedule.

- 57. Eligibility Criteria:** For the purpose of granting a certificate of registration as a mutual fund lite, the applicant shall fulfill the following:

(1)	All the criteria relating to “sound track record” given under one of the following two routes and shall have a general reputation of fairness and integrity in all business transactions:			
	Sr. No	Particulars	Route 1	Route 2
	(a)	Experience	No experience criteria for granting a certificate of registration under this route.	The combined experience of Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Compliance Officer and Chief Investment Officer appointed by the sponsor should be at least twenty (20) years and each of them shall have a minimum of 3 years of relevant experience.
	(b)	Profitability	<p>Net profit from the financial business operations after providing for depreciation, interest and tax in three out of immediately preceding five years including the fifth year.</p> <p>Average net annual profit from the financial business operations after depreciation, interest and tax during the immediately preceding five years of at least rupees five crore.</p>	No profitability criteria for granting a certificate of registration under this route
	(c)	Net worth of sponsor	Positive net worth in each of the preceding five years	Not applicable
	(d)	Liquid Net worth of sponsor	Positive liquid net worth is more than the proposed capital contribution of the sponsor in the MF Lite asset management company	
	(e)	Net worth of MF Lite Asset Management Company	The sponsor shall ensure that the net worth of MF Lite AMC shall be at least thirty-five crores, deployed in assets as may be specified by the Board, at all times:	<p>The net worth of MF Lite AMC, infused by the sponsor, at the time of registration shall be rupees seventy-five crores.</p> <p>However, MF Lite AMC net worth shall be maintained at more than rupees fifty crores</p>

			<p>Provided that if MF Lite AMC has profits for five consecutive years, the net worth of MF Lite AMC shall be maintained at more than rupees twenty-five crore (Rs. 25 crores).</p> <p>If the total assets under management of the MF Lite asset management company exceeds the thresholds specified by the Board, the MF Lite asset management company shall abide by the net worth requirements specified under Route 1 in Chapter II of these Regulations.</p> <p>The sponsor shall ensure maintaining the net worth requirement on a continuous basis.</p>	<p>(Rs. 50 Crores) deployed in assets as may be specified by the Board, on a continuous basis.</p> <p>Provided that if MF Lite AMC has profits for five consecutive years, the net worth of MF Lite AMC shall be maintained at more than rupees twenty-five crore (Rs. 25 crores).</p> <p>If the total assets under management of the MF Lite asset management company exceeds the thresholds specified by the Board, the MF Lite asset management company shall abide by the net worth requirements specified under Route 2 in Chapter II of these Regulations.</p> <p>The sponsor shall ensure maintaining the net worth requirement on a continuous basis.</p>
	(f)	Lock-in Requirement	No lock-in requirements for certificate of registration under this route.	The initial Shareholding equivalent to capital contributed to the MF Lite asset management company, to the extent of at least rupees seventy-five crore (Rs. 75 Crores), shall be locked-in for a period of three years
	(g)	Change in Control	In case of change in control of an existing MF Lite asset management company due to acquisition of shares, the positive liquid net worth of the sponsor or funds tied up by the sponsor shall be higher of aggregate par value or market	In case of acquisition of existing MF Lite asset management company, the sponsor shall have minimum positive liquid net worth equal to incremental capitalization required to ensure minimum capitalization of the MF Lite asset management company

			value of the shares proposed to be acquired	and the positive liquid net worth of the sponsor or the funds tied up by the sponsor shall be higher of aggregate par value or market value of the shares proposed to be acquired. In case of acquisition of stake in an existing MF Lite asset management company, the shareholding of the sponsor(s) equivalent to minimum of rupees seventy-five crore (Rs. 75 Crores) shall be locked in for three years
	(h)	Private Equity fund as a sponsor of mutual fund lite	Not applicable for certificate of registration under this route.	A pooled investment vehicle including a private equity fund may sponsor MF Lite by complying with conditions under this alternate route and such other conditions as may be specified by the Board from time to time.
(2)	Fit and proper		Applicant, mutual fund lite and trustees shall comply with the fit and proper criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.	
(3)	Minimum holding of sponsor in an MF Lite Asset Management Company		The sponsor shall contribute at least 40% to the net worth of the MF Lite asset management company: Provided that any person who holds 40% or more of the net worth of an asset management company shall be deemed to be a sponsor and will be required to fulfill the eligibility criteria specified in these regulations.	
(4)	Fit and proper requirement for sponsor, its directors or the key personnel to be employed by the mutual fund lite and/or mutual fund lite asset management company		The sponsor or any of its directors or the key personnel to be employed by the mutual fund lite and mutual fund lite asset management company should not have been guilty of fraud or been convicted of an offence involving moral turpitude or found guilty of any economic offence;	
(5)	Appointment of trustees		Appointment of debenture trustees to act as trustees for the MF Lite shall be in accordance with the provisions of the regulations;	

(6)	Appointment of MF Lite asset management company	Appointment of MF Lite asset management company to manage the MF Lite and operate the scheme of such funds in accordance with the provisions of these regulations;
(7)	Appointment of custodian	Appointment of custodian in order to keep custody of the securities or goods or gold or gold related instruments or silver or silver related instruments or other assets of the mutual fund lite held in terms of these regulations, and provide such other custodial services as may be authorised by the trustees.
(8)	Other conditions	Other conditions in this regard as may be specified by the Board from time to time are adhered to

58. Transfer of passive schemes of mutual fund to mutual fund lite

- (1) A sponsor shall be permitted to obtain a registration as a mutual fund under chapter II of these regulations and a separate registration as a mutual fund lite under this chapter subject to conditions specified by the Board from time to time.
- (2) An existing sponsor of the mutual fund can transfer its passive schemes which are eligible as mutual fund lite schemes from an existing mutual fund to a mutual fund lite belonging to a group entity of the same sponsor subject to conditions as specified by the Board from time to time.
- (3) If an existing sponsor transfers its passive schemes from its existing mutual fund to a mutual fund lite, the existing mutual fund shall not launch any passive schemes that are eligible as mutual fund lite schemes after such transfer.

59. Migrating mutual fund registration to mutual fund lite registration

An existing mutual fund that intends to only launch mutual fund lite schemes may surrender its existing registration and migrate as a mutual fund lite under this Chapter subject to the conditions and the manner specified by the Board.

60. Registration of trust deed

A mutual fund lite shall be constituted in the form of a trust and the instrument of trust shall be in the form of a deed, as specified by the Board, duly registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), executed by the mutual fund lite asset management company in favor of the trustees named in such an instrument.

61. Appointment of trustee

- (1) A debenture trustee may be appointed as a trustee of more than one mutual fund lite.
- (2) The trustee of a mutual fund lite shall be an independent entity and not an associate of the sponsor or manager of the concerned mutual fund lite asset management company.
- (3) No debenture trustee shall be eligible to be appointed as a trustee under this Chapter unless it meets the criteria for a fit and proper person specified under the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993.

- (4) The trustee shall have satisfactory wherewithal with respect to infrastructure, personnel, systems etc. as may be required for the proper discharge of its duties under these regulations.

62. Rights and obligations of the trustees

(1) Appointment and termination of asset management company

- (a) The trustees, with prior approval from the Board, shall appoint MF Lite asset management company and shall enter into an investment management agreement with the MF Lite asset management company.
- (b) The investment management agreement shall contain such clauses as may be specified by the Board and such other clauses as are necessary for the purpose of making investments and fair and transparent functioning of an MF Lite asset management company.
- (c) Where the trustees have reason to believe that the conduct of the business of the MF Lite Asset management company is not in accordance with these regulations or detrimental to the interest of the unitholders, they shall forthwith take such remedial steps, as are necessary except for termination of the asset management company and shall immediately inform the Board of such conduct and the action taken by them.
- (d) Termination of the asset management company by the trustees may be under the below given circumstances and shall be under the specific event and shall only be with the prior approval of the Board:
 - (i) trustees own accord if they have reasons to believe that the affairs of the asset management company are being conducted in contravention to the provisions of these regulations; or
 - (ii) request by the asset management company.

Explanation: Termination shall become effective only after the trustees have accepted the termination of assignment and communicated their decision in writing to the asset management company.

(2) Addressing conflict of interest:

The trustees shall take all necessary measures as they deem necessary to ensure that any conflict of interest involving the asset management company is effectively addressed and such measures shall include:

- (a) ensuring that mutual fund lite asset management company does not give any undue or unfair advantage to its associates or engages in transactions that may prejudice the interest of unitholders;
- (b) conducting a quarterly review of reports submitted by the mutual fund lite asset management company on transactions between the mutual fund lite and mutual fund lite asset management company or its associates; and
- (c) the trustees shall review and give their comments on the reports received from the mutual fund lite asset management company on investments by the mutual fund lite in securities of group companies of the sponsor.

(3) Regulatory compliance and trustee responsibilities

- (a) The trustees shall have the right to request for any information from the mutual fund lite asset management company that they deem necessary.
- (b) The trustees shall be accountable for and be the custodian of the funds and property of the respective mutual fund lite schemes and shall hold the same in trust for the benefit of unitholders in accordance with this chapter and the provisions of trust deed.

(4) Trustee oversight for investor interests

- (a) The trustees shall abide by the Code of Conduct as specified in PART-A of the Fourth Schedule.
- (b) The trustees shall obtain unitholder consent:
 - (i) when required by the Board in the interest of the unitholders;
 - (ii) on the requisition of three-fourths of the unitholders of any mutual fund lite scheme; or
 - (iii) when the majority of the trustees decide to wind up a scheme in terms of clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 36 or prematurely redeem the units of a close ended scheme.
- (c) The trustees shall request details of securities transactions by key personnel of the mutual fund lite asset management company, whether made in their own name or in the name of the mutual fund lite asset management company, and report to the Board, when required.
- (d) The trustees shall periodically review investor complaints and their resolution by the mutual fund lite asset management company.

(5) Trustee oversight responsibilities

- (a) The trustee shall oversee activities of the mutual fund lite asset management company in the interest of the unitholders and obtain periodic reports on its activities and status of compliance with applicable regulations in the manner as may be specified by the Board.
- (b) The trustee shall ensure that the trust property is properly protected, held and administered by proper persons and by a proper number of such persons.
- (c) The trustees shall ensure that there is no conflict of interest between the manner of deployment of its net worth by the mutual fund lite asset management company and the interest of the unit- holders.
- (d) The trustees shall take steps to ensure that the transactions of the mutual fund lite are in accordance with the provisions of the trust deed.
- (e) The trustee shall provide consent in case of change in control of the mutual fund lite asset management company.
- (f) The trustees shall also exercise due diligence on such matters as may be specified by the Board from time to time.

- (6) The trustees shall not be held liable for acts done in good faith if they have exercised adequate due diligence and acted as per the terms of the trust deed.

63. Obligations of mutual fund lite asset management company and its employees

(1) Appointment of directors

The directors of a mutual fund lite asset management company shall be appointed by the sponsor and the sponsor shall exercise diligence while making such appointments.

(2) Investment and operational due diligence

- (a) The mutual fund lite asset management company shall take all reasonable steps and exercise due diligence to ensure that the investment of funds pertaining to any mutual fund lite scheme is not contrary to the provisions of these regulations and the trust deed.
- (b) The board of directors of the mutual fund lite asset management company shall ensure that all the activities of the mutual fund lite asset management company are in accordance with the provisions of these regulations.

(3) Operational systems and personnel

The board of directors of the mutual fund lite asset management company shall ensure before the launch of any scheme that the mutual fund lite asset management company has-

- (i) established systems for its back office, dealing room and accounting;
- (ii) appointed all key personnel specified by the Board, including fund manager(s) for the scheme(s) and submitted their bio-data which shall contain the educational qualifications and securities market experience to the trustees, within fifteen calendar days of their appointment;
- (iii) appointed auditors to audit its accounts;
- (iv) appointed a compliance officer who shall be responsible for monitoring compliance with the Act, rules, regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Board or the Central Government and for addressing investors grievances;
- (v) appointed a registrar to an issue and share transfer agent registered under the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 2025 and established parameters for their supervision;
- (vi) prepared a compliance manual and designed internal control mechanisms including internal audit systems;
- (vii) specified norms for empanelment of brokers and marketing agents; and
- (viii) obtained, wherever required under these regulations, prior in-principle approval from the recognized stock exchange(s) where units are proposed to be listed, in the manner specified by such exchange(s).

(4) Responsibility of Key Personnel and Employees

- (a) The Chief Executive Officer (whatever be the designation) of the mutual fund lite asset management company shall ensure that:
- (i) the mutual fund lite complies with all the provisions of these regulations and related guidelines and circulars;
 - (ii) investments made by the fund managers are in the interest of the unit holders;
 - (iii) the overall risk management function of the mutual fund lite is comprehensively managed; and
 - (iv) the mutual fund lite asset management company has adequate systems in place to ensure adherence to the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers (specified in PART - B of the Fourth Schedule of these regulations) and any breach of this Code of Conduct shall be immediately brought to the attention of the board of directors of the mutual fund lite asset management company and trustees.
- (b) The Fund Managers (whatever be the designation including Chief Investment Officer) shall adhere to the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers (specified in PART - B of the Fourth Schedule) and submit a quarterly self-certification to the trustees confirming compliance or list exceptions, if any.
- (c) The Dealers (whatever be the designation) shall abide by the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers (specified in PART - B of the Fourth Schedule) and submit a quarterly self-certification to the trustees confirming compliance or list exceptions, if any.
- (d) The compliance officer appointed under clause (iv) of sub-regulation (3) of regulation 63 shall independently and immediately report any observed non-compliance to the Board.

(5) Financial Transactions and Disclosures:**(a) Brokerage transactions**

- (i) A mutual fund lite asset management company shall ensure that purchase or sell of securities through any stock broker that is an associate of the sponsor does not, on average, exceed ten per cent of the aggregate value of securities purchases or sold by the mutual fund lite across all its schemes.
- (ii) A mutual fund lite asset management company shall ensure that purchase or sale of securities through a stock broker which is not an associate of the sponsor in excess of twenty five per cent of the aggregate value of purchases and sale of securities transacted by the mutual fund lite across all its schemes is undertaken only if mutual fund lite asset management company has recorded in writing the justification for exceeding the limit of twenty five per cent, and reports of all such investments are sent to the trustees on a quarterly basis.

Explanation: The limits specified in clauses (i) and (ii) shall apply to each block of three months and shall exclude transactions relating to the sale and distribution of units issued by the mutual fund lite and such other transactions as may be specified by the Board.

(6) Investment concentration disclosure:

In case any company has invested more than five per cent of the net asset value of a scheme, the investment made by that scheme or by any other scheme of the same mutual fund lite in that company or its subsidiaries shall be brought to the notice of the trustees by the mutual fund lite asset management company and be disclosed in the annual accounts of the respective schemes with justification for such investment provided the latter investment has been made within one year of the date of the former investment calculated on either side.

(7) Reporting and oversight

(a) Director and key personnel disclosures:

- (i) The mutual fund lite asset management company shall file with the trustees and the Board—
 - a. detailed bio-data of all its directors, along with their interest in other companies, within fifteen calendar days of their appointment;
 - b. a half yearly report regarding any change in the interests of directors; and
 - c. a quarterly report to the trustees giving details and adequate justification about the purchase and sale of the securities of the group companies of the sponsor or the mutual fund lite asset management company, as the case may be, by the mutual fund lite during the said quarter.
- (ii) Each director of the mutual fund lite asset management company shall file the details of his transactions of dealing in securities with the trustees on a quarterly basis in accordance with guidelines issued by the Board.
- (iii) The mutual fund lite asset management company shall file with trustees the details of transactions in securities by its key personnel in their own name or in the name of the asset management company, and shall report to the Board, as required.

(b) Board of Directors' oversight:

- (i) The Board of Directors of the mutual fund lite asset management company shall be responsible for the overall risk management of the mutual fund lite asset management company as well as the mutual fund lite schemes.
- (ii) The board of directors of the mutual fund lite asset management company shall ensure that -

- a. the mutual fund lite asset management company has been diligent in empaneling brokers, monitoring securities transactions with brokers, and avoiding undue concentration of business with specific brokers;
- b. the mutual fund lite asset management company has not given any undue or unfair advantage to any associate or dealt with any associate in any manner detrimental to the interest of unit holders;
- c. the transactions entered into by the mutual fund lite asset management company align with these regulations and the respective schemes;
- d. mutual fund lite transactions align with the provisions of the trust deed;
- e. the mutual fund lite asset management company has been managing the mutual fund lite schemes independently of other activities and have taken adequate steps to ensure that the interest of investors of one scheme are not being compromised with those of any other scheme or of other activities of the mutual fund lite asset management company;
- f. the net worth of the mutual fund lite asset management company is reviewed quarterly to ensure continuous compliance with the threshold provided in clause (e) of sub-regulation (1) of regulation (57);
- g. all service contracts including for custody arrangements of the assets and transfer agency of the securities are executed in the interest of the unit holders and test checks of service contracts are arranged;
- h. there is no conflict of interest between the deployment of the mutual fund lite asset management company's net worth and the interest of the unit holders;
- i. investor complaints are periodically reviewed and redressed;
- j. all service providers hold appropriate registrations with the Board or relevant regulatory authority;
- k. any special developments in the mutual fund lite are immediately reported to the Board;
- l. due diligence is exercise on the reports submitted by the mutual fund lite asset management company to the trustees; and
- m. due diligence is exercised on such matters as specified by the Board.

(8) Ethical conduct and investor protection

(a) Prevention of misconduct:

- (i) The mutual fund lite asset management company shall not appoint any person as key personnel who has been found guilty of any economic offence or involved in violation of securities laws.
- (ii) The mutual fund lite asset management company shall be responsible for acts of commission or omission by its employees or persons whose services have been procured by the mutual fund lite asset management company, where such act or omission is committed in the course of carrying out functions under these

regulations, and involves negligence, breach of duty, or failure to comply with applicable law.

- (iii) The mutual fund lite asset management company shall abide by the Code of Conduct as specified in PART-A of the Fourth Schedule.

(b) Market abuse deterrence:

- (i) The Mutual Fund Lite asset management company shall establish, implement and maintain an institutional mechanism (as specified by the Board), for identifying and deterring potential market abuse, including front-running and fraudulent transactions in securities.
- (ii) The Chief Executive Officer or Managing Director (or equivalent or analogous rank) and Chief Compliance Officer of the mutual fund lite asset management company shall be responsible and accountable for implementing institutional mechanism for deterring potential market abuse, including front-running and fraudulent securities transactions.

(c) Whistleblower policy:

The mutual fund lite asset management company shall establish, implement and maintain a documented whistle blower policy that—

- a. provides a confidential channel for employees, directors, trustees, and other stakeholders to raise concerns about suspected fraudulent, unfair or unethical practices, violations of regulatory or legal requirements or governance vulnerability, and
- b. establishes procedure to ensure adequate protection of the whistle blowers.

(d) Investor grievance and protection:

The mutual fund lite asset management company shall constitute a Unit Holder Protection Committee in the form and manner and with a mandate as specified by the Board.

(9) Scheme management and valuation:

(a) Registrars and share transfer agents

- (i) registrars and share transfer agents appointed by the mutual fund lite asset management company shall be registered with the Board.
- (ii) If the work relating to the transfer of units is processed in-house, the charges at competitive market rates may be debited to the scheme and for rates higher than the competitive market rates, prior approval of the trustees shall be obtained and reasons for charging higher rates shall be disclosed in the annual accounts.

(b) Valuation and Disclosure

- (i) The mutual fund lite asset management company shall compute and carry out valuation of investments made by its scheme(s) in accordance with the investment valuation norms specified in Seventh Schedule of these regulations, and shall publish the same.
- (ii) The mutual fund lite asset management company and the sponsor of the mutual fund lite shall be liable to compensate affected investors and/or the scheme for any unfair treatment to any investor resulting from inappropriate valuation.

(c) Changes to scheme attribute:

The mutual fund lite asset management company shall ensure that no change in the fundamental attributes of any scheme or the trust, fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme and affect the interest of unit holders, shall be carried out unless, —

- a. written communication (including digital modes such as email/sms etc.) about the proposed change is sent to each unit holder;
- b. details, as specified by the Board, are appropriately displayed on the website of mutual fund lite asset management company; and
- c. unit holders are given an option to exit at the prevailing Net Asset Value without any exit load.

(d) Income calculation:

The mutual fund lite asset management company shall be responsible for calculation of any income due to be paid to the mutual fund lite and also any income received in the mutual fund lite, for the unit holders of any scheme, in accordance with these regulations and the trust deed.

(e) Geographic scope:

The mutual fund lite asset management company shall not carry out its fund management operations or execution of transactions relating to mutual fund lite, outside the territory of India, except for execution of trades for investment in overseas securities.

(10) Continuing liability

The mutual fund lite asset management company or its directors or other officers shall not be absolved of liability to the mutual fund lite for their acts of commission or omission, while holding such position or office, even though it is in compliance with any other contract or agreement or termination thereof.

(11) Transactions with associates/sponsor:

In case the mutual fund lite asset management company enters into any securities transactions with any of its associates a report to that effect shall be sent to the trustees at its next meeting.

(12) Additional mutual fund lite asset management company's oversight

- (a) The board of directors of the mutual fund lite asset management company shall review the desirability or continuance of the mutual fund lite asset management company if substantial irregularities are observed in any of the schemes and shall not allow the mutual fund lite asset management company to float new schemes.
- (b) The independent directors of the mutual fund lite asset management company shall pay specific attention to the following, as may be applicable, namely: —
 - (i) the Investment Management Agreement and the compensation paid under the agreement;
 - (ii) service contracts with associates and whether the mutual fund lite asset management company has charged higher fees than outside contractors for the same services;
 - (iii) selections of the mutual fund lite asset management company's independent directors;
 - (iv) securities transactions involving associates to the extent such transactions are permitted;
 - (v) selecting and nominating individuals to fill independent directors' vacancies;
 - (vi) code of ethics must be designed to prevent fraudulent, deceptive or manipulative practices by insiders in connection with personal securities transactions;
 - (vii) the reasonableness of fees paid to sponsors, mutual fund lite asset management company and any others for services provided; and
 - (viii) any service contract with the associates of the mutual fund lite asset management company.

(13) Meeting of the board of directors of the mutual fund lite asset management company

The board of directors of the mutual fund lite asset management company, including any of their committees, shall hold meetings at least as often as specified by the Board, and may hold additional meetings as necessary.

(14) Mutual fund lite asset management company's oversight for investor interests

The board of directors of mutual fund lite asset management company shall furnish to the Board on a yearly basis, —

- (a) a report on the activities of the mutual fund lite;
- (b) a certificate stating that the board of directors of mutual fund lite asset management company have satisfied themselves that there have been no instances of self-dealing or

front running by any of the trustees, directors and key personnel of the mutual fund lite asset management company; and

- (c) a certificate to the effect that the mutual fund lite asset management company has been managing the schemes independently of any other activities and in case any activities of the nature referred to in clause (b) of regulation 64 have been undertaken by the mutual fund lite asset management company, it has taken adequate steps to ensure that the interests of the unitholders are protected.

64. Other permissible business activities of the asset management company

The mutual fund lite asset management company, -

- (a) shall not act as a trustee of any mutual fund lite;
- (b) shall undertake only business activities that are in the nature of advisory services to pooled assets in respect of passive investments;
- (c) may itself or through its subsidiaries undertake activities permitted under clause (b) subject to the following:
 - (i) it ensures that there is no material conflict of interest across different activities;
 - (ii) the absence of conflict of interest shall be disclosed to the trustees and unit holders in scheme information document and statement of additional information;
 - (iii) there are unavoidable conflict of interest situations, it shall satisfy itself that disclosures are made of source of conflict, potential 'material risk or damage' to investor interests and detailed parameters for the same; and
 - (iv) it ensures independence to key personnel handling the relevant conflict of interest is provided through removal of direct link between remuneration to relevant asset management company personnel and revenues generated by that activity.

65. Procedure for launching of mutual fund lite schemes

No mutual fund lite scheme shall be launched by the mutual fund lite asset management company unless such mutual fund lite scheme is approved by the board of directors of the mutual fund lite asset management company and a copy of the offer document has been filed with the Board.

CHAPTER XI

EXPENSES CHARGED TO MUTUAL FUND INVESTORS

66. Fees and expenses of mutual fund schemes

- (1) All expenses of mutual fund schemes should be clearly identified and shall be paid from the scheme. The expenses shall be subject to the base expense limits, brokerage limits, transaction cost and statutory levy permissible under these regulations.
- (2) Any expenditure in excess of the base limits specified in these regulations shall be borne by the asset management company or the trustees or sponsors. If any expense of the scheme is

- borne by asset management company or by the trustee or sponsors, the same shall be done only after the investment and advisory fees charged to the scheme, if any, is fully reversed.
- (3) All the expenditures pertaining to launch of new fund offer till the date of allotment of mutual fund units to investors shall be borne by the asset management company or trustees or sponsor.
- (4) The asset management company may charge the scheme with investment and advisory fees which shall fully disclosed in the offer document.
- (5) In addition to the fees mentioned in sub-regulation (4), the mutual fund schemes may be charged with the following recurring expenses including:
- (a) marketing and selling expenses including fees, commission and charges towards distribution of mutual fund schemes, if any;
 - (b) brokerage cost incurred towards execution of trades;
 - (c) registrar services for transfer of units sold or redeemed;
 - (d) fees and expenses of trustees;
 - (e) audit fees;
 - (f) custodian fees;
 - (g) costs related to investor communication;
 - (h) costs of fund transfer from location to location;
 - (i) costs of providing account statements and Income Distribution cum Capital Withdrawal payout/redemption cheques and warrants;
 - (j) insurance premium paid by the fund;
 - (k) winding up costs for terminating a scheme;
 - (l) costs of statutory advertisements;
 - (m) expenses towards storage and handling of underlying goods due to physical settlement of any commodity derivative contract or cost towards storage and handling of gold and silver;
 - (n) listing fees, in case of schemes listed on a recognised stock exchange; and
 - (o) such other expenses as may be specified or approved by the Board.
- (6) The asset management company shall pay charges or commission or fees related to distribution of mutual fund schemes in the manner as may be specified by the Board from time to time.
- (7) The base expense ratio of the scheme shall be sum of expenses mentioned at sub-regulation (4), sub-regulation (5) and sub-regulation (6) but excluded statutory levy applicable, if any, on the said expenses and transaction cost specified under sub-regulation (10). The base expense ratio shall be subject to the following limits:

(a) Close Ended Schemes

Sr. No	Scheme Category	Maximum Base Expense ratio as per cent of the daily net assets
(i)	Equity oriented scheme(s)	1.00%
(ii)	Other than equity oriented schemes(s)	0.80%

(b) Open Ended Schemes

Sr. No	Scheme Category	Maximum Base Expense ratio as per cent of the daily net assets
Index fund scheme or exchange traded fund		
(i)	Index fund scheme or exchange traded fund	0.90%
Fund of Funds		
(ii)	Expense ratio of Fund of Funds investing in liquid schemes, index fund scheme and exchange traded funds (including weighted average of the expense ratio levied by the underlying scheme(s))	0.90%
(iii)	Expense ratio of Fund of Funds, other than fund of funds mentioned at sub-regulation 7(b)(ii), investing a minimum of sixty-five per cent of assets under management in equity oriented schemes as per scheme information document (including weighted average expense ratio levied by the underlying scheme(s))	2.10 %
(iv)	Expense ratio of Fund of Funds not covered at sub-regulation 7(b)(ii) and 7(b)(iii) above (including weighted average expense ratio levied by the underlying scheme(s))	1.85 %

(c) **Open ended schemes other than the schemes specified under regulation 66 (7)(b)**

Assets under management Slab (In Rs. crore)	Base expense ratio limits for equity oriented schemes	Base expense ratio limits for other than equity oriented schemes
on the first Rs.500 crores of the daily net assets	2.10%	1.85%
on the next Rs.250 crores of the daily net assets	1.90%	1.65%
on the next Rs.1,250 crores of the daily net assets	1.60%	1.40%
on the next Rs.3,000 crores of the daily net assets	1.50%	1.25%
on the next Rs.5,000 crores of the daily net assets	1.40%	1.15%
On the next Rs.40,000 crores of the daily net assets	Expense ratio reduction of 0.05% for every increase of Rs.5,000 crores of daily net assets or part thereof.	
On balance of the assets	0.95%	0.70%

Provided that mutual fund schemes that offers to charge base expense ratio based on the performance of the scheme shall comply with the expense ratio structure and disclosures thereto as specified by the Board from time to time.

- (8) The base expense ratio of Fund of Funds to be charged over and above the weighted average of the base expense ratio of the underlying scheme shall not exceed two times the weighted average of the base expense ratio levied by the underlying scheme(s), subject to the overall ceilings for Fund of Funds as stated under sub-regulation (7), unless otherwise specified by the Board.

- (9) A mutual fund scheme may charge expense incurred towards brokerage, for the purpose of execution of trade, over and above the base expense ratio subject to a maximum of **0.06** per cent of trade value in case of cash market transactions and **0.02** per cent of trade value in case of derivatives transactions. Expense charged towards brokerage, over and above the specified limit, shall be part of the base expense ratio limit specified under sub-regulation (7).
- (10) Transaction cost incurred for the purpose of execution of a trade shall mean regulatory levies and any other expenses charged by the stock exchanges, clearing corporation, and clearing house, as applicable. Such transaction costs shall not form part of the base expense ratio.
- (11) Any expenses other than those specified in sub-regulation (4), sub-regulations (5), sub-regulation (6), sub-regulation (9) and sub-regulation (10), shall be borne by the asset management company or trustee or sponsors.

67. Total Expense Ratio

- (1) The total of all expenses charged to the investors of the scheme, as mentioned under definition of 'Total expense ratio', shall be total of expense charged within the base limit specified under sub-regulation 7 of regulation 66, brokerage cost permitted under sub-regulation 9 of regulation 66, transaction cost incurred for the purpose of execution of trade as referred under sub-regulation 10 of regulation 66, and statutory levies charged to the investors.
- (2) No charges other than the base expense ratio, brokerage cost, transaction cost, statutory levy and exit load including levies as may be specified by the Board, shall be charged to the investors.

CHAPTER XII

ANNUAL REPORT OF MUTUAL FUND SCHEMES

68. Annual report of mutual fund schemes

Every mutual fund or the asset management company shall prepare in respect of each financial year, an annual report of the schemes as specified in the Ninth Schedule and such other requirements as specified by the Board from time to time.

69. Auditor's report

- (1) Every mutual fund shall have the annual statement of accounts audited by an auditor who is not associated with the auditor of the asset management company.

Explanation: For the purposes of this sub-regulation and regulation 79 "auditor" means a firm, including a limited liability partnership, constituted under the LLP Act, 2008, who is

eligible and qualified to audit the accounts of a company under section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

- (2) An auditor appointed by the trustees shall submit his report to the trustees and such report shall form part of the Annual Report of the mutual fund.
- (3) The auditor's report shall comprise a certificate to the effect that:
 - (a) he/she has obtained all information and explanations which, to the best of his/her knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit;
 - (b) the balance sheet and the revenue account give a fair and true view of the scheme, state of affairs and surplus or deficit in the Fund for the accounting period to which the Balance Sheet or, as the case may be, the Revenue Account relates; and
 - (c) the statement of account has been prepared in accordance with accounting policies and standards as specified in the Eighth Schedule.

CHAPTER XIII

DISCLOSURES TO UNITHOLDERS AND BOARD

70. Disclosures to the investors

(1) Disclosure of annual report of mutual fund schemes to unitholders

- (a) The asset management company shall send the digital copy of the scheme-wise Annual Report of a mutual fund or an abridged summary thereof to all unitholders within four months from the date of closure of the relevant financial year, in the manner specified by the Board from time to time.
- (b) The Annual Report and its abridged scheme wise summary shall contain the details as specified in the Ninth Schedule and such other information necessary to present a true and fair view of the operations of the mutual fund.
- (c) The asset management company shall provide physical copy of the abridged summary of the Annual Report, prepared in the format specified by the Board from time to time, without any cost, if a request is received from a unitholder.
- (d) The asset management company may provide physical copy of the Annual Report to the unitholders on payment of such nominal fees as may be specified by the mutual fund.
- (e) The asset management company shall display a functional link of the full scheme-wise Annual Reports prominently on their website.

(2) Disclosure of half-yearly unaudited financial results to unitholders

- (a) Every mutual fund and asset management company shall, within one month from the close of each half-year ending on 31st March and 30th September, host the unaudited financial results of their schemes on their website.

- (b) The financial results referred to in clause (a) shall be in the format specified by the Board from time to time and shall include such additional details as are necessary to give a true and fair view of operations of the mutual fund.
 - (c) Written communication (including digital modes such as email/SMS etc.) shall be sent to unitholders by the asset management company about the availability of financial results referred to in clause (a).
- (3) **Disclosure of portfolio statement:** An asset management company shall send to all unitholders a complete statement of its scheme portfolio in the manner as specified by the Board from time to time.
- (4) **Disclosure of total expense ratio:** The total expense ratio of mutual fund schemes shall be disclosed to the investors in manner and format specified by the Board from time to time.
- (5) **Disclosure of net asset value:** The Net Asset Value of the scheme shall be calculated on daily basis and disclosed in the manner specified by the Board from time to time.
- (6) **Other Disclosures**
- (a) The trustee shall make such disclosures to the unitholders as are essential in order to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments.
 - (b) No sale of units of any scheme of a mutual fund shall be made by the trustees or an asset management company unless investment application is accompanied by documents containing adequate information for the investors to make an informed decision.
 - (c) The mutual fund, and the asset management company, the trustees, custodian and sponsor of the mutual fund shall:
 - (i) make such disclosures as may be specified by the Board; and
 - (ii) submit such documents as they may be called upon to do so by the Board.

71. Dispute resolution and grievance redressal mechanism.

- (1) The asset management company shall redress investor grievances promptly but not later than twenty-one calendar days from the date of receipt of the grievance, and in such manner as may be specified by the Board from time to time.
- (2) All claims, differences or disputes between the asset management company and investors, arising out of or in relation to the activities of the asset management company in the securities market, shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation, conciliation and arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.
- (3) The Board may recognize a body corporate for handling and monitoring the process of grievance redressal within such time and in such manner as may be specified.

CHAPTER XIV GENERAL OBLIGATIONS

72. To maintain proper books of account and records

- (1) Every asset management company shall keep and maintain proper books of account, records and documents, for each scheme so as to-
 - (a) explain its transactions, including inter scheme transactions, and rationale for valuations;
 - (b) maintain a complete audit trail;
 - (c) disclose, at any time, the financial position of each scheme; and
 - (d) give a true and fair view of the state of affairs of the fund.
- (2) The asset management company shall intimate the Board of the place where such books of account, records and documents are maintained.
- (3) The financial statements and accounts of the mutual fund schemes shall be prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS), as notified by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
- (4) Where an inconsistency arises between the IND AS and these regulations or guidelines issued thereunder, the asset management companies shall follow the requirements specified under these regulations.
- (5) Every asset management company shall maintain and preserve its books of account, records and documents for a minimum period of eight years.
- (6) The asset management company shall follow the accounting policies and standards as specified in Eighth Schedule and as specified by the Board from time to time, in a fair and true manner so as to provide:
 - (a) appropriate details of the scheme-wise disposition of the assets of the fund at the relevant accounting date;
 - (b) performance of the scheme during that period; and
 - (c) information on distribution or accumulation of income accruing to the unitholders.

73. Financial year

- (1) The financial year for all the schemes shall end on March 31st of each year.
- (2) For a new scheme commenced during a financial year, the disclosure and reporting requirements shall apply from the date of its commencement upto March 31st of that financial year.

CHAPTER XV INSPECTION AND AUDIT

74. Board's right to inspect and investigate

The Board may appoint one or more persons as inspecting officer(s) to inspect the books of account, records, documents, infrastructure, systems and procedures, or to investigate the affairs, of a mutual fund, the trustees and the asset management company for any of the following purposes:

- (a) to verify that the books of account are being maintained by the mutual fund, the trustees and asset management company in the manner specified under these regulations;
- (b) to ascertain compliance with the Act and these regulations by the mutual fund, the trustees and asset management company;
- (c) to ascertain the adequacy of systems, procedures and safeguards followed by the mutual fund;
- (d) to investigate into the complaints received from the investors or any other person on matter having a bearing on the activities of the mutual funds, the trustees and the asset management company; or
- (e) to suo-motu examine whether the affairs of the mutual fund, the trustees or the asset management company are being conducted in a manner which is in the interest of the unitholders or the securities market.

75. Notice before inspection and investigation

- (1) Before ordering an inspection or investigation under regulation 74 the Board shall give notice of not less than ten calendar days' to the mutual fund or asset management company or trustees, as the case may be.
- (2) If the Board is satisfied that issuing notice specified in sub-regulation (1) may not be in the interest of unitholders, it may, by an order in writing, direct that such inspection or investigation be taken up without such notice.
- (3) During the inspection or investigation, the mutual fund, trustees or asset management company against whom the inspection or investigation is being carried out shall comply with all obligations specified under regulation 76.

76. Obligations on inspection and investigation

(1) General obligations:

(a) Duty to produce documents and furnish information:

- (i) It shall be the duty of the mutual fund, trustees or asset management company under inspection or investigation, and of every director, officer and employee thereof, to:
 - a. produce to the inspecting officer such books, accounts, records, including electronic records such as emails, applications and software used with respect

to affairs of the mutual funds, and other documents as are in their custody or control and which are relevant or necessary for the purposes of investigation or inspection; and

- b. furnish such statements, documents, information or other material relating to their activities which are relevant or necessary for the purposes of investigation or inspection.
- (ii) All documents and information under clause (i) shall be provided within a reasonable period as specified by the inspecting officer.

(b) Access to premises and records:

- (i) The mutual fund, trustees or asset management company shall grant the inspecting officer reasonable access to:
- a. any premises occupied by them or by any other person on their behalf;
 - b. extend reasonable facilities for examining any books, records, documents and computer data in their possession or the possession of such other person which are relevant or necessary for the purposes of investigation or inspection; and
 - c. provide copies of documents or other materials deemed relevant by the inspecting officer for the purpose of inspection or investigation.

(c) Examination and recording of statements:

The inspecting officer may, during the course of an inspection or investigation examine or record the statements of any director, officer, or employee of the mutual fund, trustees or asset management company.

(d) Duty to provide assistance:

Every director, officer, or employee of the mutual fund, asset management company, or trustees shall render all reasonable assistance to the inspecting officer in connection with the inspection or investigation, as the inspecting officer may require.

77. Submission of report to the Board

- (1) Upon completion of the inspection or investigation, the inspecting officer shall submit a comprehensive report to the Board.
- (2) The inspecting officer shall also submit an interim report to the Board if directed to do so by the Board.

78. Action on inspection or investigation report

After consideration of the inspection or investigation report, the Board may take such action as deemed appropriate including but not limited to actions specified under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

79. Auditor Appointment and Fees

- (1) The Board may appoint an auditor to inspect or investigate the books of account or affairs of the mutual fund, trustees or asset management company.
- (2) An auditor appointed under sub-regulation (1) shall have the same powers as an inspecting officer appointed under regulation 74.
- (3) Where an auditor is appointed under sub-regulation (1), the obligation of the mutual fund, asset management company, trustee, and their employees specified under regulation 76 shall be applicable to the investigation conducted under this regulation.

80. Payment of inspection expenses

The Board may recover, from the mutual fund, trustees and asset management company, any expenses incurred for the purposes of investigation or inspection of the books of account, records and documents of the mutual fund, the trustees and the Asset Management Company. Such recoverable expenses shall include, but not limited to, fees paid to the auditors for such investigation or inspection.

CHAPTER XVI**PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT****81. Liability for action in case of default**

An asset management company, mutual fund, trustee or sponsor which contravenes any of the provisions of the Act, rules or regulations framed thereunder or circulars and guidelines issued thereunder including:

- (a) failure to furnish any information or furnishes wrong information relating to its activity as a mutual fund as required under these regulations;
- (b) failure to furnish any returns as required under these regulations;
- (c) non co-operation in any inquiry or inspection conducted by the Board;
- (d) failure to comply with any directions of the Board issued under the provisions of the Act or these regulations;
- (e) failure to resolve the complaints of the investors or fails to give a satisfactory reply to the Board in this behalf;
- (f) indulge in unfair trade practices and/or insider trading in securities.

Explanation: For the purposes of this clause “unfair trade practices” has the same meaning as in the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market) Regulations 2003;

For the purpose of this clause “insider trading” has the same meaning as in the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015;

- (g) misconduct or improper or unbusinesslike or unprofessional conduct and fails to adhere to the Code of Conduct specified in the Fourth Schedule;
- (h) failure to carry out its obligations as specified in these regulations;
- (i) failure to comply with conditions for registration;
- (j) failure to maintain the net worth in accordance with the provisions of sub-regulation (1) of regulation 5 and sub-regulation (1) of regulation 57;
- (k) failure to pay any fees;
- (l) failure to ensure that the advertisement issued is not in contravention with the Advertisement Code specified in Fifth Schedule; or
- (m) failure to ensure that the valuation of securities is not in contravention of the Principles of Fair Valuation specified in Seventh Schedule;

shall be liable for action under the applicable provisions of the Act, rules, regulations, or circular framed thereunder including but not limited to suspension or cancellation of registration of an intermediary holding a certificate of registration, stopping subscription to existing schemes or suspension of launch of any new scheme of a mutual fund and forfeiture of the amount invested by an asset management company in any of its schemes as required under clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 22.

CHAPTER XVII

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

82. Exemption from enforcement of the regulations.

- (1) The Board may, in the interest of unitholders or for the development of the securities market, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations, if the Board is satisfied that:
 - (a) relaxation is procedural or technical in nature; or
 - (b) the non-compliance was caused due to factor beyond the control of the asset management company or mutual fund; or
 - (c) the requirement may cause undue hardship to unitholders.
- (2) For seeking relaxation under sub regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Board and such

application shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one lakh payable by way of direct credit into the bank account through NEFT/ RTGS/ IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.

83. Relaxation from regulations for furthering innovation:

- (1) The Board may exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.
- (2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation. — For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.

CHAPTER XVIII MISCELLANEOUS

84. Power of the Board to issue clarifications

In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications and guidelines in the form of notes or circulars which shall be binding on the sponsor, mutual funds, trustees, asset management companies and custodians.

85. Repeal and saving

- (1) The Securities & Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 stand repealed from the date of coming into force of these regulations.
- (2) Notwithstanding such repeal:
 - (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken, including registration or approval granted, fees collected, scheme announced, registration or approval given, suspended or cancelled, any adjudication, proceedings, enquiry or

investigation commenced or show-cause notice issued under the repealed regulations prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;

- (b) the previous operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any contravention or offence committed against the repealed regulations, or any investigation, proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations had never been repealed;
- (c) any application made to the Board under the said regulations and pending before it shall be dealt with under the corresponding provisions of these regulations; and
- (d) any infrastructure debt fund scheme launched by a mutual fund prior to date of notification of these regulations shall continue to be governed by provisions of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 till such scheme is wound up.

FIRST SCHEDULE**Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026****[Regulations 3(1)(a), 3(1)(e), 4(1)(d), 24(4)]****FEES**

- A. The fees payable by mutual funds, as provided in the below given table, shall be paid by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.

Sr. No	Particulars	Fees/Charges*
1	Application fees payable by mutual funds	Rupees five lakhs
2	Registration fees payable by mutual funds	Rupees twenty five lakhs
3	Annual fees payable by mutual funds on Average Asset Under Management (AAUM) up to rupees 10,000 crore as on 31 st March#	0.0015 per cent of the AAUM
4	Annual fees payable by mutual funds on part of AAUM as on 31 st March of above rupees 10,000 crore#	0.0010 per cent of the portion of AAUM in excess of rupees 10,000 crore.
5	Filing fees for offer documents and placement memoranda	0.005 per cent of the amount raised in the new fund offer or by way of private placement, as the case may be, subject to a minimum of rupees two lakhs and a maximum of rupees fifty lakhs.

#subject to a minimum of Rupees 2,50,000 and a maximum of Rupees 1,00,00,000

*The fees/ charges mentioned above are excluding GST

SECOND SCHEDULE**Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026****[Regulation 10(1)]****CONTENTS OF THE TRUST DEED**

- (1) The trust deed shall have a clause that trustees shall be responsible to comply with the provisions of this regulations.
- (2) The trust deed shall mention trusteeship fee, if any, payable to trustees.
- (3) The trust deed shall mention minimum number of trustees as four and that the removal of trustees would be subject to prior approval of the Board.
- (4) Trust deed shall mention that amendment to the trust deed shall be carried out:
 - (a) with the prior approval of the Board; and
 - (b) with prior approval of unitholders, except in case of change in trust deed consequential to change in control of asset management company as per clause (c) of Regulation 17 and in such other cases as may be specified by the Board from time to time.
- (5) The trust deed should provide the procedure that shall be followed for seeking approval of the unitholders under all such circumstances as are specified in the Regulations, including amendment to the trust deed.
- (6) The trust deed shall specify the quorum for a meeting of the trustees and shall ensure that the quorum of the meeting shall mandate presence of at least one independent trustee or independent director.
- (7) The trust deed shall empower trustees to meet at such frequency as required to ascertain orderly management of mutual fund schemes by asset management companies and compliances with this regulation but shall mandate minimum of one meeting of trustees in every quarter and at least four such meetings in every financial year.
- (8) The trust deed shall specify that the unitholders would have beneficial interest in the trust property to the extent of individual holding in respective schemes only.
- (9) Trust deed shall mandate trustees to comply with the following:
 - (a) A trustee, in carrying out his responsibilities as a member of the trustee company, shall maintain arms' length relationship with other companies, or institutions or financial intermediaries or any body corporate with which he may be associated.
 - (b) A trustee shall not participate in the meetings of the trustee company when any decisions for investments in which he may be interested are taken.
- (10) Trust deed shall reproduce the duties/responsibilities and power of trustees as specified under regulation 12 and shall also include the following:
 - (a) The trustees would be responsible to act in the interest of the unitholders.
 - (b) The trustees shall take into their custody, or under their control all the property of the schemes of the mutual fund and hold it in trust for the unitholders.

- (c) The trustees shall be responsible to provide or cause to provide information to unitholders and Board as may be specified by the Board.
 - (d) The trustees shall be responsible to supervise the collection of any income due to be paid to the scheme and for claiming any repayment of tax and holding any income received in trust for the unitholders in accordance with the trust deed and Regulations.
 - (e) A trustee shall be responsible to furnish to the trustee company particulars of interest which he may have in any other company, or institution or financial intermediary or any corporate body by virtue of his position as director, partner or with which he may be associated in any other capacity.
- (11) The trust deed shall specifically forbid mutual funds from:
- (a) acquisition of any asset out of the trust property which involves the assumption of any liability which is unlimited or shall not result in encumbrance of the trust property in any way; and
 - (b) making or guaranteeing loans or taking up any activity which is in contravention of the Regulations.

THIRD SCHEDULE**Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026****[Regulation 12(1)(b)]****CONTENTS OF THE INVESTMENT MANAGEMENT AGREEMENT**

- (1) The Investment Management Agreement shall have a clause that asset management company shall be responsible to comply with the provisions of these regulations.
- (2) The Investment Management Agreement shall reproduce duties and responsibilities of the asset management company as mentioned under regulation 22 and shall also include that:
 - (a) the asset management company appointed by the trustees shall be responsible for floating schemes for the mutual fund, after approval of the same by the trustees, and for managing the funds mobilised under various schemes, in accordance with the provisions of the trust deed and Regulations;
 - (b) the asset management company shall ensure that no offer document of a scheme, key information memorandum, abridged half-yearly results and annual results is issued or published without the trustees' prior approval in writing, and contains any statement or matter extraneous to the trust deed or Offer Document or scheme particulars approved by the trustees and Board; and
 - (c) the asset management company shall be responsible to provide all information and submit reports to trustees and the Board concerning the operations of the various schemes of the mutual fund managed by the asset management company and on the functioning of the schemes of the mutual fund, at such intervals and in such a manner as may be specified by the trustees or the Board.
- (3) The Investment Management Agreement shall restrict asset management companies from:
 - (a) undertaking any other business activity other than management of mutual funds and activities permitted under clause (b) of regulation 21;
 - (b) acquiring any of the assets out of the trust property which involves the assumption of any liability which is unlimited or which may result in encumbrance of the trust property in any way;
 - (c) taking up any activity in contravention of the Regulations;
 - (d) using trust property towards loss or damage or expenses incurred by the asset management company or officers of the asset management company or any person delegated by the asset management company, including those in relation to resolution of claims or disputes of investors in terms of regulation 71.
 - (e) making or guaranteeing loans or taking up any activity which is in contravention of the Regulations.
- (4) The Investment Management Agreement shall have a clause empowering trustees to dismiss the asset management company under the specific events, with the prior approval of the Board and in accordance with the Regulations.

FOURTH SCHEDULE**Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026****[Regulations 12(3)(b), 12(4)(a), 22(8)(a)(ii), 62(4)(a), 63(8)(a)(iii), 81(g)]****CODE OF CONDUCT****PART – A****For the asset management company and trustees**

- (1) The trustees and the asset management company shall maintain high standards of integrity and fairness in all their dealings and in the conduct of their business.
- (2) Mutual funds schemes should not be organised, operated, managed or the portfolio of securities should not be selected, in the interest of sponsors, directors of asset management companies, directors of Trustee Company and their associates.
- (3) Mutual funds schemes should be organised, operated, managed and the portfolio of securities should be selected, to provide equitable and fair treatment to all classes of unitholders of the scheme. Decisions taken to favor or to benefit one set of investors over other shall not be considered as equitable and fair treatment to all class of unitholders.
- (4) The trustees and asset management companies must ensure that adequate, accurate, explicit and timely information about the investment policies, investment objectives, financial position and general affairs of the scheme is dissemination in a simple language to all unitholders of the scheme.
- (5) The trustees and asset management companies must avoid excessive concentration of business with broking firms, associates and also excessive holding of mutual fund units of a scheme among few investors.
- (6) The trustees and asset management companies must avoid conflicts of interest in managing the affairs of the schemes and keep the interest of all unitholders paramount in all matters.
- (7) The trustees and asset management companies shall ensure that the assets and liabilities of each scheme are segregated and ring-fenced from other schemes of the mutual fund; and bank accounts and securities accounts of each scheme are segregated and ring-fenced.
- (8) The trustees and asset management companies shall carry out the business and invest in accordance with the investment objectives stated in the offer documents and take investment decision solely in the interest of unitholders.
- (9) The trustees and asset management companies must not use any unethical means to sell, market or induce any investor to invest in their mutual fund schemes.
- (10) The trustees and the asset management company shall render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
- (11) The asset management company shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, either about their qualifications or capability to render investment management services or their achievements.
- (12) The trustees and asset management company shall ensure that:

- (a) the sponsor of the mutual fund, the trustees or the asset management company or any of their employees do not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of his interest including long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.
- (b) in case an employee of the sponsor, the trustees or the asset management company is rendering such advice, he shall also disclose the interest of his dependent family members and the employer including their long or short position in the said security, while rendering such advice.

PART – B

[Regulations 22(4)(a)(iv), 22(4)(b)(ii), 22(4)(c)(ii), 63(4)(a)(iv), 63(4)(b), 63(4)(c) and 81(g)]

For the Fund Managers and Dealers

(1) General:

Dealers and Fund Managers shall:

- (a) ensure that investments are made in the interest of the unit holders;
- (b) strive for highest ethical and professional standards to enhance the reputation of the markets;
- (c) act honestly in dealings with other market participants;
- (d) act fairly and deal with market participants in a consistent and transparent manner;
- (e) act with integrity, particularly avoid questionable practices and behaviour;
- (f) abide by the Act, Rules, Regulations, Guidelines and Circulars governing the securities market and keep themselves up-to-date with the latest developments;
- (g) not indulge in any unethical business activities or professional misconduct involving dishonesty, fraud or deceit or commit any act that could damage the reputation of the organisation or the mutual fund industry;
- (h) identify existing or potential conflicts of interest as per their institutions policies and address the same;
- (i) not carry out any transaction on behalf of a fund with any counter party who is an associate of the sponsor/asset management company/Fund Manager/Dealer/Chief Executive Officer unless such transaction is carried out on arm's length basis on terms and at a price consistent with best execution standards and at a commission rate no higher than customary institutional rates;

For the purposes of this clause, the term associate shall have the following meaning:

- (i) in case of an asset management company and a sponsor; associate as defined in clause (d) of sub-regulation (1) of regulation (2); and

- (ii) in case of a Fund Manager/Dealer/Chief Executive Officer, it shall include their relatives or any entity upon whom the Fund Manager/Dealer/Chief Executive Officer could exercise control;
- (j) not offer or accept any inducement in connection with the affairs or business of managing the funds of unitholders which is likely to conflict with the duties owed to the unitholders;
- (k) disclose all interests in securities as required by all applicable statutory requirements; and
- (l) not receive any gift or entertainment which is not in adherence of the gift and entertainment policy of the asset management company framed in this regard.

(2) Communication: Channels, disclosures and transparency:

Dealers and Fund Managers shall:

- (a) always communicate in unambiguous, transparent, accurate and professional manner to promote effective communication that supports a transparent Market;
- (b) conduct all communication during market hours through recorded modes and channels except for face-to-face communication including out-of-office face-to-face interactions;
- (c) be encouraged to highlight and bring to the notice any instance of suspected malpractice or market misconduct to the appropriate risk, compliance and regulatory chains of command;
- (d) provide appropriate inputs to the valuation agencies or the valuation committee of the asset management company. Any material deviation in valuation, as defined by the asset management company, shall also be highlighted to the valuation agencies and valuation committee of the asset management company.
- (e) on their discretion may share views on market colour, general state of market or trends without disclosing confidential information;
- (f) not disclose any material non-public information that could affect the value of an investment to external parties and shall not act or cause others to act on such information; and
- (g) not intentionally disseminate false or misleading information with respect to the price or market for a security.

(3) Execution Standards:

(a) Fund Managers shall:

- (i) have an appropriate and adequate basis for investment decision and shall be responsible for investment in the funds managed by them;
- (ii) record in writing, the decision of buying or selling specific securities together with the detailed justifications for such decisions;

- (iii) not indulge in any act or practice which results in artificial window dressing of the NAV; and
 - (iv) not indulge in any act or practice which results in artificial increase or decrease of valuation and computation of Macaulay Duration of mutual fund schemes.
- (b) Dealers and Fund Managers shall:
- (i) adopt fair and prompt deal execution practices;
 - (ii) shall keep sanctity of securities market at the highest priority and shall not indulge in any manipulative trade practices.
 - (iii) fully document all correspondence and understanding during a deal with counterparties in the books of the fund if they have committed to the transactions on behalf of the mutual fund;
 - (iv) not favour one scheme over another for the purpose of security allocation, transfer of benefits (profit/loss) or any valuation gain/ loss including by way of inter scheme transfers or otherwise;
 - (v) not indulge in circular trading (by whatever name called) in any manner;
 - (vi) not enter or participate in transactions with the intent of disrupting the market, distorting the prices, or artificially inflating trading volumes;
 - (vii) not indulge in simultaneously buying and selling the same securities at off market prices in order to create false or misleading signals regarding the supply of, demand for, or market price of securities;
 - (viii) not manipulate the prices of infrequently traded securities including at monthly/ quarterly /annual closing dates;
 - (ix) not enter into arrangements for sale or purchase of a security including a Government security where there is no change in beneficial interests or market risk or where the transfer of beneficial interest or market risk is only between parties who are acting in concert or collusion;
 - (x) not carry out or participate in a 'routing deal' i.e. purchasing a security at the instance of a third party who does not have funds to purchase the security, with an understanding to sell the same to the said third party at a later date at a predetermined price which may or may not be market related;
 - (xi) not put misleading bids and offers outside the market range as defined by their institution without an intention to trade;
 - (xii) not make frivolous quotations with an intent to mislead the market participants; and
 - (xiii) not sell securities to a third party at the month/quarter end with an understanding to purchase the same at a later date for any purpose including to meet periodic liquidity or to avoid month end disclosure.

FIFTH SCHEDULE**Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026****[Regulation 28]****ADVERTISEMENT CODE**

- (a) Advertisements shall be accurate, true, fair, clear, complete, unambiguous and concise and shall not be misleading.
- (b) Advertisements shall not contain statements which are false, misleading, biased or deceptive, based on assumption/projections and shall not contain any testimonials or any ranking based on any criteria.
- (c) Advertisements shall not be so designed as likely to be misunderstood or likely to disguise the significance of any statement. Advertisements shall not contain statements which directly or by implication or by omission may mislead the investor.
- (d) Advertisements shall not carry any slogan that is exaggerated or unwarranted or slogan that is inconsistent with or unrelated to the nature and risk and return profile of the product.
- (e) No celebrities shall form part of the advertisement.
- (f) Advertisements shall not be so framed as to exploit the lack of experience or knowledge of the investors. Extensive use of technical or legal terminology or complex language and the inclusion of excessive details which may detract the investors should be avoided.
- (g) Advertisements shall contain information which is timely and consistent with the disclosures made in the Scheme Information Document, Statement of Additional Information and the Key Information Memorandum.
- (h) No advertisement shall directly or indirectly discredit other advertisements or make unfair comparisons.
- (i) Advertisements shall be accompanied by a standard warning in legible fonts which states 'Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.' No addition or deletion of words shall be made to the standard warning.
- (j) Advertisements in vernacular language(s) shall contain the standard warning as specified in clause (i) in the vernacular language.
- (k) In audio-visual media based advertisements, the standard warning in visual and accompanying voice over reiteration shall be audible in a clear and understandable manner. For example, in standard warning both the visual and the voice over reiteration containing fourteen (14) words running for at least five (5) seconds may be considered as clear and understandable.

SIXTH SCHEDULE**Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds), Regulations 2026****[Regulation 41(1)]****RESTRICTIONS ON INVESTMENTS**

1. Mutual fund scheme's investment in equity shares, equity related instruments and debt instruments shall only be made in listed or to be listed securities except that mutual fund can invest in:
 - (a) unlisted Government Securities and money market instruments other than commercial papers; and
 - (b) unlisted non-convertible debentures to the extent and in the manner as specified by the Board.
2. Mutual Fund Scheme's investment in unrated debt instruments shall be subject to such conditions as specified by the Board from time to time.
3. A scheme may invest in another scheme under the same mutual fund or any other mutual fund without charging any fees and such inter scheme investment shall be subject to limits as may be specified by the Board from time to time. This clause shall not apply to any fund of fund schemes.
4. No scheme of a mutual fund shall make any investment in any fund of funds scheme.
5. A fund of funds scheme shall be subject to the following investment restrictions:
 - a. a fund of funds scheme shall not invest in any other fund of funds scheme; and
 - b. a fund of funds scheme shall not invest its assets other than in schemes of mutual funds, except to the extent of funds required for meeting the liquidity requirements for the purpose of repurchases or redemptions, as disclosed in the offer document of fund of funds scheme.
6. Every mutual fund shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relevant securities and in all cases of sale, deliver the securities:

Provided that a mutual fund may engage in short selling of securities in accordance with the framework relating to short selling and securities lending and borrowing specified by the Board:

Provided further that a mutual fund may enter into derivatives transactions in a recognized stock exchange, subject to the framework specified by the Board.

Provided further that sale of government security already contracted for purchase shall be permitted in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India in this regard.
7. Every mutual fund shall get the securities purchased or transferred in the name of the mutual fund on account of the concerned scheme except in respect of such securities as may be specified by the board from time to time.
8. Pending deployment of funds of a scheme in terms of investment objectives of the scheme, a mutual fund may invest them in short term deposits of schedule commercial banks, subject to such Guidelines as may be specified by the Board.
9. Investment by mutual fund schemes shall be subject to such prudential limits as prescribed by the Board from time to time.

SEVENTH SCHEDULE**Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026****[Regulation 22(9)(b)(i), 63(9)(b)(i)]****INVESTMENT VALUATION NORMS****Principles of Fair Valuation**

Mutual fund shall value its investments in accordance with the following overarching principles so as to ensure fair treatment to all investors including existing investors as well as investors seeking to purchase or redeem units of mutual funds in all schemes at all points of time:

- (a) The valuation of investments shall be based on the principles of fair valuation i.e. valuation shall be reflective of the realizable value of the securities/assets on a given date.
- (b) The valuation shall be done in good faith and in true and fair manner and in according to the valuation policies and procedures approved by the Board of the asset management company, in line with the guidelines specified by the Board.
- (c) Investment in new type of securities/assets by the mutual fund scheme shall be made only after the valuation methodologies for such securities are established and approved by the Board of the asset management company.
- (d) The valuation policies and procedures, as approved by the Board of the asset management company, shall include the following in order to ensure the appropriateness and accuracy of the methodologies used and its effective implementation in valuing the securities/assets:
 - i. detailed methodologies that will be used for valuing each type of securities/assets held by the mutual fund schemes;
 - ii. the process to deal with exceptional events where market quotations are no longer reliable for a particular security. Situation where these methods will be used, process and methodology and impact of implementation of these methods, if any;
 - iii. Periodicity of review of the valuation policies and procedures (at least once in a Financial Year) by the asset management company; and
 - iv. means to address conflict of interest.
- (e) The asset management company shall also have policies and procedures to detect and prevent incorrect valuation.
- (f) The valuation policies and procedures shall be regularly reviewed (at least once in a Financial Year) by an independent auditor to seek to ensure their continued appropriateness.
- (g) The Board of Trustee and the Board of asset management company shall be updated on findings of periodic review of valuation policies and procedures by asset management company and auditor, as mentioned in these regulations.
- (h) The valuation policy and procedures (with regard to valuation of each category of securities/assets where the scheme will invest, situation where these methods will be used, process and methodology and impact of implementation of these methods, if any) approved by the Board of the asset management company shall be disclosed in Statement of Additional

Information, on the website of the asset management company and at any other place where the Board may specify, to ensure transparency of valuation norms to be adopted by asset management company.

- (i) The responsibility of true and fairness of valuation of securities and correct NAV shall be of the asset management company, irrespective of disclosure of the approved valuation policies and procedures i.e. if the established policies and procedures of valuation do not result in fair/ appropriate valuation, the asset management company shall deviate from the established policies and procedures in order to value the assets/ securities at fair value:

Provided that any deviation from the disclosed valuation policy and procedures shall be after documentation of the rationale for deviation and with appropriate reporting to the board of directors of the trustee company and the board of directors of the asset management company and appropriate disclosures to investors.

- (j) A mutual fund may value its investments according to the Valuation Guidelines specified by the Board from time to time. In case of any conflict between the Principles of Fair Valuation as detailed above and Valuation Guidelines issued by the Board, the Principles of Fair Valuation shall prevail.

EIGHTH SCHEDULE
Securities and Exchange Board of India
(Mutual Funds) Regulations, 2026
[Regulations 72(6), 69(3)(c)]
ACCOUNTING POLICIES AND STANDARDS

For Investment in Securities

- (a) For the purposes of the financial statements, mutual funds shall mark all investments to market and carry investments in the balance sheet at market value. The realised gains or losses on sale or redemption of investment, as well as unrealised appreciation or depreciation shall be recognised in all financial statements through Revenue Accounts. However, since the unrealised gain arising out of appreciation on investments cannot be distributed, provision has to be made for exclusion of this item when arriving at distributable income.
- (b) Dividend income earned by a scheme should be recognised, not on the date the dividend is declared, but on the date the share is quoted on an ex-dividend basis. For investments which are not quoted on the stock exchange, dividend income must be recognised on the date of declaration.
- (c) In respect of all interest-bearing investments, income must be accrued on a day to day basis as it is earned. Therefore, when such investments are purchased, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase must not be treated as a cost of purchase but must be debited to Interest Recoverable Account. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date upto the date of sale must not be treated as an addition to sale value but must be credited to Interest Recoverable Account.
- (d) In determining the holding cost of investments and the gains or loss on sale of investments, the “weighted average cost” method must be followed.
- (e) Transactions for purchase or sale of investments should be recognised as of the trade date and not as of the settlement date, so that the effect of all investments traded during a financial year are recorded and reflected in the financial statements for that year. Where investment transactions take place outside the stock market, for example, acquisitions through private placement or purchases or sales through private treaty, the transaction should be recorded in the event of a purchase, as of the date on which the scheme obtains an enforceable obligation to pay the price or, in the event of a sale, when the scheme obtains an enforceable right to collect the proceeds of sale or an enforceable obligation to deliver the instruments sold.
- (f) Bonus shares to which the scheme becomes entitled should be recognised only when the original shares on which the bonus entitlement accrues are traded on the stock exchange on an ex-bonus basis. Similarly, rights entitlements should be recognised only when the original shares on which the right entitlement accrues are traded on the stock exchange on an ex-rights basis.

- (g) Where income receivable on investments has accrued but has not been received or in case of debt securities classified as below investment grade, provision shall be made by debiting to the revenue account the income so accrued in the manner specified by guidelines issued by the Board.
- (h) When in the case of an open-ended scheme units are sold, the difference between the sale price and the face value of the unit, if positive, should be credited to reserves and if negative be debited to reserves, the face value being credited to Capital Account. Similarly, when in respect of such a scheme, units are repurchased, the difference between the purchase price and face value of the unit, if positive should be debited to reserves and, if negative, should be credited to reserves, the face value being debited to the capital account.
- (i) In the case of an open-ended scheme:
 - (1) when units are sold and appropriate part of the sale proceeds should be credited to an Equalisation Account and when units are repurchased an appropriate amount should be debited to Equalisation Account. The net balance on this account should be credited or debited to the Revenue Account. The balance on the Equalisation Account debited or credited to the Revenue Account should not decrease or increase the net income of the fund but is only an adjustment to the distributable surplus. It should, therefore, be reflected in the Revenue Account only after the net income of the fund is determined.
 - (2) The trustees may, if necessary, transfer a portion of the distributable profits to a dividend equalization reserve. Such a transfer would be independent of the requirement to operate an Equalization Account as provided in (i)(1).
- (j) The investments acquired or sold shall be accounted at transaction price excluding all transaction costs such as brokerage, stamp charges and any charge customarily included in the broker's contract note that are attributable to acquisition/ sale of investments.
- (k) Non-traded investments shall be valued in good faith in accordance with the norms specified in the Seventh Schedule.

NINTH SCHEDULE
Securities and Exchange Board of India
(Mutual Funds) Regulations, 2026
[Regulation 68]
ANNUAL REPORT

1. Annual Report

The annual report shall contain—

- (i) Report of the trustee company on the operations of the various schemes of the fund and the fund as a whole during the year and the future outlook of the fund;
- (ii) Balance Sheet and Revenue Account in accordance with paras 2, 3 and 4, respectively of this Schedule;
- (iii) Auditor's Report in accordance with paragraph 5 of this Schedule;
- (iv) Brief statement of the trustee company on the following aspects, namely:-
 - (a) Liabilities and responsibilities of the trustees and the Settlor;
 - (b) Investment objective of each scheme;
 - (c) Basis and policy of investment underlying the scheme;
 - (d) As the scheme invest in scrips or securities whose value can fluctuate, a statement on the following lines shall be provided:
 "The price and redemption value of the units, and income from them, can go up as well as down with the fluctuations in the market value of its underlying investments in securities; and
 - (e) Comments of the trustees on the performance of the scheme, with full justification.
- (v) Statement giving relevant perspective historical 'per unit' statistics in accordance with paragraph 6 of this Schedule; and
- (vi) Statement on the following lines:
 "On written request, present and prospective unitholders/investors can obtain a physical copy of the trust deed, the annual report and scheme related documents at a nominal price."

2. Accounting Policies: The accounting policies given in the Eighth Schedule shall be followed.

3. Contents of Balance Sheet

- i. The Balance Sheet shall give scheme wise particulars of its assets and liabilities in the format specified by the Board. It shall also disclose, inter alia, accounting policies relating to valuation of investments.
- ii. The aggregate market value of investments in securities shall be stated separately in respect of each type of investment, such as equity shares, preference shares, convertible debentures listed on recognised stock exchange, non-convertible debentures or bonds further differentiating between those listed on a recognised stock exchange, to be listed, and those which are unlisted.

- iii. The balance-sheet shall disclose under each type of investment(s) in securities, the aggregate market value or fair value of securities classified as below investment grade or default. A security shall be classified as below investment grade or default in the manner specified in guidelines issued by the Board.
- iv. The Balance Sheet shall disclose the per-unit net asset value (NAV) as at the end of the accounting year.
- v. As in case of companies, the Balance Sheet shall give against each item, the corresponding figures as at the end of the preceding accounting year.
- vi. The notes to the balance sheet should disclose the following information regarding investments:
 - a. all investments shall be grouped under the major classification given in the balance sheet;
 - b. under each major classification, the total value of investments falling under each major industry group (which constitutes not less than 5% of the total investment in the major classification) shall be disclosed together with the percentage thereof in relation to the total investment within the classification;
 - c. a full list of investments of the scheme shall be made available for inspection with the asset management company;
 - d. the basis on which management fees have been paid to the asset management company and the computation thereof;
 - e. if brokerage, distribution commission, custodial fees or any other payment for services are paid to or payable to any entity in which the asset management company or its major shareholders have a substantial interest (being not less than 10% of the equity capital), the amounts debited to the revenue account or amounts treated as cost of investments in respect of such services shall be separately disclosed together with details of the interest of the asset management company or its major shareholders;
 - f. aggregate value of purchases and sales of investments during the year and expressed as a percentage of average net asset;
 - g. In case of securities, excluding debt securities, where the non-traded investments which have been valued “in good faith” exceed 5% of the net assets at the end of the year, the aggregate value of such investments along with percentage to net assets. In case of debt securities which have been valued at a price other than the price given by the Independent Valuation Agencies at the end of year, the aggregate value of such securities and percentage to net assets; and
 - h. movement in unit capital should be stated.

An example of the manner in which the movement in unit capital may be disclosed is given below:

	<i>No. of units</i>	<i>(Rs. in lakhs)</i>
Balance of unit capital at the beginning of the reporting period	12,50,00,000	12,500.00
New fund/ plan offer during period, Capital issued during period (including dividend reinvestment) etc.	1,27,50,000	1,275.00
Redemptions during the period	(15,40,000)	(154.00)
Balance of unit capital at the end of the period	13,62,10,000	13,621.00

Note: Provide break-up of unit capital plan/option wise.

- i. the name of the company including the amount of investment made in each company of the group by each scheme and the aggregate investments made by all schemes in the group companies of the sponsor;
- j. The total income of the scheme shall include unrealised depreciation or appreciation on investment.

	<i>Rs. in lakh</i>	<i>Rs. in lakh</i>
Net income as per Revenue Account		100
Add : Balance of undistributed income as at 1st April, 1994 brought forward		20
		120
Less : Unrealised appreciation on investments		
As on 31st March, 1995		30
As on 1st April, 1994	15	(15)
		105
Less : Distributed to unitholders	80	
Transfer to reserve	5	(85)
		20

- vii. Provisions for doubtful deposits, doubtful debts and for doubtful outstandings and accrued income shall not be included under provisions on the liability side of the balance sheet, but shall be shown as a deduction from the aggregate value of its relevant asset.

- viii. Disclosure shall be made of all contingent liabilities, uncalled liability on partly paid shares and other commitments with specifying details.

4. Contents of Revenue Account

- (i) The Revenue Account shall give scheme wise particulars of the income, expenditure and surplus of the mutual fund in the format specified by the Board.
- (ii) If profit on sale of investments shown in the Revenue Account includes profit/loss on inter scheme transfer of investments within the same mutual fund the aggregate of such profit recognised as realised, shall be disclosed separately without being clubbed with the profit/loss on sale of investments to third parties.
- (iii) The following disclosures shall also be made in the revenue account:
 - (a) provision for aggregate value of doubtful deposits, debts and outstanding and accrued income;
 - (b) profit or loss in sale and redemption of investment may be shown on a gross basis;
 - (c) custodian and registrar fees; and
 - (d) total income and expenditure expressed as a percentage of average net assets, calculated on a daily basis.

5. Auditor's Report

- (i) All mutual funds shall be required to get their accounts audited in terms of a provision of the trust deeds.
- (ii) The auditor shall report to the trustee company and not to the unit holders.
- (iii) The Auditor's Report shall form a part of the Annual Report.
- (iv) The auditor shall state whether:
 - 1) he has obtained all information and explanations which, to the best of his knowledge and belief, were necessary for the purpose of his audit; and
 - 2) the Balance Sheet and the Revenue Account are in agreement with the books of account of the fund.
- (v) The auditor shall give his opinion as to whether:
 - 1) the Balance Sheet gives a true and fair view of the scheme wise state of affairs of the fund as at the balance sheet date, and
 - 2) the Revenue Account gives a true and fair view of the scheme wise surplus/deficit of the fund for the year/period ended at the balance sheet date.

6. Perspective historical per unit statistics

- (1) This statement shall disclose the following scheme wise per unit statistics for the past 3 years:
 - (a) net assets value, per unit at plan/option level;
 - (b) gross income per-unit broken up into the following components:

- (i) income other than profit(loss) on sale of investment, per unit;
- (ii) income from profit(loss) on inter scheme sales/transfer of investment, per unit;
- (iii) income from profit(loss) on sale of investment to third party, per unit;
- (iv) transfer to revenue account from past year's reserve, per unit.
- (v) gross income - sum of b(i), (ii) and (iii)
- (c) aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit;
- (d) net income, per unit (gross income – aggregate of expenses);
- (e) unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit;
- (f) if the units are traded, the highest and the lowest prices per unit during the year;
- (g) ratio of total expenses to average net assets by percentage;
- (h) ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments);
- (i) the highest and the lowest NAV per unit during the year at plan/option level;
- (j) face value per unit;
- (k) total unit capital (in Rupees);
- (l) average net asset (in Rupees);
- (m) no. of days during the period; and
- (n) Weighted average Price Earnings Ratio of equity/equity related instruments held as at end of year/period.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./621/2025-26]